खण्ड-435, अंक-9
बुधवार, 27 वैशाख, शक संवत् 1922
(17 मई, 2000 ई0)

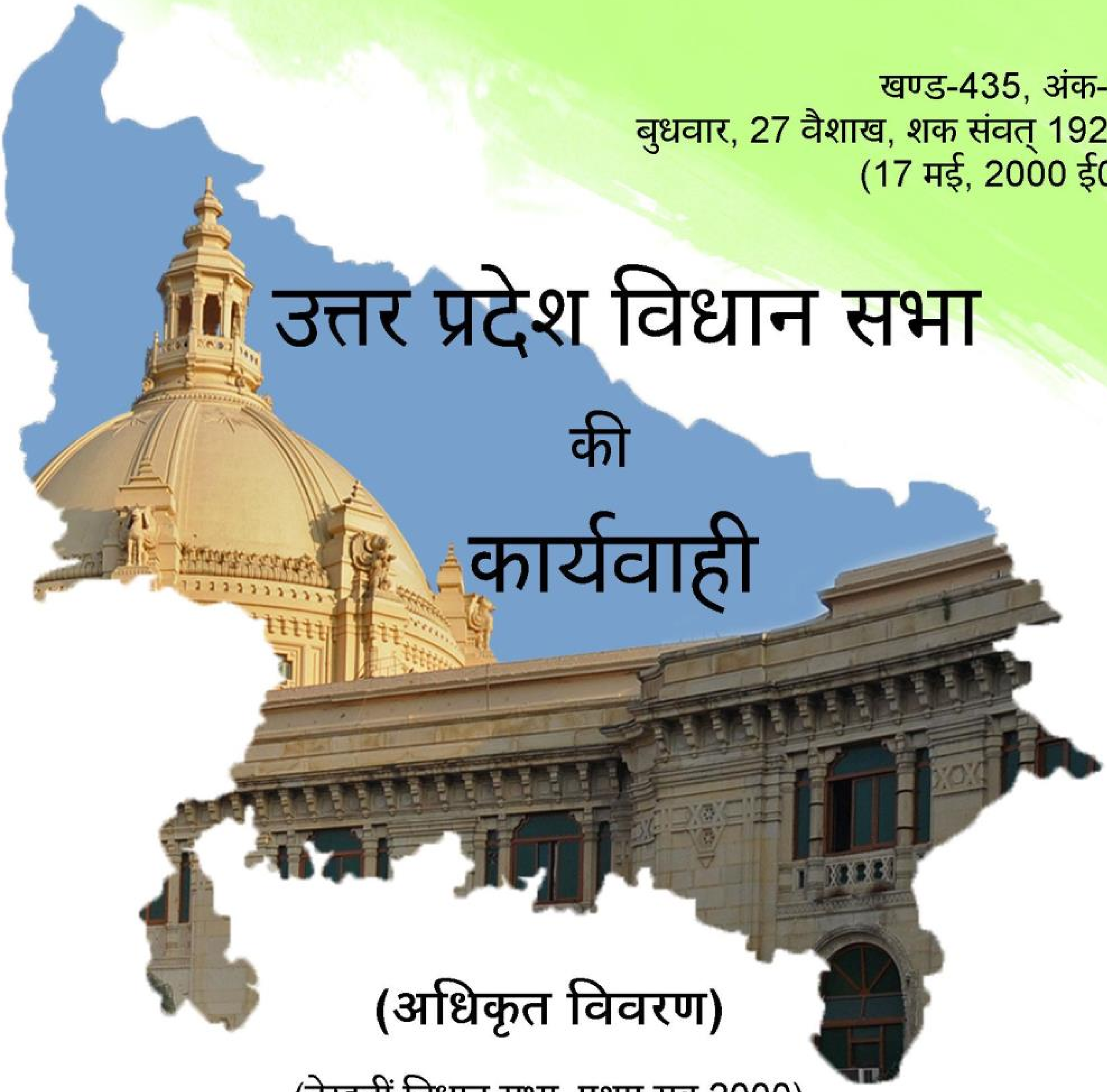

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2000)

खण्ड 435 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2000

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
सूचीबद्ध चर्चाओं के संबंध में प्रश्न उठाने का प्रयास	1
प्रश्नोत्तर	1–90
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	90–91
लखनऊ नगर के इन्दिरा नगर बी ब्लाक में राज्य सम्पत्ति विभाग की कालोनी में पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	91
जनपद बदायूं के अन्तर्गत बिल्सी–उझियानी के अधूरे मार्ग को पूरा कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	91
काशी में गंगा नदी के प्रवाह को गति देने हेतु तलहटी की सफाई कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	92
जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों के निर्माण में किये गये कथित घपले की टी०ए०सी० जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	92–93
जनपद जौनपुर के थाना जफराबाद में करमही न्याय पंचायत के सभी ग्राम निकाल कर थाना गौरा बादशाहपुर में सम्मिलित करने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93
जनपद सीतापुर एवं हरदोई के तत्कालीन अभियन्ताओं द्वारा निःशुल्क बोरिंग के अन्तर्गत किये गये गबन की जांच कराये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	93
जनपद अम्बेडकरनगर के अन्तर्गत महरुआ शाहजहांपुर सम्पर्क मार्ग से आदमपुर तिन्दौरी तक मार्ग का लेपन कार्य कराये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	94
डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय लखनऊ के तत्कालीन सहायक अधीक्षक के देयों के भुगतान की मांग के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	94
जनपद हरदोई में रूपापुर चीनी मिल के प्रबन्धतंत्र द्वारा किये गये शोषण एवं उत्पीड़न से उत्पन्न स्थित के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	94–95
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग गोण्डा द्वारा विकास कार्यों में धन के दुरुपयोग की जांच कराये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	95–96
पराग डेरी कैटिल फीड प्लान्ट मेरठ में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	96
जनपद सुल्तानपुर के ग्राम सभा अलहदादपुर में ग्राम समाज के गाटा सं० 480 पर अवैध रूप से निर्मित मकान से बेदखल करने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	96–97

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश सचिवालय में नवम्बर, 1988 से चक्रीय पद्धति के आधार पर टंकक संवर्ग की भांति अन्य संवर्ग के कर्मियों को प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	97
जनपद आजमगढ़ में अहरौला बाजार को टाउन एरिया बनाये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	97–98
लखनऊ नगर स्थित इन्दिरा नगर सेक्टर 22, ए ब्लाक 1407/11 में अवैध कब्जा धारकों द्वारा विभाग के मानचित्र के विपरीत कार्य कराये जाने से उत्पन्न स्थित के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	98
डा० अम्बेडकर कन्या प्राइमरी पाठशाला लक्ष्मीनगर मथुरा में अध्यापकों का वेतन न दिये जाने से उत्पन्न स्थित के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	98–99
प्रदेश के पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सा शुल्क में हुई वृद्धि को कम करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	99
फिरोजाबाद में फतेहाबाद मार्ग एवं चन्दवार, जलालपुर के मार्गों पर विद्युत आधारित उद्योग लगाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	99–100
जनपद फिरोजाबाद के जसराना क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100
जनपद हरदोई के शाहाबाद क्षेत्रान्तर्गत कतिपय रजबहों में पानी न आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में 301 के अन्तर्गत सूचना	100
शारदा सहायक समावेश परियोजना जवाहर भवन, लखनऊ के कार्यालय में भ्रष्टाचार की जांच तथा दण्डात्मक कार्यवाही की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100–101
जनपद गाजियाबाद के खेकड़ा क्षेत्रान्तर्गत लोनी विकास खण्ड में महाविद्यालय एवं आई० टी० आई० खोले जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	101
जनपद बदायूं के नगर पंचायत दातागंज में पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	102
जौनपुर सदर में मल्हानी रोड से बेगमगंज लाल दरवाजा तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	102
जनपद लखीमपुर में शिक्षा समिति द्वारा स्वीकृत विद्यालयों के भवनों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	102
जनपद लखीमपुर के ग्राम रुद्रपुर ब्लाक लखीमपुर के पश्चिम सैदापुर ड्रेन पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	102–103
लखनऊ के जय नरायण डिग्री कालेज में बी० पी० एड० पाठ्यक्रम में हुए कथित घोटाले की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	103

विषय	पृष्ठ-संख्या
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान इन्दिरा नगर, लखनऊ की सेवा नियमावली न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	103
गाजीपुर के कतिपय मोहल्ले में इण्डिया मार्का II हैण्ड पम्प लगाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	104
जनपद सीतापुर के लहरपुर क्षेत्र के विद्युत विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	104
जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम पंचायत सिकन्दरपुर में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जों से उत्पन्न जनाक्रोश के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	104–105
प्रदेश में दुसाध की तरह ढाढी को अनुसूचित जाति का प्रमाण दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	105
जनपद इटावा में जसवन्तनगर क्षेत्र के प्रस्तावित ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	105–106
प्रदेश के मेडिकल कालेजों में प्राचार्यों द्वारा अतिथि प्रवक्ताओं की नियुक्ति में भ्रष्टाचार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	106
जनपद फैजाबाद के तहसील मिल्कीपुर के ग्राम बसांवा मुलाल के ईंट गांव के कतिपय मुसहरों के नाम आई०आर०डी० योजना का ऋण उनके नाम निकाल कर हड़पे जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	106
व्यवस्था के प्रश्न उठाने का प्रयास	107–108
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1999 के लिये प्रतिवेदन संख्या–1 (राजस्व प्राप्तियां), प्रतिवेदन संख्या–2 (वाणिज्यक), प्रतिवेदन संख्या–3 (सिविल) (सदन के पटल पर रखे गये)	108
कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां (सदन के पटल पर रखी गयी)	108–109
सभी सदस्यों से सदन संचालन में शान्ति एवं सहयोग हेतु श्री अधिष्ठाता का अनुरोध	109
उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2000 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) ...	109
आज की कार्य-सूची की विभिन्न चर्चाओं के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	109–110
जनपद अम्बेदकर नगर के अन्तर्गत भीटी से बनगांव सम्पर्क मार्ग का लेपन कार्य पूर्ण कराये जाने विषयक डा० शिव प्रताप सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	111
जनपद अम्बेदकर नगर में बिसुई नदी पर नारायनपुर घाट पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम अचल निषाद आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	111

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद उन्नाव में पंचायत चुनाव के अन्तर्गत ब्लाक स्तर पर आरक्षण न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास (जारी)	111
जनपद आजमगढ़ में मेंहनगर-डीहा मार्ग पर डीहा के पास मगई नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने विषयक श्री गुलजार आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	112
जनपद आजमगढ़ में रासपुर बाजार में 33 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने विषयक श्री रामायन राय आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	112
जनपद उन्नाव में पंचायत चुनाव के अन्तर्गत ब्लाक स्तर पर आरक्षण न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	112–113
जनपद लखनऊ के ब्लाक मोहनलाल गंज के ग्राम सिसेण्डी में एक राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने विषयक श्री मो० शकील खां, आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका .....(उपस्थित की गई)	113
जनपद लखनऊ के कस्बा काकोरी में एक अतिरिक्त ट्यूबवेल टंकी तथा वाटर लाइन बनवाये जाने विषयक श्री शकील अहमद आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका .....(उपस्थित की गई)	113
जनपद लखनऊ में बिजनौर तथा स्कूटर इण्डिया–मार्गों का चौड़ीकरण मरम्मत तथा स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था विषयक श्री नफीसुल हसन खां आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित की गई)	113
जनपद कुशीनगर स्थित चीनी निगम इकाई खड्डा द्वारा हो रहे प्रदूषण की रोकथाम कराये जाने विषयक श्री विजय लक्ष्मी मिश्रा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित की गई)	113
जनपद बदायूं के विकास खण्ड सहसवान के अन्तर्गत ग्राम उधैती में एक राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने विषयक श्री सुरेन्द्र पाल सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित की गई)	113
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग ..... (जारी)	114–152
गृह विभाग पुलिस तथा सामान्य प्रशासन विभाग के बजट पर चर्चा हेतु समय बढ़ाने का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	152
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग ..... (जारी)	152–163

विषय	पृष्ठ-संख्या
गृह विभाग पुलिस तथा सामान्य प्रशासन विभाग के बजट पर चर्चा हेतु समय बढ़ाने का पुनः प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	163
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग ..... (स्वीकृत)	163–167
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) ..... (स्वीकृत)	168
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग एवं लोक सेवा अधिकरण) ..... (स्वीकृत)	168
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–30 गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ठ अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) ..... (स्वीकृत)	168–169
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–38 नागरिक उड्डयन विभाग ..... (स्वीकृत) ...	169
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–40 नियोजन विभाग ..... (स्वीकृत)	169
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–41 निर्वाचन विभाग ..... (स्वीकृत)	169–170
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–46 प्रशासनिक सुधार विभाग ..... (स्वीकृत) ...	170
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग ..... (स्वीकृत) ...	170
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–78 सचिवालय प्रशासन विभाग ..... (स्वीकृत) ...	171
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–82 सतर्कता विभाग ..... (स्वीकृत)	171
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–86 सूचना विभाग ..... (स्वीकृत)	171
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) ..... (स्वीकृत) ...	172
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–89 संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) ..... (स्वीकृत) ...	172

विषय	पृष्ठ-संख्या

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) .....(स्वीकृत) ... 172–173

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन) ..... (स्वीकृत) ... 173

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) ..... (स्वीकृत) 173

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–64 वित्त विभाग (राज्य लाटरी) ..... (स्वीकृत) ... 174

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अन्य बचत आदि) ..... (स्वीकृत) 174

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) ..... (स्वीकृत) ... 174–175

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर मतदान अनुदान संख्या–42 न्याय विभाग ..... (स्वीकृत) 175

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2000 ..... (पारित) 175–183

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम में संशोधन का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत) ... 183

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000..... (पारित) 184–185

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गयी सूचना पर नियम–52 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा ..... (जारी) 185

आज की कार्य-सूची की शेष मदों को स्थगित किये जाने का अनुरोध–(सदन की सहमति व्यक्त की गई) 185–186

आज की कार्य-सूची की शेष मदों का आगे के लिये स्थगन 186

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश के भू-गर्भ जल स्तर में हो रही गिरावट पर नियंत्रण हेतु भू-गर्भ विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति गठित की जाय" के संबंध में श्री बाल चन्द्र मिश्र द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) 186

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक समान नीति बनाई जाय तथा उसे बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किया जाय," के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ... 186

विषय	पृष्ठ-संख्या
"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि पोलीथीन बैग्स के कारण जनस्वास्थ्य पर मण्डराते खतरे एवं पशुओं द्वारा उसे खा लिये जाने के कारण उत्पन्न लाइलाज बीमारी को देखते हुए प्रदेश में इसके उत्पादन और प्रयोग पर तत्काल पाबन्दी लगाई जाये ।" के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	187
"इस सदन का यह निश्चित मत है कि पण्डित दीनदयाल उपाध्याय की हुई मृत्यु की जांच/परीक्षण हेतु एक आयोग गठित किया जाय जो अपना प्रतिवेदन छः माह में प्रस्तुत करे" के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	187
प्रदेश में मध्यांचल के पूर्ण विकास हेतु मध्यांचल विकास निधि की स्थापना किये जाने के संबंध में डा० कौशल किशोर तथा डा० अशोक बाजपेयी द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा (जारी)	187
प्रदेश के शीतगृह मालिकों द्वारा आलू उत्पादक किसानों से आलू भण्डारण प्रभार लिए जाने से उत्पन्न स्थित के संबंध में श्री शिव सिंह चक द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा (जारी)	187
प्रदेश में नकली दवाओं के तेजी से पनपते व्यापार/उद्योग से जनजीवन पर हो रहे हानिकारक प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम कुमार एडवोकेट, श्री राजेन्द्र यादव तथा श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा (जारी)	187
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998–99) का विशेष प्रतिवेदन जो दिनांक 26 फरवरी, 1999 को सदन में प्रस्तुत किया गया पर डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री केशो मेहरा, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, मेजर जे०पी० सिंह तथा श्री अतुल कुमार द्वारा नियम 216(4) के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सदन में विचार हेतु चर्चा (जारी)	187
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	187–191
विभिन्न विषयों पर वक्तव्य के संबंध में सूचना	191–192
चौधरी लक्ष्मी नारायण इण्टर कालेज मण्डी श्याम नगर जनपद गौतमबुद्ध नगर में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में श्री नरेन्द्र सिंह भाटी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	192–193
क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक परिवहन द्वारा मनमाने ढंग से लखनऊ महानगर बस सेवा के अन्तर्गत संचालित बसों का मार्ग परिवर्तन किये जाने तथा लखनऊ शहर में तथा शहर से बाहर को अवैध रूप से चलायी जा रही जीपों, टाटा सूमो तथा डग्गामार बसों से परिवहन निगम को हो रही क्षति के संबंध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य	193–194

विषय	पृष्ठ-संख्या
महाराज सिंह इण्टर कालेज, बहराइच से सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री अली हुसैन को पेंशन प्रपत्र न मिलने से पेंशन भुगतान में हो रही कठिनाई के संबंध में डा० वकार अहमद शाह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य	194–195
नाबार्ड द्वारा आवंटित पूर्ण धनराशि को प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त न कर पाने से आर०आई०डी०एफ० योजनान्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विकास कार्य प्रभावित होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य	195–196
वाराणसी में गंगा प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत फेज–2 के कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ न कराये जाने के संबंध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	196–197
लखनऊ स्थित "पुनर्वास एवं कृत्रिम अवयव केन्द्र" की सरकारी उदासीनता के चलते बदहाली तथा संस्थान के अस्तित्व को बरकरार रखे जाने के संबंध में श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य ...	197
प्रदेश में शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रबन्ध तंत्रों को अवैधानिक ढंग से भंग करने तथा खाते का एकल संचालन किये जाने से शिक्षा जगत में व्याप्त असन्तोष के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	197–198
जनपद उन्नाव के पुरवा क्षेत्रान्तर्गत राज्य योजना से वर्ष 1995-96 व 1996-97 में स्वीकृत अधूरे पड़े मार्गों को शीघ्र बनवाये जाने के संबंध में श्री उदयराज यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य ...	199
हथकरघा कपड़े के प्रमुख उत्पादक एवं निर्यात केन्द्र खेकड़ा (बागपत) में बिजली पानी एवं सड़कों जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थित के संबंध में श्री रूप चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य	199–200
सरकार द्वारा विधान सभा में घोषणा करने के बाद भी प्रत्येक विधान सभा सदस्य के प्रस्ताव पर पांच-पांच गांवों का विद्युतीकरण न कराये जाने से उत्पन्न स्थित के संबंध में श्री शिवपाल सिंह यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	200–201
प्रदेश में संस्कृत महाविद्यालयों की विभाजन योजना से उत्पन्न स्थित के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	201
लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा कथित रूप से की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थित के संबंध में श्री उदय राज यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	201–202

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा प्रदेश में विशेषतः जनपद मथुरा में घोषित मानकों के अनुरूप गुणवत्ता के भवनों का निर्माण व आवंटन न किये जाने से उत्पन्न स्थित के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य	202–203
प्रदेश में सहकारी गन्ना समितियों को गन्ना मिलों से मिलने वाले गन्ना आपूर्ति कमीशन की दर कम किये जाने तथा मिल मालिकों के दबाव में सहकारी समितियों को समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	204–205
प्रदेश में शासनादेश के बावजूद जिला पंचायतों को डी०आर०डी०ए० का 30 प्रतिशत धन आवंटित न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य	205
अतिरिक्त महाप्रबन्धक (विद्युत) उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ को उनके मूल विभाग में भेजे जाने के संबंध में श्री भीम प्रसाद सोनकर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य	205–206
जनपद गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत नोएडा प्राधिकरण में तैनात कतिपय अधिकारियों को भारी अनियमितताओं के आरोप में निलम्बन किये जाने तथा उनकी बहाली से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य	206–207
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सुलेम सराय आवास योजना के अन्तर्गत पेयजल हेतु निर्मित ओवर हेड टैंक का जन सामान्य हेतु उपयोग न किये जाने से हो रही कठिनाइयों के संबंध में श्री इन्द्रजीत सरोज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य	207–208
जनपद उन्नाव के थाना बिहार अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में पुलिस के सहयोग से शराब की अवैध भट्ठियों के संचालन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री कृपा शंकर सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य ...	208–209
जनपद सन्त रविदास नगर भदोही में ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बारीपुर एवं तिलंगा में पेयजल समूह का ओवर हेड टैंक का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य	209
जनपद मथुरा के जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा कथित रूप से की जा रही अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	209–210
जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के अन्तर्गत स्थित काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय में विधि विभाग (लॉ सेक्शन) खोले जाने के संबंध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	211

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद जौनपुर में विकास खण्ड सरकोनी में सरकोनी क्षेत्र निधि न बने होने के कारण हो रही असुविधाओं से उत्पन्न स्थित के संबंध में श्री जगदीश नारायण राय द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य ...	211
प्रदेश में अभियंत्रण की संयुक्त प्रवेश परीक्षा सम्पन्न कराने का दायित्व आई०ई०टी० सीतापुर रोड लखनऊ के निदेशक श्री ए० के० खरे को सौंपे जाने से परीक्षा की शुचिता पर लगे प्रश्न चिन्ह के संबंध में श्री जगदम्बिका पाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	211–213
जनपद अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज के क्षेत्रान्तर्गत राजबहों पर टूटी पुलियों का निर्माण तथा पतली पुलियों को चौड़ा कराये जाने के संबंध में श्री भीम प्रसाद सोनकर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य ...	213–214
प्रदेश में सड़क परिवहन निगम के अन्तर्गत नियमों के विरुद्ध सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों को क्षेत्रीय प्रबन्धक प्रभारी बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य	214
पूर्वी उत्तर प्रदेश से विन्ध्यांचल मण्डल में कोई भी विश्वविद्यालय न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य	214–215
प्रदेश के आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा विभाग में मनमानी कार्यशैली अपनाये जाने खास कर दलित वर्ग की उपेक्षा व न्याय संगत मामलों को अनायास लम्बित किये जाने के संबंध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य	215
जनपद गाजियाबाद के लोनी व आसपास के क्षेत्रों में बांगलादेशी नागरिकों के बस जाने से उत्पन्न कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के संबंध में श्री रूप चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य	216
ताज ट्रेपोजियम के अन्तर्गत लभ्य समस्त सुविधाओं को जनपद हाथरस को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में श्री रामवीर उपाध्याय द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य	216–217
कुम्भ मेला 2001 के अन्तर्गत इलाहाबाद में हो रहे सुन्दरीयकरण एवं मरम्मत का कार्य प्रीतम नगर एवं सुलेम सराय में न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री इन्द्रजीत सरोज द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य	217
जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड छपिया में होने वाले मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिये समुचित सुविधाओं की व्यवस्था किये जाने के संबंध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य	218

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद पीलीभीत में नेपाल से आने वाली शारदा नदी की बाढ़ से पूरनपुर क्षेत्र को बचाने व पूरनपुर में बाढ़ प्रखण्ड कार्यालय की स्थापना किये जाने के संबंध में श्री गोपाल कृष्ण द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य ...	218
जनपद चन्दौली की तहसील सकलडीहा के ग्राम पूरे विजयी तथा जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी के ग्राम चकजीयन में हुए अग्निकाण्ड के पीड़ितों को समुचित सहायता न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री प्रभु नारायण सिंह आदि द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य ...	219
जनपद मथुरा की निरन्तर बिगड़ती कानून व्यवस्था तथा पुलिस द्वारा की जा रही मनमानी एवं भ्रष्टाचार के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	220–221
जनपद गाजियाबाद के खेकड़ा क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड लोनी में अवैध भू-खनन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रूप चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	221–222
जनपद सन्त रविदास नगर की गोपीगंज नगरपालिका परिसर के थाना परिसर में बने पेयजल नलकूप के ओवर हेड टैंक के निर्माण के संबंध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य ...	222
जनपद फैजाबाद के थाना हैदरगढ़ अन्तर्गत ग्राम करौन्दी में दबंगों द्वारा पिछड़ी जाति के परिवारों को उत्पीड़ित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सीताराम निषाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य ...	222–224
श्रीमती हरप्यारी देवी इण्टर कालेज रोहई जनपद हाथरस के प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धक द्वारा की जा रही अनियमिताओं तथा भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रामवीर उपाध्याय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य	224–225
जनपद अम्बेदकर नगर में विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षण प्राप्त प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों की नियुक्ति जनपद के बाहर किये जाने तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सहायक अध्यापकों को प्रोन्नति न किये जाने के संबंध में श्री लाल जी वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य	225
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु कुएं खुदवाने की योजना को प्रभावी रूप से संचालित किये जाने के संबंध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य	225
लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन एटा के प्रांगण में अधिशासी अभियन्ता के साथ की गयी मारपीट की घटना को प्राथमिकी पर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री नरेन्द्र सिंह भाटी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य	226

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद उन्नाव के पुरवा क्षेत्रान्तर्गत सरकारी गेहूं क्रय केन्द्र न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री उदयराज यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य	226–227
जनपद बहराइच शहर में स्थित दरगाह प्रबन्ध समिति के सदस्यों द्वारा की जा रही मनमानी तथा भ्रष्टाचार के संबंध में डा० वकार अहमद शाह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य	227–229
प्रदेश में फाइनेन्स एवं इन्वेस्टमेन्ट कम्पनियों द्वारा की जा रही धोखा-धड़ी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	229–230
वाराणसी नगर के दक्षिण विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत समुचित जलापूर्ति हेतु क्षतिग्रस्त पाईप लाइनों को बदलवाने तथा नये अतिरिक्त नलकूपों की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	230
जनपद मथुरा के शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	231
प्रदेश में विद्युत विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं मनमानी तथा श्री नन्दलाल अधीक्षण अभियन्ता, लेखा लखनऊ द्वारा अपने दायित्वों का सम्यक् निर्वहन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	231–232
जनपद लखनऊ के विकास खण्ड सरोजनी नगर के ग्रामीण अंचल में कन्या हाई स्कूल तथा इण्टर कालेज न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री उदय राज यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	232–233
जनपद सन्त रविदास नगर भदोही, ज्ञानपुर में जल निगम कार्यालय स्थानान्तरित न किये जाने के संबंध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य	233–234
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सीमा से जुड़े विधान सभा क्षेत्र खेकड़ा की जर्जर सड़कों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न कराये जाने के संबंध में श्री रूप चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य	234–236
श्री जवाहर लाल इण्टर कालेज गोहन जिला जालौन के संस्थागत छात्रों (हाईस्कूल) के परीक्षा केन्द्र बुन्देलखण्ड इण्टर कालेज माधोगढ़ के केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा गड़बड़ी किये जाने से उत्पन्न स्थित के संबंध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य	236

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद फैजाबाद में राम वन गमन मार्ग से तमसा तट पर पर्यटन केन्द्र राम चौरा गयासपुर की परियोजना का निर्माण कार्य बजट के अभाव में बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सीताराम निषाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य	237
जनपद बांदा व चित्रकूट के अधिकारियों द्वारा आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा जारी सुनिश्चित रोजगार योजना के निर्देशों का उल्लंघन कर अनियमिततायें किये जाने से उत्पन्न स्थित के संबंध में श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य...	237
जनपद बागपत में महाविद्यालय के कर्मचारियों को वेतन एवं वेतन अवशेषों का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य	238
जनपद चित्रकूट की तहसील मानिकपुर में भूमि के गलत इन्द्राज को सही कराने तथा ग्रामों की चकबन्दी कराये जाने के संबंध में श्री दद्दू प्रसाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य	239
प्रदेश में विशेषतः जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत लगाये गये इण्डिया मार्का II नलों के अधिकांश के खराब होने तथा नलों का रख-रखाव पंचायतों को सौंपे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य	239–240
अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षिकाओं के पेंशन स्वीकृत किये जाने हेतु तथा उसी विद्यालय को असहायता प्राप्त की अवधि को अर्हकारी सेवा से जोड़े जाने के संबंध में श्री गोमती यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य	240
नियम–49 के अन्तर्गत चर्चाओं का (आगे के लिये स्थगन)	240
प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के लिये रोस्टरिंग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति किये जाने विषयक श्री राम औतार शाक्य, श्री राजेश अग्रवाल, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्री जगदम्बिका पाल, डा० सरजीत सिंह डंग तथा श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत जारी चर्चा	240–241
खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने विषयक श्री अम्बिका चौधरी, श्री अम्बरीष कुमार, कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत जारी–चर्चा ...	241

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 को सदन के पटल पर रखने से पूर्व ही शासन द्वारा इसका अवलोकन कर लेने तथा विधेयक पर संकल्प तैयार करके कार्य-सूची में सम्मिलित किये जाने से संवैधानिक व्यवस्था भंग होने के संबंध में श्री मुन्ना चौहान द्वारा उठाये गये औचित्य के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	241–242
सदन संचालन में सहयोग हेतु सभी दलों के नेताओं द्वारा व्यक्त आभार ...	242–247
आज की कार्य-सूची की शेष मदों के संबंध में श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	247
सदन-संचालन में सहयोग हेतु सभी सदस्यों को श्री अध्यक्ष का धन्यवाद ...	247–248
राष्ट्रगान	249
सदन को अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	249
नत्थियां	249–258

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

बुधवार, दिनांक 17 मई, 2000

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़
अम्मार रिजवी, डा०	सीतापुर
अशफाक अहमद, श्री	बरेली
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
आर० के० चौधरी, श्री	लखनऊ
आलमबदी, श्री	आजमगढ़
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर
ओइम्वेश, स्वामी	बिजनौर
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
काजिम अली खां, उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
कृष्णपाल सिंह, श्री	कानपुर देहात
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली
के०सी० सिंह "बाबा", श्री	उधमसिंह नगर
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
जगत सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
ज्ञानवती सिंह, डा०	अलीगढ़
तिलकराज बेहड़, श्री	उधमसिंह नगर
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
धनराज यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
प्रदीप कुमार, श्री	सहारनपुर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
बनारसी दास चान्दाना, श्री	मेरठ
बिजेन्द्र आर्य, श्री	मुजफ्फरनगर
बी०आर० वर्मा, श्री	जौनपुर
भगवती प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
भरत सिंह, श्री	बलिया
मंजू, श्रीमती	बलिया
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	इलाहाबाद
महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
मारकण्डेय चन्द, श्री	गोरखपुर
मुस्ताक सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
राजधारी, श्री	बलिया
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राधेश्याम, श्री	कानपुर देहात
राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा०	कानपुर नगर
राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
रामवीर उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लाखीराम जोशी, श्री	टिहरी गढ़वाल
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर,
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शिव गणेश लोधी, एडवोकेट, श्री	रायबरेली
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव पूजन राम, श्री	वाराणसी
श्रीराम पाल, श्री	जालौन
संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरिनारायण, श्री	बलिया
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
होराम सिंह, श्री	बुलन्दशहर

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 17 मई, 2000

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 10 बजकर 2 मिनट पर अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

(गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही 2 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई) ।

सूचीबद्ध चर्चाओं के सम्बन्ध में प्रश्न उठाने का प्रयास

डा० कौशल किशोर–

मान्यवर, आज जो 4 बजे के बाद चर्चायें लगी हैं वह 15 घण्टे की हैं । इसके अलावा बहुत से वक्तव्य लगे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न काल के बाद उठायें । यह औचित्य के प्रश्न में आ जायेगा ।

डा० कौशल किशोर–

मान्यवर, नियम 52 के अन्तर्गत मध्यान्तर के लिये भी यहां पर कहा गया है ।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न आपका औचित्य के प्रश्न में आ सकता है क्योंकि यह कार्य-संचालन से सम्बन्धित है । प्रश्न काल के बाद इसको उठायें ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में अबाध विद्युत आपूर्ति हेतु वृहद विद्युत परियोजनाओं का विवरण

**1–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अबाध विद्युत आपूर्ति हेतु किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है ? क्या इस योजना हेतु नये विद्युत गृहों को स्थापित किये जाने का मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो अबाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

जी हां ।

जी हां ।

प्रदेश में अबाध विद्युत आपूर्ति हेतु वृहद विद्युत परियोजनाओं का विवरण संलग्नक में उपलब्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(विवरण देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 250-252 पर ।)

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, आज प्रदेश में बिजली एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है । किसानों से लेकर कुटीर उद्योग एवं अन्य उद्योग बिजली पर निर्भर हैं । गांवों में बिजली न मिलने के कारण किसानों में हाहाकार मचा हुआ है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में अबाध विद्युत आपूर्ति की क्या कोई योजना बनायी गयी है अगर हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्रीमन्, 10 तारीख को ऊर्जा के बजट पर चर्चा हुई है । सारे बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा हुई है और हर चीज को सदन के सामने रखा गया था । माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में 10 घण्टे बिजली की आपूर्ति की जाती है । इसके लिये कहीं और की भी बिजली काटनी पड़े तो काट रहे हैं और अपने शेड्यूल के हिसाब से गांवो को बिजली दे रहे हैं ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि राज्य विद्युत परिषद् ने प्रशासनिक दृष्टि से जोन और खण्ड बना रखे हैं । इन जोन और खण्डों को कितनी विद्युत की आवश्यकता है और इनको कितनी विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं और जो विद्युत की कमी है उसके लिये कब तक सरकार की व्यवहारिक योजना लागू हो जायेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्रीमन्, वैसे तो प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है परन्तु आपका आदेश है । कनेक्टेड लोड और उपलब्ध विद्युत दोनों में अन्तर है । जो मांग होती है उसी के अनुरूप विद्युत की आपूर्ति की जाती है । मान्यवर, हमारे पास पूरे प्रदेश का विवरण है, जोन वाइज नहीं है । वैसे जो बिजली उपलब्ध होती है तो जोनों की आवश्यकता के अनुसार उसमें आपूर्ति करते हैं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आपने इस बात का आंकलन किया है कि उत्तर प्रदेश के काश्तकारों को कितनी बिजली चाहिए ? जो आपने अनुमानित किया है उसके अनुरूप क्या आपका विद्युत गृहों की स्थापना का लक्ष्य है और उसे कब तक पूरा कर देंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी, इस बात को सदन में बराबर उठाते रहे हैं कि किसानों की मांग के अनुरूप बिजली मिलनी चाहिए । कुछ समय ऐसे होते हैं जब किसानों को बिजली की बहुत कम आवश्यकता होती है जैसे बरसात के दिनों में या जब सिंचाई नहीं करनी होती है तब भी कम जरूरत होती है । धान और गन्ने की फसल में सिंचाई की ज्यादा जरूरत होती है । खेती के हिसाब से अगर औसत जोड़ा जाये तो अगर 4 घण्टे नियमित आपूर्ति की जाय तो कोई समस्या नहीं आयेगी । हमने 10 घण्टे रखा है जिससे कहीं कोई समस्या न रहे ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने विभिन्न योजनाओं के विद्युत गृहों का जो निर्माण होना है उसकी विस्तृत रिपोर्ट संलग्नक के रूप में दी है । मान्यवर, जो 33 के० वी० ए० के ट्रांसफार्मर हैं, ओवर लोड के कारण विद्युत की आपूर्ति प्रभावित हो रही है और अधिकांश समय ट्रिप हो जाता है । उस विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए 10 घण्टा, 18 घण्टा या 22 घण्टा विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित रह सके । ट्रांसमिशन व जो पावर स्टेशन हैं, जो ओवर लोडेड हैं उसके लिए कोई कार्ययोजना बना रहे हैं जिससे ओवर लोड दूर हो सके ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्रीमन्, करीब-करीब 2 वर्ष के कार्यकाल में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जितना पैसा इस सरकार ने खर्च किया है उतना पिछले 10 साल में नहीं खर्च हुआ है । सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे कि पूरे प्रदेश में हमने 33 के० वी० ए० के 200 सब स्टेशन बनवाये हैं ताकि लोड कम हो सके । हमने बजट

वाले दिन भी बताया था कि भारत सरकार के साथ जो एम०ओ०यू० साइन किया है और जो लोन की शर्तें तय हुई हैं उसमें ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इन दो क्षेत्रों को ही प्राथमिकता दी गयी है । 600 करोड़ वर्ल्ड बैंक से और 1000 करोड़ रुपये भारत सरकार से मिलना है 222, 132, 33, 160 व 100 के वी० ए० के ट्रांसफार्मरों पर जो अधिक भार है । उसके लिये योजना है । लोन मिलते ही कार्य शुरू कर देंगे ।

श्रीमती गौरी देवी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र में छपरा है कई बार सब-स्टेशन खोलने के लिए मांग की गयी है । कौड़ीराम से 20 किलोमीटर दूर है । वहां पर लाइट नहीं रहती है । माननीय ऊर्जा मंत्री जी बार-बार जवाब देते हैं कि धन का अभाव है । मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री से जानना चाहती हूं कि क्या इस सत्र में वहां पर सब-स्टेशन खुलवाने का कष्ट करेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, सर्वे करवाना पड़ता है कि कहां आवश्यकता है । कल गौरी देवी के 4 पत्र मुझे मिले हैं । सर्वे करा लेगे आवश्यकता होगी तो कार्यवाही करेंगे ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विद्युत मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आबाध विद्युत आपूर्ति करने की दिशा में जो वर्तमान में कमी रहने के कारण वह सफल नहीं हो रहे हैं मांग और आपूर्ति में काफी अन्तर है इन परिस्थितियों के रहने के बाद भी कटौती से कौन से जिले मुक्त रखे गये हैं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

ताज ट्रिपेजियम जोन कटौती से मुक्त रखा गया है बुन्देलखण्ड के कुछ क्षेत्र वहां पर पानी की समस्या को देखते हुए, सिंचाई की सुविधा देने के लिए मुक्त रखे गये हैं यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है । कुछ जगह के लिए हाई कोर्ट का आदेश है इस प्रकार यह स्थानीय परिस्थितियों को देखकर निर्णय लिया जाता है ।

श्री शिशुपाल सिंह यादव–

ताज ट्रिपेजियम जोन में जो जिले आते हैं उसमें कितना धन दिया है एवं कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ है ? मेरे जनपद में दो सब स्टेशन आमापुर रिजोर की काफी दिनों से बिल्डिंग बनी हुई है कुछ दिनों के लिए काम भी शुरू हो गया था लेकिन बन्द हो गया रिजोर में बाउण्ड्री वाल कम्प्लीट हो चुकी है यह सब स्टेशन कब तक चालू हो जायेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

ताज ट्रिपेजियम एरिया में कई फेस में काम किया गया प्रथम फेस के लिए 93 करोड़ का धन उपलब्ध होते हुए कार्य कर लिया । जो व्यक्तिगत जानकारी चाही गई गयी है उसको सदस्य जी लिखकर दे देंगे उसको दिखवा लेंगे इस प्रश्न के जवाब में उसको नहीं दिया है धन की उपलब्धता और आवश्यकता के आधार पर कार्य करवायेंगे ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो सूची संलग्नक में दी है उसमें यह दर्शाया गया है कि यह योजनाएं हैं । मैं जानना चाहता हूं कि जो प्रस्तावित योजनाएं बनाई गई हैं उन प्रस्तावित

योजनाओं में कुल कितने हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा क्या वह आगामी वर्षों में प्रदेश की आवश्यकता को देखते हुए क्या पर्याप्त हैं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

माननीय सदस्य योग्य हैं यह सब संलग्नक में लिखा हुआ है । 700–800 मेगावाट की कमी है ।

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, मेरा प्रश्न मूल प्रश्न से हटकर है मंत्री जी अभी आपने राम भजन शर्मा जी जो पूर्व विधायक थे उनके द्वारा सब स्टेशन मितौली की स्थापना की गई उसे स्वीकृत किया मंत्री जी ने वहां शिलान्यास किया अच्छा होता कि वह उसका उद्घाटन करते तो आपका नाम होता क्षेत्र की भलाई होती इसका उद्घाटन कब तक आपके द्वारा सुनिश्चित हो जायेगा । सब स्टेशन सिकन्दराबाद, मजगंवा, जंगबहादुर नगर की जो मांग है उस पर विचार करेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

यह हमारे संज्ञान में है । मितौली जंग बहादुर में 33 के०वी० का शिलान्यास किये थे वहां की आवश्यकता के अनुरूप वहां के विधायक से हमने कहा था हमने शिलान्यास करवा दिया है इसका जल्दी उद्घाटन भी हो जाएगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने मनेरी भाली और आनपारा सी के लिए 600 करोड़ का ऋण लेने के लिए एल० आई० सी० और पी० एफ० सी० से बात की वह प्रगति पर है । तो मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसकी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ? माननीय मंत्री जी अभी कह रहे थे कि प्रयास किया जा रहा है जापान और कुबैत से ऋण मिल जायेगा । इस दिशा में क्या-क्या उपाय किये गये हैं ? आपने 6 मार्च को भारत सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया है तो इस सम्बन्ध में अगली कार्य योजना क्या है ? कब तक ऋण प्राप्त हो जायेगा और समय सीमा क्या निर्धारित है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, परसों भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री (राज्य) से बैठक हमारे साथ थी । पी० एफ० सी के चेयरमैन से भी वार्ता हो गई है वे लोन देने को राजी हो गये हैं । एन० एच० पी० सी० से भी वार्ता कर ली गई है । आनपारा सी के विषय में भारत सरकार ने काफी रुचि दिखाई है और भारत सरकार ने कहा है कि कुबैत सरकार से कुछ लोन आ रहा है उसको आनपारा सी को दिया जायेगा । जल्दी ही कार्यवाही होगी ।

श्री नन्दराम–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जनपद बरेली तहसील फरीदपुर में पिछले दिनों आंधी-पानी से खम्भे उखड़ गये और तार टूट गये, तार न लगाने के कारण तार चोरी भी हो रहे हैं । तो इसको ठीक कराने के लिए मंत्री जी कोई समय सीमा निर्धारित करेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

माननीय सदस्य लिख के दे दें ।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

मान्यवर, हम लोग गांव से आते हैं यहां पर एक सप्ताह सुबह और एक सप्ताह रात में बिजली की सप्लाई रहती है किसी भी दिन शाम को बिजली नहीं मिलती । तो किसानों को खाना खाने के समय बिजली नहीं मिल पाती । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह सप्लाई शाम को 5-6 बजे से देने की कृपा करेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, शाम को 6–10 पीक आवर रहता है उस समय तो सम्भव नहीं है बाकी समय हम सप्लाई दे रहे हैं ।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत दरों को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

**2–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत दरों को बढ़ाये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से और इसका औचित्य क्या है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

नई व्यवस्था के अन्तर्गत विद्युत की दरें राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित की जायेगी । फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत दरों को बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, जैसा कि यह सर्वविदित सत्य है कि किसान की आर्थिक हालत खराब है । लाइन लांस की वजह से 41 प्रतिशत विद्युत का नुकसान हो रहा है । अभी नन्द राम जी भी अपने क्षेत्र की समस्या रख रहे थे वहां दोबारा तार बनाने की कोई योजना नहीं है । वैसे भी ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति कम है और किसानों को रुपया निर्धारित ही देना पड़ता है । मैंने मंत्री जी से पूंछा कि क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत दरों को बढ़ाने जा रही है । असेम्बली में कह दिया कि नहीं । यह प्रवृत्ति बहुत खराब है कि मंत्री जी हाउस में कुछ कहते हैं और बाहर कुछ । क्या मंत्री जी ने कोई प्रस्ताव नियामक आयोग को विद्युत की दरें बढ़ाने के लिए भेजा है ? 1999-2000 में ग्रामीण क्षेत्र में कितनी-कितनी दरें बढ़ाई गई ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, यह तो हमने खुद ही स्वीकार किया है कि यह नियामक आयोग का अधिकार क्षेत्र है कि वह कितनी विद्युत दरें तय करें । नियामक आयोग को हमने 4-5-2000 को अपने प्रस्ताव बनाकर भेज दिये हैं, जिसे उन्होंने स्वीकार कर अखबारों में पब्लिश भी कर दिया है । यदि किसी को इन पर आपत्ति हो तो वह नियामक आयोग के पास अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है । अन्तिम दरें तो नियामक आयोग को ही तय करनी हैं ।

डा० कौशल किशोर–

क्या माननीय मंत्री जी विद्युत चोरी को रोकने के लिये कोई उपाय कर रहे हैं जिससे कि विद्युत की लागत मूल्य को वसूला जा सके ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, जब बजट पर एक जनरल चर्चा हो चुकी है और एक-एक बिन्दु को स्पष्ट किया गया है, हो सकता है माननीय सदस्य उस दिन हाजिर न हों, यदि वह बजट डिसकसन को पढ़ लें तो यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं होगी । विद्युत चोरी को रोकने के लिये शासन कार्यवाही कर रहा है ।

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

मान्यवर, पिछले वर्ष जिन गांवों की आबादी 10 हजार से अधिक है, उन्हें टाऊन एरिया मानकर विद्युत की दरें बढ़ाई गई हैं तो क्या ये क्षेत्र गांव की श्रेणी में नहीं आते हैं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, दरें तो नहीं बढ़ाई गई हैं ।

श्री बाबू लाल कुरील–

मान्यवर, उन्नाव जनपद में 800 के०वी०ए० का विद्युत स्टेशन है, जिससे सारे उत्तर भारत को बिजली आपूर्ति की जाती है परन्तु उसका लाभ उन्नाव जनपद को नहीं मिल रहा है तो क्या उन्नाव को भी इससे जोड़ने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्र में दो दरों के हिसाब से वसूली की जा रही है । एक तो जो छोटे गांव हैं, उनसे कम दर ली जा रही है और जो 10 हजार की आबादी से अधिक के गांव है उनसे टाऊन एरिया के हिसाब से विद्युत दर वसूल की जा रही है तो क्या माननीय मंत्री जी इन 10 हजार से अधिक आबादी के गांवों को टाऊन एरिया की तरह विद्युत आपूर्ति करने का कष्ट करेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, हमारा लक्ष्य है कि 2001 तक गांवों का विद्युतीकरण हो जाय । कैबिनेट का एक डेसीजन है और उस निर्णय का पालन हो रहा है । जब गांवों की मीटरिंग कर दी जायेगी तो यह मतभेद समाप्त हो जायेगा ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि भविष्य में भेद भाव समाप्त हो जायेगा । अभी यह भेद भाव कर रहे हैं कई गुना विद्युत दर की वसूली कर रहे हैं क्या उतनी विद्युत आपूर्ति करेंगे जितनी दूसरे एरिया में कर रहे हैं ? अगर आपकी क्षमता नहीं है तो क्या उनसे विद्युत की दरें सामान्य ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से लेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्रीमन्, हम तो विचार कर रहे हैं कि सभी जगह मीटरिंग हो जाय ।

श्री समर पाल सिंह–

यह भेद भाव कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के साथ ....

श्री अध्यक्ष–

दो अनुपूरक हो चुके हैं अब और नहीं ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, यह भेदभाव कर रहे हैं हो सकता है कि वे गांव बड़े हों । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थिति दूसरी हो सकती है वहां गांव छोटे-छोटे हो सकते हैं । इस तरह से विद्युत आपूर्ति कम करके टाऊन

एरिया के आधार पर विद्युत दर ले रहे हैं । यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं । सरकार की इस नीति के विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री समर पाल सिंह ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

श्री उदय राज यादव–

मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत दरें बढ़ायें जाने सम्बन्धी यह सरकार के पास इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूं कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने नियामक आयोग को जो प्रस्ताव भेजा है उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत दर बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है या विद्युत दर कम किये जाने के सम्बन्ध में है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, अखबारों में पब्लिश हो गया है उसको आप पढ़ लें फिर प्रश्न करें ।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, इस सदन की एक गरिमा होती है । माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि अखबारों में पढ़ लीजिये, बजट साहित्य में पढ़ लें । यह मान्यवर, सदन की गरिमा गिराने का काम है । यह अच्छी बात नहीं है । माननीय मंत्री जी को निर्देश दें कि वे उसका जवाब दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी इसके बजट पर चर्चा के समय विस्तारपूर्वक इन सब चीजों का उल्लेख कर चुके हैं । बजट साहित्य भी चूंकि सदन की कार्यवाही का भाग होता है इसलिये उन्होंने कहा कि उसको विस्तारपूर्वक देख लें ।

श्री उदय राज यादव–

मान्यवर, मैंने बहुत सीधा प्रश्न किया है कि नियामक आयोग को सरकार के द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया है वह विद्युत दरें घटाने से संबंधित है या विद्युत दरें बढ़ाने से संबंधित हैं ?

श्री अध्यक्ष–

केवल इतना बता दें मंत्री ज़ी कि आपने जो प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजा है वह विद्युत दरें बढ़ाने के संबंध में है या घटाने के ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, करीब 150 कैटागिरी हैं । किसी में घटाने का है किसी में बढ़ाने का है । एवरेज 24 प्रतिशत बढ़ाने का है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने यह कहा है कि हमने जो राज्य विद्युत नियामक आयोग को 4-5-2000 को प्रस्ताव भेजा है उसमें विद्युत दरों को मूल रूप से बढ़ाने के लिये भेजा है । अब उनका यह उत्तर सदन की कार्यवाही हो गया । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो नियामक आयोग को विद्युत दरें बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है मुख्य-मुख्य रूप से कितनी दरों का बढ़ाने का प्रस्ताव किया है ?

श्री अध्यक्ष–

अभी औसत बता तो दिया ।

श्री जगदम्बिका पाल–

इन्होंने मान लिया कि बढ़ाने के लिये भेजा है । हम उस पर अनुपूरक पूछ सकते हैं । एक तरफ कहा कि कोई शासन के विचाराधीन नहीं है और दूसरी तरफ विद्युत दरें बढ़ाने के लिये भेज दिया है ।

तो आप देख लीजिए विरोधाभास है, हमको और सदन में सबको जानने का हक है कि प्रस्तावित दरें क्या हैं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

एवरेज बता दिया ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने वाली स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी

*1–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार प्रदेश में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये कोई कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खादी एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री राजाराम पाण्डेय)–

खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा प्रदेश में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व से ही स्वरोजगार योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं ।

खादी बोर्ड द्वारा अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग आयोग की कन्सोर्शियम बैंक ऋण योजना, मार्जिन मनी योजना तथा गांवों में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला योजना के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजना एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा विदित है जमीन पर आबादी का दबाव ज्यादा है मैंने प्रश्न इसलिए पूछा कि उत्तर प्रदेश सरकार कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योजनायें बनाये तो जमीन पर जो दबाव है वह कम हो जाएगा और प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी । माननीय मंत्री जी ने योजनायें बताईं वह पुरानी योजनायें हैं आबादी से रोजगार घटे हैं, तो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना विचाराधीन है ?

श्री राजाराम पाण्डेय–

पहले से ही तीन योजनायें चल रही हैं कन्सोर्शियम बैंक ऋण योजना, मार्जिन मनी योजना एवं रोजगारों का सृजन करने हेतु ब्याज उपादान योजना ?

डा० अशोक बाजपेयी–

2000-2001 में कितने कुटीर उद्योग स्थापित करने का सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है इससे नवयुवकों को रोजगार प्राप्त हो जायेगा ?

श्री राजा राम पाण्डेय–

चार हजार इकाई स्थापित करने का सरकार का लक्ष्य है जिसमें 80 करोड़ की धनराशि निवेश की जायेगी जिसकी वजह से 22 हजार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा ।

श्री समरपाल सिंह–

गन्ना जितना पैदा हो रहा है इसका 32 प्रतिशत पेराई में निकल जाता है, 68 प्रतिशत कोल्हू आदि के लिए किसानों को सस्ते दर पर देना पड़ता है । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या गन्ने से अल्कोहल बनाने पर विचार करेगी ?

श्री राजाराम पाण्डेय–

मान्यवर, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में योजना चलाते हैं उसमें ऋण की व्यवस्था कराते हैं, खांडसारी योजना है ।

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

जो कुटीर उद्योग हैं, सारे के सारे कुटीर उद्योग बंद होने जा रहे हैं, करीब-करीब बन्द हो रहे हैं तो क्या इनको बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना लागू करेंगे ?

श्री राजाराम पाण्डेय–

मान्यवर, 1997-98 में 3270 इकाइयां स्थापित की गईं, 1998-99 में 3957 इकाइयां स्थापित की गईं । 1999-2000 में 3851 इकाईयां स्थापित की गई जो कि आपके सामने है ।

डा० कौशल किशोर–

मेरे जनपद लखीमपुर में प्राकृतिक सम्पदा की भरमार है ।

मान्यवर, हमारे जनपद में खस का उत्पादन होता है और फिर इत्र निकाला जाता है और कन्नौज में इसका बड़ा कारोबार है । तो क्या सरकार की कोई उद्योग वहां पर लगाने की योजना है ? दूसरा हमारा क्षेत्र गन्ना बाहूल्य क्षेत्र है, आप जानते हैं कि शीरे से पावर अल्कोहल, खोई से हार्डबोर्ड और प्लाई बनती है, तो क्या ऐसी कोई योजना सरकार लायेगी कि वहां पर शुगर काम्पलेक्स लगाये जायें ?

श्री राजाराम पाण्डेय–

मान्यवर, जो उद्योग हमारे प्रमाणित क्षेत्र में हैं सभी उद्योगों को ऋण देने की योजना है । यदि वह उस श्रेणी में आयेगा तो हम उसको ऋण देंगे ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, जो मूल प्रश्न था वह यह था कि क्या सरकार प्रदेश में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है ? तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि कुटीर उद्योग के क्षेत्र में जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और भारी उद्योग के क्षेत्र में जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो क्या सरकार कुटीर उद्योग के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जिन वस्तुओं में कुटीर उद्योग क्षेत्र में उत्पादन हो उन वस्तुओं को भारी उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन न करे, ऐसी कोई नीति निर्धारित करेगी ? जबकि पूर्व में यह व्यवस्था थी ।

श्री राजाराम पाण्डेय–

मान्यवर, ग्रामीण उद्योग गांव-गांव के क्षेत्र में लगे हुए हैं उसमें किसी तरह का प्रतिबन्ध नहीं है कि कौन से भारी उद्योग में लगेंगे कौन से गांव में लगेंगे ? जो गांव में उद्योग लगेंगे उनको जो सुविधा प्राप्त है वह उनको देंगे ।

(श्री मुन्ना चौहान के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय चौहान जी वास्तव में आपका प्रश्न उद्योग विभाग से संबंधित है ।

श्री मुन्ना चौहान–

जो मेरी मंशा है, जैसे हैन्डलूम में बहुत सारी चीजें हैं, हथकरघा में बहुत चीजें हैं वह पावर लूम्स में न करके कुटीर के क्षेत्र में हैं । मैंने यह स्पष्ट किया है और सरकार की भी नीति रही है उन आइट्म्स का, जो बड़े उत्पादन पर है, उस पर रोक थी । यह मैं आथेन्सिटी से कह रहा हूं । तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यदि उनको भारी उद्योग में लगायेंगे तो कुटीर उद्योग का विकास नहीं हो पायेगा । तो कुछ आइटम्स को रिजर्व करने के लिए क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री राजाराम पाण्डेय–

मान्यवर, सुविधाएं अलग-अलग दी जा रही हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आपका यह प्रश्न है कि कुटीर उद्योगों के द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है या किया जा सकता है क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि उन वस्तुओं का उत्पादन भारी उद्योगों के द्वारा नहीं किया जाय ?

श्री राजाराम पाण्डेय–

मान्यवर, अभी तक ऐसा विचार नहीं किया जा रहा है । भविष्य में कोई ऐसी योजना बनेगी तो इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, कुटीर उद्योग के तहत तारकशी का काम होता है और बहुत अच्छा काम होता है । ऐसे जनपद हैं जिसमें राष्ट्रपति पदक उनको प्राप्त है.....

मान्यवर, जनपद मैनपुरी में तारकशी का काम बहुत होता है रामस्वरूप नाम के व्यक्ति ने इसमें राष्ट्रपति पदक प्राप्त किया है इस कुटीर उद्योग में वहां बहुत सारे बेरोजगार काम करते हैं । क्या तारकशी के कार्य को अपने विभाग में शामिल करके उसे और रियायतें देने का काम करेंगे ?

श्री राजाराम पाण्डेय–

मान्यवर, ऐसे अच्छे कारीगरों को बोर्ड समय-समय पर सम्मानित करता है । लिस्ट में अगर उद्योग श्रेणी में आयेगा तो जरूर लिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न

जनपद संत रविदास नगर मुख्यालय ज्ञानपुर के जिला अस्पताल में आधुनिक सयंत्रों आदि की व्यवस्था की मांग

*1–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जिला संत रविदास नगर मुख्यालय ज्ञानपुर के जिला अस्पताल में आधुनिक संयंत्रों, साज-सज्जा एवं वार्डों तथा भवन का अभाव है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इससे मरीजों को कठिनाई हो रही है ? क्या इस अभाव को दूर करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त की व्यवस्था कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (श्री राम बाबू हरित)–

जी नहीं । मानक अनुसार आवश्यक उपकरण/साज-सज्जा तथा भवन उपलब्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, जिला अस्पताल के मानक क्या हैं, उपकरणों के मामले में, उपकरण सभी उपलब्ध हैं ?

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, अस्पताल में एक्सरे मशीन है, इ० सी० जी० मशीन है, माइक्रोस्कोप है, सक्सम मशीन है जनरेटर है, मान्यवर, आदि उपकरण हैं । मान्यवर, आपरेशन थियेटर में जितने औजारों की जरूरत है वह सब उपलब्ध है ।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, संत रविदास नगर के इस जिला चिकित्सालय में मानक के अनुसार कौन-कौन से आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं ? जैसे कैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड मशीन आदि अगर यह मानक में हैं, तो कब तक उपलब्ध हो जायेंगे ?

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, कैटस्केन आदि की उपलब्धता की जो बात है, वित्तीय संसाधन सरकार के पास होते हैं तो उसके अनुसार उपलब्ध कराते हैं यह 500 शैय्याओं वाले अस्पताल में अल्ट्रासाउंड आदि उपलब्ध कराते हैं यह 100 शैय्याओं का चिकित्सालय है । इसमें मेडिसिन के 30, सर्जरी के 30, बालरोग के 20, नेत्र रोग के 10 और इमरजेंसी के 10 बेड हैं ।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजमेयी–

100 शैय्याओं वाले अस्पताल में मान्यवर, मानक के अनुसार जो आधुनिक उपकरण उपलब्ध होने चाहिये, वे सब हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

मान्यवर, मानक के अनुसार सारी व्यवस्था उपलब्ध है, मान्यवर, बहुत से नव सृजित जनपद हैं ।

मान्यवर, जो नवसृजित जनपद हैं अभी उसमें सारी व्यवस्थाएं सही रूप सें ठीक नहीं है ।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, प्रश्न किया गया था कि जिला संत रविदास नगर मुख्यालय ज्ञानपुर के जिला अस्पताल में आधुनिक संयंत्रों, साज-सज्जा एवं वार्डों तथा भवन का अभाव है तो मंत्री जी का उत्तर आया कि "जी नहीं" और अब कह रहे हैं कि नवसृजित जनपद है इसलिये व्यवस्था हो रही है, ऐसा असंगत उत्तर देना कहा तक उचित है ?

श्री अध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न को छोटे-छोटे टुकड़ों में करता हूं । संत रविदास नगर का जो जनपद चिकित्सालय है यह कितनी शैय्या का है ।

श्री रमापति शास्त्री–

100 शैय्याओं वाला चिकित्सालय है ।

श्री अध्यक्ष–

100 शैय्याओं वाले चिकित्सालय का मानक क्या है ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, 100 शैय्या मानक के अनुसार है ।

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, अब प्रति शैय्या के हिसाब से 10,000 की व्यवस्था की गयी है । (व्यवधान)

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, उत्तर नहीं आ रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित करता हूं ।

प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कालेजों तथा प्राइवेट डेन्टल कालेजों द्वारा लिये जा रहे अधिक प्रवेश शुल्क तथा अन्य फीस को नियंत्रित करने की मांग

*2–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइवेट मेडिकल कालेजों तथा प्राइवेट डेन्टल कालेजों में छात्रों से प्रवेश शुल्क तथा फीस लेने की अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या सरकार प्राइवेट मेडिकल कालेजों तथा प्राइवेट डेन्टल कालेजों से लिये जा रहे अधिक प्रवेश शुल्क तथा अन्य फीस को नियंत्रित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

जी हां ।

शासनादेश संख्या–5333/पांच–14–97–142/96 दिनांक 27-9-97 द्वारा प्राइवेट मेडिकल कालेज हेतु फ्री सीट पर रु० 13,000 वार्षिक एवं पेमेन्ट सीट पर रु० 1,10,000 वार्षिक तथा डेन्टल कालेज हेतु फ्री सीट पर रु० 8000 वार्षिक एवं पेमेन्ट सीट पर रु० 75,000 वार्षिक फीस निर्धारित है जिसमें उपकरण, रीडिंग, लाइब्रेरी, पंजीकरण, विद्युत, जल, भवनकर, अनुरक्षण, प्रशासनिक व्यय भी सम्मिलित है ।

उपरोक्त शासनादेश द्वारा निर्धारित फीस का निर्धारण भारत सरकार के सुझाव के अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा गठित समिति की संस्तुति के अनुसार सत्र 1997-98 से अगले 3 वर्ष तक के लिये लागू किये गये हैं । सत्र 2000-2001 हेतु पुनः फीस निर्धारित किया जाना है जो भारत सरकार से प्राप्त निदेशानुसार की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नरेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो प्राइवेट मेडिकल कालेज और डेन्टल कालेज हैं उसमें फ्री शीट और पेमेन्ट शीट का अनुपात निर्धारित किया गया है तो उसका आधार क्या है और दूसरा क्या सरकार इन प्राइवेट मेडिकल कालेज और डेन्टल कालेजों में फ्री शीट बढ़ाने पर विचार करेगी ?

श्री कलराज मिंश्र–

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने पूछा है कि आधार क्या है तो यह भारत सरकार ने स्वयं निर्णय लिया है कि अधिकतम सीमा जो प्राइवेट मेडिकल कालेज होंगे उसकी फ्री सीट पर 13,000 रुपये वार्षिक और पेमेन्ट सीट पर 1 लाख 10 हजार यह भारत सरकार द्वारा निर्धारित है ।

श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, फ्री सीट और पेमेन्ट सीट का जो अनुपात निर्धारित है वह अनुपात क्या है ?

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, 15 प्रतिशत जो पेमेन्ट सीट है इसके लिए निर्धारित किया हुआ है और 85 फीसदी जो फ्री सीट मेरिट सीट है उसके लिए निर्धारित है ।

श्री राम जग–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष मेडिकल कालेज और डेन्टल कालेजों में अनुसूचित जाति के छात्रों का प्रवेश शुल्क क्या है और दूसरा क्या प्राइवेट मेडिकल कालेंज और डेन्टल कालेजों में अनुसूचित जाति के छात्रों का आरक्षण के आधार पर एडमीशन होता है या नहीं ?

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, कौसिंलिंग के आधार पर जो फ्री सीट के लिए दिया जाता है वही एडमीशन होता है और बाकी का जो पेमेन्ट सीट है, वह पेमेन्ट सीट पर अपने हिसाब से, मानक के हिसाब से प्रवेश होता है । इसलिये कौंसिलिंग में जो भी आरक्षण से संबंधित सारे मानक सुनिश्चित किये गये हैं उसके आधार पर दिया जाता है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों के आरक्षण के कोटा को पूरा करने के लिए क्या पेमेन्ट सीट पर अनुसूचित जाति के छात्रों को अपनी तरफ से पेमेन्ट का भुगतान करके उनका आरक्षण कोटा पूरा करने पर विचार करेगी ?

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, ऐसा कुछ नहीं है, जो निर्धारित रहता है वह करते हैं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इससे आरक्षण का कोटा पूरा नहीं होगा आज आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हो रहा है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार की यह जिम्मेदारी है उसका कोटा पूरा कराने के लिए ।

श्री अध्यक्ष–

आपने कहा, ऐसी कोई योजना नहीं है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान लिया इसमें नहीं कर रहे हैं तो क्या फ्री सीट्स और पेमेन्ट सीट, इन दोनों को मिलाकर आरक्षण कोटा पूरा करने पर विचार करेंगे ?

श्री कलराज मिश्र–

मैंने पहले ही बताया कि फ्री सीट में काउन्सिलिंग के आधार पर होता है और इसलिए इसमें विचार का कोई प्रश्न नहीं उठता और पेमेंट शीट के लिए सरकार द्वारा पेमेंट करने का कोई प्रश्न नहीं उठता और पेमेंट शीट के लिए सरकार द्वारा पेमेंट करने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री राम जग–

मान्यवर, इतना ही काफी नहीं है, छात्रों के हित को देखते हुए....

श्री जगदम्बिका पाल–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ जैसा मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि जो प्राइवेट मेडिकल कालेज हैं या प्राइवेट डेन्टल कालेज हैं, उनमें फ्री सीट 85 प्रतिशत और पेमेन्ट सीट 15 प्रतिशत हैं । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, कि इन्होंने फ्री सीट और पेमेंट सीट का जिक्र किया है, 85 प्रतिशत और 15 प्रतिशत का । जबकि सभी प्राइवेट और डेन्टल कालेज में एन०आर०आई० की शीटें भी निर्धारित हैं, मान्यवर, इन प्राइवेट मेडिकल कालेज और डेन्टल कालेज में उन एन०आर०आई० से कितनी फीस ली जायेगी, क्योंकि उनसे तो डालर में लिया जायेगा । जो उत्तर प्रदेश के, भारत के रहने वाले हैं उनसे 1 लाख 10 हजार लिया जायेगा लेकिन जो एन०आर०आई० सीट हैं, उनका क्या रेशियो है, भारत सरकार से परामर्श करके आपने उनके लिए कितनी फीस निर्धारित किया है ?

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, अभी एन०आर०आई० कोटा सुनिश्चित नहीं किया गया है, उसमें एन०आर०आई० आये भी नहीं हैं । यह सही है कि दोनों के लिए विचार कर रहे हैं । एन०आर०आई० के कोटा के बारे में और विचार करके, भारत सरकार से परामर्श के बाद सुनिश्चित करेंगे ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्राइवेट मेडिकल कलेज और डेन्टल कालेज इन दोनों में काउन्सिलिंग के नाम पर डिले जो होता है जिससे सत्र नियमित होने में बहुत परेशानी होती है । तो मैं जानना चाहता हूँ कि सत्र को नियमित करने के लिए काउन्सिलिंग इस तरह हो कि सत्र डिले न हो और जो इन कालेजों में जगह हैं, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए सरकार क्या काम करेगी ? इनमें संख्या बढ़ा देनी चाहिए, यह मेरा अनुरोध है ।

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, सत्र को नियमित करने के लिए हमने एक निर्णय लिया है और उसको जल्दी ही घोषित भी कर दूँगा और साथ-साथ काउन्सिलिंग कोटा को बढ़ाने की जो बात है । मान्यवर, काउन्सिलिंग के आधार पर जहाँ–जहाँ कोटा निश्चित किया जाता है वह वहां की एम०सी०आई० के और डीसीआई के मानक के अनुसार विद्यालय कितनी क्षमता रखता है, उसके आधार पर हम सुनिश्चित करते हैं इसलिए जैसे-जैसे क्षमता में बढ़ोत्तरी होती जायेगी उसी प्रकार बढ़ोत्तरी और घटोत्तरी होती जायेगी ।....

श्री प्रदीप कुमार–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि 10 मार्च, 2000 के बाद से जाटव जाति के लोगों को आरक्षण हुआ था तो मेडिकल कालेजों में इन्टरव्यू और काउन्सिलिंग होती है तो उन्हें आरक्षण मिलेगा कि नहीं ?

श्री कलराज मिश्र–

आरक्षण से सम्बन्धित जो भी नार्म्स निर्धारित हैं उनके अन्तर्गत यदि कोई आयेगा तो उसे आरक्षण दिया जायेगा । आरक्षण से सम्बन्धित जो जातियां हैं वह नहीं निश्चित करते हैं बल्कि आरक्षण के अन्तर्गत जो जातियां आती हैं जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग में जो आयेगा उसके आधार पर आरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा, इसलिए यदि यह आयेंगे तो आरक्षण दिया जायेगा ।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, क्या मंत्री जी अवगत हैं कि प्राइवेट मेडिकल कालेजों में फीस के अलावा कैपिटेशन फीस के नाम से कोई चीज ली जाती है ? यदि हां, तो क्या कैपीटेशन फीस को सरकार मान्यता देती है ? यदि मान्यता नहीं देती है तो क्या इस पर सरकार रोक लगायेगी ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि प्रदेश में कितने मेडिकल कालेज और कितने डेन्टल कालेज हैं, उनमें सीटें कितनी हैं और उन सीटो में कितनी–कितनी प्री और कितनी पेमेन्ट की सीटें हैं ? मंत्री जी ने बताया है कि 15 प्रतिशत पेमेन्ट की सीटें हैं और 85 प्रतिशत फ्री सीटें हैं तो कदाचित सूचना के अभाव के कारण मैं समझता हूँ यह सही नहीं है । इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि कुल कितनी सीटें फ्री हैं और कितनी पेमेन्ट की सीटें हैं ?

जैसा श्री जगदम्बिका पाल ने कहा था कि टेक्निकल कालेजों में फ्री, पेमेन्ट और एन०आर०आई० जैसी व्यवस्था इंजीनियरिंग कालेजों में है क्या उस तरह की व्यवस्था आप मेडिकल कालेजों में लागू करेंगे ?

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी जी ने 3-4 बिन्दु हमारे सामने रखे हैं । पहले बिन्दु में उन्होंने कहा है कि क्या कैपीटेशन फीस ली जाती है ? मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि जो वार्षिक फीस निर्धारित है उसमें उपकरण, पंजीकरण, जल, प्रशासनिक व्यय आदि शामिल हैं । इसके अलावा छात्रावास और स्पोर्टस के जो व्यय हैं उनके नाम से पैसा लेते हैं । कैपीटेशन फीस के सम्बनध में पैसा लेते हैं इस सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त होती है कि कैपीटेशन फीस ज्यादा या कम ली जाती है, स्पेस्फिक बतायेंगे तो जांच कर सकते हैं । एम०सी०आई० या डी०सी०आई० को केस हम प्रेषित कर सकते हैं ताकि इस तरह की फीस ले रहे हैं तो वह देखें । उसे लेने का आधार मेडिकल और डेन्टल कालेजों में इन्फ्रास्टेक्चर का डेवलपमेंट करना है ।

माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि प्रदेश में मेडिकल कालेजों और डेन्टल कालेजों की कितनी संख्या है और कितनी सीटें हैं तो इस सम्बन्ध में वांछित सूचना इस समय हमारे पास उपलब्ध नहीं है और माननीय सदस्य चाहेंगे तो उन्हें बाद में दे देंगे चूंकि यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो एन०आर०आई० सीटें हैं उनके लिये क्या सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है और उसके लिये क्या शुल्क निर्धारित किया गया ? यदि एन०आर०आई० उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन सीटों को रेजीडेंट स्टूडेंटस से भरे जाने के लिये क्या आधार है ? क्या मैनेजमेंट को पूर्ण अधिकार दिया गया है कि वह अपनी मर्जी से इन सीटों को भरे । एन०आर० आई० सीटों को रखने का औचित्य यह था कि इससे विदेशी मुद्रा, फारेन एक्सचेंज प्राप्त होगी लेकिन देखा यह जा रहा है

कि एन०आर०आई० से यह सीटें भरी नहीं जाती हैं और 10, 20 गुनी फीस लेकर रेजीडेंट स्टूडेंटस से यह सीटें भर ली जाती हैं। तो इस संबंध में पूरी नीति क्या है, बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, मैंने प्रारम्भ में ही बता दिया कि अभी एन०आर०आई० के बारे में नीति सुनिश्चित नहीं है। इसके बारे में हम विचार कर रहे हैं। जो प्राइवेट मेडिकल कालेज हैं और जो गवर्नमेंट के मेडिकल कालेज हैं और गवर्नमेंट आफ इण्डिया के प्रतिनिधि के साथ और जो एम०सी०आई० और डी०सी०आई० के प्रतिनिधि हैं इनके साथ बैठकर एक नीति सुनिश्चित कर रहे हैं कि कितना कोटा रखा जाय, इस दृष्टि से विचार करने वाले हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मेडिकल कालेजों में 13 हजार मेरिट वालों के लिये और 1 लाख 10 हजार पेमेंट सीट के लिये लिया जाता है। यह तीन वर्ष के लिये 1997 से लेकर 2000 तक के लिये है। सन् 2001 में इस पर पुनः विचार किया जा रहा है भारत सरकार के सुझाव के आधार पर तो मैं जानना चाहता हूं कि इतना बड़ा गैप क्यों है एक तरफ तो 13 हजार और दूसरी तरफ 1 लाख 10 हजार फीस रखी गयी है, यह लग रहा है कि प्रत्येक 3 वर्ष बाद इसको फिर से निश्चित किया जायगा। दूसरी चीज जो बड़े-बड़े व्यापारी हैं वह मेडिकल कालेज खोल रहे हैं और इन मेडिकल कालेज या डेंटल कालेजों में भारी फीस ली जा रही है तो आप इस संबंध में कोई व्यवस्था करेंगे या इसको एम०सी०आई० और डी०सी०आई० पर छोड़ देंगे ?

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, टी०एम० के बनाम कर्नाटक राज्य संबंधी एक याचिका जो दाखिल की गयी थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इस संबंध में सुनिश्चित करें और 97-98 के सत्र में नये फी स्ट्रक्चर के आधार पर निर्धारित करें। इसलिये भारत सरकार की अध्यक्षता में पूरे भारत के सम्पूर्ण प्रदेशों के जो प्रतिनिधि थे, मेडिकल एजूकेशन के जो प्रतिनिधि थे उनके साथ बैठकर विचार विमर्श हुआ और यह तय हुआ कि अधिकतम जो मेरिट के होंगे प्राइवेट मेडिकल कालेजों के लिये 13 हजार और डेंटल कालेजों के लिये 6 हजार इसी तरह से पेमेंट सीट के लिये मेडिकल कालेजों में 1 लाख 10 हजार और डेंटल कालेजों में 75 हजार लिया जायगा। यह भारत सरकार और एमसीआई तथा डीसीआई के प्रतिनिधि भी थे उस बैठक में तय किया गया था। इसमें यह भी तय किया गया था 3 वर्ष बाद इस पर पुनर्विचार होगा। 2001 में इसकी मीटिंग होगी इसमें क्या होगा ? इसको अभी सुनिश्चित नहीं किया गया है ?

श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, दूसरे के लिये बता दें ?

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, दूसरे के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि ऐसी कोई विशिष्ट बात आती है तो एम०सी०आई० और डी०सी०आई० को जांच के लिये दे देंगे।

प्रदेश में महिलाओं के गर्भ में पल रहे शिशु की लिंग पहचान अल्ट्रासाउंड द्वारा करा कर गर्भपात कराये जाने पर रोक लगाने की मांग

*3–श्री संजय गर्ग तथा श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों के अनुपात में कम है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि महिलाओं के गर्भ में पल रहे शिशु की लिंग पहचान अल्ट्रासाउंड द्वारा कराये जाने के उपरान्त गर्भपात कराये जाने के अनेक मामले प्रकाश में आये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार कराये जाने वाले अल्ट्रासाउण्ड पर रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मातृ एवं शिशु कल्याण, परिवार कल्याण मंत्री (श्री सरदार सिंह)–

जी हां ।

जी नहीं । यद्यपि इस प्रकार का कोई विशिष्ट मामला प्रकाश में नहीं आया है तथापि भारत सरकार द्वारा लागू "प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन एवं दुरुपयोग निवारण) अधिनियम–1994", जो प्रदेश में जनवरी, 96 से लागू है, जिसके द्वारा अल्ट्रासाउन्ड से लिंग निर्धारण करने पर रोक लगी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से 3 अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूँ । पहला यह कि प्रदेश में जो महिलाओं की जनसंख्या पुरूषों के अनुपात में कम है, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि "जी, हां ।" मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ प्रदेश में क्या अनुपात है और राष्ट्र का क्या अनुपात है ? द्वितीय जो भारत सरकार द्वारा लागू "प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन एवं दुरुपयोग निवारण) अधिनियम–1994" है । क्या 1996 से लेकर अब तक उसमें कोई मुकदमा पूरे प्रदेश में दर्ज हुआ है और कोई अपराधी दंडित हुआ है ? तृतीय यह कि महिला और पुरूष का अनुपात क्या है ? क्या सरकार ने कोई सामाजिक आधार पर सर्वेक्षण कराया है जिससे जानकारी हासिल हो सके कि महिला और पुरूष अनुपात में कमी के क्या-क्या कारण हैं और उसे दूर करने के लिये सरकार क्या कोई उपाय कर रही है ?

(इस समय 11 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल पीठासीन हुए)

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, पुरूषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या केवल हमारे प्रदेश में ही नहीं कम है बल्कि देश के अधिकांश प्रदेशों में कम है । अर्थात पुरुष ज्यादा हैं और महिलायें कम हैं । केरल ही एक ऐसा राज्य है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है वहां पर प्रति 1000 पुरुष पर 1036 महिलायें हैं । मान्यवर, पिछली सदी के प्रारम्भ में यह अनुपात 1000 और 972 का था जो हर दशक में घटता हुआ 1991 में 927 हो गया । प्रदेश में 1981 की तुलना में गिरावट आयी है और 885 से घटकर 879 पर आ गया है । 1991 की जनसंख्या के अनुसार प्रति 1000 पुरुष पर 879 महिलायें हैं । इस अनुपात में कमी होने का एक मात्र कारण महिला भ्रूण की हत्या नहीं है । हमारे समाज में लोगों की ज्यादा इच्छा पुत्र प्राप्ति की होती है, लड़की पैदा हो जाती है तो उदासी छा जाती है, पुत्र पैदा होता है तो बाजे बजने लगते हैं यह एक सामाजिक विकृति है । जो दूसरा सवाल था कि अल्ट्रासाउण्ड के कारण भ्रूण हत्या हो रही है । मेडिकल साइंस ने काफी प्रगति की है । इसका उपयोग जेनेटिक बीमारी का पता करने के लिये किया गया था लेकिन इसका दुरुपयोग हुआ और लिंग का पता लगाने के लिये इसका प्रयोग किया जाने लगा और लड़की होने पर अबारशन कराया जाने लगा । इसको रोकने के लिये भारत सरकार ने "प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियिमन एवं दुरुपयोग निवारण) अधिनियम–1994" जो प्रदेश में जनवरी, 1996 से लागू किया गया है । इसके अन्तर्गत कोई शिकायत नहीं मिली है और न ही कोई केस पंजीकृत हुआ है । हम तो आपसे अनुरोध करेंगे कि जन-जागरण पैदा किया जाये जिससे महिलाओं का महत्व समाज में बढ़े, बेटी का महत्व बढ़े और समाज में जागृति आये ।.....

श्री जगदम्बिका पाल–

मंत्री जी अगर वाकई सिंसियर हैं तो मेरा सुझाव है कि इस सदन की एक समिति बना दें जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुछ सदस्य ऐसे हैं जो अपना सहयोग दे सकते हैं ।

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं मंत्री जी ने अभी कहा कि वह 1991 तक की स्थिति बता रहे हैं तो आज की स्थिति क्या है महिलाओं और पुरुषों के अनुपात में ? दूसरे कितने मुकदमें इन्होंने पंजीकृत कराए हैं जो लोग भ्रूण हत्याएं करा रहे हैं ? क्योंकि भ्रूण हत्याएं आज भी प्रचलित हैं ।

श्री सरदार सिंह–

माननीय सदस्य छपरौली की बात अपनी जगह सही हो सकती है सरकारी आंकड़ों के अनुसार किसी थाने में कोई केस पंजीकृत नहीं हुआ है । यह ऐसा सवाल है कि करने वाला राजी और कराने वाला राजी कोई किसी की शिकायत नहीं करेगा इसलिए सरकार क्या करेगी ?

श्री अधिष्ठाता–

अद्यतन स्थिति हो तो बता दें । दूसरे का उत्तर कि क्या प्रभावी कदम उठाए हैं इसकी जानकारी दे दें ?

श्री सरदार सिंह–

यह 1991 के आंकड़े हैं 2000 की जनगणना शुरू हो चुकी है । प्रदेश सरकार बढ़ती हुई आबादी और पुरुषों एवं महिलाओं के बीच बढ़ते हुए अन्तर को लेकर इस सम्बन्ध में एजूकेशन सबसे महत्वपूर्ण है सरकार प्रयास कर रही है कि महिलाओं को पढ़ाया लिखाया जाए तो इस समस्या का निदान हो सकता है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

जब मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि भ्रूण हत्याएं होती हैं तो सरकार उन पर कैसे रोक लगाएगी यह बता दें सदन को गुमराह क्यों कर रहे हैं ?

श्री सरदार सिंह–

मैंने यह कहा कि सदस्य छपरौली की बात सही हो सकती है । लेकिन अगर शासन के संज्ञान में इस तरह का मामला प्रकाश में आएगा तो हम उस पर सख्त कार्यवाही करेंगे ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, यह एक बहुत जरूरी बात और प्रश्न था जो कि थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया है । मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि देश में केरला एक ऐसा राज्य है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है । इससे स्पष्ट होता है कि केरला में यह स्थिति इसलिए है क्योंकि वहां रेट आफ लिटरेसी सर्वाधिक है । महिलाओं के प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है उसी का प्रतिफल है कि आज यहां महिलाओं की संख्या गिरती जा रही है । क्या उत्तर प्रदेश के अन्दर इस बात का कोई गम्भीर अध्ययन किया गया है कि उत्तर प्रदेश में गत वर्षों के मुकाबले महिलाओं की जनसंख्या में कमी क्यों आई ? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने कहा 885 से 879 तक महिलाओं की संख्या हो गई है तो क्या कोई आइडेन्टिफाई करने का काम किया गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है ?

श्री सरदार सिंह–

यह माननीय सदस्य की ही नहीं सरकार के लिए भी चिन्ता का विषय है । हम नई जनसंख्या नीति बना रहे हैं और वह कैबिनेट में पास भी होने जा रही है । यथाशीघ्र जनसंख्या नीति में सारे बिन्दु ला रहे हैं ।

(तारांकित प्रश्न संख्या–4 पुकारे जाने पर)

श्री संजय गर्ग–

यह सरकार कानून के अन्तर्गत कोई प्रभावी रोक नहीं लगा पा रही है । महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और अपराधों से लगता है कि यह सरकार गम्भीर नहीं है । इसके विरोध में लोक दल के साथी बाईकाट करते हैं ।

(श्री संजय गर्ग ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

शिक्षित बेरोजगारों के लिये कुटीर उद्योग स्थापित करने की विशेष कार्य योजना के सम्बन्ध में जानकारी

*4–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार शिक्षित बेरोजगारों के लिये कुटीर उद्योग स्थापित करने की कोई विशेष कार्य योजना चालू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजाराम पाण्डेय–

खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से अनेक स्वरोजगार योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं । इन योजनाओं से प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार की आच्छादित है ।

खादी बोर्ड द्वारा अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग आयोग की कन्सोर्सियम बैंक ऋण योजना, मार्जिन मनी योजना तथा ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला योजना के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजना एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण योजना क्रियान्वित की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता जी, जो सरकार का उत्तर आया है उससे लगता है कि यह सरकार शिक्षित बेरोजगारों को कुटीर उद्योगों में खपाने के लिए गम्भीर नहीं है । हमारा प्रश्न यह है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितने शिक्षित बेरोजगारों को काम दिया गया है । मंत्री जी का उत्तर है यह केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए है । हमारा सवाल तो देहात और नगर दोनों के लिए था ।

श्री राजाराम पाण्डेय–

एक प्रश्न को दो प्रश्न में बांट दिया गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

प्रदेश में गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान

*5–श्री राम ललित चौधरी–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में गन्ना अधिनियम 1953 की धारा 17 के अनुसार गन्ना सीजन 1999–2000 का गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का कितना-कितना भुगतान माह नवम्बर, 1999 से अब तक निगम की चीनी मिलों, निजी चीनी मिलों तथा सहकारी चीनी मिलों द्वारा किया जा चुका है तथा कितना शेष है ? भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

नोट–नत्थी (ग) तारांकित प्रश्न संख्या–4 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

गन्ना विकास मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

उ० प्र० गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन अधिनियम की धारा–17 के प्राविधान के अन्तर्गत गन्ना आपूर्ति होने की तिथि से 15 दिन बाद भुगतान करने पर गन्ना मूल्य के साथ ब्याज भी देय हो जाता है किन्तु प्रकरण पर मा० सर्वोच्च न्यायालय से वेस्ट यू०पी० शुगर मिल्स एसोसियेशन बनाम वी० एम० सिंह व अन्य के मामले में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका पर स्थगनादेश पारित होने के कारण ब्याज का भुगतान स्थगित है ।

दिनांक 1-5-2000 की स्थिति के अनुसार निम्न विवरण के अनुसार पेराई सत्र 99-2000 का गन्ना मूल्य देय, भुगतान तथा अवशेष है :–

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	गन्ना मूल्य देय	भुगतान	अवशेष
निगम	418.76	296.29	122.47
सहकारी	724.31	588.87	153.42
निजी	2721.77	2207.27	514.50
	3882.84	3092.45	790.39

पेराई सत्र चल रहा है एवं भुगतान भी हो रहा है ।

प्रदेश में प्रत्येक गांव में कच्चे तालाब बनाये जाने की मांग

*6–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे तालाबों का जल सिंचाई व पशुओं के पेयजल के रूप में उपयोग के साथ साथ भूगर्भ जल स्तर ठीक बनाये रखने में सहायक होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रत्येक गांव में कच्चे तालाब बनाये जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

जी हां ।

विचार किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हिमांचल प्रदेश व हरियाणा की भांति प्रदेश में "वृद्ध माता पिता संरक्षण अधिनियम" बनाये जाने की मांग

*7–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हिमांचल प्रदेश व हरियाणा की भांति प्रदेश सरकार "वृद्ध माता पिता संरक्षण अधिनियम" बनाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्रीमती प्रेम लता कटियार)–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में हो रही 'अन्धता वृद्धि' की रोकथाम हेतु कार्य योजना बनाने सम्बन्धी जानकारी

*8–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में अन्धता से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो रही है ? क्या इसकी रोकथाम हेतु सरकार कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

जी हां ।

जी हां ।

अन्धता की रोक-थाम के लिए निम्नलिखित योजनाएं बनायी गयी हैं:–

(1) तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों में सघन प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति छः माह के अन्तराल में विटामिन (ए) का घोल पिलाया जाना ।

(2) स्कूल जाने वाले (5 से 14 वर्ष के आयु वर्ग) बच्चों में नेत्र परीक्षण कराकर आवश्यकतानुसार चश्में सम्बन्धी उनके नेत्र दोषों का उपचार ।

(3) राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मोतियाबिन्द जनित अन्धता को रोकने हेतु समस्त क्षेत्रों (राजकीय स्वैच्छिक एवं निजी) के समन्वित प्रयास से अधिक से अधिक मोतियाबिन्द आपरेशन सम्पादित करना एवं आपरेशन के उपरान्त उपर्युक्त चश्मों की आपूर्ति करना । दोनों आंखों से प्रभावित व्यक्तियों के आपरेशन हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करना एवं ग्राम पंचायतवार अन्धता रजिस्टर का निर्माण करना । प्रदेश के असेवित दूरदराज क्षेत्रों तक सेवा का विस्तार करना तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से निर्बल वर्गों, महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान करते हुए आच्छादन एवं प्रचार प्रसार/स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से सामाजिक सहभागिता बढ़ाते हुए मोतियाबिन्द आपरेशन की नवीनतम तकनीक (आई० ओ० एल०) विधि का वृहद रूप से समावेश करना ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति वितरण में वित्तीय अनियमितताओं की रोकथाम की जानकारी

*9–श्री श्रीराम पाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति वितरण में वित्तीय अनियमितताओं को रोकने हेतु सरकार क्या कोई विशेष कार्ययोजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

शासन स्तर पर छात्रवृत्ति गबन/व्यपहरण की शिकायतों को देखते हुए छात्रवृत्ति वितरण के सत्यापन का कार्य जिलाधिकारियों के माध्यम से जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

*10–श्री राम कुमार एडवोकेट–

(8वें बुधवार के लिये स्थगित)

परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ में लेखा संवर्ग कर्मचारियों को लेखा-संवर्ग का वेतनमान दिये जाने सम्बन्धी जानकारी

*11–श्री समरपाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश सं० अ–1–1802/दस–34(एम)/83, दिनांक 11-8-1983 द्वारा परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ में लेखा-संवर्ग का वर्ष 1994 में गठन किया गया है ? यदि हां, तो क्या लेखा संवर्ग में तैनात कर्मचारियों को लेखा संवर्ग का वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरदार सिंह–

शासनादेश सं० अ–1–1802/दस–34(एम)/83, दिनांक 11-8-1983 द्वारा परिवार कल्याण महानिदेशालय ही नहीं अपितु समस्त विभागों में लेखा संवर्ग के गठन के आदेश दिये गये थे, जिसके आधार पर परिवार कल्याण महानिदेशालय में शासन के पत्र संख्या–4081/5–11–96–9(27)/96, दिनांक 1-10-96 के द्वारा लेखा संवर्ग गठन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

जी नहीं ।

लेखा संवर्ग में सम्मिलित किये जाने वाले कर्मचारियों का प्रकरण विचाराधीन है एवं प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित दायर याचिकाओं एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण करवाया जा रहा है ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद मथुरा में ग्राम धौखरिया के प्राचीन व मुख्य गलियारे को जनहित में आवागमन के योग्य बनाने की मांग

1–श्री अजय कुमार पोइया–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1999 के पहले बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–128 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री को यह जानकारी है कि प्रार्थित पुलिया न बनने के कारण ग्राम धौखरिया का प्राचीन व मुख्य गलियारा बेकार पड़ा हुआ है और उक्त ग्राम व ग्राम के पुरवा (मंजरा) का निकटम मार्ग बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गलियारे को जनहित में आवागमन के योग्य बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई बाढ़ नियन्त्रण एवं उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

जी नहीं । वर्षा ऋतु को छोड़कर शेष समय में प्रश्नगत गलियारा आवागमन हेतु प्रयोग किया जाता है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

सार्वजनिक ट्रेनिंग कालेज सफीपुर उन्नाव की जांच समाज कल्याण सुपरवाइजर द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

2–श्री राजाराम पाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सार्वजनिक ट्रेनिंग कालेज सफीपुर उन्नाव की जांच समाज कल्याण सुपरवाइजर ने दिनांक 18-11-1999 को की थी ? यदि हां, तो क्या उसके द्वारा जांच रिपोर्ट दी गयी थी ? उक्त जांच रिपोर्ट पर जिला समाज कल्याण अधिकारी व प्रधानाचार्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

जी हां ।

समाज कल्याण सुपरवाइजर ने 18-11-99 का भ्रमण कार्यक्रम बिना अनुमोदित कराये जांच की थी अतः जांच रिपोर्ट अनधिकृत होने के कारण किसी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कारगिल के बटालिक सेक्टर में शहीद आबिद खां निवासी ग्राम पाली जनपद हरदोई के आश्रित को सरकारी नौकरी में लिये जाने की मांग

3–श्री बाबू खां–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कारगिल में शहीद परिवारों के आश्रित को सरकारी नौकरी दिये जाने हेतु पूर्व मुख्य मंत्री जी द्वारा घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या कारगिल के बटालिक सेक्टर में शहीद आबिद खां निवासी ग्राम पाली जनपद हरदोई के आश्रित को सरकारी नौकरी में लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? मृतक आश्रित के भाई को सरकारी सेवा में कब तक ले लिया जायेगा ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

जी हां ।

जी नहीं, क्योंकि शहीद सैनिक की पत्नी को ही नौकरी दिये जाने का प्राविधान है और नौकरी के लिये विकल्प न देने के कारण शहीद की पत्नी को रुपये 5000 प्रतिमाह की पेंशन दी जा रही है । कारगिल युद्ध "आपरेशन विजय" में शहीद के अन्य आश्रित को नौकरी दिये जाने का प्राविधान नहीं है ।

ऊपर स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

उपरोक्त मृतक आश्रित के भाई को सरकारी सेवा में लेने का कोई प्राविधान नहीं है अतः उसे सरकारी सेवा में लेने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री दीनानाथ, अधिशासी अभियन्ता एवं वैयक्तिक सहायक, कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा लखनऊ के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी–पत्र

4–डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 21 जनवरी, 2000 को प्रश्नकर्ता का पत्र जो श्री दीनानाथ, अधिशासी अभियन्ता एवं वैयक्तिक सहायक, कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा लखनऊ के विरुद्ध भ्रष्टाचार किए जाने के सम्बन्ध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर बिन्दुवार क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द)

जी हां ।

जनपद बहराइच एवं बाराबंकी के कार्यकाल से सम्बन्धित बिन्दुओं पर मुख्य अभियन्ता (पूवीक्षे), ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, लखनऊ से बिन्दुवार आख्या मांगी है तथा सेवा से सम्बन्धित बिन्दुओं पर न्याय विभाग का परामर्श प्राप्त किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रायबरेली जनपद के प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रभारी अधिकारी का स्थानान्तरण निरस्त होने के सम्बन्ध में जानकारी

5–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रभारी अधिकारी रायबरेली जनपद के मूल निवासी हैं और वहीं नियुक्त है ? क्या यह सही है कि अप्रैल, 1999 में उनका स्थानान्तरण जनपद बांदा में किया गया था ? यदि हां, तो क्या उनका स्थानान्तरण पुनः निरस्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

जी हां ।

जी हां ।

मुख्य चिकित्साधिकारी रायबरेली/महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश लखनऊ की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा विचारोपरान्त डा० एस० के० अग्निहोत्री उप मुख्य चिकित्साधिकारी रायबरेली का अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मानिकपुर, बांदा के पद पर किया गया स्थानान्तरण आदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप सं०–2447/सेक–2–पांच–4(69)/99, दिनांक 6 जुलाई, 1999 द्वारा निरस्त किया गया ।

जनपद बहराइच में अस्पतालों की संख्या तथा मानक के अनुसार महिला डाक्टर उपलब्ध कराने सम्बन्धी जानकारी

6–श्री रामतेज यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में कितने अस्पताल हैं ? उनमें कितने चिकित्साधिकरी पुरुष एवं महिला तैनात हैं ? क्या विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज में मानक के आधार पर महिला डाक्टर उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जनपद बहराइच में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र –3, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–10, नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–38, राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय–3,महिला चिकित्सालय–1, कुष्ठ नियन्त्रण इकाई–3

इनमें 42 पुरुष चिकित्सक तथा एक महिला चिकित्सक तैनात है ।

विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज में महिला चिकित्सक के तीन पद स्वीकृत हैं, जो महिला चिकित्सा अधिकारियों की कमी के कारण स्क्ति चल रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय शर्करा उद्योग कामगार संघ को चीनी मिल खड्डा कुशीनगर कार्यालय को आवंटित होने तथा गन्ना विकास पर्यवेक्षक रवि द्विवेदी को आवास आवंटित न होने की जानकारी

7–श्री दीपलाल भारती–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्रीय शर्करा उद्योग कामगार संघ को चीनी मिल खड्डा कुशीनगर कार्यालय को आवंटित हुआ है ? यदि हां, तो आवंटन किस आधार पर किया गया है ? क्या यह सही है कि उसी चीनी मिल में 20 वर्षों से सेवारत गन्ना विकास पर्यवेक्षक श्री रवि द्विवेदी को आज तक आवास आवंटित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

राष्ट्रीय शर्करा उद्योग कामगार संघ, खड्डा कुशीनगर एक श्रमिक संघ है । अतः इकाई के अन्य श्रमिक संघों की भांति इसे भी कार्यालय आवंटित किया गया है ।

श्री रवि द्विवेदी, गन्ना विकास पर्यवेक्षक को अभी आवास आवंटित नहीं किया जा सका है, खाली होने वाले आवासों का आवंटन कर्मचारियों की सेवा आवश्यकता को देखते हुए किया जाता है ।

जनपद महाराजगंज जे० एच० बी० शुगर मिल गड़ौरा द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान सीधे कृषक खाते में कराये जाने की मांग

8–श्री दीप लाल भारती–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि छितौनी (कुशीनगर) क्षेत्र का गन्ना चीनी मिल छितौनी के बन्द हो जाने के कारण कृषकों द्वारा जे० एच० बी० शुगर मिल गड़ौरा जनपद महाराजगंज को गन्ना दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त मिल द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान सीधे कृषकों को न करके केन यूनियन छितौनी के माध्यम से किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार कृषकों के हित में गन्ना मूल्य का भुगतान सीधे कृषक के खाते में करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां । छितौनी मिल बन्द हो जाने के कारण कृषकों के गन्ना निस्तारण के हित में गन्ना का व्यावर्तन गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेश पत्र संख्या–2147/सी/क्रय दिनांक 28-12-99 द्वारा पूर्व प्रसारित सुरक्षण आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए छितौनी चीनी मिल गेट के इच्छुक कृषकों को गन्ना आपूर्ति हेतु गड़ौरा चीनी मिल के लिये अनुमति प्रदान की गयी है । जिसके अनुसार चीनी मिल गड़ौरा द्वारा छितौनी परिक्षेत्र के गेट के इच्छुक कृषकों का गन्ना खरीद की गयी है । असमर्थता की स्थिति में चीनी मिल गड़ौरा द्वारा छितौनी जोन के कृषकों के गन्ना मूल्य भुगतान की एडवाइज अपने कम्प्यूटर द्वारा तैयार कर गन्ना समिति छितौनी को उपलब्ध कराया जा रहा है तथा गन्ना समिति छितौनी द्वारा एडवाइज की जांच कर सम्बन्धित बैंक, जिसमें कृषकों के खाता हैं, के माध्यम से भुगतान कराया जा रहा है ।

9–श्री कौकब हमीद–

मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया ।

जनपद पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील में शाखा सैनिक कल्याण व पुनर्वास कार्यालय स्थापित किये जाने सम्बन्धी-पत्र

10–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील में शाखा सैनिक कल्याण व पुनर्वास कार्यालय स्थापित किए जाने सम्बन्धी मा० सैनिक कल्याण मंत्री जी को प्रेषित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-1-2000 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? इस सम्बन्ध में संस्तुत प्रस्ताव भारत सरकार के केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को कब तक भेज दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

जी हां ।

प्रदेश की विषम आर्थिक स्थिति के परिपेक्ष्य में जनपद पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील में सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय की स्थापना किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्थिति ऊपर स्पष्ट की जा चुकी है ।

प्रदेश में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त धन सम्बन्धी जानकारी

11–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1999–2000 के लिए मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को कितना धन दिया गया है ? उक्त धन में से कितना भाग उक्त मद में खर्च किया गया ? कितना शेष है ?

श्री रमापति शास्त्री–

वर्ष 1999-2000 के लिये मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को कोई धन नहीं दिया गया है, अपितु रुपया 645.92 लाख की सामग्री दी गयी है ।

केन्द्र सरकार से प्राप्त सामग्री को उक्त कार्यक्रम के संचालानार्थ विभिन्न जनपदों को पूर्व में उपलब्ध करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में क्षेत्र सफीपुर के बी० डी० ओ० द्वारा शीशम, नीम आदि के पेड़ों की नीलामी में अनियमितताओं की जांच की मांग

12–श्री बाबूलाल कुरील–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सफीपुर जनपद उन्नाव के बी०डी०ओ० द्वारा ब्लाक में स्थित शीशम, नीम आदि के 113 पेड़ जिनकी कीमत लगभग सवा लाख रुपये थी, को मात्र 19 हजार रुपये में नीलाम कर दिया गया है ? क्या सरकार उक्त नीलामी में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में उक्त बी०डी०ओ० के खिलाफ जांच कराकर उसे दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी नहीं, अपितु विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के विकास खण्ड सफीपुर, जनपद उन्नाव के बी०डी०ओ० द्वारा ब्लाक स्थित एक शीशम का नाकाबिल घोघ तने जो सूखा तथा खोखला टाइप का पेड़ है, 97 यूके–लिप्टस के नाकाबिल ठूट युक्त जलौनी टाइप के पेड़ तथा 6 जंगल जलेबी के नाकाबिल जलौनी टाइप के पेड़ हैं, जिनका मूल्यांकन वन विभाग द्वारा कराने पर इनका मूल्य रु० 13,020–65/- आंकलित किया गया । तत्पश्चात् नियमानुसार नीलामी की सूचना का प्रचार-प्रसार कराकर चार सदस्यीय समिति के समक्ष उक्त पेड़ों की नीलामी में सबसे अधिक एवं अंतिम बोली रु० 19,000/- की रही, जो वन विभाग द्वारा आकंलित धनराशि से अधिक थी । इस प्रकार उक्त पेड़ों को रु० 19,000/- में नीलाम किया गया है ।

कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आयी है, अतः जांच की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चूंकि नीलामी नियमानुसार की गई है, अतः बी० डी० ओ० के विरुद्ध जांच की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद उन्नाव में वृद्धावस्था/विधवा/विकलांग/मूक-बधिरों को पेंशन उपलब्ध कराने की मांग

13–श्री बाबूलाल कुरील–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सफीपुर (उन्नाव) में वर्ष 1996–1997 से 1998–1999 तक कितने व्यक्तियों को वृद्धावस्था/विधवा/विकलांग/मूक-बधिरों को पेंशन दी गयी है ? कितने पात्र व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र लम्बित पड़े हुए हैं ? क्या सरकार शीघ्र ही उन पात्र व्यक्तियों को पेंशन उपलब्ध कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

वर्ष 1996-1997 में कुल 4313, वर्ष 1997-1998 में 3862 तथा वर्ष 1998-1999 में 3662 प्रश्नगत श्रेणी के लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान किया गया ।

प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र सफीपुर (उन्नाव) में कुल 960 पात्र लाभार्थियों के आवेदन-पत्र लम्बित हैं ।

संसाधन की उपलब्धता एवं अतिरिक्त नवीन भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

14–श्री विजय कुमार–

दिनांक 3-5-2000 को अता० प्र० सं० 174 द्वारा उत्तरित ।

प्रदेश के कतिपय जनपदों में रिक्त प्रोबेशन अधिकारियों के पदों को भरे जाने की मांग

15–श्री उदयराज यादव–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 3283/262-500(25)/70 दिनांक 04-1-1980 द्वारा लखनऊ, कानपुर इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, हरदोई, बरेली, खीरी, अलीगढ़, मेरठ, बिजनौर तथा फैजाबाद, गोरखपुर आदि जनपदों के लिए स्थायी 13 प्रोबेशन अधिकारियों के पद समाप्त कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त

जनपदों में रिक्त प्रोबेशन अधिकारियों के पदों को भरने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रोबेशन अधिकारियों के रिक्त पदों को नियमान्तर्गत् चयनोपरान्त भरे जायेंगे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सचिव, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को ज्येष्ठता सूची बनाने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

16–श्री राम सिंह सैनी–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रा० अ० सेवा ने अपने पत्र संख्या–जी–162 दि० 12 अगस्त, 1998 द्वारा सचिव, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को ज्येष्ठता सूची बनाने के सम्बन्ध में पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी हां ।

श्री राम किशुन वरिष्ठ सहायक, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग का नाम, पोषक संवर्ग यानी कनिष्ठ सहायकों की प्राख्यापित ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित करते हुए प्राख्यापित किया जा चुका है ।

लखनऊ अधीक्षण अभियन्ता ग्रा० अ० से० परिमण्डल द्वारा प्राख्यापित वरिष्ठ सहायकों की ज्येष्ठता सूची में श्री राम किशुन का नाम सम्मिलित न करने की शिकायत

17–श्री राम सिंह सैनी–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता, ग्रा० अ० से०, परिमण्डल, लखनऊ द्वारा प्राख्यापित वरिष्ठ सहायकों की ज्येष्ठता सूची वर्ष 1994 व 1996 में रामकिशुन, वरिष्ठ सहायक का नाम शामिल नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में प्रत्यावेदन दि० 31-5-96, 26-9-97 व 4-11-97 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इनका निस्तारण अब तक न किये जाने का क्या कारण है ? इसके लिए कौन उत्तरदायी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी हां ।

प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण त्रुटिवश शामिल नहीं किया गया था ।

जी हां ।

प्रश्नांकित प्रत्यावेदनों का निस्तारण आपत्तियों को आमंत्रित करते हुए कर दिया गया है तथा इन्हें यथास्थान पोषक संवर्ग यानी कनिष्ठ सहायकों की वरिष्ठता सूची में सम्मिलित कर लिया गया है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

अधिशाषी अभियन्ता नलकूप शाहजहांपुर से लघु डाल नहर शाहजहांपुर को सम्बद्ध करने की मांग

18–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि लघु डाल नहर शाहजहांपुर के अधिशाषी अभियन्ता का कार्यालय कानपुर है तथा सहायक अभियन्ता तथा अन्य सभी अधिकारी/कर्मचारी शाहजहांपुर में आफिस बनाकर कार्य करते हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अधिशाषी अभियन्ता का कार्यालय कानपुर होने के कारण सरकार का लाखों रुपया टी०ए०, डी०ए० में व्यय हो रहा है तथा जनता को असुविधा भी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्व की भांति अधिशाषी अभियन्ता नलकूप शाहजहांपुर से लघु डाल नहर शाहजहांपुर को सम्बद्ध करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

टी०ए०डी०ए० में व्यय नियमानुसार हो रहा है । उपखण्डीय कार्यालय शाहजहांपुर में होने से जनता की कठिनाइयों का निवारण सहजता से हो जाता है ।

उपरोक्त स्थिति के परिपेक्ष्य में लघु डाल नहर उपखण्ड, शाहजहांपुर से सम्बद्ध करने का प्रश्न नहीं उठता ।

19–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

[दिनांक 11-5-2000 को अता० प्र० सं० 61 द्वारा उत्तरित ।]

सहायक विकास अधिकारियों को अपने मूल विभाग समाज कल्याण में अन्य विभागों के सहायक विकास अधिकारियों की भांति खण्ड विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नतियां देने के संबंध में जानकारी

20–श्री बाबूलाल कुरील–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक विकास अधिकारियों को अपने मूल विभाग समाज कल्याण में अथवा अन्य विभागों के सहायक विकास अधिकारियों की भांति खण्ड विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नतियां दी गयी हैं ? यदि हां, तो कितने को और किन पदों पर तथा किन-किन विभागों में ? क्या ग्राम विकास विभाग के कर्मचारी समाज कल्याण विभाग में पदोन्नति पाये हैं ? यदि हां, तो कितने ? क्या समाज कल्याण विभाग के अ०शा० पत्र सं०–सी–1125/26-1-99-22/99/7-6-99 में उक्त अधिकारियों की पदोन्नति की नीति शासन द्वारा बनाई गई है ? यदि हां, तो इस नीति के अन्तर्गत कुल कितनों की पदोन्नति की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पदोन्नति की नीति हेतु नियमावली में संशोधन की कार्यवाही विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

होम्योपैथिक औषधि के पदों का परीक्षाफल घोषित करने हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता में परिवर्तन करने के संबंध में

21–श्री शेर बहादुर सिंह–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि होम्योपैथिक विभाग में विज्ञापन दिनांक 14 अगस्त 1998 के क्रम में आयोजित की गयी होम्योपैथिक औषधि के पदों की परीक्षा का परीक्षाफल घोषित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार होम्योपैथिक औषधि पदों हेतु पूर्व निर्धारित शैक्षिक योग्यता में परिवर्तन पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

होम्योपैथिक औषधिक के पदों पर चयन हेतु दिनांक 9 जुलाई, 1999 को एक प्रतियोगितात्मक परीक्षा सम्पन्न कराई गई थी । उक्त परीक्षा के आयोजन के परिप्रेक्ष्य में कतिपय गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई थी । जांचोपरान्त कतिपय शिकायतें सही पाये जाने के कारण उक्त परीक्षा शासनादेश संख्या–3452/सेक–4/इकहत्तर–99–103/98 टी०सी० दिनांक 29 नवम्बर, 1999 द्वारा निरस्त कर दी गई ।

जी हां ।

एलोपैथिक/आयुर्वेदिक विधाओं में औषधिकों की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीटिएड (विज्ञान) को दृष्टिगत रखते हुये, होम्योपैथिक विधा में भी उक्त पद की गुणवत्ता में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से होम्योपैथिक औषधिकों की शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल से इण्टरमीडिएट (विज्ञान) किये जाने हेतु विचार किया जा रहा है ।

उ० प्र० राज्य चीनी निगम इकाई खड्डा, छितौनी लक्ष्मीगंज (कुशीनगर) व घुघली (महराजगंज) के गन्ना मूल्य के बकाया भुगतान का विवरण

22–श्री दीपलाल भारती–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० राज्य चीनी निगम इकाई खड्डा, छितौनी लक्ष्मीगंज (कुशीनगर) व घुघली (महराजगंज) द्वारा गत वर्ष गन्ना मूल्य केन-यूनियनों को दे दिया गया है ? यदि हां, तो किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान किस प्रकार किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

उ० प्र० राज्य चीनी निगम की चीनी मिल इकाई खड्डा, छितौनी, लक्ष्मीगंज (कुशीनगर) व घुघली (महराजगंज) के गत वर्ष 1998-99 के बकाया भुगतान की स्थिति निम्नवत् है :–

(लाख रुपये में)

इकाई	कुल देय मूल्य	गन्ना समिति को प्राप्त	कृषकों को भुगतान	व्यावर्तन
खड्डा	1326.53	1326.53	1260.53	66.00
छितौनी	603.30	548.17	484.17	64.00
लक्ष्मीगंज	592.20	592.20	427.45	164.75
घुघली	527.75	527.75	489.58	35.18

व्यावर्तित धनराशि समितियों द्वारा अपने प्रशासनिक एवं प्रबन्धकीय व्ययों में कर लिया गया।

गन्ना समितियों द्वारा जो धनराशि गन्ना मूल्य की अन्य मदों में व्यावर्तित कर ली गई है, उसे समितियों को 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 में प्राप्त होने वाले कमीशन से समायोजित कर कृषकों को भुगतान करने के आदेश कर दिये गये, जिससे कृषकों का गन्ना मूल्य भुगतान कराया जायेगा।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

23–श्री मुरली धर–

[दिनांक 29-3-2000 को अता० प्र० सं० 94 द्वारा उत्तरित]

सिंचाई विभाग बस्ती में कार्यरत रहे श्री दयाराम चौधरी भूतपूर्व वरिष्ठ लिपिक राजकीय पालीटेक्निक की सेवा पुस्तिका के संबंध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

24–श्री राम ललित चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि दयाराम चौधरी भूतपूर्व वरिष्ठ लिपिक राजकीय पालीटेक्निक बस्ती जो वर्ष 1965–66 में सिंचाई विभाग बस्ती में थे उनकी सेवा पुस्तिका के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र माह जनवरी, 2000 के प्रथम सप्ताह में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

श्री दयाराम चौधरी की 34 वर्ष पुरानी सेवा पुस्तिका को संबंधित खण्ड के अभिलेखों में तलाशा गया, किन्तु सेवा पुस्तिका उपलब्ध न हो सकी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद सन्त कबीर नगर के चुरेव बाजार में समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के घटिया निर्माण के संबंध में शिकायती-पत्र

25–श्री राम ललित चौधरी–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद संत कबीर नगर के चुरेव बाजार में समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा निर्माण किये जा रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के घटिया निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र माह जनवरी, 2000 के प्रथम सप्ताह में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां।

शिकायत की जांच कराई गई, जो सही नहीं पाई गई।

श्री सुबोध दीक्षित अध्यक्ष राजकीय आप्टोमेट्रिस्ट एसोसियेशन उ० प्र० द्वारा जन कल्याण आंख अस्पताल समिति लखनऊ पंजीकरण संख्या–638/79-80 के संबंध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

26–श्री गंगा सिंह चौहान–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुबोध दीक्षित अध्यक्ष राजकीय आप्टोमेट्रिस्ट ऐसोसियेशन उ०प्र० ने जन कल्याण आंख का अस्पताल समिति, लखनऊ पंजीकरण संख्या–638/79–80 के सम्बन्ध में कोई पत्र दिनांक 12-7-99 को उन्हें दिया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ को जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र में अनियमित रूप से अधिष्ठापित हैण्डपम्पों के संबंध में जांच की मांग

27–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1999 में लगाये गये हैण्ड पम्पों की सूची विधायक को भेजी गयी है ? क्या यह सही है कि जल निगम द्वारा स्थल चयन में जन प्रतिनिधि की राय न लेकर अनियमित रूप से हैण्डपम्प अधिष्ठापित किए गये हैं ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां।

विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के तहत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन में स्थल चयन का अधिकार ग्राम पंचायत की जल प्रबन्धन समिति को होगा। जल प्रबन्धन समिति द्वारा किये गये स्थल चयन के आधार पर ही हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर की कठकुइयां और पडरौना चीनी मिलों पर बकाये गन्ना मूल्य के भुगतान की मांग

28–श्री विश्वनाथ–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार कुशीनगर जनपद की कठकुइयां और पडरौना चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का विगत 3 वर्षों का बकाये मूल्य का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

कुशीनगर जनपद की चीनी मिल कठकुइयां और पडरौना पर गन्ना किसानों का विगत दो वर्ष का गन्ना मूल्य बकाया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

(लाख रु० में)

क्र०सं०	नाम चीनी मिल	वर्ष	कुल बकाया गन्ना मूल्य
1	कठकुइयां	96-97	179.62
		97-98	381.18
	योग :–		560.80
2	पडरौना	96-97	129.73
		97-98	1103.94
	योग :–		1233.67

पडरौना व कठकुइयां चीनी मिल पेराई सत्र, 98-99 व 99-2000 में बन्द रहीं है । अतः इस अवधि का कोई बकाया नहीं है । उक्त दोनों चीनी मिलों को वी०आई०एफ०आर० के आदेश दिनांक 23-12-98 के अन्तर्गत मेसर्स कानपुर वर्क्स लि० का प्रबन्धन नये प्रमोटर मैसर्स गंगोत्री इण्टरप्राइजेज लि० को सौंप दिया गया है । चीनी मिल के पुनर्वास संबंधी वी०आई०एफ०आर० द्वारा स्वीकृत पैकेज के अन्तर्गत पडरौना तथा कठकुइयां स्थित इकाई के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान वर्ष 99-2000 में प्रारम्भ होकर 6 वार्षिक किश्तों में नये प्रबन्धन द्वारा किया जायेगा । किन्तु नये प्रबन्धन/प्रमोटर द्वारा अभी तक एक भी किस्त का भुगतान नहीं किया गया है । इस संबंध में अध्यक्ष, वी०आई०एफ०आर० को जिला प्रशासन की ओर से भुगतान के लिये पत्र लिखा गया है, साथ ही विभाग द्वारा वी०आई०एफ०आर० को उनके द्वारा अनुमोदित पैकेज के अनुसार मिलों का संचालन एवं भुगतान आरम्भ न करने के संबंध में अवगत करा दिया है और उनके आदेश प्रतीक्षित हैं ।

जनपद कुशीनगर की नहरों और ड्रेनेज की सफाई की मांग

29–श्री विश्वनाथ–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुशीनगर जनपद की नहरों और ड्रेनेज की सफाई का काम इस वर्ष करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

नहरों की सफाई आवश्यकतानुसार धन उपलब्धता के आधार पर कराई जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा की जिला योजना की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम मझौरा में स्थापित किये जाने संबंधी जानकारी

30–श्री विजय पाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 व 1997-98 में जिला योजना की बैठक में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम मझौरा में स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

वर्ष 1996-97 में जिला योजना की बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया गया । वर्ष 1997-98 में जिला योजना की बैठक में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम–मंझारा में स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया था ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निर्धारित मानक के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की दृष्टि से जनपद आगरा संतृप्त है, अतः वहां नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना संभव नहीं है ।

जनपद फिरोजाबाद में निःशुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत लघु सीमान्त, अनुसूचित जाति, जनजाति के कृषकों को दिये गये धन के भौतिक सत्यापन कराने के संबंध में जानकारी

31–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में निःशुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत वर्ष 1996-97, 1997-98 व 1998-99 में कितने लघु सीमान्त कृषकों तथा कितने अनुसूचित जाति, जनजाति के कृषकों को पम्पसेट और नलकूप बोरिंग हेतु धन दिया गया ? क्या इनका भौतिक सत्यापन करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जनपद फिरोजाबाद में निःशुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत निम्नलिखित वर्षों में उसके सम्मुख इंगित लघु सीमान्त कृषकों को तथा अनुसूचित जाति, जनजाति के कृषकों को पम्पसेट और नलकूप हेतु धन दिया गया :–

बोरिंग हेतु

वर्ष	लघु सीमान्त कृषक	अनुसूचित, जाति जनजाति
1	2	3
1996-97	294	1124
1997-98	103	07
1998-99	157	808
	पम्पसेट हेतु	
1996-97	263	109
1997-98	46	28
1998-99	143	80

जी, हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ में वाहकी नामक संवासिनी की मृत्यु अस्पताल में होने तथा उसका दाह संस्कार आदि न किये जाने के सम्बन्ध में दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

32–श्री संजय गर्ग–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ में वाहकी नामक संवासिनी की मृत्यु अस्पताल में माह नवम्बर, 1999 के मध्य हुई थी ? यदि हां, तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है ? क्या यह सही है कि उनके विभाग द्वारा उक्त का दाह संस्कार भी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु फेफड़े की टी० बी० से हुई।

जी हां।

मृत संवासिनी का धर्म ज्ञात नहीं था। अपर जिलाधिकारी (नगर) लखनऊ के आदेश से मृत संवासिनी का पोस्टमार्टम कराकर उसका शव पुलिस द्वारा के० जी० मेडिकल कालेज के एनाटामी विभाग में सुरक्षित कराया गया। अतः किसी कर्मी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं है।

जनपद रायबरेली में राजकीय निराश्रित कर्मशाला फुरसतगंज से संवासिनियों के भाग जाने पर अधीक्षिका के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

33–श्री संजय गर्ग–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद रायबरेली में संचालित राजकीय निराश्रित कर्मशाला फुरसतगंज से 3 नवम्बर, 1999 को संवासिनियां किरन आदि भाग गयी थीं ? यदि हां, तो वहां की अधीक्षिका के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मण्डलीय मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, लखनऊ मण्डल द्वारा सफाई कर्मी के पद पर अनियमित नियुक्ति के संबंध में जानकारी

34–श्री संजय गर्ग–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि मण्डलीय मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, लखनऊ मण्डल द्वारा अपने आदेश संख्या–290-97/म०उ०अ०/स्था०/दिनांक 5-1-93 अन्तर्गत नीरज को तदर्थ रूप से सफाई कर्मी के पद पर नियुक्ति अधिकार न होते हुए नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां।

सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के ग्राम पृथ्वीपुर में तालाब की दीवार के निर्माण में मस्टररोल एवं कार्य की गुणवत्ता की जांच तथा कार्यवाही की मांग

35–श्री छोटे लाल गंगवार–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1999 के प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–2 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किस सक्षम अधिकारी से मस्टररोल एवं कार्य की गुणवत्ता की जांच करायी गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी द्वारा बिना साक्ष्यों का परीक्षण किये ही अपनी संस्तुति दे दी गयी है ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मस्टररोल एवं कार्य की गुणवत्ता की जांच सहायक अभियन्ता डी० आर० डी० ए० बरेली द्वारा कराई गई ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य चीनी निगम इकाई खड्डा (कुशीनगर) में गन्ना प्रबन्धक को जीप व सशस्त्र सुरक्षा गार्ड दिये जाने की जानकारी

36–श्री बादशाह सिंह तथा श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० राज्य चीनी निगम इकाई खड्डा (कुशीनगर) में गन्ना प्रबन्धक को सेवा कार्य हेतु सरकारी नयी जीप व दो सशस्त्र सुरक्षा गार्ड दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

चीनी मिल में गन्ना विकास एवं विपणन कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु मिल के गन्ना प्रबन्धक को वाहन संख्या यू०पी०–576106 (मार्शल जीप) उपलब्ध कराई गई है । गन्ना प्रबन्धक द्वारा जिसका उपयोग मिल कार्य के सम्पादन हेतु किया जाता है । खड्डा इकाई के वाह्य क्रय केन्द्र तथा गन्ना क्षेत्र अपराधिक गतिविधियों की दृष्टि से संवेदनशील है । अतः गन्ना क्रय केन्द्रों के पर्यवेक्षण के दृष्टिकोण से गन्ना प्रबन्धक को केवल एक सुरक्षा गार्ड मुहैया कराया गया है । इस सुरक्षा गार्ड का उपयोग गन्ना विभाग के अन्य अधिकारियों द्वारा भी पर्यवेक्षण सम्बन्धित कार्यों के लिये किया जाता है ।

उन्नाव में सफीपुर क्षेत्रान्तर्गत माइनरों की सफाई आदि के लिये आवंटित धन की जानकारी तथा सफाई कार्य कराये जाने के संबंध में जांच की मांग

37–श्री बाबूलाल कुरील–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सफीपुर (उन्नाव) में वर्ष 1997-98 और वर्ष 1998-99 में माइनरों की सफाई आदि के नाम पर कितना धन आवंटित हुआ है ? क्या आवंटित धन से सभी माइनरों की सफाई कराकर नहरों का पानी आखिरी टेल तक पहुंचाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उन्नाव में सफीपुर क्षेत्रान्तर्गत नगर पंचायत ऊगू में बिना सिंचाई के सिंचाई किसानों के नाम दर्ज करने की जांच की मांग

38–श्री बाबूलाल कुरील–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र सफीपुर, उन्नाव के अन्तर्गत आने वाली नगर पंचायत ऊगू के पश्चिमी खेतों पर पानी न पहुंचने के बावजूद भी वहां के सींचपाल द्वारा मौके पर

गये बगैर ही वर्ष 1998-99 की सिंचाई किसानों के नाम दर्ज कर दी है ?क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी कर्मचारी को दण्डित करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड भौंसियाछाना में बज्योली नहर के निर्माण में व्यय धन एवं गुणवत्ता की जांच की मांग

39–श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड भौंसियाछाना में बज्योली नहर का निर्माण कब कराया गया था ? निर्माण कार्यों पर कितना धन व्यय किया गया ? क्या निर्माण के बाद उक्त नहर में पानी छोड़ा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त नहर निर्माण की गुणवत्ता की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित तथ्यों की जांच के लिये प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग को निदेशित कर दिया गया है । जांचोपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

उ० प्र० में भर/राजभर जाति को विमुक्त जनजाति (डिनोटीफाइड ट्राइब्स) का प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में जानकारी

40–श्री छोटे लाल राजभर–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में भर/राजभर जाति विमुक्त जनजाति (डिनोटीफाइड ट्राइब्स कास्ट) की सूची में सम्मिलित है ? यदि हां, तो क्या इस जाति को विमुक्त जनजाति (डिनोटीफाइड ट्राइब्स) का प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

उ० प्र० में ''भर'' जाति पिछड़ी/विमुक्त जाति (डिनोटीफाइड ट्राइब्स) तथा ''राजभर'' जाति पिछड़ी जाति की सूची में सम्मिलित है ।

उ० प्र० में ''भर'' जाति के व्यक्तियों को ही विमुक्त जाति के जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं क्योंकि उ० प्र० में ''राजभर'' जाति पिछड़ी जातियों की सूची में सम्मिलित है, विमुक्त जाति में नहीं ।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के सापेक्ष में पूर्व दशम् कक्षाओं में अध्ययनरत विमुक्त जाति के छात्रों को कुल प्रस्तावित धनराशि के अवशेष धनराशि का आवंटन डिस्ट्रिक प्लान/नान-प्लान के पक्ष में किये जाने के संबंध में जानकारी

41–श्री छोटे लाल राजभर–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक के सापेक्ष में पूर्व दशम् कक्षाओं में अध्ययनरत विमुक्त जाति के छात्रों को 304.35 लाख रुपये आयोजनागत के सापेक्ष में आयोजनेत्तर (योग 541.70) लाख रुपये की कुल प्रस्तावित देय धनराशि आवंटित की गयी है ? यदि हां, तो क्या डिस्ट्रिक प्लान/नान प्लान के पक्ष में अवशेष धनराशि का आवंटन किया जायेगा ? यदि हां, तो कितना और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

अवशेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर के ब्लाक ब्रह्मपुर अन्तर्गत विभुनपुरा में अस्पताल व आवास भवन हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने के संबंध में जानकारी

42–श्रीमती गौरी देवी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक ब्रह्मपुर अन्तर्गत ग्राम विभुनपुरा के नाम स्वीकृत नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु ग्राम पकड़डिहा की भूमि संख्या 28 मि० रकबा 1.96 एकड़ में अस्पताल व आवास हेतु भवन बनाने हेतु वर्ष 1998-99 व वर्ष 1999-2000 में धन स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि स्वीकृत है ? निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भवन निर्माण प्रदेश के वित्तीय संसाधन एवं जनपद में परिव्यय की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

डा० ओ०पी० गुप्ता चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिलहर, शाहजहांपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र एवं उनके स्थानान्तरण की जानकारी

43–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-2-99 जो डा० ओ० पी० गुप्ता चिकित्सा अधीक्षक का स्थानान्तरण तिलहर से उ० प्र० के किसी जनपद में करने तथा डियूटी में लापरवाही के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 17-2-99 नहीं बल्कि शिकायती-पत्र दिनांक 21-1-99 जिस पर मुख्य मंत्री कार्यालय की मार्किंग दिनांक 17-2-99 अंकित है, प्राप्त हुआ है ।

प्रश्नगत शिकायती-पत्र की जांच अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प०क० बरेली मण्डल, बरेली से कराई गई । जांचोपरान्त डा० ओ०पी० गुप्ता तत्कालीन अधीक्षक, सामु० स्वा० केन्द्र तिलहर, शाहजहांपुर के विरुद्ध की गई शिकायतें निराधार पाई गई । डा० गुप्ता का स्थानान्तरण उनके निजी अनुरोध पर शासनादेश दिनांक 9-7-99 द्वारा वरिष्ठ विशेषज्ञ (फ्लोटिंग) जिला चिकित्सालय आगरा के पद पर कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

44–श्री अजय भट्ट–

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

जनपद सुल्तानपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लम्बुआ में कार्यरत कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संबंध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

45–श्री राजेन्द्र यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि उनको सम्बोधित मा० वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन का पत्र दिनांक 7-12-99 जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लम्बुआ–जनपद सुल्तानपुर में कार्यरत कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरदार सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत कार्मिक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने के औचित्य पर शासन स्तर पर विधिक परामर्श प्राप्त किया गया । चूंकि प्रश्नगत प्रकरण में सेशन ट्रायल संख्या–153/1985 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 23-9-99 के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय में अपील योजित हो चुकी है । अतः मा० उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण इस प्रकरण में फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत वि० ख० जलालाबाद से बुद्ध बसा से जिराऊ आदि में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा शाहजहांपुर द्वारा कराये गये कार्यों की जांच की मांग

46–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-7-99 जो सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वि० ख० जलालाबाद में बुद्ध बसा से जिराऊ ककरोम से रपड़ा व गलाऊ से उमरसड में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा शाहजहांपुर द्वारा कराये गये कार्यों की जांच कराये जाने के संबंध में है, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि उन्होंने उपरोक्त पत्र दिनांक 3-7-99 को मंत्री जी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी हां ।

जी हां ।

टी०ए०सी० से जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ में डी०आर०डी०ए० द्वारा स्वीकृत बंजर भूमि विकास योजना में धनराशि अवमुक्त किये जाने संबंधी अनियमितता की जांच की मांग

47–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में डी० आर० डी० ए० द्वारा एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना के अधीन 483.40 लाख रुपये के प्रोजेक्ट के तहत प्रथम चरण में 72.51 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त किये जाने की अनियमितता की जांच हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र

संख्या ख–2/59962825/11/99 पर पारित मा० मुख्य मंत्री के आदेश दिनांक 27-11-99 का अनुपालन करते हुये जांच करा ली गयी है ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या रहा ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मऊ में इंदारा रजबहा के रिमाइलिंग एवं पारा सहरोज ख्वाजाजहांपुर बांध के निर्माण में किसानों की अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे के संबंध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

48–श्री समरपाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ के जिलाधिकारी द्वारा प्रमुख सचिव सिंचाई को इंदारा रजबाहा के रिमाइलिंग एवं पारा सहरोज ख्वाजाजहांपुर बांध के निर्माण में किसानों की ली गयी भूमि के प्रतिकर भुगतान हेतु धन उपलब्ध कराने के संबंध में भेजे गये पत्र संख्या–2192, दिनांक 27-11-97 एवं पत्र संख्या–201, दिनांक 5-2-99 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मऊ के जिलाधिकारी द्वारा छोटी सरजू नदी में सहरोज पुल निर्माण के संबंध में प्रमुख सचिव सिंचाई को भेजे गये पत्र के संबंध में कृत कार्यवाही की जानकारी

49–श्री समरपाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के जिलाधिकारी द्वारा छोटी सरजू नदी में सहरोज पुल निर्माण के संबंध में प्रमुख सचिव सिंचाई को भेजा गया रजिस्टर्ड पत्र संख्या–644/दिनांक 18 नवम्बर, 1999 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । जिलाधिकारी, मऊ का संदर्भित पत्र छोटी सरजू नदी पर ग्राम सहरोज के सामने पुल निर्माण की मांग से संबंधित है । टी०ए०सी० की 118 वीं बैठक दिनांक 27-4-2000 को छोटी सरजू ड्रेन की नहरीकरण की परियोजना अनुमोदित की गई है । इस परियोजना में प्रश्नगत पुल के निर्माण का भी प्राविधान है । इन कार्यों को कराया जाना धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मऊ में टोंस नदी के किनारे पारा सहरोज ख्वाजाजहांपुर बांध का पुनर्निर्माण एवं बल्लियों की ठोकरें बनवाये जाने की मांग

50–श्री समरपाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद–मऊ में टोंस नदी के किनारे पारा सहरोज ख्वाजाजहांपुर बांध में मुहम्मदपुर के पास वर्ष 1999 की बाढ़ में बांध कई जगह कट गया है एवं पूर्व में सिंचाई विभाग द्वारा लगाई बल्लियों की ठोकरें भी बह गयी हैं ? यदि हां, तो उक्त बांध का पुनर्निर्माण एवं बल्लियों की ठोकरें कब तक बनवा दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां। धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना निर्भर होगा।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक केन्द्रों में कार्यरत दाइयों के वेतन वृद्धि की मांग

51–डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक केन्द्रों में कार्यरत दाइयों के वेतन वृद्धि करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरदार सिंह–

जी नहीं।

सम्प्रति पंचम वेतन आयोग की संस्तुति के अनुरूप वेतन भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय चिकित्सा परिषद्, उ० प्र० के रजिस्ट्रार को सेवा से पृथक करने संबंधी आदेश के अनुपालन की जानकारी

52–श्री उदय राज यादव–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि नियुक्ति अधिकारी निदेशक, आयुर्वेद, उ० प्र०/नियंत्रक, भारतीय चिकित्सा परिषद् उ० प्र०, लखनऊ के आदेश संख्या–19352/अधि० दिनांक 11 नवम्बर, 1999 के द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद्, उ० प्र० के रजिस्ट्रार को सेवा से पृथक करने का आदेश निर्गत किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

जी नहीं।

निदेशक, आयुर्वेद, उ० प्र० नियंत्रण, भारतीय चिकित्सा परिषद् के आदेश दिनांक 11-11-1999 को अवैध एवं असंवैधानिक बताते हुये अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा उसका अनुपालन नहीं किया गया है।

जनपद पिथौरागढ़ में सैनिक कल्याण अधिकारी के रिक्त पद पर नियुक्ति की मांग

53–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार को जानकारी है कि पिथौरागढ़ जनपद में लम्बे अर्से से जिला सैनिक कल्याण अधिकारी का पद रिक्त है जिससे पूर्व सैनिकों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो उक्त रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मई, 1999 में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी पिथौरागढ़ का पद रिक्त है ।

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने हेतु चयन की कार्यवाही प्रगति पर है ।

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने हेतु चयन की कार्यवाही पूर्ण होने पर नियुक्ति कर दी जायेगी ।

स्थिति ऊपर स्पष्ट की जा चुकी है ।

जनपद मैनपुरी क्षेत्र घिरोर में कोसमा रजबहा पर भौलमई की पुलिया एवं अन्य पुलियों का निर्माण कार्य अविलम्ब कराने की मांग

54–श्रीमती उर्मिला यादव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र घिरोर में कोसमा रजबाहा पर भौलमई की पुलिया, नवाटेड़ा कीरतपुर मार्ग पर पुलिया, इकरी ग्राम सभा की पुलिया, कुसिपारी माइनर की पुलिया के टूट जाने के कारण आवागमन अवरुद्ध हो गया है ? क्या सरकार विभागीय अधिकारियों से सर्वेक्षण कराकर निर्माण कार्य अविलम्ब करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र घिरोर में कुसियारी राजबहा पर भौलमई ग्राम की पुलिया आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है । नवाखेड़ा कीरतपुर मार्ग पर आवागमन अवरुद्ध नहीं है ।

उक्त स्थलों पर सर्वेक्षण कर लिया गया है तथा भैसामई ग्राम की पुलिया का निर्माण धन उपलब्धता पर निर्भर है ।

नवाखेड़ा कीरतपुर मार्ग की पुलिया का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा 600 मि०मी० व्यास के दो पाइप डालकर कराया गया है ।

जनपद मैनपुरी में कुसियारी माइनर की साइफन टूट जाने से फसल बर्बाद होने के संबंध में जांच एवं कार्यवाही की मांग

55–श्रीमती उर्मिला यादव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद मैनपुरी में कुसियारी माइनर की साइफन टूट जाने से किसानों की लगभग 10 हजार एकड़ भूमि जलमग्न हो गयी है एवं फसल बर्बाद हो गयी है ? क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने उक्त स्थल का निरीक्षण तक नहीं किया है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी और किसानों को हुई हानि का मुआवजा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर के ग्राम गहमर, रेवतीपुर एवं शेरपुर को गंगा नदी के कटान से बचाव हेतु उनके रिंग रोडों के पक्कीकरण की मांग

56–श्री सिंहासन सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के दिलदारनगर विधान सभा क्षेत्र में स्थित गांव गहमर, रेवतीपुर, शेरपुर को गंगा नदी के कटान से बचाव के लिये उनके रिंग रोडों का पक्कीकरण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । नदियों के फ्लड प्लेन में स्थित क्षेत्रों को कटाव से बचाने के लिये उनके रिंग रोडों के पक्कीकरण का कार्य तकनीकी एवं व्यवहारिक दृष्टि से उपयुक्त एवं मितव्ययी न होने के कारण नहीं कराया जाता है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर के ग्राम गहमर, बारा तथा सेमरा को गंगा नदी एवं ग्राम केशरवआं, राजमल को कर्मनाशा नदी के कटान से रोकथाम की मांग

57–श्री सिंहासन सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि गाजीपुर जनपद के दिलदारनगर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम–गहमर, बारा तथा सेमरा गंगा नदी के एवं ग्राम केशखआं, राजमल कर्मनाशा नदी के कटान पर स्थित है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु कोई उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । नदियों के फ्लड प्लेन में बसे ग्रामों को कटाव से बचाने का कार्य तकनीकी एवं व्यवहारिक दृष्टि से उपयुक्त एवं मितव्ययी न होने के कारण सामान्यतः नहीं कराया जाता है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सभी जनपदों में सैनिक अधिकारी एवं सहायक सैनिक अधिकारी के पदों पर तैनाती की मांग

58–श्री विनोद मणि–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के कितने ऐसे जिले है जिनमें सैनिक अधिकारी तथा सहायक सैनिक अधिकारी दोनों पदों पर कोई अधिकारी, नियुक्त नहीं है ? क्या सरकार सैनिकों के कल्याण एवं पुनर्वास को गति प्रदान करने हेतु प्रदेश के सभी जिलों में सैनिक अधिकारी तथा सहायक सैनिक अधिकारी के पदों पर तैनाती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

एक, जिला आगरा में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी एवं सहायक अधिकारी दोनों पदों पर कोई अधिकारी नहीं है ।

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारियों के रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही प्रगति पर है ।

स्थिति ऊपर स्पष्ट की जा चुकी है ।

जनपद मऊ में क्षतिग्रस्त बीबीपुर बेलौली बांध के पुनर्निर्माण की मांग

59–श्री समरपाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद–मऊ में घाघरा नदी के किनारे बीबीपुर बेलौली बांध वर्ष 1999 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो उक्त बांध का पुनर्निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । धन की उपलब्धता पर कार्य को कराया जाना निर्भर होगा ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तैनाती की मांग

60–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1999 के पहले बुधवार के अता० प्रश्न संख्या 145 के उत्तर के संबंध में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानकों के अनुरूप सभी श्रेणी के कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त केन्द्रों पर मानक के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

चिकित्सकों/कर्मचारियों की उपलब्धता के अनुसार रिक्त पदों को भरा जाता है ।

61–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

[दिनांक 26-4-2000 को अता० प्र० सं० 34 द्वारा उत्तरित]

जनपद उन्नाव के क्षेत्र सफीपुर में सड़कों के निर्माण में बी०डी०ओ० द्वारा धन हड़पे जाने की जांच की मांग

62–श्री बाबू लाल कुरील–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर, उन्नाव में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-1997 और 1998-99 में कितना धन आवंटित किया गया ? क्या आवंटित धन का समुचित उपयोग किये बगैर ही सड़कों के निर्माण के नाम पर ब्लाक के बी० डी० ओ० श्री पी० सी० राम ने सारा धन हड़प लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराते हुए दोषी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

63–श्री जोखूलाल यादव–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

64–डा० कौशल किशोर–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद गाजीपुर के जखनियां में स्वीकृत चिकित्सालय का निर्माण कार्य कराने की मांग

65–श्री विजय कुमार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के जखनियां में 30 शैय्या का चिकित्सालय स्वीकृत है ? यदि हां, तो सरकार इसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जखनियां, जनपद गाजीपुर में 30 शैय्या का चिकित्सालय स्वीकृत नहीं है । अतः इसके भवन निर्माण का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के पूर्व ग्राम प्रधान राम नगर मदियाना द्वारा जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की जांच संबंधी पत्र

66–श्री जय प्रकाश तथा श्री हरदेव सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री हरदेव सिंह विधायक का पत्र दिनांक 9-2-2000 जो कि पूर्व ग्राम प्रधान राम नगर, मदियाना, ब्लाक बल्दीराय जिला–सुल्तानपुर द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की टेक्निकल आडिट सेल द्वारा जांच कराने से संबंधित है एवं जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

खण्ड विकास अधिकारी, बल्दीराय अवर अभियन्ता (ग्रा०अ०से०) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) ने शिकायतकर्ता की उपस्थिति में संयुक्त रूप से जांच की गई । जांच में किसी शासकीय धन का दुरुपयोग नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रशासनिक सुधार विभाग, उ०प्र० शासन के आदेश का अनुपालन मुख्य अभियन्ता (उत्तर) द्वारा किये जाने के संबंध में जानकारी

67–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग, उ० प्र० शासन के आदेश सं०–2646/43-2-99-14/2(76)/99 दिनांक 5-11-1999 द्वारा जो व्यवस्था निर्धारित की गयी है, उसका अनुपालन मुख्य अभियन्ता (उत्तर) द्वारा किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह –

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग में पूर्व नियुक्त अधिष्ठान के कर्मियों के पहले बाद के नियुक्त कार्य प्रभारित कर्मियों को नियमित करने की जांच की मांग

68–श्री अजय भट्ट–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1999 के पहले बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न–171 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्य प्रभारित कर्मियों के संबंध में पारित आदेशानुसार दिनांक 19-9-1985 से पूर्व नियुक्त उक्त अधिष्ठान के कर्मियों को पहले नियमित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त दिनांक से पूर्व के कार्य प्रभारित कर्मी अभी भी नियमित होने शेष हैं, जबकि उक्त दिनांक के बाद नियुक्त कार्य प्रभारित कर्मी नियमित हो गये हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर इसके लिये दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 18–1–96 के अनुपालन हेतु कार्य प्रभारित कर्मचारियों की वरिष्ठता मुख्य अभियन्ता स्तर–2 पर निर्धारित की गई है । इस नीति का अनुमोदन मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कर दिया गया है । तदनुसार विनियमितीकरण की कार्यवाही वरिष्ठता क्रम में प्रगति में है ।

कार्य प्रभारित कर्मचारियों के विनियमितीकरण की कार्यवाही मुख्य अभियन्ता स्तर–2 पर निर्धारित वरिष्ठता के क्रम में की जा रही है, कुछ कर्मचारी स्वेच्छा से अथवा वांछित अर्हता न रखने पर समकक्ष अथवा उच्च वेतनमान न मिल पाने के कारण विनियमित नहीं हो पाये हैं तथा कुछ कर्मचारी मुख्य अभियन्ता स्तर–2 के परिक्षेत्र में समकक्ष पद उपलब्ध न होने के कारण विनियमित नहीं हो सके हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद गाजीपुर के देवकली खण्ड प्रथम के नवली रजबहा पर नहर की पटरी के लेपन स्तर तक का कार्य पूर्ण कराने की जानकारी

69–श्री सिंहासन सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के देवकली खण्ड–प्रथम के नवली रजबहा पर शून्य से 6 कि०मी० तक नहर की पटरी को लेपन स्तर तक का कार्य कराने हेतु 48 लाख रुपये स्वीकृत हुये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद उन्नाव स्थित ग्राम पाटन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की मांग

70–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील मुख्यालय से दूर ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की सरकार की प्राथमिकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार तहसील बीघापुर, जनपद उन्नाव स्थित ग्राम पाटन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

ग्रामीण क्षेत्रों में एक लाख की जनसंख्या अथवा चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों अथवा तहसील स्तर पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की सरकार की प्राथमिकता है ।

सामुदायिक सवास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण राज्य के वित्तीय संसाधनों एवं जनपद में परिव्यय की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अलीगढ़ में विधवा पेंशन सम्बन्धी जानकारी

71–श्री संजय गर्ग–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में कितनी विधवाओं को विधवा पेंशन दी जा रही है तथा कितनी प्रतीक्षा सूची में हैं ? उन्हें कब तक पेंशन स्वीकृत कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

6473 विधवाओं को ।

2780 ।

सम्प्रति, सम्भव नहीं है ।

किसी नवीन लक्ष्य के स्वीकृत न होने तथा वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण समस्त पात्र अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया जाना फिलहाल संभव नहीं है ।

जनपद इटावा तथा आगरा में तैनात अप्रशिक्षित नर्सों को अनियमित वेतनमान दिये जाने की शिकायत

72–श्री संजय गर्ग–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इटावा तथा आगरा में तैनात अप्रशिक्षित नर्सों को जिला प्रोवेशन अधिकारियों द्वारा 1-1-96 से 4500-7000 का वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो किन-किन को ? क्या जिला प्रोवेशन अधिकारियों को उक्त वेतनमान स्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त है ? यदि नहीं, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां । जनपद आगरा में तैनात अप्रशिक्षित नर्स श्रीमती नीमा खान को दिनांक 1–1–96 से वेतनमान रु० 4500–7000 दिया जा रहा है ।

जी नहीं ।

उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध आरोप-पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी मण्डल में पर्यवेक्षकों को अनियमित वेतनमान दिये जाने की शिकायत

73–श्री संजय गर्ग–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी मण्डल में पर्यवेक्षकों को जिला प्रोवेशन अधिकारियों द्वारा 4500-7000 का वेतनमान 1-1-96 से स्वीकृत किया गया है ? क्या

जिला प्रोवेशन अधिकारियों को उक्त संवर्ग के वेतनमान स्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त है ? यदि नहीं, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बागपत में बन्द पड़े राजकीय नलकूपों को ठीक कराने सम्बन्धी योजना की जानकारी

74–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में कुल कितने राजकीय नलकूप हैं ? उनमें से कितने बन्द पड़े हैं और कितने चालू हालत में हैं ? क्या बन्द पड़े नलकूपों को ठीक कराने के लिये कोई योजना बनाई जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद बागपत में कुल 225 राजकीय नलकूप कार्यशील हैं ।

उनमें से 5 नलकूप यांत्रिक दोष से तथा 7 नलकूप विद्युत दोष से बन्द थे । शेष 213 नलकूप चालू दशा में थे ।

यांत्रिक दोष से बन्द पांचों नलकूपों को दिनांक 21–2–2000 तक एवं विद्युत दोष से बन्द सातों नलकूपों को दिनांक 20–2–2000 तक चालू करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद के टूण्डला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की मांग

75–डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के टूण्डला में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

टूण्डला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वर्ष 1968 से स्थापित एवं क्रियाशील है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में उपचारिकाओं को वर्दी में कैप लगाने की छूट के सम्बन्ध में जानकारी

76–डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 7 अगस्त, 1998 को जनपद लखनऊ के डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में उपचारिकाओं को वर्दी में सलवार सूट, एप्रिन पहनने की घोषणा उनके द्वारा

की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त के संबंध में शासनादेश कब जारी किया गया ? क्या यह सच है कि उक्त घोषणा में कैप लगाने की छूट प्रदान की गयी ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

शासनादेश संख्या–4007/5-11-98-एन(62)/98, दिनांक 25-1-1999 तथा संशोधित शासनादेश संख्या–611/5-11-2000-एन(62)/98 दिनांक 15-3-2000 द्वारा उपचारिका संवर्ग के कर्मियों का वर्दी निर्धारण किया गया।

कैप लगाना ऐच्छिक किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय फैजाबाद के चिकित्साधिकारी डा० के० सी० पाण्डेय द्वारा औषधि क्रय में की गयी अनियमितताओं की जांच एवं कार्यवाही की मांग

77–श्री धर्मराज निषाद–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि रा० आ० चि० 25 शैय्या, नगर फैजाबाद के चिकित्साधिकारी डा० के० सी० पाण्डेय के विरुद्ध कच्ची औषधि क्रय में की गयी अनियमितता की जांच निदेशक आयुर्वेद के पत्र सं०–3913/एस०एच०–74-87 अधि० दिनांक 28-2-1997 के द्वारा क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी, फैजाबाद से करायी गयी थी ? क्या जांचोपरान्त डा० पाण्डेय को औषधि क्रय में दोषी पाया गया ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

जी हां।

निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें के पत्र दिनांक 7-1-2000 के द्वारा डा० के० सी० पाण्डेय, चिकित्साधिकारी के स्थानान्तरण का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है जिस पर उन्हें वार्षिक स्थानान्तरण के समय स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया है ?

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के ग्राम उमरपुर बस्ती में खड़ण्जा तथा पुलिया के निर्माण कार्य में प्रधान द्वारा गबन किये जाने की शिकायत

78–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम उमरपुर, विकास खण्ड सुजानगंज, जि०–जौनपुर अम्बेडकर ग्राम योजना से आच्छादित होने के उपरान्त भी अनुसूचित जाति की बस्ती को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिये 250 मी० के सम्पर्क मार्ग पर खड़ण्जा तथा पुलिया के निर्माण में से केवल 50 मी० तक खड़ण्जा लगाकर विकास खण्ड कर्मियों तथा ग्राम प्रधान द्वारा शेष कार्य को पूर्ण दिखाकर सरकारी धन का गबन कर लिया गया है ? क्या इस संबंध में विशेष सचिव, ग्राम विकास–2 का पत्र दि० 2-6-99, 4-11-99 तथा 8-12-99 मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त खड़ण्जा एवं पुलिया का निर्माण पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

ग्राम उमरपुर, विकास खण्ड–सुजानगंज, जिला जौनपुर की अनुसूचित जाति की बस्ती को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिये ग्राम प्रधान द्वारा अपने स्रोतों से प्राप्त धनराशि से उक्त मार्ग पर 160 मीटर की लम्बाई में मिट्टी का कार्य तथा 100.50 मीटर की लम्बाई में खड़न्जा का कार्य कराया गया । तथा उक्त कार्यों पर ग्राम पंचायत द्वारा मु० 1,15,275.00 रु० का भुगतान किया गया है । इस प्रकरण की जांच खण्ड विकास अधिकारी बदलापुर से कराई गई । खण्ड विकास अधिकारी बदलापुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 21-2-2000 के अनुसार उक्त मार्ग पर कराये गये कार्य का मूल्यांकन मु० 93836/- होता है । इस प्रकार प्रधान द्वारा मु० 21,437.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया, जिसकी वसूली जिला पंचायत राज अधिकारी जौनपुर के पत्रांक 131/7/वसूली/2000-2001, दिनांक 11-4-2000 द्वारा ग्राम प्रधान से किये जाने हेतु आर० सी० जारी की गयी है ।

जी हां ।

केवल 100.50 मीटर की लम्बाई में खड़ण्जा का कार्य किया गया है अतः शेष कार्य को पूर्ण कराने हेतु मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर को निर्देशित किया जा रहा है ।

प्रदेश में होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के प्रसार हेतु केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित धनराशि से क्रय किये गये सामानों के संबंध में जानकारी

79–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि केन्द्र सरकार से होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के प्रसार हेतु 10 लाख रुपया वर्ष 1998-99 में आवंटित किया गया था ? यदि हां, तो उक्त आवंटित धन से होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के प्रसार हेतु क्या-क्या सामान कितनी-कितनी मात्रा में अधिकृत अधिकारी द्वारा क्रय किया गया ?

श्री कलराज मिश्र–

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आई०एस०एम० एण्ड एच० विभाग, नई दिल्ली द्वारा पत्रांक–जेड–15011/6/98-ई एण्ड सी, दिनांक 22 मार्च, 1999 के माध्यम से राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लखनऊ के भवन निर्माण हेतु रुपये दस लाख तथा राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लखनऊ के चिकित्सीय उपकरणों एवं कालेज के अन्य आवश्यक उपयोग की सामग्री के क्रय किये जाने हेतु रुपये दस लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया था ।

उक्त आवंटित धन से प्राचार्य, राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत कालेज के भवन का निर्माण कराया गया तथा प्राचार्य, राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज द्वारा कालेज की आवश्यकता हेतु उपकरण एवं अन्य आवश्यक उपभोग के कुल 30 सामानों को विभिन्न मात्रा में क्रय किया गया (सूची संलग्न) ।

(सूची देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 253-254 पर)

निदेशक होम्योपैथिक कार्यालय में कम्पाउन्डर के पदों पर नियमित करने संबंधी आवेदन-पत्रों के संबंध में जानकारी

80–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997 से अब तक कम्पाउन्डर के पदों पर नियमित करने हेतु कितने कर्मचारियों के आवेदन-पत्र निदेशक होम्योपैथिक कार्यालय में प्राप्त हुये हैं ?

क्या सरकार उक्त आवेदन-पत्रों पर विचार करते हुए उन्हें नियमित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

तद्विषयक कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ तथा होम्योपैथिक निदेशालय के दैनिक वेतन कर्मचारियों को प्रदेश के होम्योपैथिक चिकित्सालयों के रिक्त पदों पर समायोजित करने तथा वरिष्ठ कर्मचारियों को समायोजित न करने की शिकायत

81–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ तथा निदेशक, होम्योपैथिक उत्तर प्रदेश कार्यालय में माह मार्च, 1997 में क्रमांक सूची के 1 व 8 के दैनिक वेतन कर्मचारियों को रिक्त पदों पर होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज में समायोजित किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से वरिष्ठ कर्मचारियों को रिक्त पदों पर समायोजित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ के एक तथा होम्योपैथिक निदेशालय के 4 चतुर्थ श्रेणी तथा एक वाहन चालक को प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में रिक्त वार्ड ब्वाय/स्वीपर के पदों पर समायोजित किया गया है । राजकीय मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति की तिथि के अनुसार सूची के क्रमांक–8 के किसी कर्मचारी को समायोजित नहीं किया गया है ।

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची बनाये जाने का कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भगवन्तनगर तथा सुमेरपुर में नियुक्त डाक्टरों की अनुपस्थिति की जांच तथा कार्यवाही की मांग

82–श्री कृपाशंकर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भगवन्तनगर तथा सुमेरपुर, जनपद–उन्नाव में नियुक्त डाक्टरों द्वारा प्रतिदिन अस्पताल में न उपस्थित होने से मरीजों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में ग्राम कठार तथा रुझई के नालों द्वारा फसल नष्ट होने से मुआवजे तथा नाले की सफाई की मांग

83–श्री कृपाशंकर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ग्राम कठार, विकास खण्ड सिकन्दरपुर करन तथा ग्राम रुझई विकास खण्ड, बीघापुर, जनपद उन्नाव से निकलने वाले नाले की सफाई विगत कई वर्षों से नहीं कराई गई है ? क्या यह सही है कि उक्त नाले की सफाई न होने से किसानों की हजारों बीघे जमीन की फसल नष्ट हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रभावित हुये किसानों को उनकी फसल का मुआवजा देगी ? यदि हां, तो कब तक ? उक्त नाले की सफाई कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

84–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

[8वें बुधवार के लिये स्थगित]

जनपद बागपत में वृद्धावस्था पेंशन तथा किसान पेंशन सम्बन्धी जानकारी

85–डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बागपत में कुल कितने लोगों को वृद्धावस्था एवं किसान पेंशन दी जा रही है ? 1 जनवरी, 1999 से 1 फरवरी, 2000 तक कितने लोगों ने वृद्धावस्था पेंशन एवं किसान पेंशन के लिये आवेदन किया ? उनमें से कितने लोगों को उक्त पेंशन स्वीकृत हुई ? कितने आवेदन-पत्र प्रतीक्षा सूची में हैं और उन्हें कब तक पेंशन स्वीकृत कर दी जायेगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जनपद बागपत में 7763 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है ।

1 जनवरी, 1999 से 1 फरवरी, 2000 तक कुल 903 लोगों ने पेंशन हेतु आवेदन किया और सभी को पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है ।

वर्तमान में कोई आवेदन-पत्र प्रतीक्षा सूची में नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ में 10 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत डाक्टरों के स्थानान्तरण की मांग

86–श्री बाबू लाल कुरील–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में ऐसे कितने फिजीशियन सर्जन हैं जो विगत 10 वर्षों से लखनऊ में एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? क्या सरकार जनहित में ऐसे लोगों को ग्रामीण अंचलों में स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

विगत 10 वर्षों से लखनऊ में एक ही स्थान पर दो फिजीशियन एवं एक सीनियर सर्जन तैनात हैं ।

वर्ष 2000-2001 में स्थानान्तरण नीति के अनुसार चिकित्सकों के स्थानान्तरित किये जाने पर विचार किया जायेगा ।

निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ० प्र० लखनऊ में 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत लिपिकों के स्थानान्तरण की मांग

87–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ० प्र० लखनऊ में कितने ऐसे लिपिक तैनात हैं, जिनकी सेवा अवधि निदेशालय में ही दैनिक वेतन व नियमित सेवा अवधि मिलाकर 10 वर्ष से अधिक है व एक ही पटल पर विगत पांच वर्षों से कार्यरत है ? ऐसे लिपिक निदेशालय से कब तक स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

निदेशालय में दैनिक वेतन व नियमित सेवा अवधि मिलाकर कुल 10 वर्षों से कार्यरत 8 लिपिक हैं। इनमें से 06 कर्मचारी 05 वर्षों से एक ही पटल पर कार्यरत हैं।

स्थानान्तरण नीति के अनुसार सामान्य वार्षिक स्थानान्तरण के समय इनके स्थानान्तरण पर निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में अतिरिक्त तैनात चिकित्साधिकारियों को अन्य जनपदों में समायोजित करने की मांग

88–श्री शिशुपाल सिंह यादव–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–मुजफ्फरनगर में कितने आयुर्वेदिक चिकित्सालय (राजकीय) ऐसे हैं जिन पर 2-2 चिकित्साधिकारी तैनात हैं ? क्या सरकार उन अतिरिक्त चिकित्साधिकारियों को रिक्त पदों पर अन्य जनपदों में समायोजित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जनपद मुजफ्फरनगर में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय नगर /मुजफ्फरनगर, भैंसवाल मुजफ्फरनगर तथा कुरथल/मुजफ्फरनगर (कुल 3) चिकित्सालयों में दो-दो चिकित्साधिकारी तैनात हैं। जी हां।

वार्षिक स्थानान्तरण के समय। प्रश्न नहीं उठता।

उन्नाव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हसनगंज व उपकेन्द्र संनान में तैनात/कार्यरत ए० एन० एम० पद धारक महिला कर्मचारियों के वार्षिक वेतनवृद्धि आदि के भुगतान की मांग

89–श्री रामपाल वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हसनगंज (उन्नाव) व उपकेन्द्र संनान (उन्नाव) में तैनात/कार्यरत ए०एन०एम० पद धारक महिला कर्मचारियों को 1-12-1981 से 31-12-99 तक का वार्षिक वेतनवृद्धि, मातृत्व अवकाश अवधि का मासिक वेतन, बोनस व नकदीकरण का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त कर्मचारियों को सन्दर्भित देयकों का भुगतान सुनिश्चत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरदार सिंह–

जी हां, लेकिन मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ के द्वारा पारित स्थगनादेश दिनांक 10-12-86 के अनुपालन में श्रीमती पुष्पा देवी, ए० एन० एम० (महिला) उपकेन्द्र, सन्दाना को भी अधिकांश देयों का

भुगतान किया जा चुका है तथा उनके द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण न करने के कारण कतिपय अवशेष देयों का भुगतान नहीं हो पा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संबंधित कर्मियों द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण करने पर नियमानसुार भुगतान किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर के दिलदारनगर में भक्सी, कुस्सी मार्ग के निर्माण में अनियमितता की जांच तथा कार्यवाही की मांग

90–श्री सिंहासन सिंह–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के विधान सभा क्षेत्र दिलदारनगर में भक्सी, कुस्सी मार्ग के निर्माण से 21 लाख (इक्कीस लाख रुपये) खर्च होने के बाद सड़क पूरी नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सड़क निर्माण में की गयी अनियमितता की जांच कराकर दोषी को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी हां ।

स्वीकृत प्राक्कलन के सापेक्ष प्राप्त धनराशि रु० 20.31 लाख में से रु० 19.594 लाख व्यय किया जा चुका है । शेष धनराशि अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर के दिलदारनगर क्षेत्रान्तर्गत रेवतीपुर गोपालपुर मार्ग के अधूरे कार्य को पूर्ण कराने की मांग

91–श्री सिंहासन सिंह–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री को जानकारी है कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा जनपद गाजीपुर के दिलदारनगर विधान सभा क्षेत्र के रेवतीपुर गोपालपुर मार्ग में साढ़े 24 लाख रुपये खर्च होने के बाद भी सड़क का कार्य अभी अधूरा है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त सड़क के निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

जी नहीं । स्वीकृत प्राक्कलन रुपये 22.00 लाख के सापेक्ष्य अभी केवल रुपये 16.319 लाख का ही व्यय किया गया है । शेष धनराशि में से उपलब्ध धनराशि से कार्य कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जून, 2000 तक उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष्य कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा ।

92–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद महराजगंज में कप्तानगंज चीनी मिल के गन्ना किसानों के बकाये का ब्याज सहित भुगतान की मांग

93–श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कप्तानगंज, जनपद महराजगंज चीनी मिल के गन्ना किसानों को विगत 2 वर्षों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी किसानों के बकाये का ब्याज सहित भुगतान करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

कप्तानगंज चीनी मिल पर पेराई सत्र 1997-98 का 2318.23 लाख रुपये देय मूल्य के विरुद्ध 1348.25 लाख रुपये भुगतान हो चुका है व 969.98 लाख रुपये अवशेष है।

पेराई सत्र, 1998-99 के सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है।

चीनी मिल की आर्थिक स्थिति जर्जर होने के कारण भुगतान नहीं हो सका, जिसे भुगतान कराने हेतु हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

ब्याज भुगतान कराने का प्रकरण मा० उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पूर्वांचल के अति छोटे किसानों को गन्ना मूल्य के नकद भुगतान की मांग

94–श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि पूर्वांचल में अति छोटी श्रेणी के किसानों, अशिक्षित किसानों को गन्ना मूल्य के भुगतान प्राप्त करने हेतु बैंकों में कई-कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी पूर्वांचल के अति छोटे किसानों को गन्ना मूल्य का नकद भुगतान करने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं, सामान्यतया गन्ना मूल्य भुगतान संतोषजनक है।

बैंकों के माध्यम से गन्ना मूल्य भुगतान का निर्माण शासन द्वारा छोटे किसानों का शोषण रोकने व उन्हीं के हित संरक्षण के उद्देश्य से किया गया। अतः नकद भुगतान का प्रश्न विचारणीय नहीं है।

एम० एम० बी० एस० में प्रवेश हेतु पिछड़े वर्गों के लिये काउंसिलिंग ठीक से कराये जाने विषयक महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

95–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एम०एम०बी०एस० में प्रवेश हेतु पिछड़े वर्गों के लिए काउंसिलिंग ठीक कराये जाने विषयक मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्रसंख्या–सी०एम०/वि०को०एम 1/38772/मैनपुरी/2000, दिनांक 24-1-2000 महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां।

एराज, लखनऊ मेडिकल, लखनऊ की काउंसिलिंग दिनांक 29-1-2000 को सम्पन्न हुई थी, जिसमें पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण शासनादेश दिनांक 21-9-95 के संबंध में पारित मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 7-5-99, 11-5-99 एवं 25-5-99 के अनुसार प्रदान किया गया था। मा० मुख्य मंत्री जी को महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा के पत्र संख्या एम० ई०/छात्र सेल/2000/174, दिनांक 31-1-2000 एवं मा० शाक्य जी को पत्र संख्या एम० ई०/छात्रसेल/2000/379, दिनांक 22-02-2000 द्वारा अवगत कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में ग्राम बागपुर के प्रधान द्वारा लाखों रुपये का घपला किये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

96–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बागपुर, ब्लाक बेवर, जनपद मैनपुरी के वर्तमान प्रधान द्वारा लाखों रुपये का घपला किये जाने विषयक वहां के ग्रामीणों का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक सी० एम०/वि० को० एम–1/38773/मैनपुरी/2000 दिनांक 24-1-2000 के साथ जिलाधिकारी, मैनपुरी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर के क्षेत्र पंचायतों में कार्यकत्री व सेविका पदों हेतु विज्ञापन तथा ग्राम पंचायतवार महिलाओं की नियुक्ति की जानकारी

97–श्रीमती गौरी देवी–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के किन-किन क्षेत्र पंचायतों में कार्यकत्री व सेविका पदों हेतु वर्ष 1997 ई० से वर्ष 1999 ई० तक विज्ञापन मुख्य विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी, गोरखपुर की तरफ से निकलवाया गया है ? क्या इसमें ब्लाक (क्षेत्र पंचायत) ब्रह्मपुर, गोरखपुर का नाम भी है.? यदि हां, तो इसमें किन-किन पदों पर किन-किन महिलाओं की नियुक्ति ग्राम पंचायतवार की गयी है ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

वर्ष 1997 से वर्ष 1998 के मध्य बाल विकास परियोजना उरुवा, बांसगांव, बेलघाट, सहजनवां, कौड़ीराम, बड़हलगंज, खोरापार, ब्रह्मपुर, सरदारनगर, पिपराइच, पाली, चरगावां, खजनी, भटहट व गोला में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गई ।

जी हां !

किसी भी पद पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं की गई है ।

अधिशाषी अभियन्ता, लखनऊ खण्ड शारदा नहर द्वारा " प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लिपिक संघ" के सदस्यों सहित किये गये निरीक्षण और परिणाम सम्बन्धी जानकारी

98–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खण्ड शारदा नहर द्वारा दिनांक 20-1-2000 को "प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लिपिक संघ" के सदस्यों के साथ कैनाल कालोनी, लखनऊ का जो निरीक्षण किया गया, उसका परिणाम क्या रहा ? विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग के स्टैण्डिंग आर्डर्स नं० 8439/एस०ओ०, दिनांक 18-12-1984 के अनुपालन में उक्त प्रकरणान्तर्गत निरीक्षण-टिप्पणी निर्गत की गयी ? उक्त प्रकरण में अधिशासी अभियन्ता के अशा० पत्रांक 402/संघ, दिनांक 20-1-2000 द्वारा निर्गत निर्देशों का क्या परिणाम रहा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत निरीक्षण दिनांक 21–1–2000 को हुआ था और संघ के पदाधिकारियों द्वारा बताये गये मरम्मत संबंधी कार्य जो वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत कराए जा सकते थे, करा दिये गये थे ।

जी हां ।

बिना आवास आवंटन किये किसी को आवास, पानी, बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है ।

जनपद लखनऊ स्थित सिंचाई कालोनी के तृतीय श्रेणी कर्मचारी के अनियमित आवंटित आवास को खाली कराने की मांग

99–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद में स्थित सिंचाई कालोनी का जो तृतीय श्रेणी कार्मिक आवास प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई के ज्ञापांक : 15655/शासअनु०, दिनांक 26-12-1997 द्वारा जिस कर्मचारी को आवंटित किया गया है वह उक्त आवास पाने के पात्र थे ? यदि नहीं, तो उक्त आवास उनसे कब तक खाली करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के विरुद्ध फर्जी जाति प्रमाण-पत्र पर शासकीय लाभ लेने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

100–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के विरुद्ध "फर्जी" जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर शासकीय लाभ प्राप्त कर लिए जाने के प्रकरण पर मुख्य अभियन्ता (सज्जा) के अ०शा०पत्रांक–3195/ई–3ख, दिनांक 12-12-1999 के परिप्रेक्ष्य में अब तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रकरण में जांच हेतु जांच अधिकारी की नियुक्ति कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच में कैसरगंज की जरवल रोड चीनी मिल के पुराने कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग

101–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज की जरवल रोड चीनी मिल में वर्ष 1999 से अब तक कितने लोगों को स्थाई नौकरी दी गयी है ? उसमें कितने ऐसे लोग हैं जो जनपद बहराइच एवं विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज के हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो उ० प्र० के दूसरे जनपदों के हैं जिन्हें जरवल रोड चीनी मिल में स्थाई नौकरी दी गयी है ? चालू पेराई सत्र के दौरान कितने अस्थाई मजदूर कर्मचारियों की छटनी की गयी है तथा छटनी करने की नीति क्या थी ? क्या पुराने कर्मचारियों जिनकी सेवायें बीस साल की हैं उनको स्थाई करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज की जरवल रोड चीनी मिल में वर्ष 1999 से अभी तक कोई भी स्थायी नियुक्ति नहीं की गयी है ।

जब नियुक्ति ही नहीं की गयी तो जनपद महराजगंज अथवा विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज एवं जनपद बहराइच के बाहर के व्यक्तियों को स्थाई नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं की गयी है । अतः इस संबंध में किसी नीति निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जरवल रोड चीनी मिल, उ०प्र० राज्य चीनी निगम की इकाई है । बोर्ड फार इण्डस्ट्रियल एण्ड फाइनेन्शियल रिकन्स्ट्रक्शन द्वारा निगम को दिनांक 21–8–95 से एक रुग्ण कम्पनी घोषित किया जा चुका है तथा निगम के पुनर्वासन हेतु इसकी इकाइयों के निजीकरण के भी निर्देश दिये गये हैं । निगम के घाटे का कम करने के उद्देश्य से सत्र, 98–99 से 5 एवं 99–2000 से 6, कुल 11 चीनी मिलों को न चलाये जाने एवं स्थाई रूप से बन्द किये जाने का निर्णय उ०प्र० शासन द्वारा लिया गया है । ऐसी परिस्थितियों में जबकि बन्द की गयी मिलों के कर्मचारी समायोजन हेतु पहले से ही उपलब्ध हैं अतः जरवल रोड इकाई द्वारा किसी दैनिक/अस्थायी कर्मचारी को स्थायी किये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

102–श्री राजाराम पाल–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

ग्रामीण बाल विद्यालय पश्चिम गांव रायबरेली में छात्रवृत्ति के गबन की जांच पर कृत कार्यवाही की जानकारी

103–श्री राजाराम पाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री आनन्द सिंह भांतू समाज कल्याण सुपरवाइजर रायबरेली ने ग्रामीण बाल विद्यालय पश्चिम गांव रायबरेली की जांच कर छात्रवृत्ति के मद में रु० 17,500.00 के गबन/अपहरण का उल्लेख करते हुए अपनी जांच आख्या समाज कल्याण अधिकारी, रायबरेली मंडली उप निदेशक तथा निदेशक समाज कल्याण उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु दिनांक 21–6–1999 को प्राप्त करायी थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार श्री आनन्द सिंह भांतू की जांच आख्या 21–6–99 के पूर्व ही तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, रायबरेली द्वारा श्री शीतला दीन यादव, प्रधानाध्यापक ग्रामीण बाल विद्यालय पश्चिम गांव के विरुद्ध उल्लिखित गबन/आहरण की धनराशि के संबंध में प्रथम सूचना दिनांक 9–3–99 को दर्ज कराई जा चुकी थी और उक्त गबन की गई धनराशि के वसूली की कार्यवाही करा दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जीजस क्राइट मान्टेसरी स्कूल हरचन्दपुर, रायबरेली में अस्वच्छ पेशे की छात्रवृत्ति में घपले की जांच पर कृत कार्यवाही की जानकारी

104–श्री राजाराम पाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री आनन्द सिंह भांतू समाज कल्याण सुपरवाइजर रायबरेली ने जीजस क्राइट मान्टेसरी स्कूल हरचन्दपुर, रायबरेली में अस्वच्छ पेशे की छात्रवृत्ति रु० 6,875.00 की चेकें विद्यालय के प्रधानाध्यापक को प्राप्त न कराकर समाज कल्याण कार्यालय द्वारा

अन्य व्यक्ति को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में अपनी जांच आख्या प्रस्तुत कर उक्त शासकीय धनराशि का गबन/अपहरण फर्जी प्रधानाध्यापक द्वारा फर्जी नाम से खाता खोलकर किये जाने का उल्लेख किया है ? यदि हां, तो श्री भांतू की जांच आख्या दिनांक 21–6–1999 क्या है ? जांच आख्या पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

श्री भांतू की जांच आख्या 21–6–1999 में यह अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने अवगत कराया है कि संबंधित चेक उन्हें प्राप्त नहीं हुई है । श्री भांतू ने यह भी रिपोर्ट दिया है कि प्रश्नगत विद्यालय की चेक को दूसरे विद्यालय दयावती मोदी जू०हाई० स्कूल, मोदी ग्राम रायबरेली के प्रधानाध्यापक श्री रंगनाथ पांण्डे द्वारा प्राप्त किया गया । रिपोर्ट में यह भी इंगित किया गया है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी, कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक श्री हर प्रसाद यादव ने दूसरे विद्यालय के प्रधानाध्यापक को यह चेक प्राप्त करायी गयी जिससे धनराशि का गबन हुआ ।

जांच आख्या पर निदेशालय के पत्र संख्या–2345/दिनांक 20–12–99 द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी को स्थलीय जांच करने और कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये । जिलाधिकारी से प्राप्त उत्तरालेख में यह अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं प्रबन्धक ने यह अवगत कराया कि उनके विद्यालय के सहायक अध्यापक श्री आर०एन० पाण्डे जोकि दयावती मोदी स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री रंगनाथ पाण्डे के सगे छोटे भाई हैं, द्वारा यह गबन/धन का व्यपहरण किया गया । श्री रवीन्द्र नाथ पाण्डे विद्यालय से निष्कासित हो गये हैं और उनके विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज कराने की कार्यवाही की जा रही है । जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा बैंक से किस खाते में धनाराशि अन्तरित हुई तथा किसे भुगतान हुआ की सूचना मांगी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्वास्थ्य विभाग में स्टोर कीपर संवर्ग की वेतन विसंगति दूर करके पदोन्नति की मांग

105–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पदोन्नति को मूल अधिकार माना गया है ? क्या सरकार को जानकारी है कि स्टोर कीपर संवर्ग में वेतन विसंगति होने के कारण विगत लगभग 10 वर्षों से पदोन्नति नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो सरकार स्टोर कीपर संवर्ग की वेतन विसंगति का निराकरण कराकर पदोन्नति कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

मा० उच्चतम न्यायालय के ऐसे किसी निर्णय की जानकारी नहीं है । अतः संदर्भित निर्णय परिपेक्ष्य में शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई मल्लावां क्षेत्र में सुल्तानपुर माइनर की सिल्ट सफाई की मांग

106–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में 5.33 कि०मी० लम्बे सुल्तानपुर माइनर की केवल 0.80 कि०मी० ही सिल्ट सफाई करवाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त माइनर की पूरी सिल्ट सफाई करने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जी रही है

श्री आर० के० श्रीवास्तव कार्यवाहक महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के उपरान्त उनके विरुद्ध जांच की मांग

107–श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री आर० के० श्रीवास्तव कार्यवाहक महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा के विरुद्ध पत्रांक संख्या–4425सेक–1/71–पी०एफ०–21/98 तथा अ०शा० पत्र संख्या 1449/(1)25-8-90 17(2)/98 गोपन अनुभाग 8, दिनांक 17-9-98 द्वारा जांच करायी जा रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त अधिकारी को अन्यत्र हटवा कर जांच करवाने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

श्री आर० के० श्रीवास्तव को शासनादेश दिनांक 5–2–2000 द्वारा स्थानान्तरित कर उनके मूल पद प्रधानाचार्य कानपुर मेडिकल कालेज के पद पर तैनात किया गया था किन्तु उन्होंने मा०उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके स्थगनादेश प्राप्त कर लिया । इस प्रकार मा० उच्च न्यायालय के आदेश से श्री श्रीवास्तव कार्यवाहक महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं । मा० उच्च न्यायालय ने शिकायतों की जांच सी० बी० आई० से कराने के आदेश दिये हैं । जिसके अनुपालन में सी०बी०आई० द्वारा जांच की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ०प्र० (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लि० देवरिया के कर्मचारियों के बकाये वेतन के भुगतान की मांग

108–श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लि०, देवरिया के कर्मचारियों का माह नवम्बर/दिसम्बर, 1999 का वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उसे अविलम्ब वेतन दिलाने की व्यवस्था करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं । उ०प्र० (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लि०, देवरिया के कर्मचारियों को माह नवम्बर/दिसम्बर, 1999 का वेतन भुगतान हो चुका है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज ग्राम सभा टेढवा में लगाये गये नलकूपों से पानी न मिलने के सम्बन्ध में शिकायत

109–श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 91-92 में ग्राम सभा टेढवा, विकास खण्ड धुधली, जनपद महराजगंज में एक नलकूप लगवाया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त नलकूप से लगभग 10 वर्षों में अब तक पानी नहीं निकल पाया है ? यदि हां,

तो क्या जिम्मेदार सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । ग्राम सभा टेढवा विकास खण्ड घुधली, जनपद–महराजगंज में नलकूप संख्या–46 एम०जी० का छिद्रण माह अक्टूबर, 1992 में तथा ऊर्जीकरण जनवरी, 1994 में किया गया था ।

जी नहीं । 1407 रबी फसली में नलकूप द्वारा 101 घंटे सिंचाई की गई है तथा नलकूप चालू दशा में है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर के जमानियां में खराब पड़े पम्पों को ठीक कराने तथा शेष पम्पों की क्षमता बढ़ाने की मांग

110–श्री सिंहासन सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि गाजीपुर जनपद के जमानियां पम्प नहर के 3 पम्प बेकार हो चुके हैं एवं शेष चार की क्षमता आधे से भी कम हो चुकी है ? क्या इस कारण सिंचाई कार्य बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खराब पड़े पम्पों को ठीक करने तथा शेष चार पम्पों की क्षमता बढ़ाने हेतु आदेशित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह –

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बुलन्दशहर के अलीगढ़ डिवीजनों में रजवहों की सप्लाई, पशुवाट व पिचिंग बनवाने हेतु एस० आर० वाई० द्वारा सिंचाई विभाग को आवंटित धनराशि के अनुरूप कार्य कराने की जानकारी

111–श्री हरपाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि गत वर्ष 1998-99 में एस०आर०वाई० द्वारा जनपद बुलन्दशहर के अलीगढ़ डिवीजनों में सिंचाई विभाग को लगभग 56 लाख रुपये रजवहों की सप्लाई, पशुवाट व पिचिंग बनवाने हेतु प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो क्या आवंटित की गयी धनराशि के अनुरूप कार्य कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

रु० 48.077 लाख की धनाराशि आवंटित की गयी थी ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बुलन्दशहर में किसानों से जबरन सिंचाई टैक्स वसूले जाने की जांच तथा कार्यवाही की मांग

112–श्री हरपाल सिंह –

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि पहासू रजवहा जनपद बुलन्दशहर की टेल तक पानी न पहुंचने के बाद भी किसानों से प्रतिवर्ष सिंचाई टैक्स जबरन वसूला जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । पहासू रजबहा जनपद बुलन्दशहर पर वास्तव में किसानों द्वारा जितनी सींच की जाती है, उसका ही सींच कर वसूला जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

113–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

[दिनांक 29-3-2000 को अता०प्र०सं०–55 द्वारा उत्तरित]

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, घाटमपुर, कानपुर (नगर) में महिला चिकित्साधिकारी की नियुक्ति की मांग

114–श्री समरपाल सिंह–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि 15 शैय्यायुक्त राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, घाटमपुर, कानपुर (नगर) में एक पद पुरुष चिकित्साधिकारी एवं एक पद महिला चिकित्साधिकारी का सृजित होने के उपरान्त महिला चिकित्साधिकारी की नियुक्ति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो उक्त चिकित्सालय में महिला चिकित्साधिकारी की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र––

15 शैय्यायुक्त राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, घाटमपुर/कानपुर देहात में है । महिला चिकित्साधिकारी उपलब्ध न होने के कारण उस पद के विरुद्ध जनहित में पुरुष चिकित्साधिकारी तैनात है ।

वार्षिक स्थानान्तरण के समय महिला चिकित्साधिकारी की तैनाती की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बुलन्दशहर में दिवराला रजवहे की सफाई की मांग

115–श्री हरपाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि दिवराला (बुलन्दशहर) रजवहे की विगत कई वर्षों से सफाई नहीं करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त रजवहे के अवरूद्ध हो जाने के कारण ग्राम दिवराला, रामबांस, वाहनपुर, पचगाई आदि ग्रामों की फसल हर वर्ष नष्ट हो जाती है ? यदि हां, तो उक्त नाले की सफाई कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

देवराला नाले की सफाई वर्ष 1999–2000 में करा दी गई है ।

इन ग्रामों की फसल पर कुप्रभाव पड़ता था ।

नाले की सफाई वर्ष 99–2000 में करा दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आयुर्वेदिक चिकित्सकों के बढ़े हुए इन्टर्नशिप भत्ते के भुगतान के संबंध में जानकारी

116–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों का इन्टर्नशिप भत्ता रु० 1500.00 से बढ़ाकर 1950.00 हो गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां । शासनादेश संख्या–131/71–2–2000–298/94 दि० 25-4-2000 द्वारा इन्टर्नशिप भत्ता रु० 1500.00 से बढ़ाकर रु० 1950.00 प्रति माह किये जाने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

उक्त शासनादेश के अनुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

117–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1986 के बाद से आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में रिक्त पड़े चिकित्साधिकारियों के पदों पर अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पदों पर नियुक्तियां करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

वर्ष 1986 के बाद से अब तक 2239 चिकित्साधिकारियों की नियुक्तियां हुई हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में बाल कल्याण परियोजनाओं के कर्मचारियों को निदेशालय, बाल विकास एवं पुष्टाहार सेवा, उ० प्र० में संविलियन तथा उनके देयों के भुगतान की जानकारी

118–श्रीमती माया प्रसाद–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य समाज कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित परिवार एवं बाल कल्याण परियोजनाओं की 11 योजनायें तथा 8 सीमान्त बाल कल्याण परियोजनाओं के कर्मचारियों को निदेशालय, बाल विकास एवं पुष्टाहार सेवा, उ० प्र० लखनऊ में वर्ष 1986 में संविलियन किया गया है ? यदि हां, तो क्या उन कर्मचारियों को उनके पूर्व विभाग में जमा जी०पी०एफ०, जमानत धनराशि तथा अन्य देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो अब तक भुगतान न करने वाले दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रकरण अन्तर्विभागीय होने के कारण समय लग रहा है ।

119–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

[दिनांक 3-5-2000 को अता०प्र०सं०–5 द्वारा उत्तरित]

श्री अशोक कुमार निवासी ग्राम रोसेड़ा जिला बलिया के प्रारूपकार पद पर नियुक्ति में जारी अन्य जाति प्रमाण-पत्रों को अमान्य करने तथा जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त अनु० जाति प्रमाण-पत्र की मांग पर आपत्ति

120–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में प्रारूपकार पद पर नियुक्ति में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र की मांग की

गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या तहसीलदार/उपजिलाधिकारी व अन्य सक्षम अधिकारियों के द्वारा जारी अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्रों को अमान्य कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो वरिष्ठ स्टाफ आफीसर (ई–4ख) के आदेश संख्या–93/ई–4ख, दिनांक 7 जनवरी, 2000 द्वारा श्री अशोक कुमार निवासी ग्राम रोसेड़ा, पोस्ट पशुहारी, जिला बलिया के प्रारूपकार पद पर नियुक्ति में जिलाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मांगे जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसके लिए दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । परीक्षा समिति सचिव के दिनांक 13-12-99 के पत्र के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त अनु० जाति के प्रमाण-पत्र की मांग की गई थी ।

जी नहीं । श्री अशोक कुमार द्वारा गोंड जाति का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया । राष्ट्रीय अनु० जाति तथा अनु० जनजाति आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 18-1-94 के पत्र द्वारा गोंड जाति, अनु० जाति/जनजाति के अतिरिक्त अन्य जातियों में भी होने की स्थिति दर्शाने के कारण वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (ई–4ख) के वर्णित दिनांक 07-01-2000 के पत्र द्वारा पुष्टि कराने के उद्देश्य से अभ्यर्थी को पत्र लिखा गया एवं जिलाधिकारी, बलिया से भी इस तथ्य की पुष्टि करने हेतु दिनांक 10-1-2000 को पत्र लिखा गया । पुष्टि प्राप्त होने पर अभ्यर्थी को प्रारूपकार के पद पर नियुक्त किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तरांचल क्षेत्र में ''सामान्य संवर्ग'' के कार्यालयों को ''पर्वतीय संवर्ग'' में समाविष्ट करने की मांग

121–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासकीय अधिसूचना संख्या–13-8-92–कार्मिक–1/1992, दिनांक 25-11-1992 द्वारा प्रख्यापित ''पर्वतीय उपसंवर्ग सेवा नियमावली, 1992'' के नियम–5 (1) के प्रविधानानुसार उत्तरांचल के समस्त जनपदों में स्थित सिंचाई विभाग के वर्तमान कार्यालयों को पर्वतीय उपसंवर्ग में समाविष्ट न किये जाने के क्या कारण हैं ? उक्त नियमावली लागू होने के उपरान्त भी वर्तमान में उत्तरांचल क्षेत्र में ''सामान्य संवर्ग'' के कितने कार्यालय अवशेष हैं तथा इन्हें कब तक ''पर्वतीय संवर्ग'' में समाविष्ट कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सिंचाई विभाग से संबंधित कार्यों पर लगे समस्त कार्यालयों को पर्वतीय उप संवर्ग में पूर्व में ही समाविष्ट किया जा चुका है ।

पर्वतीय उपसंवर्ग में प्रख्यापित/समाविष्ट समूह–क, ख एवं ग के पदों को पुनः सामान्य संवर्ग में बदलने आदि की जानकारी

122–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994 से 1997 के मध्य विभिन्न शासनादेशों द्वारा पर्वतीय उपसंवर्ग में प्रख्यापित/ समाविष्ट समूह–क, ख एवं ग के पदों को पुनः सामान्य संवर्ग में बदलने की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने का क्या कारण है ? वर्तमान में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनके द्वारा पर्वतीय उपसंवर्ग हेतु विकल्प दिया जा चुका है ? इनका समायोजन कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1994 से 1997 के मध्य विभिन्न शासनादेशों द्वारा प्रख्यापित/समाविष्ट समूह "क" "ख" एवं "ग" के पदों को सामान्य संवर्ग में बदले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पर्वतीय उपसंवर्ग हेतु विकल्प दिये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है।

123–श्री शिशुपाल सिंह यादव–

[दिनांक 3-5-2000 को ता०प्र०सं०–14 द्वारा उत्तरित]

जनपद एटा की सदर क्षेत्र में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की संख्या तथा चिकित्सालय खोले जाने संबंधी प्रस्ताव की जानकारी

124–श्री शिशुपाल सिंह यादव–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा की विधान सभा क्षेत्र सदर–एटा में कितने राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं ? वर्ष 1995 से अब तक जिला योजना (अनुश्रवण समिति) के अन्तर्गत कितने चिकित्सालय खोले जाने सम्बन्धी प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुए हैं ? उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र सदर एटा में कुल दो राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं।

कुल छः आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का प्रस्ताव अनुश्रवण समिति से प्राप्त हुए हैं।

वर्ष 1997-98 में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, मानिकपुर की स्थापना हो चुकी है। शेष 5 चिकित्सालयों की स्थापना वित्त विभाग की सहमति प्राप्त न होने के कारण संभव नहीं हो सकी।

डा० ए० के० वर्मन सम्बद्ध प्रभारी चिकित्साधिकारी, आयुर्वेद निदेशालय, उ० प्र० लखनऊ के विरुद्ध पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

125–श्री शिशुपाल सिंह यादव–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि डा० ए० के० वर्मन सम्बद्ध प्रभारी चिकित्साधिकारी, (आयुर्वेद) आयुर्वेद निदेशालय, उ० प्र० लखनऊ के विरुद्ध पत्रांक सी०एम०–416–सेक–9/पांच–136/90, दिनांक 5-8-97 तथा सी०एम० (1)–सेक–9/पांच–136/90, दिनांक 15-10-97 एवं अर्ध० शा० प० सं०–3367(11)/71–2-98–136/90, दिनांक 16-10-90 शासन को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्न में उल्लिखित पत्र शासन द्वारा निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उ० प्र० को भेजे गये हैं।

डा० ए० के० वर्मन के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें से कराई जा रही हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद हरदोई के ग्राम सभा समुखा में एक नवीन आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोले जाने संबंधी जानकारी

126–श्री राम स्वरूप सिंह–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के अन्तर्गत ग्राम सभा–समुखा में एक नवीन आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोले जाने हेतु अक्टूबर, 1999 में वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त चिकित्सालय स्थापित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत गौतरा माइनर की सफाई की मांग

127–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत गौतरा माइनर जो शहव्दा से गौतरा तक $5\frac{1}{2}$ कि०मी० लम्बा है क्या सरकार कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूरे माइनर की सफाई करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

महिला बाल निदेशालय द्वारा ''कनिष्ठ लिपिक चालक'' पद हेतु आयोजित परीक्षा निरस्त किये जाने पर परीक्षा शुल्क वापस करने की मांग

128–श्री मु० मुकीम–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि निदेशालय द्वारा ''कनिष्ठ लिपिक चालक'' पद हेतु परीक्षा शुल्क सहित आवेदन-पत्र अगस्त, 1997 में आमंत्रित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या परीक्षा शुल्क अभ्यर्थियों को लौटाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? क्या उक्त पदों हेतु आयोजित परीक्षा 1998 में उक्त समस्त आवेदन-पत्रों को सम्मिलित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

जी हां ।

ऐसा प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

ऐसा कोई प्राविधान न होने के कारण ।

जनपद वाराणसी में राजकीय वृद्ध एवं अशक्त महिला गृह दुर्गाकुण्ड में वृद्ध महिलाओं के भोजन आदि के लिये आवश्यक धनराशि आवंटित करने की मांग

129–श्री अब्दुल कलाम–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि राजकीय वृद्ध एवं अशक्त महिला गृह, दुर्गाकुण्ड, वाराणसी में रह रही वृद्ध महिलाओं के भोजन भत्ते की मद में माह अक्टूबर, 1999 से कोई धनराशि (बजट) आवंटित न होने के कारण वहां की वृद्ध महिलाओं की स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त महिला गृह की वृद्ध महिलाओं के भोजन भत्ते की मद में आवश्यक धनराशि आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

राजकीय वृद्ध एवं अशक्त महिला गृह वाराणसी की संवासिनी महिलाओं के भोजन भत्ते में व्यय हेतु अप्रैल, 99 में आवंटित धनराशि रुपये 48,000/- के अतिरिक्त माह फरवरी, 2000 में भी रु० 57,600/- की धनराशि आवंटित की गयी है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

मेडिकल कालेज (होम्योपैथिक) से सम्बद्ध नियमित एवं स्थायी चिकित्साधिकारियों की जानकारी तथा उनके रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

130–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में कितने तथा किन-किन होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को हटाकर मेडिकल कालेज (होम्योपैथिक) से सम्बद्ध किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में कितने चिकित्साधिकारियों के पद नियमित एवं अस्थायी हैं और उन पर कितने चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति है ? क्या वर्तमान में मेडिकल कालेज में चिकित्साधिकारियों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो उन पर कब तक चिकित्साधिकारियों को नियुक्त कर दिया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

निम्न 9 होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी वर्तमान में होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में सम्बद्ध हैं :–

1–डा० मंजू गुप्ता

2–डा० (श्रीमती) अख्तर जहां

3–डा० महिमा शुक्ला

4–डा० अवधेश नरायन मिश्र

5–डा० (श्रीमती) वसीम अख्तर

6–डा० कान्तीपाल

7–डा० परम ज्योति मनचन्दा

8–डा० (श्रीमती) मीना पुष्कर दोहरे

9–डा० (श्रीमती) पूनम वर्मा

2 स्थायी 6 अस्थायी

छ :

जी हां ।

दो पद रिक्त हैं ।

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी संवर्ग से उक्त पद भरे जाने के सम्बन्ध में प्रकरण विचाराधीन है ।

पण्डित जवाहर लाल नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कालेज कल्याणपुर कानपुर के चतुर्थ श्रेणी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग

131–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि पण्डित जवाहर लाल नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, कल्याणपुर, कानपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ में कोई याचिका विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त याचिका के विरुद्ध कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया गया है और कितने दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियमितीकरण से वंचित रह गये हैं ? क्या सरकार शेष दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पण्डित जवाहर लाल नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कालेज कानपुर के प्राचार्य के कालेज परिसर में रहने एवं मकान किराया भत्ता लेने के संबंध में शिकायत

132–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि पण्डित जवाहर लाल नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, कानपुर के प्राचार्य वर्ष 1991 से वर्ष 1999 तक कालेज परिसर में ही निवास करते थे ? यदि हां, तो क्या उनको उक्त अवधि में मकान किराया भत्ता भी दिया जा रहा था ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत उक्त मकान किराया भत्ता दिया गया ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के होम्योपैथिक मेडिकल कालेज से सम्बद्ध चिकित्साधिकारियों को उनके मूल स्थान एवं ग्रामीण डिस्पेंसरी में नियुक्ति की मांग

133–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में विभिन्न चिकित्सालय के होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी सम्बद्ध हैं ? क्या सरकार उन सम्बद्ध चिकित्साधिकारियों का सम्बद्धीकरण समाप्त करते हुए उनके मूल स्थान पर नियुक्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार ग्रामीण डिस्पेंसरी पर चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों के अनुसार चिकित्साधिकारियों की संख्या की कमी एवं कालेजों में चिकित्सकों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में सम्बद्ध किया गया है ।

उपर्युक्तानुसार ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के ग्यारह महानगरों में पैथालोजिकल टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

134–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार को ज्ञात है कि वर्तमान में प्रदेश के सभी ग्यारह महानगरों लखनऊ, आगरा, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर तथा मुरादाबाद में स्थित उच्चीकृत अस्पतालों में मरीजों को पैथालोजिकल टेस्ट की सुविधा बिल्कुल बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सुविधा पुनः प्रारम्भ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं । इन सभी महानगरों में स्थापित जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालयों में पैथोलोजिकल टेस्ट की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर के बाल विकास परियोजना, पाली में नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिकाओं के मानदेय के भुगतान की मांग

135–श्री विनोद मणि–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–गोरखपुर के बाल विकास परियोजना, पाली में जनवरी, 1999 में नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिकाओं को 31 दिसम्बर, 1999 तक मानदेय भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अब तक भुगतान न किये जाने के लिए दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

दिनांक 25-3-2000 को ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जुगुल किशोर पाण्डेय फार्मेसिस्ट के निलम्बन आदेश का अनुपालन किये जाने के संबंध में जानकारी

136–श्री आलम बदी –

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि शासन के पत्र संख्या–4570(11)/पांच–6–99–288/96, दिनांक 6 मार्च, 1999 द्वारा श्री जुगुल किशोर पाण्डेय फार्मेसिस्ट को गम्भीर आरोपों के आधार पर

निलम्बित किये जाने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का अनुपालन हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग में फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति पाने वाले लोक सेवक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही संबंधी जानकारी

137–श्री अजय भट्ट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गलत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति प्राप्त करने वाले लोक सेवक के विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज कराकर विधिक कार्यवाही हेतु शासन के पत्रांक–197/2000–27–सिं०–2–55/98, दिनांक 27-1-2000 द्वारा प्रदत्त आदेशों का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चिकित्सा संवर्ग के राज्य स्तरीय कार्यालय, मातृ एवं शिशु कल्याण, राज्य स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो एवं राज्य चिकित्सा विधि विशेषज्ञ उ० प्र० में अधिक समय से कार्यरत अधिकारियों के स्थानान्तरण की मांग

138–श्री गंगा सिंह चौहान–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा संवर्ग के राज्य स्तरीय कार्यालय, मातृ एवं शिशु कल्याण, राज्य स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो एवं राज्य चिकित्सा विधि विशेषज्ञ, उ० प्र० में कितने ऐसे अधिकारी कार्यरत हैं जो कि 8 वर्ष या इससे अधिक समय से वहीं तैनात हैं ? क्या मंत्री जी ऐसे अधिकारियों का वार्षिक स्थानान्तरण के अन्तर्गत उक्त कार्यालय से स्थानान्तरण अन्यत्र करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

एक अधिकारी मेडिकोलीगल सेल में 8 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है ।

विहित व्यवस्थानुसार योग्यता एवं अनुभव के आधार पर शासकीय कार्य हित में संबंधित अधिकारी को उक्त पद पर तैनात किया गया है, जिनके स्थानान्तरण की कोई अपरिहार्यता प्रतीत नहीं होती ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के तहसील सण्डीला में सा० स्वा० केन्द्र व प्रा० स्वा० केन्द्र पर कार्यरत डाक्टरों की योग्यता एवं कार्य के संबंध में जानकारी

139–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के तहसील सण्डीला में शासनादेश संख्या–3501/पांच 6–97/ एस०एन०डी०ओ० 5/97, दिनांक 31 मार्च, 1998 के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कितने पद स्वीकृत हैं और नियमानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य

केन्द्र पर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कौन से लोग कार्यरत हैं ? कार्यरत डाक्टरों की योग्यता क्या है ? क्या उनसे योग्यता अनुसार कार्य लिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये शासनादेश संख्या–3501/पांच-6-97-एस०एन०डी० 5/97 दिनांक 31-03-98 के द्वारा 23 नये पदों का सृजन तथा दो उपलब्ध पदों का समायोजन करते हुए कुल 25 पद स्वीकृत किये गये थे । इस शासनादेश द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सण्डीला हेतु कोई पद सृजित नहीं किया गया । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सण्डीला पर निम्नलिखित 12 चिकित्सक/कर्मचारी कार्यरत हैं :–

1–डा० के० ए० सिद्दीकी
2–डा० प्रभात कुमार
3–डा० राधे लाल
4–डा० योगेश कुमार सेठी
5–श्री के० के० शुक्ला
6–श्रीमती आशा देवी
7–श्री धर्मेन्द्र कुमार कन्नौजिया
8–श्री अशोक कुमार अस्थाना
9–श्री सन्तराम
10–श्रीमती नन्ही बिटिया
11–श्री अब्दुल कयूम
12–श्री वकार अहमद

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सण्डीला पर निम्नलिखित 13 चिकित्सक कर्मचारी कार्यरत हैं :–

1–डा० वी० पी० सिंह
2–डा० योगेश कुमार
3–श्रीमती वी० जानकी
4–श्री आर० एस० मौर्या
5–श्री श्रीपाल
6–श्री उमेश चन्द्र अस्थाना
7–श्री प्यारे लाल
8–श्री सत्यराम चौधरी
9–श्री पी० के० अवस्थी
10–श्री भैय्या लाल
11–श्रीमती रामदेवी
12–श्रीमती रूपरानी
13–श्री वी० के० त्रिपाठी

विधान सभा

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सण्डीला/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सण्डीला पर कार्यरत डाक्टरों की योग्यता निम्नवत् है :–

1–डा० के० ए० सिद्दीकी (फिजीशियन, एम० बी० बी० एस०, एम० डी० मेडिसिन)

2–डा० योगेश कुमार सेठी, एम० बी० बी० एस०, एम० एस० आर्थो (शल्यक)

3–डा० प्रभात कुमार, बाल रोग विशेषज्ञ, एम० बी० बी० एस०, डी० सी० एच०

4–डा० राधेलाल, दन्त चिकित्सक, बी० डी० एस०

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–

1–डा० बी० पी० सिंह, प्रभारी, चिकित्साधिकारी, एम० बी० बी० एस०, डी० सी० पी०

2–डा० योगेश कुमार, चिकित्सा अधिकारी, एम० बी० बी० एस०, डी० आर्थ०

डा० के० ए० सिद्दीकी, जो दीर्घ अवधि से अनुपस्थित चल रहे हैं, को छोड़ कर अन्य चिकित्सकों से उनकी योग्यतानुसार कार्य लिया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शंकर दत्त जोशी सहायक अध्यापक अनुसूचित जाति प्राइमरी पाठशाला ग्वीरा (पिथौरागढ़) के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

140–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शंकर दत्त जोशी सहायक अध्यापक अनुसूचित जाति प्राइमरी पाठशाला ग्वीदा (पिथौरागढ़) के मार्च, 1993 से दिसम्बर, 1997 तक के वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में मा० उत्तरांचल विकास राज्य मंत्री (श्री दास) के पत्र संख्या–1523/रा०क०उ०वि०/99, दिनांक 14-6-99 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

श्री शंकर दत्त जोशी, सहायक अध्यापक अनुसूचित जाति प्राइमरी पाठशाला ग्वीरा पिथौरागढ़ के मार्च, 13 से दिसम्बर, 1997 तक के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में मा० उत्तरांचल विकास मंत्री, श्री नारायण राम दास के पत्र दिनांक 14-6-99 में उल्लिखित पूर्व पत्र दिनांक 23-9-98 पर विचार करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ़ के पत्र दिनांक 6-5-98 एवं 23-11-98 के संदर्भ में निदेशालय के पत्र संख्या 1853/शिक्षा/8-94/94, दिनांक 3-12-98 द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ़ से रिपोर्ट मांगी गयी थी ।

जिलाधिकारी के पत्र सं–638, दिनांक 29-4-2000 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री शंकर दत्त जोशी सहायक अध्यापक की नियुक्ति दिनांक 1-1-86 को अनुसूचित जाति प्राथमिक पाठशाला, ग्वीरा, पिथौरागढ़ में की गयी थी । श्री जोशी अनु० जाति प्रा० पा० ग्वीरा से त्याग-पत्र देकर अनुसूचित जाति प्राथमिक पाठशाला, किमकोला (धारचूला) में चले गये थे ।

श्री जोशी द्वारा दिनांक 10-7-87 को जनजाति प्राइमरी पाठशाला किमकोला में कार्यभार ग्रहण किया गया था, किन्तु कुछ समय बाद जनजाति प्राथमिक पाठशालाओं का संचालन शासन द्वारा वर्ष 1993 में समाप्त कर दिया गया जिससे श्री जोशी की सेवायें स्वतः समाप्त हो गई । श्री जोशी मार्च, 1993 से दिसम्बर, 1997 तक किसी भी विद्यालय में कार्यरत नहीं रहे हैं । उक्त अवधि में वह स्वयं अपने घर पर

कृषि का कार्य करते थे, इस प्रकार सेवा समाप्त होने के पश्चात श्री जोशी को मार्च, 1993 से दिसम्बर, 1997 तक की अवधि का वेतन दिये जाने का कोई औचित्य नहीं रहा । प्रश्न नहीं उठता ।

जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय शाहजहांपुर में लम्बित विधवा फार्मों के लाभार्थियों को पेंशन देने की जानकारी

141–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला प्रोवेशन अधिकारी कार्यालय शाहजहांपुर को उपजिलाधिकारी, तिलहर पुवायां, जलालाबाद, सदर की संस्तुति से दिनांक 1-4-1998 से दिनांक 1-2-2000 तक कितने फार्म विधवा पेंशन हेतु प्राप्त हुए तथा उनमें से कितनी विधवाओं को पेंशन स्वीकृत की गयी ? कितने फार्म स्वीकृत हेतु कार्यालय में लम्बित हैं ? क्या सरकार उप जिलाधिकारी/तहसीलदार की संस्तुति वाले लम्बित सभी विधवा फार्मों के लाभार्थियों को पेंशन देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

उप जिलाधिकारी/तहसीलदार से 752 फार्म प्राप्त ।

119 विधवाओं को ।

633 फार्म ।

सम्प्रति, सम्भव नहीं है ।

किसी नवीन लक्ष्य के स्वीकृत न होने तथा वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण समस्त पात्र अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया जाना, फिलहाल, सम्भव नहीं है ।

लघु डाल नहर शाहजहांपुर का प्रबन्धन अधिशासी अभियन्ता शारदा नहर शाहजहांपुर से कराने की मांग

142–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि लघु डाल नहर के सहायक अभियन्ता का कार्यालय जनपद शाहजहांपुर में स्थित है और उसका प्रबन्धन अधिशासी अभियन्ता, लघु डाल नहर, कानपुर से होता है ? यदि हां, तो 1-4-98 से 10-2-2000 तक कितना-कितना रुपया कर्मचारी/अधिकारियों को यात्रा मद में भुगतान किया गया ? क्या सरकार पूर्व की भांति जनहित में इसका प्रबन्धन अधिशासी अभियन्ता, शारदा नहर, शाहजहांपुर से कराने के आदेश करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

रु० 96,829.00

लघु डाल नहरों का प्रबन्धन यांत्रिक सवंर्ग के खण्डों द्वारा कराये जाने की वर्तमान विभागी नीति/व्यवस्था के कारण यह सम्भव नहीं है ।

शाहजहांपुर में तिलहर क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड जलालाबाद के गुलाऊ से उमरसड तक कराये गये मिट्टी कार्य की जांच विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

143–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-9-99 जो विधान सभा क्षेत्र तिलहर शाहजहांपुर में विकास खण्ड जलालाबाद के गुलाऊ से उमरसड तक कराये गये मिट्टी कार्य की

जांच कराये जाने विषयक था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

जांच कराई गई । जांच में दोषी पाये गए अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई खण्ड रामनगर सीतापुर कार्यालय में अमीन के पदों पर नियुक्तियों में अनियमितता

144–श्री बिन्दु लाल–

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री को जानकारी है कि अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड 79/55, रामनगर, सीतापुर के कार्यालय आदेश संख्या–2170/स्था०–5/99-2000, दिनांक 12-11-99 द्वारा अनियमित रूप से कुछ अमीन के पदों पर नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां, तो उक्त नियुक्तियां किस शासनादेश के अन्तर्गत की गयी हैं ? क्या सरकार उक्त नियुक्तियों को निरस्त कर उनके वेतन आदि पर हुए व्यय को नियुक्ति अधिकारी के वेतन से वसूल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई सीतापुर की सूचना के अनुसार निःशुल्क बोरिंगों का कार्य सत्यापन नियमित रूप से कराया जाना था कार्य की महत्ता को देखते हुए उनके द्वारा मात्र एक माह के लिए स्टाफ गैप व्यवस्था के अन्तर्गत श्री राम शंकर तिवारी, निवासी मुंशीगंज, सीतापुर को अधिशासी अभियनता, लघु सिंचाई खण्ड, सीतापुर द्वारा नियुक्त किया गया था एक माह की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् हटा दिया गया ।

अधिशासी अभियनता, लघु सिंचाई खण्ड, रामनगर, सीतापुर के अनुसार प्रश्नगत नियुक्ति शासनादेश सं०–1472/54–2/996/75, दिनांक 4-3-89 के अन्तर्गत की गयी थी ।

नियुक्ति निरस्त की जा चुकी है । कार्मिक द्वारा किये गये कार्य के बदले में वेतन का भुगतान किया गया इसलिए वेतन पर हुए व्यय की वसूली नियुक्ति अधिकारी के वेतन से किये जाने का औचित्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन में कालपी क्षेत्रान्तर्गत सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत अधूरे सम्पर्क मार्ग एवं पुलियों के निर्माण सम्बन्धी उपलब्ध धनराशि की जानकारी

145–श्री श्रीराम पाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1999-2000 में सुनिश्चित रोजगार योजना की द्वितीय किश्त की धनराशि प्रत्येक जनपद को अधूरे कार्य पूरा कराने हेतु उपलब्ध करायी गयी थी ? यदि हां; तो जनपद जालौन को कितनी धनराशि दी गयी थी ? कालपी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत अधूरे सम्पर्क मार्ग तथा उनकी पुलियों के निर्माण हेतु कितनी धनराशि दी गयी है ? यदि हां, तो कौन-कौन से कार्यों हेतु कितनी-कितनी धनराशि दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

जनपद जालौन को 212.09 लाख की धनराशि दी गई ।

कालपी विधान सभा क्षेत्र हेतु रु० 75.007 लाख की धनराशि अधूरे कार्यों हेतु दी गई ।

जिसमें सम्पर्क मार्ग एवं पुलियों के 28 कार्यों हेतु रु० 60.352 लाख की धनराशि द्वितीय किस्त में दी गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन के अन्तर्गत कतिपय निर्मित कच्चे सम्पर्क मार्गों के निर्माण में वित्तीय अनियमितताओं की जांच तथा कार्यवाही

146–श्री श्रीराम पाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1998-99 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत खण्ड विकास महेवा, जनपद जालौन के अन्तर्गत निर्मित कच्चे सम्पर्क मार्ग, कालपी मदारीपुर रोड से ग्राम जरारा तक तथा कालपी मदारीपुर रोड से ग्राम लौना तक एवं चुरवी आटा मार्ग से ग्राम हैदलपुर के सम्पर्क मार्गों के निर्माण में की गयी वित्तीय अनियमितताओं की जांच मुख्य विकास अधिकारी, जालौन द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो क्या जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को निलम्बित कर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर गबन की गयी धनराशि की वसूली की कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचरियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन को सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत ग्राम्य विकास अभिकरण में छः माह तक रोकी गई धनराशि में दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

147–श्री श्रीराम पाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन को सुनिश्चित रोजगार योजना वर्ष 1999-2000 में प्रथम किश्त की धनराशि प्राप्त होने के बाद ग्राम्य विकास अभिकरण में छः माह तक रोक रखी गयी थी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या डी०आर०डी०ए० को एक हफ्ते से अधिक धनराशि रोकने का अधिकार नहीं है ? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ऐसी व्यवस्था नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन के ग्राम जैसुखपुर में तालाब निर्माण हेतु स्वीकृत जवाहर रोजगार योजना की धनराशि निर्माण कार्य पूर्ण कराने की जानकारी

148–श्री श्रीराम पाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1999-2000 में जनपद जालौन के खण्ड विकास कदौरा के अन्तर्गत ग्राम जैसुखपुर के तालाब निर्माण हेतु स्वीकृत जवाहर रोजगार योजना की धनराशि की द्वितीय किश्त ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा अवमुक्त करके कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत पुरवावा से देवनपुर माइनर की सिल्ट सफाई की मांग

149–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में पुरवावा से देवनपुर तक 3.90 कि०मी० लम्बे माइनर की सिल्ट सफाई न कराये जाने से कृषकों को सिंचाई सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त माइनर की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद हरदोई के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में समुचित दवाओं की आपूर्ति की मांग

150–श्री धर्मज्ञ मिश्र–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई स्थित स्व० शिवरतन लाल टाटधारी चिकित्सालय, माधौगंज एवं राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, माधौगंज, कुरसठ एवं सदरपुर में दवाओं की अत्यन्त कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार समुचित दवाओं की आपूर्ति करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

स्व० शिवरतन लाल टाटधारी चिकित्सालय आयुर्वेदिक विभाग के अन्तर्गत नहीं है । राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय माधोगंज, कुरसठ एवं सदरपुर में दवाओं की कमी थी जिसे पूरा करने के प्रयास में गत वित्तीय वर्ष 1999-2000 में जनपद हरदोई के आयुर्वेदिक चिकित्सालय हेतु क्रमशः रु० 1168.10, 1839.80 तथा रु० 1168.10 की दवाइयां उपलब्ध कराई जा चुकी हैं । प्रत्येक चिकित्सालय हेतु रु० 826.00 की औषधि सी०डी०एफ० रानीखेत से एवं आई०एम०पी०सी०एल० मोहान, अल्मोड़ा से भी क्रय की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र में सोनहार रजबहा ऐंचामऊ से खुर्दामदारपुर तक की सिल्ट सफाई की मांग

151–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में सोनहार रजबहा ऐंचामऊ से खुर्दामदारपुर तक जिसकी लम्बाई 23.60 कि०मी० है ? क्या उसके मात्र दो कि०मी० की सिल्ट सफाई की गयी है जिससे टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है ? यदि हां, तो क्या

सरकार इसकी पूरी सफाई कराकर हेड से टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद कन्नौज के ग्राम सकरावा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की मांग

152–श्री राम औतार शाक्य–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम सकरावा, ब्लाक–सौरिख, जनपद कन्नौज के 10 कि०मी० के आस-पास तक कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित को दृष्टिगत रखते हुए वंहां अस्पताल बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–कन्नौज के विकास खण्ड सौरिख के ग्राम सकरावा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है तथा उससे पांच कि० मी० की परिधि में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–वीरपुर भी संचालित है ।

जनपद कन्नौज के ग्राम मारापुर में इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प लगवाने की मांग

153–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम मारापुर, मौजा कसावा, ब्लाक छिबरामऊ, जनपद कन्नौज, में पीने के पानी की भारी समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग में इण्डिया मार्का–2 हैण्ड-पम्प लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

ग्राम–आरापुर, मौजा–कसावा में मानक के अनुसार 5 हैण्डपम्पों की आवश्यकता के सापेक्ष 7 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराए जा चुके हैं । अतएव उक्त ग्राम मानक के अनुसार पेयजल से पूर्ण रूप से आच्छादित है ।

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों में अतिथि प्रवक्ता की व्यवस्था एवं उनके स्थायी समायोजन तथा मानदेय में एकरूपता विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

154–श्री श्याम किशोर यादव–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों में पठन-पाठन हेतु अतिथि प्रवक्ता की व्यवस्था रखते हुए उनके स्थायी समायोजन तथा मानदेय में एकरूपता स्थापित किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3-2-2000 सचिव, चिकित्सा शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालयों में प्रवक्ता का पद लोक सेवा आयोग की परिधि का पद है जिसमें अतिथि प्रवक्ताओं के स्थायी समायोजन की नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है और न ही इसका कोई आधार है । अतिथि प्रवक्ताओं को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय अनुमन्य कराने का आदेश निर्गत है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

परिवार कल्याण महाविद्यालय में आशुलिपिकों के स्वीकृत पदों की संख्या एवं इस संवर्ग की सेवा नियमावली में उन्हें सम्मिलित करने की मांग

155–श्री विजय कुमार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में मुख्यालय से लेकर जनपद स्तर तक कुल कितने आशुलिपिक के पद स्वीकृत हैं ? क्या इस संवर्ग की कोई सेवा नियमावली शासन स्तर पर प्रख्यापन हेतु विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या उसमें प्रदेश के सभी आशुलिपिकों को सम्मिलित किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरदार सिंह–

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवार कल्याण महानिदेशालय में आशुलिपिक के कुल 9 पद स्वीकृत हैं ।

मुख्यालय तथा जनपद स्तर पर परिवार कल्याण कार्यक्रम तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का एकीकृत संवर्ग है, जिसमें 210 पद स्वीकृत हैं ।

परिवार कल्याण महानिदेशालय के अन्तर्गत स्वीकृत कुल 9 आशुलिपिकों के संबंध में "उ० प्र० परिवार कल्याण महानिदेशालय लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली" शासन के विचाराधीन है ।

प्रदेश के परिधि स्तरीय कार्यालयों में तैनात आशुलिपिकों के संबंध में "अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1994 प्रख्यापित है और एकीकृत संवर्ग होने के कारण इस नियमावली से जनपदों में तैनात समस्त आशुलिपिक आच्छादित हैं ।

सम्प्रति एकीकृत संवर्ग होने के कारण इसका प्रश्न नहीं उठता ।

156–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

157–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

158–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

[6ठे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–37 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मा० उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ द्वारा चीनी मिलों के सेवा समाप्त कर्मचारियों को सवेतन बहाली के आदेश के अनुपालन के संबंध में जानकारी

159–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ याचिका संख्या–6615 (सी/5)1998 दिनांक 16-12-98 के अनुपालन से सम्बन्धित चीनी मिलों के सेवा समाप्त कर्मचारियों को सवेतन बहाली के आदेश दिये गये थे ? क्या पुनः याचिका संख्या–41402

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा कर्मचारियों की बहाली पर रोक लगवा दी गयी है ? क्या इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री के आदेश संख्या–सी–1–00/298915/5-1-2000 द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों के पालन हेतु निर्देशित किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

लखनऊ खण्डपीठ याचिका सं०–6615 एस/एस/98, दिनांक 15-12-98 में मा० न्यायालय ने कर्मकार की सेवा बहाली के आदेश दिये थे ।

जी हां । यह आदेश उच्च न्यायालय इलाहाबाद बेंच द्वारा दिया गया था । यह लखनऊ बेंच के क्षेत्र में प्रभावी नहीं था ।

विभिन्न श्रमिक संगठनों से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर सम्यक् विचारोपरान्त न्यायहित में मानवीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए उच्च स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1998 में सहकारी चीनी मिलों में अवैधानिक हड़ताल में भाग लेने वाले 126 नियमित कर्मचारियों को चीनी मिल की सेवा से जो हटा दिया गया था, उन कर्मचारियों को पुनः सेवा में लिये जाने का आदेश कुछ शर्तों के अनुसार कर दिये गये हैं । परन्तु इसमें जो कर्मचारी पूर्व में भी अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त रहे तथा उनका चाल-चलन एवं आचरण ठीक नहीं रहा, उनको सेवा में वापस लिया जाना उचित होगा अथवा नहीं के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लेने का परामर्श सहकारी चीनी मिलों के प्रधान प्रबन्धकों को दिया गया है । यह सभी कार्यवाही सहकारी चीनी मिलों के प्रधान प्रबन्धक जो नियुक्ति अधिकारी होते हैं, के स्तर पर की जानी है ।

एस०जी०पी०जी०आई० के विज्ञापन द्वारा प्रोफेसर के रिक्त दो पदों के विपरीत विभागाध्यक्ष रेडियोडाइग्नोसिस द्वारा तीन पदों पर नियुक्ति किये जाने की शिकायत

160–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि एस०जी०पी०जी०आई० के विज्ञापन संख्या–60/96-97 द्वारा दो सहायक प्रोफेसर के रिक्त पदों की भर्ती हेतु प्रकाशन किया गया था ? क्या यह सही है कि विभागाध्यक्ष रेडियोडाइग्नोसिस द्वारा दो पदों के विपरीत तीन पदों पर नियुक्तियां की गयीं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी विभागाध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं । विभागाध्यक्ष चयन समिति की एक सदस्य है न कि नियुक्ति प्राधिकारी । उक्त विज्ञापन के विपरीत संस्थान में विद्यमान पदों की संख्या एवं संस्थान की आवश्यकताओं को देखते हुये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त दो संकाय सदस्यों को वरीयता क्रम में एवं तीसरे को प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

संस्थान द्वारा उक्त विज्ञापन मार्च, 1997 में किया गया था तथा चयन समिति का आयोजन अक्टूबर, 1997 में किया गया था । माह दिसम्बर तक संस्थान के रेडियोडाइग्नोसिस विभाग के दो संकाय सदस्यों की सेवायें लगातार अनुपस्थिति के कारण समाप्त करनी पड़ीं जिनके स्थान पर संस्थान की आवश्यकताओं को देखते प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध अभ्यर्थी को भी नियुक्ति प्रदान की गयी । विज्ञापन में

वर्णित पद की संख्या प्राविजनल थी जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त नियुक्तियां विज्ञापन में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से संस्थान के रोगी परिचर्या शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की आवश्यकताओं को देखते हुए की गयी हैं ।

मेडिकल कालेज, आगरा में प्रदूषण की रोकथाम हेतु क्रय किये गये एअर कर्टेन को स्थापित न करने की शिकायत

161–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वित्तीय वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में मेडिकल कालेज, आगरा में प्रदूषण की रोकथाम हेतु रु० 6000/- प्रति एअर कर्टेन की दर से साठ एअर कर्टेन क्रय किये गये ? क्या यह सही है कि उक्त एअर कर्टेन आज तक स्थापित नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ! वरन् विभिन्न माप एवं मूल्य के कुल 20 एयर कर्टेन रु० 1,76,640.00 में क्रय किये गये ।

जी नहीं । उक्त एयर कर्टेन स्थापित किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला नियोजन समिति प्रतापगढ़ द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मन्दाह एवं पी०एच०सी० हरीपुर बरढ़ौता, नरायनपुर के भवन निर्माण सम्बंधी जानकारी

162–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला नियोजन समिति, प्रतापगढ़ द्वारा वर्ष 1999-2000 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मन्दाह एवं पी०एच०सी० हरीपुर बरढ़ौता, नरायनपुर के भवन निर्माण हेतु विस्तार अंश में धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है ? क्या इस सम्बन्ध में जनपद से प्रस्ताव पत्रांक 2387, दिनांक 28-6-99 द्वारा महानिदेशक को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

जी हां ।

आय-व्ययक में प्रावधान न होने के कारण निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत नहीं की जा सकी ।

जनपद जौनपुर के इण्टर कालेज मछली शहर में अनुसूचित जाति छात्रावास निर्माण कराने के संबंध में जानकारी

163–श्री पूर्णमासी पंकज–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड मछली शहर स्थित इण्टर कालेज, मछली शहर, जौनपुर में अनुसूचित जाति छात्रावास निर्माण हेतु वर्ष 1992–93 में 7.00 लाख रुपया प्रबन्धक को अवमुक्त किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त छात्रावास का निर्माण किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड मछली शहर स्थित इण्टर कालेज, मछली शहर, जौनपुर में अनुसूचित जाति छात्रावास निर्माण हेतु वर्ष 1992-93 में रुपया–5.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश सं०–3249/26-3-91-9(23)/89, दिनांक 18-2-92 द्वारा रुपया 1.50 लाख अवमुक्त किया गया तथा द्वितीय किश्त रुपया 2.50 लाख शासनादेश सं०–2036/26-3-93 दि० 15-7-93 एवं तृतीय किश्त के रूप में रुपया 1.00 लाख शासनादेश 1866/26-3-95, दि० 23-2-96 द्वारा स्वीकृत किया गया ।

उक्त छात्रावास का निर्माण किया जा चुका है किन्तु छात्रवास आवासीय दृष्टि से पूर्ण नहीं है । छात्रावास का निर्माण पूरा करने के लिए स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि की आवश्यकता है जो प्रबन्धक द्वारा नहीं लगायी गयी । यह अवगत कराना है कि योजनान्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से निर्मित कराये जाने वाले छात्रावासों के लिए रु० 5.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा 10% अंशदान संस्था द्वारा स्वयं वहन करना पड़ता है । साइट प्लान के अनुसार छात्रावास भवन की लागत 7.98 लाख थी । स्पष्टतः स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि की व्यवस्था का उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धक का था ।

जनपद सीतापुर की निर्माणाधीन कमलापुर चीनी मिल को शीघ्र चालू किये जाने की मांग

164–श्री रमेश राही–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की निर्माणाधीन कमलापुर चीनी मिल को लाइसेन्स दिये जाने के समय, मिल निर्माण हेतु कितना समय दिया गया था ? इतने वर्षों बाद भी अभी तक चीनी मिल क्यों चालू नहीं हो पायी है ? क्या सरकार मिल मालिक को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त चीनी मिल कब तक बन कर तैयार हो जायेगी ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जनपद सीतापुर के स्थल कमलापुर में चीनी मिल स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा आशय-पत्र संख्या–एल०आई० 89(1996), दिनांक 18-3-96 तीन वर्ष की वैधता अवधि हेतु जारी किया गया था ।

चीनी मिल ने दिनांक 19-1-2000 से ट्रायल गन्ना पेराई कार्य आरम्भ कर दिया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

सुभाष चन्द्र बोस जिला अस्पताल, गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के विरुद्ध प्राप्त फैक्स एवं पत्रों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

165–श्रीमती गौरी देवी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि सुभाष चन्द बोस जिला अस्पताल, गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के विरुद्ध पक्षपात करने, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, डाक्टरों को अनुचित रूप से उत्पीड़ित करने, घटिया निर्माण कराने तथा अन्य गम्भीर आरोप के सम्बन्ध में पूर्व विधायक व सांसद श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–गोरखपुर द्वारा अपर निदेशक, गोरखपुर मंडल, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, सचिव स्वास्थ्य विभाग एवं मंत्री जी को माह अप्रैल, 1999 से अक्टूबर 1999 ई० तक कितने फैक्स तथा पत्र प्राप्त हुए हैं ? उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार उक्त अवधि में पूर्व विधायक एवं सांसद श्री फिरंगी प्रसाद विशारद का प्रश्नगत विषयक कोई शिकायती-पत्र शासन में प्राप्त नहीं हुआ है । इस संबंध में महानिदेशक,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एवं अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर से सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चम्पावत में बाल विकास एवं पुष्टाहार की योजना आरम्भ करने की मांग

166–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद चम्पावत में बाल विकास व पुष्टाहार कार्यक्रम की कोई भी योजना नहीं चलायी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार जनपद चम्पावत में बाल विकास एवं पुष्टाहार की योजना शुरू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

क्योंकि भारत सरकार से जनपद चम्पावत में बाल विकास परियोजना के संचालन की स्वीकृति प्राप्त नहीं है । भारत सरकार की स्वीकृति पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गन्ना आयुक्त उ० प्र० द्वारा महमूदाबाद चीनी मिल को क्रमशः अजयपुर व मासबेहड़ा गन्ना क्रय केन्द्र संचालित करने संबंधी दिये गये आदेश के अनुपालन की जानकारी

167–श्री महेन्द्र कुमार सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1999–2000 में गन्ना आयुक्त, उ०प्र० द्वारा महमूदाबाद चीनी मिल को क्रमशः अजयपुर व मासबेहड़ा गन्ना क्रय केन्द्र संचालित करने के आदेश दिये गये हैं ? क्या उक्त आदेश के अनुपालन में गन्ना क्रय केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो किस तिथि से ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त गन्ना क्रय केन्द्रों को कब तक संचालित किया जायेगा ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

पेराई सत्र, 1999-2000 में गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा अपने सुरक्षण आदेश संख्या–03/सी दिनांक 8-11-99 द्वारा चीनी मिल महमूदाबाद को क्रमशः अजयपुर व मासबेहड़ा क्रय केन्द्र संचालित करने के आदेश दिये गये ।

उक्त आदेश के अनुपालन में गन्ना क्रय केन्द्र क्रमशः अजयपुर व मासबेहड़ा पर क्रमशः दिनांक 11-4-2000 एवं 2-4-2000 से गन्ने की खरीद की जा रही है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

लोक सेवा आयोग उ० प्र० द्वारा विज्ञापित होम्योपैथी मेडिकल आफिसर के पदों हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं विवरण की जानकारी

168–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा अगस्त, 1998 में विज्ञापित होम्योपैथी मेडिकल आफिसर के 205 पदों के लिए जनवरी, 1999 में साक्षात्कार लिया गया था ? यदि हां, तो साक्षात्कार हेतु कुल कितने बोर्ड गठित किये गये थे और प्रत्येक बोर्ड ने कितने-कितने अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया और प्रत्येक बोर्ड से कितने-कितने अभ्यर्थी सफल घोषित हुए ? उक्त 205 पदों के विरुद्ध कुल कितने अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति हेतु शासन को प्राप्त हुई है ? क्या यह सही है कि सूची में त्रुटियों के कारण लोक सेवा आयोग द्वारा कुछ अभ्यर्थियों के नाम वापस मांगे गये हैं ? यदि हां, तो इसका पूरा विवरण क्या है ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

साक्षात्कार हेतु लगभग 95 साक्षात्कार परिषदें गठित की गईं तथा प्रत्येक परिषद् में 15 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था । साक्षात्कार में कुल 1273 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे । इनमें से कुल 200 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया था । अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित दो पद अग्रेनीत किए गये तथा तीन पदों का परिणाम मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन रुके हैं ।

आयोग से चयनित 200 अभ्यर्थियों की सूची में से 174 अभ्यर्थियों की संस्तुति शासन में प्राप्त हुई हैं ।

जी हां । आयोग द्वारा शासन को प्रेषित 200 अभ्यर्थियों की सूची में 9 अभ्यर्थियों के नाम कार्यालयीय त्रुटि के कारण आयोग द्वारा संस्तुत कर दिये गये थे जिन्हें आयोग द्वारा निरस्त करते हुए उनके स्थान पर 8 अभ्यर्थियों की संस्तुति शासन को उपलब्ध करा दी गयी है ।

जनपद कन्नौज के ग्राम रम्पुरा में इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प लगवाने की मांग

169–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम रम्पुरा, मौजा खोजीपुर रम्पुरा, ब्लाक–छिबरामऊ, जनपद कन्नौज में पीने के पानी की समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान आबादी के अनुसार जल निगम द्वारा इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी नहीं ।

पानी की समस्या न होने के कारण फिलहाल आवश्यकता नहीं है ।

ग्राम रम्पुरा मौजा खोजीपुर में मानक के अनुसार 4 हैण्डपम्पों के विपरीत 5 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराकर उक्त ग्राम को मानक के अनुसार पेयजल से आच्छादित किया जा चुका है ।

प्रदेश में मोतियाबिन्द के आपरेशन में 1–0 एल लेन्स लगाने वाले अस्पतालों तथा जनपद बहराइच अस्पताल को उपलब्ध कराये गये लेन्स की जानकारी

170–डा० वकार अहमद शाह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोतियाबिन्द के आपरेशन में 1–0–एल लेन्स लगाने की विधि प्रदेश में कहां-कहां, किन-किन सरकारी अस्पतालों में प्रचलित की गई है ? बहराइच जिला अस्पताल में कितने सर्जन आंख के हैं ? क्या वहां भी 1–0–एल के आपरेशन प्रारम्भ किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या लेन्स बदलने के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? बहराइच अस्पताल को कितने लेन्स उपलब्ध कराये गये हैं ? यदि नहीं, तो इसका कारण क्या हैं ?

श्री रमापति शास्त्री–

प्रदेश के 41 जनपदों में (संलग्न सूची के अनुसार) जनपद चिकित्सालय स्तर पर आई०ओ०एल० विधि से वर्ष 1999-2000 में मोतियाबिन्द के आपरेशन सम्पन्न किए गए हैं । जिला चिकित्सालय बहराइच में दो आंख के सर्जन वर्तमान में कार्यरत हैं ।

हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लेन्स बदलने के लिए आवश्यक प्रमुख उपकरण उपलब्ध हैं तथा शेष उपकरणों की आपूर्ति प्रक्रिया भारत सरकार के स्तर से प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कोई नहीं ।

जब जनपद बहराइच से लेन्स हेतु मांग-पत्र आया उस समय राज्य स्तर पर आई०ओ०एल० उपलब्ध नहीं था क्योंकि भारत सरकार द्वारा अपेक्षित मात्रा में लेन्स उपलब्ध नहीं कराए गए थे ।

(सूची देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 255 पर ।)

जनपद बहराइच में खराब टी०बी० क्लीनिक एक्स-रे प्लान्ट को ठीक कराने की मांग

171–डा० वकार अहमद शाह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बहराइच में टी०बी० क्लीनिक का एक्स-रे प्लान्ट वर्तमान समय में खराब पड़ा है ? यदि हां, तो उक्त प्लान्ट को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

एक्स-रे मशीन मरम्मत योग्य नहीं है । मशीन निष्प्रयोज्य स्थिति में है, अतः अब मरम्मत किया जाना संभव नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

172–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

डा० शिवसागर शुक्ल, प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ को वित्तीय अनियमितताओं में निलम्बन संबंधी जानकारी

173–श्री बांकेलाल सोनकर–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि अक्टूबर, 1995 में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने डा० शिवसागर शुक्ल, प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ को गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं में प्रारभिक जांच में दोषी पाये जाने पर निलम्बित करके सिद्ध आरोपों की जांच के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों का अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्या उक्त आदेशों का अनुपालन न करने के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी नहीं ।

कोई अधिकारी दोषी नहीं है । क्योंकि तत्समय यह विचार किया गया था कि विभाग में काफी संख्या में अधिकारी निलम्बित हैं, अतः ऐसे प्रकरणों जिनमें अधिकारी अपराधिक प्रकरण में लिप्त नहीं हैं, वरन् वित्तीय अनियमितताओं में अंतर्ग्रस्त हैं उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की गहराई से छानबीन कर और उन्हें आरोपित कर जांच सम्पादित कराई जा सकती है । डा० शुक्ला को शासन के आदेश

दिनांक 1-5-2000 द्वारा निलम्बित कर विधिवत् विभागीय जांच कार्यवाही के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

डा० आर०पी० सिंह चिकित्साधिकारी सा० स्वा० केन्द्र दोस्तपुर सुल्तानपुर के निलम्बन संबंधी जानकारी

174–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी सुल्तानपुर की जांच आख्या पर डा० आर० पी० सिंह, चिकित्साधिकारी, सा०स्व०केन्द्र दोस्तपुर, सुल्तानपुर को शासनादेश सं०–6437/चि० 3–99–1531/99 दि० 14-10-99 द्वारा निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो यह जांच आख्या क्या थी तथा किन शिकायती बिन्दुओं पर जांच की गयी थी ? क्या यह सही है कि डा० सिंह को जांच आख्या में दोषी पाये जाने पर उन्हें निलम्बित करने के बाद पुनः निलम्बन निरस्तीकरण के आदेश दि० 30-10-99 को जारी किए गए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

डा० आर०पी० सिंह के द्वारा डा० रमाकान्त आर्या के साथ अभद्र व्यवहार करने उन्हें धमकी देने, स्वयं के अभिलेखों में धोखाधड़ी करके गृह जनपद परिवर्तित कराने तथा सरकारी अभिलेखों को संबंधित लिपिक से लेकर स्वयं अपने पास रख लेने आदि की शिकायतें जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा प्रारम्भिक जांचोपरान्त शासन को प्रेषित की गयी थीं।

जी हां। प्रशासनिक आधार पर इनका निलम्बन जारी रखना उचित नहीं पाया गया।

175–श्री राजाराम पाल–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

176–श्री राजाराम पाल–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद कानपुर नगर को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि संबंधी जानकारी

177–श्री राजाराम पाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1995-96 व 1997-98 में जनपद कानपुर नगर को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई थी ? क्या यह सही है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर नगर द्वारा यह धनराशि कोषागार से आहरित कर बिना वितरित कराये ही व्यय विवरण मण्डल कार्यालय व निदेशालय को भेज दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय शाहजहांपुर में स्वीकृति हेतु लम्बित विधवा पेंशन फार्मों के संबंध में जानकारी

178–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला प्रोवेशन अधिकारी कार्यालय शाहजहांपुर को उप जिलाधिकारी तिलहर, पुवायां, जलालाबाद, सदर की संस्तुति से दि० 1-4-1997 से

दिनांक 1-2-2000 तक कितने फार्म विधवा पेंशन स्वीकृत करने हेतु प्राप्त हुए तथा उनमें से कितनी विधवाओं को उपरोक्त अवधि से पेंशन स्वीकार की गई तथा कितने फार्म स्वीकृति हेतु कार्यालय में लम्बित हैं ? क्या सरकार उप जिलाधिकारी/तहसीलदार की संस्तुति वाले लम्बित सभी फार्मों पर पेंशन स्वीकृत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रभा द्विवेदी–

उप जिलाधिकारी/तहसीलदार से 2525 फार्म प्राप्त ।

418 विधवाओं को ।

2107 फार्म ।

सम्प्रति संभव नहीं है ।

किसी नवीन लक्ष्य के स्वीकृत न होने तथा वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण समस्त पात्र अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया जाना फिलहाल, संभव नहीं है ।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर में कराये गये कार्य में धांधली की जांच की मांग

179–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का एक पत्र दि० 10-9-99 को जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर में खमरिया से सिमरिया तक लम्बाई 2700 मीटर कार्य में की गयी धांधली की जांच कराये जाने विषयक मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त पत्र को जिलाधिकारी शाहजहांपुर को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया था ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर जिलाधिकारी शाहजहांपुर ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

जांच में दोषी पाये गये कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत ग्राम सभा नई लंगड़ी में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों में अनियमितता के भौतिक सत्यापन की मांग

180–श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत ग्रामसभा नई लंगड़ी को वर्ष 1998-99, 1999-2000 में जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत कितनी धनराशि दी गयी तथा उक्त धनराशि को किस-किस मद में खर्च किया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त धनराशि से कराये गये कार्यों में अनियमिततायें की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका भौतिक सत्यापन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जनपद सिद्धार्थनगर में ग्राम सभा नई लंगड़ी नहीं है, अपितु ग्राम सभा सोनबल का एक राजस्व ग्राम है । अतः ग्राम सभा सोनबल को वर्ष 1998-99 में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत रु० 24,960/– एवं वर्ष

1999-2000 में रु० 28,656/– दी गई है । उक्त धनराशि का पंचायत भवन, खड़न्जा निर्माण, हैण्डपम्पों की स्थापना व मिट्टी पटाई के मद पर व्यय किया गया ।

जी नहीं ।

भौतिक सत्यापन किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

181–श्री राम औतार शाक्य–

[दिनांक 10-5-2000 को अता०प्र०सं०–49 द्वारा उत्तरित]

श्री विजय कुमार श्रीवास्तव वरिष्ठ लिपिक आई०सी०डी०एस० बलरामपुर के बलिया स्थानान्तरण प्रकरण की जांच की मांग

182–श्री अक्षयवर लाल–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि विजय कुमार श्रीवास्तव वरिष्ठ लिपिक आई० सी० डी० एस० बलरामपुर द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्र दिनांक 5-9-99 को अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 17-9-99 द्वारा वापस ले लिया गया था ? यदि हां, तो क्या उसके बाद भी उन्हें दिनांक 11-1-2000 को सेवानिवृत्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि मा० उच्च न्यायालय लखनऊ बेन्च द्वारा निदेशक आई० सी० डी० एस० लखनऊ के उक्त आदेश दिनांक 11-1-2000 के विरुद्ध स्थगन आदेश दिये जाने के बाद व श्री विजय कुमार श्रीवास्तव को आदेश दिनांक 22-2-2000 द्वारा बलिया स्थानान्तरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कराकर दोषी जन के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये श्री श्रीवास्तव की तैनाती बहाल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रभा द्विवेदी–

जी हां ।

जी हां ।

श्री श्रीवास्तव द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्र दिनांक 5-9-99 एवं तदोपरान्त उनके द्वारा की गयी गम्भीर अनुशासनहीनता, अभद्रता तथा अनुत्तरदायित्वपूर्ण कार्यशैली के कारण सेवानिवृत्त किया गया ।

जी हां ।

मा० न्यायालय के स्थगन आदेश में श्री श्रीवास्तव को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था अतः प्रशासनिक कारणों से उन्हें जनपद बलिया स्थानान्तरित किया गया ।

प्रकरण की जांच कराये जाने व श्री श्रीवास्तव की तैनाती बहाल किये जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय उ० प्र० लखनऊ द्वारा ''वर्ग-ग'' के अन्तर्गत लैब टेक्निशियन पद पर चयनित व्यक्तियों की नियुक्ति न करने के सम्बन्ध में जानकारी

183–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी, अलीगढ़ द्वारा दिया गया प्रोफेशनल कोर्स का डिप्लोमा केन्द्र सरकार द्वारा एक्ट नं०–एक्स०एल० 1920 पैरा–6 के अनुसार मान्यता प्राप्त है और ए०एम०यू० अमेन्डमेन्ट एक्ट 1981 (62 आफ 1981) के अनुसार यह कोर्स ऐक्ट

आफ पार्लियामेन्ट द्वारा स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय में लैब टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति उ० प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ में पंजीकरण की शर्त आवश्यक है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो मार्च, 1999 में आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय, उ० प्र० लखनऊ द्वारा "वर्ग–ग" के अन्तर्गत लैब टेक्नीशियन पद पर मार्च, 1999 में चयनित उम्मीदवारों की अभी तक नियुक्ति न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी हां ।

शासनादेश संख्या–1871/5-8-89–20–85, दिनांक 24 अप्रैल, 1989 एवं संख्या–1490/5-8-आठ–72/95, दिनांक 13 जून, 1996 में निहित प्राविधान के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों द्वारा स्टेट मेडिकल फैक्ल्टी लखनऊ में पंजीयन (एनरोलमेन्ट) कराने के उपरान्त ही नियुक्ति आदेश निर्गत किये जा सकेंगे ।

जनपद कुशीनगर में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने की मांग

184–श्री राधेश्याम सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में जनपद कुशीनगर के सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गयी ? उक्त धनराशि का वितरण जनप्रतिनिधि के प्रस्ताव पर कौन-कौन से कार्य हेतु कितना-कितना किया गया ? कौन-कौन से कार्य अधूरे हैं एवं उन्हें कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

जी हां ।

जनपद कुशीनगर को सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1998-99 में रु० 942.73 लाख की धनराशि एवं वर्ष 1999-2000 में रु० 505.06 लाख की धनराशि आवंटित हुई ।

जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर स्वीकृत धनराशि, कार्य का विवरण एवं अद्यतन स्थिति का विवरण संलग्न * है ।

प्रश्नगत कार्य जो अधूरे हैं वह संलग्न सूची में अंकित हैं तथा वर्ष 1999-2000 के आवंटित धनराशि को भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु अवमुक्त की गयी है, जिससे अधूरे कार्य पूर्ण हो सकेंगे ।

जनपद प्रतापगढ़ में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत अवमुक्त धनराशि, प्रस्ताव की स्वीकृति एवं जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सम्बन्धी जानकारी

185–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत दिनांक 8-2-1999 से दिनांक 31-12-99 तक जनपद प्रतापगढ़ की प्रत्येक विधान सभा को मदवार कुल कितनी

---

*देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 156–158 पर ।

धनराशि अवमुक्त की गयी है ? प्रस्ताव की स्वीकृति से सम्बन्धित वर्तमान आदेश क्या है तथा इसमें जनप्रतिनिधियों की क्या सहभागिता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्रवार धनराशि आवंटन नहीं की जाती है अपितु विकास खण्डवार आवंटन किया जाता है । दिनांक 8-2-99 से 31-12-99 के मध्य रु० 31.208 लाख वनीकरण, रु० 28.016 लाख जल संरक्षण, रु० 579.782 लाख सम्पर्क मार्ग एवं रु० 125.245 लाख प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण हेतु अवमुक्त की गयी ।

भारत सरकार के मार्ग-निर्देश के अनुसार वार्षिक कार्य योजनाओं को जिला पंचायत द्वारा मा० सांसदों की सलाह से अन्तिम रूप दिये जाने का प्राविधान है । इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या–631/38-4-2000–3सी०क्यू०/2000, दिनांक 25-3-2000 द्वारा मा० सांसदों के साथ-साथ मा० विधायकगणों से भी परामर्श लेने के निर्देश दिये गये हैं ।

186–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह –

[दिनांक 3-5-2000 को अता०प्र०सं०–194 द्वारा उत्तरित]

जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड श्रीदत्तगंज में मार्गों के कराये गये कार्यों के मानक व गुणवत्ता की जांच टी०ए०सी० से कराने की मांग

187—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड श्रीदत्तगंज में वर्ष 1998-99 में महदेइय्या मोड़ मस्जिद से मुजहनी सरहद–भटपुरवा सम्पर्क मार्ग होते हुए गोण्डा उतरौला मुख्य मार्ग तक द्वितीय किश्त मिलने से पूर्व ही कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं ? कार्य बिना दूसरी किश्त मिलने के पूर्व किस आधार पर पूर्ण कराया गया ? क्या कराये गये उक्त कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुसार कराये गये हैं ? क्या सरकार इसकी जांच टी० ए० सी० द्वारा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

खण्ड विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत कार्य पर अवमुक्त धनराशि की सीमा तक ही कार्य कराया गया था । द्वितीय किश्त प्राप्त होने पर शेष कार्य पूर्ण कराया गया है ।

कार्य की गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्व० करम सिंह, अटेन्डेन्ट, किंगजार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ की धर्म पत्नी को पेंशन देने एवं उनके पुत्र को सेवायोजित करने की मांग

188—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि स्व० करम सिंह अटेन्डेन्ट, किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ की धर्मपत्नी श्रीमती भागा देवी, निवासी ग्राम–चाकबीड़ी, पो०–कण करायत, जिला–चम्पावत

द्वारा पारिवारिक पेंशन स्वीकृति एवं मृतक आश्रित के रूप में पुत्र को सेवानियोजित किये जाने के संबंध में अधीक्षक द्वारा महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा को पत्र संख्या–6383/इ०पी०(नि०), दिनांक 13-7-99 भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

स्व० करम सिंह, अटेन्डेन्ट, किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ की धर्म पत्नी श्रीमती भागा देवी, निवासी ग्राम०–चाकबीड़ी, पो०–कर्णकरायत, जिला चम्पावत के पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति हेतु अधीक्षक, गांधी मेमोरियल एवं सम्बद्ध चिकित्सालय द्वारा दिनांक 13-7-99 का पत्र वित्त नियंत्रक, के०जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ को लिखा गया है और उसकी प्रतिलिपि महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ को पृष्ठांकित की गयी है ।

प्रश्नगत प्रकरण विश्वविद्यालय के माध्यम से महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ को तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन में 50 प्रतिशत अनुदान पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराये जाने की योजना में अपात्रों का चयन किये जाने की जांच एवं कार्यवाही की मांग

189—श्री श्रीराम पाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–जालौन में वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 में विकास खण्ड स्तर पर 50 प्रतिशत अनुदान पर ट्रेक्टर उपलब्ध कराये जाने की योजना में अपात्रों का चयन किये जाने के मामले की जांच जिलाधिकारी, जालौन के माध्यम से शासन को प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो कब ? क्या दोषी अधिकारी/ कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मुख्य विकास अधिकारी, जालौन स्थान उरई के पत्रांक–44/अभि०–लेखा/एकी०/ सा०क्रियाकलाप/ 2000 दिनांक 15 मई, 2000 द्वारा शासन को जांच आख्या दिनांक 16-5-2000 को प्राप्त हुई है ।

जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त गुण-दोष के आधार पर दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

डा० कौशल किशोर–

मान्यवर, मैं एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

मा० अध्यक्ष जी ने भी व्यवस्था दी थी कि प्रश्न काल समाप्त होने के बाद मैं आपके औचित्य के प्रश्न को सुन लूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं पहले 301 की सूचना ले लेता हूं। आज दिनांक 17 मई, 2000 को सदन के संज्ञान में लाने के लिए नियम 301 के अन्तर्गत कुल 70 सूचनाएं प्राप्त हुईं प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गईं।)

लखनऊ नगर के इन्दिरा नगर बी ब्लाक स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग की कालोनी में पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री केशो मेहरा–

[महोदय, मैं नियम 301 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं –

लखनऊ नगर के इन्दिरा नगर के बी ब्लाक स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग की कालोनी में पेयजल का गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। इस कालोनी के निवासी इस गर्मी में, जल संस्थान के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण पानी के घोर अभाव में हैं। इस कालोनी में पानी की आपूर्ति का कोई समय निर्धारित नहीं है और पानी का दबाव इतना कम रहता है कि पहले तल के ही भवनों में पानी नहीं पहुंचता है। इसके अतिरिक्त अल्प समय के लिए ही आपूर्ति किए जा रहे पानी के साथ-साथ गंदगी और सड़ांध आना एक आम बात है। कुछ समय के लिए ही आपूर्ति किए जाने वाले पानी के सड़ांध युक्त होने तथा प्रदूर्षित होने के कारण उस क्षेत्र के निवासी पानी के उपयोग के प्रति भयभीत हैं संक्रामक रोग फैलने की पूर्ण आशंका है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए मांग करता हूं कि इस प्रकारण की जांच करवाकर क्षेत्र की पेयजल समस्या का निराकरण करने का कष्ट करें ताकि वहां के निवासियों को दूषित पानी उपयोग से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके।]

जनपद बदायूं के अन्तर्गत बिल्सी–उझियानी के अधूरे मार्ग को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भोला शंकर मौर्य–

[महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र बिल्सी जनपद बदायूं के मार्ग उझियानी से बिल्सी-बदायूं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उ० प्र० सरकार की मार्ग नीति के अनुसार 2500 जनसंख्या के मार्गों की निर्माण कार्यों की प्राथमिकता दी जायेगी। किन्तु राजनैतिक कारणों से यह मार्ग जो कि दोनों ओर बन गया है किन्तु बीच का भाग जो कि हरगनपुर से सिरासौल जसाका अधूरा पड़ा है और इसकी लम्बाई 3.5 किमी० है मार्ग को इस कारण नहीं बनवाया जा रहा है क्योंकि विधान सभा में विपक्ष का सदस्य है प्रकरण शासन की नीति में आता है। तथा इसका आगणन (स्टीमेट) भी शासन में लम्बित है।

अतएव लोक महत्व एवं अविलम्बनीय प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि इस अधूरे मार्ग को जनहित एवं लोकहित में लोक निर्माण विभाग को राज्य सेक्टर से पूरा कराये जाने हेतु निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

काशी में गंगा नदी के प्रवाह को गति देने हेतु तलहटी की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम देव राय चौधरी–

[महोदय, ज्ञातव्य है कि काशी में गंगा नदी के तलहटी की गहराई लगातार कम होती जाने से गंगा के प्रवाह की गति भी धीमी पड़ती जा रही है जिससे साधारण लोगों के साथ ही जल वैज्ञानिकों ने भी अपनी चिन्ता प्रकट की है । वैज्ञानिकों का कहना है कि हरिद्वार में गंगा के जल की दिशा को परिवर्तित कर देने के कारण काशी में गंगा जल का संकट भी बढ़ता जा रहा है । हमारी सभ्यता, संस्कृति एवं विश्वास का प्रतीक गंगा है जिसे जीवन दायिनी एवं मोक्ष दायिनी कहा गया है । विभिन्न कारणों से गंगा का प्रवाह थम सा गया है जिसमें एक कारण गंगा की तलहटी की गहराई कम होना भी है । दुनिया के कई देशों में समय-समय पर नदियों की "ड्रेजिंग" (तलहटी सफाई) की प्रथा है । प्राथमिकता के आधार पर गंगा के प्रवाह को गति देने की आवश्यकता समय की मांग है क्योंकि प्रवाहित गंगा जल को ही अमृत माना गया है ।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न को उठाते हुए आपसे मांग करता हूं कि ड्रेजिंग मशीन द्वारा वाराणसी में गंगा की तलहटी की सफाई तत्काल कराये जाने हेतु शासन को आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें ।]

जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों के निर्माण में किये गये कथित घपले की जांच टी०ए०सी० से कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम विशुन आजाद–

[मान्यवर, माननीय सदन में अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में लोक निर्माण विभाग गोण्डा द्वारा वर्ष 1996-97, 1998-99 और 1997-98 और 1999-2000 में जिला योजना के अन्तर्गत जितने भी सड़कें स्वीकृत की गयी थी उन सड़कों पर संबंधित अभियन्ताओं द्वारा ठेकेदारों की मिलीभगत से आगणन के अनुसार एवं मानक के अनुरूप इण्टरकोट तथा तापकोट के पत्थर की कुटाई नहीं की गयी । इसी तरीके से वर्ष 1998-99 और 1999-2000 में पूर्वांचल विकास योजना निधि के अन्तर्गत मेरे प्रस्तावों जितने भी सम्पर्क मार्गों को दिया गया था उन सम्पर्क मार्गों पर मानक के अनुरूप कार्य नहीं कराया गया और जिला योजना पूर्वांचल निधि योजना के अन्तर्गत जिन सम्पर्क मार्गों पर लेपन कार्य करवाया गया है, उन पर मानक के अनुरूप सामग्री नहीं लगायी गयी । पेन्टिंग का कार्य भी दोनों कोड में गिट्टी एवं तारकोल को कम मात्रा में लगाया गया है जिससे सड़क की सतह एवं मजबूती दोनों खराब है और सड़क की सतह ऊंची नीची है । मैं कुछ मार्गों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा जिस पर कई बार शासन/प्रशासन का ध्यान टी०ए०सी० जांच कराये जाने के लिये अवगत कराया गया ।

1–रामपुर झिलाही मार्ग, 2–पूरेहृदय सम्पर्क मार्ग, 3–मछलीगांव चौबेपुर गांव, 4–अमवा वीरपुर मार्ग, 5–वजीरगंज मार्ग का निर्माण, 6–हरनाटायर अम्बेडकर मार्ग, 7–बक्सरा अम्बेडकर ग्राम मार्ग, 8–करनीपुर अम्बेडकर मार्ग, 9–गौरा चौकी बभनान मार्ग से चांदपुर मार्ग, 10–चांदपुर मार्ग, 11–जगन्नाथपुर ककरघटा शेष भाग, 12–ककरहवा घाट जगन्नाथ ग्रिन्ट, 13–सोहांस फरेंदा मार्ग गढ़ी मार्ग खारी बावली

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मसकनवा सिकन्दरपुर मार्ग, इस तरीके से उक्त मार्गों पर ठेकेदारों का और संबंधित अभियन्ताओं द्वारा मानक के अनुरूप कार्य न कराकर शासकीय धन का भारी पैमाने पर दुरुपयोग किया गया है बहुत सी सड़कों पर लो टेण्डर डलवाया गया है ।

कृपया जनहित में सदन के माध्यम से टी०ए०सी० जांच कराये जाने एवं दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग करता हूं ।]

जनपद जौनपुर के थाना जफराबाद से करमही न्याय पंचायत के सभी ग्राम निकालकर थाना गौरा बादशाहपुर में सम्मिलित करने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय–

महोदय जनपद जौनपुर के थाना–जफराबाद का भौगोलिक स्थित ऐसी है कि बीच में नदी होने के कारण एक न्याय पंचायत करमही के लगभग दस ग्रामों के लिये 15 किमी० का चक्कर लगाकर शहर से आना-जाना पड़ता है । कभी-कभी कानून व्यवस्था कि स्थिति गंभीर होने पर समय पर पुलिस नहीं पहुंचती है जबकि न्याय पंचायत करमही के सभी ग्राम थाना–गौराबादशाहपुर के सीधे रास्ते पर नजदीक पड़ते है तथा जफराबाद से करमही न्याय पंचायत के सभी ग्राम निकाल कर थाना-गौरा बादशाहपुर में सम्मिलित कर लिया जाय । ताकि जनता की सुविधा कानून व्यवस्था शीघ्र एवं प्रभावी नियंत्रण में रहे ।

अतः इस लोकमहत्व के प्रश्न पर माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुये थाना–जफराबाद जनपद जौनपुर के करमही न्याय पंचायत के ग्रामों का हटाकर गौरा बादशाहपुर में सम्मिलित करने की मांग करता हूं ।

जनपद सीतापुर एवं हरदोई के तत्कालीन अभियन्ताओं द्वारा निःशुल्क बोरिंग के अन्तर्गत किये गये गबन की जांच कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बनवारी लाल दोहरे–

[महोदय, लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश में कार्यरत तत्कालीन अवर अभियन्ता सीतापुर, श्री विजय कपूर तथा तत्कालीन अवर अभियन्ता हरदोई श्री मदन मिश्रा को निःशुल्क बोरिंग के अन्तर्गत लाखों रुपयों के सरकारी गबन के आरोप में शासन द्वारा निलम्बन के आदेश दिए गये किन्तु मुख्य अभियन्ता ने उनसे भारी रकम लेकर कार्यहित का बहाना लेकर पुनः बहाल कर तथा दोनों अवर अभियन्ताओं को पुनः सरकारी धन लुटने की छूट दे दी गयी है । यही नहीं उन दोनों के विरुद्ध चल रही विभागीय जांच को भी मुख्य अभियन्ता द्वारा ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया तथा जांच अधिकारी जांच रिपोर्ट को दबाये हुए हैं जिससे जनता तथा विभाग में असन्तोष व्याप्त है ।

ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को प्रश्रय देने वाले मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करने, आरोपियों को पुनः निलम्बित करने, उन्हें मुख्यालय से सम्बद्ध करने और उनके द्वारा की गई गबन की धनराशि को वापस कराने व जांच रिपोर्ट को पटल पर रखने विषयक लोकमहत्व के प्रश्न पर बल देते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की मांग करता हूं ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढा हुआ माना गया ।

जनपद अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत महरूआ शहजादपुर सम्पर्क मार्ग से आदमपुर तिन्दौली तक मार्ग को लेपन कार्य कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मराज निषाद–

[महोदय, जनपद अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत महरूआ शहजादपुर सम्पर्क मार्ग से आदमपुर तिन्दौली तक 2 किमी० लम्बी सड़क का लेपन का कार्य पं० दीन दयाल योजना के अन्तर्गत लगभग 3 वर्ष पहले मिट्टी से लेपन कराने हेतु शासन से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति होकर पैसा चला गया है परन्तु उक्त सड़क पर मात्र गिट्टी रख दी गयी है, इस सड़क से आदमपुर, तिन्दौली किशनीपुर पाती, पतौना, मंशापुर, मीरपुर तथा अन्य गांवों के लोगों का आवागमन रहता है । बरसात के दिनों में इस मार्ग से चलना दूभर हो जाता है । इस मार्ग के लेपन हेतु निर्माण विभाग के संबंधित अधिकारियों एवं शासन को कई बार शिकायत किया परन्तु आज तक कोई प्रगति कार्य नहीं हुआ । उक्त मार्ग का लेपन कार्य कराये जाने का निर्देश देने की कृपा करें ।]

डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय, लखनऊ के तत्कालीन सहायक अधीक्षक के देयों के भुगतान की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुरलीधर–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नियम 301 के अन्तर्गत इस सदन के संज्ञान में एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं । महोदय डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय, लखनऊ के तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने वर्ष 1996-97 में दिनांक 14-3-93 को तत्कालीन सहायक अधीक्षक को एल०टी०सी० यात्रा पर प्रस्थान हेतु अनुमति उपरान्त भी न तो बिल का भुगतान किया और न ही आपत्ति सहित बिल वापिस कर उसका निराकरण ही कराया । इतना ही नहीं अग्रिम एल०टी०सी० धनराशि को अनियमित ढंग से वापसी हेतु माह जून, जुलाई, अगस्त, 1997 का वेतन रोककर एवं वापसी अग्रिम देय धनराशि को काट कर दिनांक 29-9-97 को शेष वेतन का भुगतान किया । इसके अतिरिक्त अन्य टी०ए० बिलों का न तो भुगतान ही किया और न ही उन्हें वापिस किया जिससे भुक्तभोगी कर्मचारी को आर्थिक क्षति हुई और अन्य कर्मचारी लगातार इस सुविधा से उनके द्वारा वंचित रखे गये ।

अतः मैं इस महत्वपूर्ण अविलम्बनीय सूचना जो कि सरकार की नीतियों के खिलाफ है और कर्मचारियों की उपेक्षा है, को आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं ताकि माननीय सदन इस विषय पर निर्णय देकर कर्मचारियों के हितों की रक्षा करें तथा कर्मचारियों की देय सुविधा से वंचित रखने वाले भ्रष्ट अधिकारी को दण्डित कराने की मांग करता हूं ।]

जनपद हरदोई में रूपापुर चीनी मिल के प्रबन्धतंत्र द्वारा किये गये शोषण एवं उत्पीड़न से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[महोदय, जनपद हरदोई के रूपापुर चीनी मिल के प्रबन्धतंत्र द्वारा इस वर्ष किसानों के साथ की गई लूट-घसोट एवं भारी अनियमितताओं एवं धांधली के चलते गन्ना उत्पादक कृषक का भरपूर शोषण एवं उत्पीड़न किया गया । ग्राम पुसेडा का क्रय केन्द्र चालू नहीं किया जिससे क्षेत्र का कृषक अपनी उपज का मूल्य समुचित न बचा सका इसके लिए चक्का तक जाम भी किया गया पर न तो विभाग के

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अधिकारियों ने और न प्रबन्धतंत्र ने इस समस्या को समझा न निराकरण किया, प्रबन्धतंत्र की सह पर बिचौलिया हावी रहे, किसान परेशान रहा, चीनी मिल रूपापुर में खरीद में भरपूर धांधली की जांच गन्ना उप आयुक्त ने की पर परिणाम शून्य रहा । बिचौलियों पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकी । तमाम कृषकों का भुगतान बाकी है और भुगतान प्रक्रिया जटिल है, जिससे कृषक की जरूरत भी समय पर पूरी नहीं होती बिचौलियों का गन्ना खरीदा गया एवं किसान को पर्ची न मिलने से बिचौलियों को गन्ना देना पड़ा । गन्ने की पर्चियां दलालों को देकर फायदा पहुंचाया गया, किसान घटतौली का शिकार हुआ और उसका भरपूर शोषण किया गया ।

हरदोई चीनी मिल बन्द करके हजारों किसानों व मजदूरों के सामने भयंकर समस्या उत्पन्न कर दी गयी और आज भी वे इसके शिकार हैं । लाखों रुपये मजदूरों तथा किसानों का बाकी है जिससे गन्ना के किसान अत्यधिक परेशान व तबाह हैं । उनका भुगतान तत्काल कराया जाय ।

जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत पेट्रोन नेशनल लि० द्वारा चीनी मिल खोलने के नाम से क्षेत्रीय किसानों की जमीनें लेने हेतु तरह-तरह के प्रलोभन देकर पेट्रोन इण्डिया के मालिकों ने सस्ते मूल्य पर कृषकों को जमीन इस वादे के साथ खरीदी कि तुम्हारे परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जायेगी तथा क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करने हेतु ग्राम समाज की जमीन भी पट्टे पर लेकर ग्राम सभाओं के प्रधान को गुमराह कर जमीन की लिखा-पढ़ी इस शर्त पर कराई थी कि इस क्षेत्र के किसानों के हित के लिए चीनी मिल चालू की जायेगी । परन्तु आज तक चीनी मिल चालू नहीं की गयी । यह सरकार कृषकों का शोषण मिल मालिकों द्वारा करा रही है और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के इशारे पर प्रदेश की चीनी मिलों को बन्द करने की साजिश कर रही है । पेट्रोन इण्डिया के मालिकों द्वारा मिल नहीं चलायी जा रही है जिन कृषकों की जमीन मिल मालिकों द्वारा ली गयी है उन कृषकों को वापस कराया जाय जिन-जिन ग्राम सभाओं द्वारा जमीन ग्राम समाज की भूमि मिल मालिकों द्वारा ली गयी थी उन ग्राम सभाओं को वापस कराया जाना जनहित में होगा । उक्त विषय बहुत गंभीर है । सीधे किसानों से जुड़ा हुआ है ।

इसलिए लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना आवश्यक है जिससे इस गंभीर विषय पर जांच कराके तत्काल कार्यवाही करके किसानों व ग्राम समाज की भूमि वापस कराया जाय जिससे किसानों का शोषण बन्द हो सके ।]

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, गोण्डा द्वारा विकास कार्यों में धन के दुरुपयोग की जांच न कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बिन्दु लाल–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, गोण्डा को सुनिश्चित रोजगार व जवाहर रोजगार योजना से जो धन डी०आर०डी०ए० बलरामपुर व गोण्डा द्वारा विकास के कार्यों के लिए गत तीन वर्षों में दिया गया था उसमें बहुत से कार्य अधूरे पड़े हैं । कई कार्यों पर धन का खर्च दिखाया गया है जबकि उस पर कोई कार्य ही नहीं किया गया है या बहुत ही कम किया गया है । ऐसे ही मेरे क्षेत्र 154 गैसड़ी के विकास खण्ड पचपेड़वा में वरगधई, तिरकोलिया मार्ग छवाई से मानपुर मार्ग जिसकी जांच डी०आर०डी०ए० बलरामपुर द्वारा कराये गये इन कार्यों को पूरा करने के लिए भी लिखा लेकिन तीन वर्ष के बाद भी कोई कार्य नहीं हुआ है । इसी प्रकार मधवा नगर से कोहर गड्डी चन्दनपुर मार्ग से करेहीया, कोहरगड्डी से मोतीपुर सिमरी, हाटी से भगतनपुर खाद,

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नारायनपुर से भदरेहिया इस प्रकार और बहुत से मार्ग हैं। इस प्रकार लाखों रुपये घपला किया गया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसकी जांच कराके दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करें।]

पराग डेरी कैटिल फीड प्लान्ट मेरठ में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[मान्यवर, पराग डेरी, कैटिलफीड प्लान्ट मेरठ अनियमितताओं का गढ़ बन गया है।

शीरा ट्रांसपोर्ट भाड़ा घोटाला, राइसपोल घोटाला जिसमें माल के आये बिना भुगतान किया गया, अतिथि निवास का सामान फैक्ट्री से हटाकर प्रभारी प्रबन्धक के मेरठ स्थित आवास पर जाना। अनुरक्षण व्यय में भारी घोटाला, फर्जी पर्चे बनाना आदत का अंग बन चुका है।

फर्जी यात्रायें दिखाकर दूर का बिल लेना भी अनियमितता का भाग है। बनारस में रहते हैं। मात्र 147 दिन उपलब्ध रहे प्लान्ट में शेष दिन टूर पर, हवाई यात्रायें भी की गई।

15 वर्षों से सीनियर प्लान्ट आपरेटर मेरठ में ही रहकर शासन की स्थानान्तरण नीति को ठेंगा दिखा रहे हैं।

श्रीमान प्रताप सिंह सचिव उ० प्र० सहकारी डेरी कर्मचारी महासंघ के ज्ञापन रद्दी की टोकरी में शोभा बढ़ा रहे हैं।

मैं अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल प्रभावी जांच एवं कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम सभा अलहदादपुर में ग्राम समाज के गाटा संख्या 480 पर अवैध रूप से निर्मित मकान से बेदखल करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री योगेन्द्र सिंह–

[महोदय, मुझे शासन का ध्यान आकर्षित करना है कि ग्राम सभा अलहदादपुर, तहसील–सदर, सुल्तानपुर स्थित ग्राम समाज की गाटा सं०–480 पर श्री रामपदारथ सिंह द्वारा निर्माण कार्य कराये जा रहे पक्के मकान को जिला प्रशासन द्वारा रोक (स्टे) किया गया था तथा जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–122 (बी) की कार्यवाही दिसम्बर, 1996 में प्रारम्भ की गई थी। मा० सदन को उक्त प्रकरण में यह अवगत कराया गया था कि यह प्रकरण मा० न्यायालय में उक्त धारा के तहत विचाराधीन है तथा निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया गया है किन्तु इस मामले की वर्तमान स्थिति यह है कि प्रशासन द्वारा दिये गये स्थगन (स्टे) की अवहेलना करके श्री सिंह द्वारा निर्माण कार्य पूरा करा लिया गया तथा उसमें निवास भी करने लगे हैं। धारा 122 (बी) की कार्यवाही में मा० न्यायालय द्वारा श्री सिंह को दोषी पाया गया है तथा दिनांक 17-8-99 को पारित निर्णय में श्री राम पदारथ सिंह को उक्त भूमि से बेदखल करते हुए क्षतिपूर्ति धनराशि 3750.00 की वसूली के आदेश दिये गये हैं। उक्त निर्णय के विरुद्ध दायर रिवीजन भी खारिज हो गया है। उक्त स्थिति में ग्राम समाज की उक्त भूमि पर श्री राम पदारथ सिंह को कब्जा बनाये रखने का कोई आधार/अधिकार नहीं रह गया है फिर भी जिला प्रशासन के संज्ञान में मामला होते हुए भी कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी है।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं उक्त प्रकरण को नियम 301 में उठाने हेतु आपसे अनुमति चाहता हूं ताकि उक्त प्रकरण में शासन/जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार त्वरित कार्यवाही की जाय तथा ग्राम समाज की भूमि पर किये जा रहे अवैध निर्माण को भविष्य में बढ़ावा न मिले ।]

उत्तर प्रदेश सचिवालय में नवम्बर, 1988 से चक्रीय पद्धति के आधार पर टंकक संवर्ग की भांति अन्य संवर्ग के कर्मियों को प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ज्ञान चन्द्र–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में नवम्बर, 1988 में टंकक के 427 पद समाप्त करते हुए अवर वर्ग सहायक के पदों में संविलीन किये गये आदेश में स्पष्ट उल्लेख था कि अनुभागों में तैनात अवर वर्ग सहायकों से टंकक कार्य लिया जायेगा । वर्ष 1999 में टंकक के पुनः पद सृजित किये गये जिससे सरकार की वित्तीय मितव्ययता के कारण करोड़ों रुपये का वार्षिक व्यय भार बढ़ गया है ।

विडम्बना है कि चक्रीय पद्धति के आधार पर अनुपातिक प्रोन्नति पाने वाले कर्मचारियों को वर्ष 1988 से आज तक नहीं दी गई व 15-16 वर्षों से प्रोन्नति पाने से वंचित भी हैं इन्हें नयी नियमावली, 1999 में प्रोन्नति के अवसर दिये तो गये हैं किन्तु नये नियुक्त 427 टंककों के साथ कोटा निर्धारित किया गया है वर्ष 1988 से वर्ष 1999 तक उक्त कर्मचारियों के लिए प्रोन्नति का किस नियमावली में प्राविधान था या रहा इस संबंध में स्थिति भी स्पष्ट न होने से भी उन कर्मचारियो में रोष व्याप्त है ।

आपसे निवेदन है कि नवम्बर, 1988 से चक्रीय पद्धति के आधार पर टंकक संवर्ग की भांति अन्य संवर्ग के लोगों को प्रोन्नति प्रदान करने एवं वर्ष 1999 में टंकक के नये सृजित पदों को समाप्त किये जाने हेतु सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें ताकि सरकार पर बढ़ते वित्तीय संकट को रोका जा सके ।]

जनपद आजमगढ़ में अहरौला बाजार को टाउन एरिया बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम नरेश यादव–

[मान्यवर, अहरौला बाजार में थाना अस्पताल, बैंक, ब्लाक, इण्टरमीडिएट कालेज, टेलीफोन एक्सचेंज हैं तथा यह पिछले क्षेत्र की बड़ी बाजार हैं । इसके अगल-बगल मिर्चा की खेती होती है यह बाजार नदी के किनारे भी पड़ता है तथा मुख्य मार्ग पर है जिससे इसकी महत्ता बढ़ गई है ।

विगत कई वर्षों से इस कस्बे को टाउन एरिया बनाने की मांग चली आ रही है । नागरिकों द्वारा हस्ताक्षरित तथा इस टाउन एरिया में शामिल होने के लिए सटी गांव ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव भी पास होकर पहले ही भेजे जा चुके हैं । कई बार जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा अन्य मांगों के साथ-साथ इस बाजार कर टाउन एरिया बनाने के ज्ञापन भी दिये जा चुके हैं ।

मैंने लगभग एक दर्जन पत्र भी विभाग को लिखा है एवं जनता की भावना को अवगत कराया है किन्तु सरकार ने ध्यान नहीं दिया है जिससे मेरे क्षेत्र की जनता में जबर्दस्त असन्तोष व्याप्त होता जा रहा है ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मैं सदन के संज्ञान में लोकहित में इस प्रश्न को उठाकर आपकी अनुमति से सरकार से मांग करता हूं कि सरकार जनता की भावनाओं का सम्मान करती हुई आवश्यकता को ध्यान में रखकर उपरोक्त बाजार को शीघ्रातिशीघ्र टाउन एरिया घोषित करे ।]

लखनऊ नगर स्थित इन्दिरानगर सेक्टर 22 ए ब्लाक 1407/11 में अवैध कब्जा धारकों द्वारा विभाग के मानचित्र के विपरीत कार्य कराये जाने से उत्पन्न स्थित के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[महोदय, मैं नियम 301 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं –

लखनऊ नगर स्थित इन्दिरा नगर सेक्टर 22 तथा एक ब्लाक 1407/11 जो आवास विकास परिषद् द्वारा अधिग्रहीत भूमि के नियंत्रणाधीन है । कई वर्षों से अवैध कब्जा धारियों द्वारा आवंटित भूमि पर नगर निगम से सांठ-गांठ करके रोड निकालने की योजना बना रहे हैं । उक्त कालोनी आवास विकास विभाग की होने के कारण विभाग के मानचित्र के अनुसार ही आवंटियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सभी सुविधायें देने के बाद आवंटित की गयी हैं ।

नगर निगम के कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा मनमाने तरीके से अपने निजी स्वार्थवश मानचित्र के विपरीत कार्य करने से वहां के निवासियों में भारी रोष एवं असन्तोष व्याप्त है । यह समस्या इस समय वहां अत्यन्त भयावह रूप (सामान्य रूप) ले चुकी है ।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुये यह मांग करता हूं । उक्त कालोनी में आवास विकास परिषद् के मानचित्र के विपरीत आवंटित भूमि/भवन पर किसी भी प्रकार भविष्य में कोई नया कार्य न हो तथा जो कार्य कहीं चालू हो या कार्य हो चुका हो की रोकथाम हेतु प्रभावी तथा ठोस कार्यवाही सुनिश्चित कराने की कृपा करें ताकि भविष्य में ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति न हो ।]

डा० अम्बेडकर कन्या प्राइमरी पाठशाला लक्ष्मी नगर, मथुरा में अध्यापकों को वेतन न दिये जाने से उत्पन्न स्थित के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रणधीर सिंह–

[महोदय, आपके माध्यम से लोकहित के महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

निवेदन यह है कि आवर्तन अनुदान पर संचालित डा० अम्बेडकर कन्या प्राइमरी पाठशाला लक्ष्मीनगर मथुरा में व सहायक अध्यापक जो वर्ष 1994 तथा 1996 से कार्यरत हैं तथा विशेष सचिव उ० प्र० शासन लखनऊ के पत्र सं० 6661/26-3-97-4/150/95 स०क० अनु–3 लखनऊ दिनांक 17-7-98 से डा० अ०क०प्रा०पा० लक्ष्मीनगर मथुरा में अतिरिक्त अध्यापकों की स्वीकृति देते हुए संबंधित विभागों को प्रतिलिपि देते हुए सूचित किया है ।

श्री पंचम लाल संयुक्त सचिव उ० प्र० शासन ने अपने पत्र सं० 4882/26-3-98-4/150/95 स०क०अनु–3 लखनऊ दिनांक 30-3-99 को लिखे निदेशक स०क० उ० प्र० लखनऊ के पत्र में भी डा० अ०क०प्रा०पा० लक्ष्मीनगर मथुरा में व अध्यापकों के अतिरिक्त पदों की स्वीकृति देते हुए अनुरोध किया कि शासनादेश का कड़ाई से पालन किया जाये ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री पंचम लाल संयुक्त सचिव उ० प्र० शासन ने*अपने पत्र सं० 4865/26-3-98-4/150/95 स०क०अनु–3 लखनऊ दिनांक 23-3-99 को जिलाधिकारी को सम्बोधित पत्र में शासनादेश संख्या 6621/26-5-97/4/750/95 दिनांक 17-7-98 द्वारा सृजित व पदों के सापेक्ष कार्यरत अध्यापकों का वेतन भुगतान एवं शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जानें हेतु लिखा । यह है कि निदेश स०क० उ० प्र० लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 424-20/शि/3-95/85/95 दिनांक 27-5-99 ने पत्र जो जिलाधिकारी मथुरा को सम्बोधित है में भी विभागीय अनुदानित डा० क०प्रा०पा० लक्ष्मीनगर मथुरा में अतिरिक्त अध्यापकों की स्वीकृति के संबंध में लिखा कि अध्यापकों को वेतन भुगतान करने का कष्ट करें । कृत कार्यवाही से अवगत करायें । यह कि जिला समाज कल्याण अधिकारी मथुरा न मालूम क्यों कार्यरत अध्यापकों का वेतन भुगतान उक्त शासनादेशों की अवहेलना करते हुए नहीं कर रहे हैं जिससे अल्पवेतन भोगी शिक्षकों के समक्ष आर्थिक संकट पैदा हो गया है तथा वह स्वयं एवं उनका परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है ।

अतः आपसे अनुरोध करता हूं कि शासन को तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने का निर्देश देने का कष्ट करें ।]

प्रदेश के पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सा शुल्क में हुई वृद्धि को कम करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामललित चौधरी–

[महोदय, मैं लोकमहत्व के इस विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में पशुओं से संबंधित शुल्क में बेतहासा वृद्धि कर दी गयी है । इससे प्रदेश के पशु पालकों में बड़ा रोष उत्पन्न हो गया है । जैसे कुत्ते के इलाज के लिए पर्ची शुल्क दो रुपया था अब चालीस रुपया कर दिया गया । गाय, भैंस के चिकित्सा के लिए पहले पर्ची शुल्क एक रुपया था, अब बढ़ाकर दस रुपया कर दिया गया । इसी प्रकार भेड़ बकरी के पर्ची जहां पचास पैसे थे अब पांच रुपया पर्ची शुल्क कर दिया गया । यह वृद्धि औसत रूप से पचास गुना तक है जो पशु चालकों के साथ अन्याय है ।

अतः लोकमहत्व के उपरोक्त विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित कर उक्त वृद्धि को घटाये जाने की मांग करता हूं ।]

फिरोजाबाद में फतेहाबाद मार्ग एवं चन्द्रवार, जलालपुर के मार्गों पर विद्युत आधारित उद्योग लगाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

[महोदय, माननीय सदन के संज्ञान में है कि विश्व विख्यात ताज महल को प्रदूषण से मुक्त रखने को 10400 कि०मी० के क्षेत्र में कोई भी ऐसी उद्योग इकाई कार्यरत नहीं रह सकती जो ईंधन के रूप में कोयला का उपभोग करती है और धुंआ छोड़ती है । इसी क्रम में फिरोजाबाद स्थित कांच एवं चूड़ी की सैकड़ों उद्योग इकाइयां बन्द हो गयी हैं, जिससे फिरोजाबाद के चारों तरफ बेकारी छायी हुई है ।

इतना ही नहीं डीजल पर आधारित कांच चूड़ी इकाइयों पर भी असर पड़ा है वह भी बन्द करनी पड़ी हैं खेती सिंचाई को चालित डीजल इंजन भी किसानों को बन्द करने पड़े हैं जिससे डीजल, आब

---

* नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

चक्की सभी बन्द हो गयी हैं जिससे बेकारी का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है । यह अति अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है ।

अस्तु माननीय सदन से अनुरोध है कि फिरोजाबाद के इस क्षेत्र के विकास और बेरोजगारी के हल के लिये विद्युत आधारति उद्योग की स्थापना कराने और विद्युतीकरण एवं इलेक्ट्रिक उद्योग के रूप में फिरोजाबाद, फतेहाबाद मार्ग एवं चंदवार, जलालपुर के मार्गों पर विद्युत आधारित उद्योग और ग्रामीण विद्युतीकरण के आदेश ताज ट्रेपोजियम जोन योजना से कराने के निर्गत किये जावें । यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है और लाखों लोगों के जल जीवन से जुड़ा प्रश्न है ।']

जनपद फिरोजाबाद के जसराना क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम वीर सिंह–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना में बनी लोक निर्माण विभाग की सड़कों के तरफ दिलाना चाहता हूं उक्त क्षेत्र की सारी की सारी सड़कें टूटी हुई हैं और आवागमन बाधित हो जाता है कोई मरम्मत कार्य नहीं होता है और ये क्षेत्र दस्यु प्रभावित क्षेत्र हैं । मुस्तफाबाद से फिरोजाबाद मार्ग, प्रतापपुर से द्वारकापुर मार्ग, हाथवन्त प्रतापपुर से नहरपुल जाज मई मार्ग, फरीदा से पाड़म मार्ग, कोड़रा से शीशपुल मार्ग, मुस्तफाबाद से पाड़म मार्ग, अकोला पतारा मार्ग, शीशपुल से रोहासी मार्ग, एका से जेड़ा प्रेमपुर मार्ग, एटा शिकोहाबाद मार्ग, मुस्तफाबाद से कोडरा मार्ग, मुस्तफाबाद से बसुन्धरा मार्ग, एका से फफोत मार्ग आदि एवं जसराना फरैया मार्ग, फरैया से अवागढ़ मार्ग वाया इटारी होते हुए, मार्गों की स्थिति दयनीय हो गई है और बड़े-बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं । जनता को चलने फिरने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यह लोकमहत्व का अविलम्बनीय विषय है ।

अतः मैं आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर उपरोक्त मार्गों पर धन स्वीकृत कर तत्काल मरम्मत कराने की मांग करता हूं ।]

जनपद हरदोई के शाहाबाद क्षेत्रान्तर्गत कतिपय रजबहों में पानी न आने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबू खां–

[मान्यवर, उक्त रजवाहों में जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ते हैं उनमें 15 वर्षों से पानी नहीं आता है इन रजबाहों के किनारे की भूमि सिंचित होने से वंचित रह जाती है तथा हजारों एकड़ भूमि सिंचित न होने से किसानों को करोड़ों रुपये की फसल नहीं हो पाती है और भारी नुकसान उठाना पड़ता है ।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल सरकार से कार्यवाही कराने की मांग करता हूं तथा उपरोक्त रजबाहों में तत्काल पानी उपलब्ध कराने की भी मांग करता हूं ।]

शारदा सहायक समावेश परियोजना जवाहर भवन लखनऊ के कार्यालय में भ्रष्टाचार की जांच तथा दण्डात्मक कार्यवाही की मांग के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम पाल सिंह–

[मान्यवर, उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहूंगा कि बी० के० शुक्ल के विरुद्ध सदस्य विधान सभा श्री उबैदुर्रहमान द्वारा दिनांक 24-8-98 को पत्र

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सं०–सी०एम०/बी०को०/एम/3/9467 गोण्डा/98 के माध्यम से मुख्य वित्तीय सलाहकार शारदा सहायक समादेश ने जांच की । जांच में सभी बिन्दु सही पाये गये परन्तु कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं हुई । इसी क्रम में श्री पी० एन० सक्सेना विशेष सचिव ने अपने पत्र संख्या 6बी/54/1–98–8(16) 01 दिनांक 23 मार्च, 98 ने जांच की कार्यवाही आयुक्त द्वारा करायी गयी । पुनः इसी क्रम में दिलीप कुमार आयुक्त शारदा सहायक समादेश ने अपनी आख्या शासन को दी कि बी० के० शुक्ल की कार्यशैली सकारात्मक न होकर नकारात्मक है । इसी क्रम में श्री ओ० पी० चतुर्वेदी अपर कृषि निदेशक ने दिनांक 4-7-92 व 1-1-92 व 18-2-92 को पत्रांक संख्या 131/पीए/25-5-92 के माध्यम से शुक्ल के विरुद्ध जांच कराई गयी । सम्पूर्ण जांच शुक्ल के विरुद्ध पायी गयी तथा आरोप सिद्ध पाये गये । कार्यवाही शासन द्वारा शून्य ।

श्री धर्मपाल सिंह विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश ने पत्र संख्या 8/बी/54/1–81/6/91 दिनांक 3 मई, 1995 व श्री दिलीप कुमार आयुक्त शारदा समादेश ने पत्र संख्या 141/2 वित्त/21 अप्रैल, 1998 में जांच कराई तथ्य सही पाये गये । श्री शुक्ल के विरुद्ध श्री बृज भूषण सिंह सांसद व गन्ना राज्य मंत्री ने लिखित शिकायत की कार्यवाही शून्य । इसी क्रम में 109 कर्मियों को शारदा सहायक समादेश जवाहर भवन लखनऊ में पद स्वीकृत न होने पर श्री शुक्ल द्वारा सम्बद्ध किया गया परन्तु इनके विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है ।

अतएव इस अत्यन्त गम्भीर प्रश्नगत प्रकरण को नियम–301 में उठाने हेतु आपकी अनुज्ञा चाहता हूं कि इनके विरुद्ध गम्भीर आरोप सिद्ध होने के उपरान्त दण्डात्मक कार्यवाही की जाय जिससे प्रकरण का निस्तारण हो सके ।]

जनपद गाजियाबाद के खेकड़ा क्षेत्रान्तर्गत लोनी विकास खण्ड में महाविद्यालय एवं आई०टी०आई० खोले जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रूप चौधरी–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन व प्रदेश सरकार का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र खेकड़ा में उच्च शिक्षा व्यवस्था व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । महोदय, खेकड़ा विधान सभा क्षेत्र के गाजियाबाद जिलान्तर्गत लोनी विकास खण्ड की लगभग 80 प्रतिशत भूमि सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं हेतु अधिग्रहीत कर ली गयी है, जिस कारण इन कृषि प्रधान क्षेत्र के निवासियों के सामने बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है । इस क्षेत्र की अधिग्रहीत भूमि पर आवासीय कालोनियां तथा प्रदेश का चर्चित औद्योगिक क्षेत्र ट्रानिका सिटी विकसित किया जा रहा है । कृषि योग्य भूमि न रहने के कारण कृषक परिवारों व देहात के लोगों के बीच बेरोजगारी तेजी से फैल रही है । आने वाली युवा पीढ़ी का भविष्य अन्धकारमय है । शिक्षा ग्रहण करने के लिये इस क्षेत्र में कोई कालेज तथा उच्च शिक्षा का केन्द्र नहीं है, न ही कोई औद्योगिक व तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था है, जिससे यहां के युवा शिक्षा तथा प्रशिक्षण लेकर ट्रानिक सिटी या अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार पा सकें । आने वाले समय में युवाओं में भारी भटकाव की सम्भावनायें हैं । यदि वर्तमान में समय रहते सरकार द्वारा इस स्थिति को गम्भीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले समय में बेरोगारी से त्रस्त युवा भटकाव की स्थिति में गलत रास्ता अपनाने पर भी मजबूर हो सकते हैं ।]

अतः उपरोक्त तथ्यों पर गम्भीरता से विचार कर प्रदेश सरकार को निर्देश देने की कृपा करें कि खेकड़ा विधान सभा क्षेत्र के लोनी विकास खण्ड में उच्च शिक्षा हेतु देहाती क्षेत्र में एक महाविद्यालय तथा तकनीकी प्रशिक्षण हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई०टी०आई०) खोलवाने की कृपा करें लोनी विकास खण्ड में एल०एम०सी० की सरकारी भूमि उक्त संस्थानों को खोलने के लिए आसानी से उपलब्ध हो सकती है । इस क्षेत्र के निवासी व आने वाली युवा पीढ़ी आपका व प्रदेश सरकार की आजीवन आभारी रहेगी ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद बदायूं के नगर पंचायत दातागंज में पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेम पाल सिंह यादव–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद बदायूं के नगर पंचायत दातागंज के पेयजल संकट के तरफ दिलाना चाहता हूं। वहां पर पानी की टंकी का बोरिंग 6 महीने पहले खराब हो गई थी जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जनता में आक्रोश व्याप्त है। समाधान हेतु अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। लोगों को पीने के लिए पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है लोग आन्दोलित है और ये लोक महत्व का विषय है।

अतः मैं जनहित में पेयजल संकट का समाधान कराने हेतु सदन से मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर सदर में मल्हनी रोड से बेगमगंज लाल दरवाजा तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के संबंध में के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अफजाल अहमद–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र जौनपुर सदर में मल्हनी रोड से बेगमगंज लाल दरवाजा तक 3 कि०मी० सड़क जो टूटी हालत में है और उसकी मरम्मत होना नितान्त आवश्यक है। लोगों को आने-जाने में काफी असुविधा होती है। लोग परेशान हैं और इसके लिए कई बार आन्दोलन कर चुके हैं यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का विषय है।

अतः मैं आदरणीय सदन में मांग करता हूं कि उपरोक्त मार्ग का नये सिरे से निर्माण कराकर लेपन स्तर तक कराया जाये।]

जनपद लखीमपुर में शिक्षा समिति द्वारा स्वीकृत विद्यालयों के भवनों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोती लाल पैलवी–

[मान्यवर, जनपद लखीमपुर में शिक्षा समिति की बैठक में मेरे द्वारा प्रस्तावित कुछ प्राथमिक विद्यालय के उ० प्र० में एक उ० प्रा० विद्यालय के भवन बनने हेतु स्वीकृत हुये थे। परन्तु अभी तक स्वीकृत भवन न बनाये जा सके हैं लगभग दो वर्ष हो गये हैं। इनके बच्चे धूप व वर्षा में परेशान होते हैं इसलिए यथाशीघ्र भवन बनाये जायें, यह लोक महत्व का अविलम्बनीय विषय है।

लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर में ग्राम रुद्रपुर ब्लाक लखीमपुर के पश्चिम सैदापुर ड्रेन पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा० कौशल किशोर–

[महोदय, ग्राम–रुद्रपुर ब्लाक लखीमपुर के पश्चिम एक बरसाती नाला सैदापुर ड्रेन के नाम से बहता है यह नाला बरसात में विशाल रूप धारण कर लेता है और आवागमन पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। रुद्रपुर के अधिकतम ग्रामवासियों की जमीन रस नाले के पार पश्चिम तरफ है कृषकों को ट्रैक्टर

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आदि ले जाना व लाना मुश्किल हो जाता है कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि सुबह तो कृषक नाले के उस पार चले जाते हैं तो उधर से घर वापसी मुश्किल हो जाती है क्योंकि इस बीच अधिक बरसात अगर हो जाती है तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है । इस नाले पर पुल का बनाना नितान्त आवश्यक है ।

अतः इस लोक महत्व का यह अविलम्बनीय समस्या है । आपके माध्यम से इसका निराकरण चाहता हूं ।]

लखनऊ के जय नारायण डिग्री कालेज में बी०पी०एड० पाठ्यक्रम में हुए कथित घोटाले की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बेचन राम–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को लखनऊ महानगर में उच्च शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में अवगत कराना चाहता हूं । जयनारायण डिग्री कालेज में स्ववित्त पोषित बी०पी०एड० पाठ्यक्रम की पढ़ाई हो रही है इस वर्ष प्रत्येक विद्यालय में अलग-अलग प्रवेश लिये गये हैं उनकी सीटों की संख्या क्या निर्धारित की गई है कुछ पता नहीं है । उक्त डिग्री कालेज में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया गया है । परन्तु राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली गई है । दो पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए मात्र एक स्थायी प्रवक्ता है शेष अंशकालिक प्रवक्ता है स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों से प्राप्त धन बैंक किस खाते में जमा होता है उसका संचालन कौन करता है उसे कहां व्यय किया जाता है कुछ पता नहीं चलता है । यह भी ज्ञात हुआ है कि उक्त धन का उपयोग अंशकालिक प्रवक्ता के निर्देश पर व्यय किया जाता है । स्थायी प्रवक्ताओं को इससे अलग रखा गया है । जय नारायण डिग्री कालेज में बी०पी०एड० मामलों की जांच हेतु 2-5-2000 को एन०सी०इ०टी० की कोई टीम आई थी वित्तीय घोटाले को छिपाने के लिए उक्त विद्यालय के कथित भ्रष्टाचारी स्थायी प्रवक्ता/अध्यक्ष को टीम के सामने न भेजकर अंशकालिक प्रवक्ताओं को ही स्थायी प्रवक्ता बनकर पेश करके जांच टीम को भ्रमित किया गया ।

मान्यवर, आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषियों को दण्डित किये जाने की मांग करता हूं ।]

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान इन्दिरा नगर लखनऊ की सेवा नियमावली न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उदयराज यादव–

[महोदय, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण परिवार इन्दिरा नगर लखनऊ की सेवा नियमावली अभी तक नहीं बनी जिसके कारण उक्त संज्ञान में रिक्त पड़े पदों पर कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हो पा रही है और जिसके कारण उक्त संस्थान के कर्मचारी एक ही पद पर पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं । जबकि शासन द्वारा पूर्व में ही यह निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि जिन विभागों की सेवा नियमावली अभी तक उपलब्ध नहीं हो पायी है उसे 6 माह के अन्दर पूरी कर उपलब्ध करवा दिया जाय ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद गाजीपुर के कतिपय मोहल्लों में इण्डिया मार्का II हैण्ड पम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र यादव–

[मान्यवर, जनपद गाजीपुर विधान सभा क्षेत्र, गाजीपुर सदर के अन्तर्गत नगरपालिका, गाजीपुर में पेयजल की समस्या से जन-जीवन प्रभावित है । अधिकांश टंकियों के ट्यूबवेल खराब होते रहते हैं, तो कभी बिजली नहीं रहेगी । उक्त परेशानियों से राहत हेतु नगरपालिका क्षेत्र फाक्सगंज में कम से कम 4 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगाया जाय तथा गोरा बाजार में 4 हैण्डपम्प लगाया जाय । पत्थरघाट, मोगलानीचक, स्टेशन रोड, सैय्यद बाड़ा, रायगंज, तुलसिया का पुल, नवाबगंज, आलमपट्टी, रौजा, चस्मरहमत, नूर्दीपुरा, रूईमण्डी, नौकापुर, लंका, टाउनहाल, खुदाईपुरा, तेलपुरवा, मीर मोहल्ला, सराय मोहल्ला, प्रत्येक मोहल्लों में कम से कम दो-दो इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगाया जाय । बिजली पानी के सवाल पर नगरपालिका क्षेत्र की जनता सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रही थी । उक्त परिस्थिति को देखते हुए मैं स्वयं तथा कमर अली इन गांवों के समर्थन पर नगरपालिका कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन पर बैठा गया था । 48 घंटे लगातार आमरण अनशन पर बैठने के बाद जिला प्रशासन व नगरपालिका परिषद् के तरफ से समझौता हुआ जिसमें पानी की गारन्टी तथा प्रत्येक बार्ड में दो-दो हैण्डपम्प लगवाने की बात स्वीकार की गयी । एक साल बीतने के बाद कोई सुधार व समझौता का क्रियान्वयन नहीं हुआ, जनता फिर आन्दोलनरत है ।

अतः नगरपालिका क्षेत्र, गाजीपुर में पानी की व्यवस्था हेतु ट्यूबवेलों को ठीक कराना व उपरोक्त मोहल्लों में हैण्ड़पम्प लगवाने की मांग करते हुए शासन का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करता हूं ।]

जनपद सीतापुर में लहरपुर क्षेत्र के विद्युत विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

बुनियाद हुसैन अंसारी–

[महोदय, जनपद सीतापुर में विद्युत विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है । लहरपुर विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण में घोर अनियमिततायें की गयी हैं । ग्रामवासियों से पैसे की वसूली हो रही है । जबकि पांच गांवों का विद्युतीकरण मा० ऊर्जा मंत्री की घोषणानुसार किये जाते हैं । कस्बा लहरपुर और खैराबाद तथा देहाती क्षेत्र में विद्युत सप्लाई नाम मात्र की है विद्युत कटौती समय के अतिरिक्त भी विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है । कई-कई दिन देहाती क्षेत्र में विद्युत नहीं पहुंचती ।

सब स्टेशन लहरपुर में विद्युत अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित नहीं रहते और ट्रान्सफार्मर व कम्पलेन बिना घूस लिये कार्य नहीं करते जिससे जनता में विद्युत विभाग के अधिकारियों के प्रति बड़ा रोष व्याप्त है जनता आन्दोलित है । अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम पंचायत सिकन्दरपुर में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जों से उत्पन्न जनाक्रोश के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

अरविन्द गिरि–

[महोदय, अनुरोध है कि जनपद लखीमपुर खीरी में भू-माफियों के समक्ष जिला प्रशासन नतमस्तक है क्योंकि अवैध कब्जों की पूर्ण जानकारी और सिद्ध हो जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं होती जिससे

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

भू-माफियों के हौसले बुलन्द हो जाते हैं इसका ताजा उदाहरण ग्राम पंचायत सिकन्दरपुर ब्लाक बांकेगंज में ग्राम प्रधान द्वारा अनियमित एवं अवैध रूप से शहर में निवास करने वाले लोगों को ग्राम समाज की भूमि का पट्टा ही नहीं बनाया अपितु ग्राम सभा के राशन आपूर्ति का कोटा भी दिया । मान्यवर, भू-माफियों एवं राशन वितरण प्रणाली पर अवैध कब्जे को लेकर जनता आन्दोलित हुई उच्च अधिकारियों से शिकायत की गयी है और पूरे प्रकरण की लेखपाल से लेकर ए०डी०एम० स्तर पर जांच हुई । समस्त जांचों में स्पष्ट हो गया है कि अनियमित पट्टे एवं अनाधिकृत व्यक्ति को कोटा दिया गया है जिसके चलते राशन आपूर्ति का कोटा निरस्त किया गया और अवैध पट्टे को निरस्त करने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने से संबंधित जिलाधिकारी खीरी के स्पष्ट आदेशों के बावजूद सत्ता पक्ष के इशारे पर स्थिति ज्यों की त्यों है और अवैध कब्जेदारों के हौसले बुलन्द हैं ।

मान्यवर, उक्त प्रकरण की न्यायिक जांच कराकर ग्रामवासियों को न्याय दिलाने का कष्ट करें जिससे जनता में व्याप्त रोष को समाप्त किया जा सके ।]

प्रदेश में दुसाध की तरह ढाढी को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ।

श्री लालमणि प्रसाद–

[महोदय, आपका ध्यान मैं लोक महत्व के इस विषय पर दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश में दुसाध तथा ढाढी दोनों एक ही जाति के हैं लेकिन अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र दिया जाना लेकिन ढाढी को नहीं दिया जाना । प्रदेश में ढाढी को ही दुसाध कहा जाता है ।

अतः दुसाध की तरह ढाढी को भी अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र देने की मैं शासन से मांग करता हूं ।]

जनपद इटावा में जसवन्त नगर क्षेत्र के प्रस्तावित ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में सदन में यह घोषणा करने के बावजूद कि प्रत्येक सदस्य विधान सभा द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में 5, 5 गांव प्रस्तावित करने पर विद्युतीकरण कर दिये जायेंगे अभी तक विद्युतीकरण न किये जाने की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । विधान सभा के अन्दर विधायकगण अपनी मांग समय-समय पर उठाते रहे हैं । इसमें सबसे बड़ी बाधा यह रही है कि सदस्यों के मुख्य अभियन्ता द्वारा यह सर्कुलर निकाला गया था कि मजरों को दो लाख रुपये तथा राजस्व ग्रामों को 5 लाख रुपये आवंटित किये जाने का प्राविधान किया गया था । कदाचित इसी वजह से अधिक रुपयों की सीमा पार करने के कारण विधायकों द्वारा प्रस्तावित गांव नहीं हो पाये । मैं अपने विधान सभा क्षेत्र जसवन्तनगर (इटावा) का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं । जिसमें वर्ष 1998-99 में आधा अधूरा कार्य हुआ है और पूरे ग्राम विद्युतीकृत नहीं हुई है तथा वित्तीय वर्ष 1999-2000 में प्रस्तुति प्रस्तावित पांच ग्रामों में तो अभी तक कार्य भी आरम्भ प्रस्तावित नहीं हुआ है । यह खेद जनक बात है कि और विधान सभा की गरिमा गिराने जैसा कार्य है । हमारे क्षेत्र की जनता आक्रोशित व आन्दोलित है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं दोनों वित्तीय वर्षों में मेरे द्वारा प्रस्तावित दसों ग्रामों में प्राथमिकता से विद्युतीकरण किये जाने की मांग करता हूं ।]

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में प्राचार्यों द्वारा अतिथि प्रवक्ताओं की नियुक्ति में भ्रष्टाचार किये जाने के संबंध में 301 के अन्तर्गत सूचना

(मेजर) जे० पी० सिंह–

[मान्यवर, विधान सभा में दिनांक 10 अप्रैल, 2000 को नियम–51 के अन्तर्गत दिये गये वक्तव्य में चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी ने सदन को बताया है कि विभिन्न जनप्रतिनिधियों एवं अन्य माध्यमों से अतिथि प्रवक्ताओं के आमंत्रण में प्राचार्य द्वारा धन लेकर अतिथि प्रवक्ताओं को आमंत्रित किये जाने व इन प्रवक्ताओं को नियमित नियुक्ति का प्रलोभन दिये जाने तथा कतिपय अतिथि प्रवक्ताओं से एक माह में 20 व्याख्यान पूर्ण किये जाने हेतु उनको आवंटित विषय से पूरे विषयों में व्याख्यान दिये जाने की छूट दिये जाने जैसी शिकायतें प्राप्त हो रही थीं । प्राचार्य द्वारा बरती जा रही उक्त अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुए उक्त व्यवस्था को अधिक कारगर बनाये जाने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया गया है जो अतिथि प्रवक्ताओं के आमंत्रण हेतु पैनल बनायेगा ।

हम सदन के माध्यम से मांग करते हैं कि भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिये दोषी एवं भ्रष्ट प्राचार्यों को अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाय ।]

जनपद फैजाबाद के तहसील मिल्कीपुर के ग्राम बसांवा मुताल के ईंट गांव के कतिपय मुसहरों के नाम आई०आर०डी० योजना का ऋण उनके नाम निकाल कर हड़पे जाने की जांच की मांग के संबंध में 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र यादव–

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाते हुये कहना चाहता हूं । जनपद फैजाबाद तहसील मिल्कीपुर अन्तर्गत बसांवा मुताल के ईंट गांव में गंगा प्रसाद पुत्र ढोढ़े, गंगा राम पुत्र राम सबद, बल्देव पुत्र श्री विपन पन्न लाल पुत्र भगौती, चन्द्रिका प्रसाद पुत्र शीलता प्रसाद, राम लोट पुत्र राम सबद, राम नेवंज पुत्र राम सबद श्याम लाल पुत्र राम अवतार सुभई पुत्र बिरजू आदि (मुसहर) जाति के लोगों के साथ उपरोक्त गांव के ही बल्देव तिवारी पुत्र शम्भू दत्त तिवारी जो बसांवा पोस्ट आफिस में कार्यरत हैं । विकास खण्ड मिल्कीपुर के कर्मियों से मिलीभगत कर उपरोक्त मुसहरों के नाम आई०आर०डी० योजना से ऋण उनके नाम निकाल लिया है तथा सारा धन हड़प लिया है जिसके कारण पूरे क्षेत्र में दलितों में असन्तोष है ।

अतः आपसे मांग करता हूं कि उपरोक्त प्रकरण की जांच कराकर प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने की कृपा की जाय ।]

श्री अधिष्ठाता–

जिन माननीय सदस्यों की सूचनार्थ अस्वीकृत हुई उनके नाम इस प्रकार हैं –श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री दीपलाल भारती, श्री अजय कुमार पोइया, श्री पूर्णमासी पंकज, श्री शिव सिंह चक, श्री कृपा शंकर सिंह, श्रीमती उर्मिला यादव, श्री भाई लाल, श्री ओम प्रकाश गुप्ता ।

(व्यवधान)

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

व्यवस्था के प्रश्न उठाने का प्रयास

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

मान्यवर, कार्य-मंत्रणा समिति ने यह तय किया था कि 15-16-17 को औचित्य के प्रश्न नहीं लिए जायेंगे । स्वाभाविक है पटल कार्यालय में स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं बहुत बड़ी वैधानिक विसंगति कल से पैदा होने जा रही है इस प्रदेश में मिर्जापुर में सोनभद्र में स्थानीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं अधिसूचना जारी हो चुकी है, स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे तो मतदाता ग्राम प्रधान, बी०डी०सी० जिला पंचायत, ग्राम पंचायत के सदस्य, सम्मानित विधायक सम्मानित सांसद होंगे । 18 मई को अधिसूचना जारी होने के बाद जो बी०डी०सी० जिला पंचायत, ग्राम पंचायत के सदस्य होंगे, उनका अस्तित्व समाप्त हो जायेगा और वह मतदाता सूची में विधिक रूप से नहीं रह सकते हैं, अगर चुनाव कराए जाते हैं तो इनको क्या मतदाता सूची से अलग करके चुनाव कराये जायेंगे या मतदाता बने रहेंगे ? अगर इनको मतदाता सूची से अलग किया जायेगा तो इन लोगों की संख्या काफी है, मतदाता सूची में कमी हो जायेगी अगर इनको शामिल किया जाता है तो यह अवैधानिक हो जायेगा क्योंकि इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है तो इस वैधानिक विसंगति से प्रदेश को बचाने के लिए कुछ न कुछ रास्ता आपकी ओर से आ जाए, इस पर क्या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

डंग साहब बड़े विद्वान हैं आप जानते हैं व्यवस्था का प्रश्न सदन में उपस्थित किया जाता है तो सदन में जो प्रश्न उपस्थित है उसके संबंध में होता है, अलग से व्यवस्था का प्रश्न बाहर की बातों के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न के रूप में उठाना सही नहीं है ।

सरजीत सिंह डंग–

तो विधान सभा किस लिये बनी है ।

श्री अधिष्ठाता–

इसके लिए नियमावली है, नियमावली के प्राविधान के अन्तर्गत किया जाएगा । जो नियम और उपनियम बने हैं उसके आधार पर सदन चलता है ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जैसा आपने कहा व्यवस्था का प्रश्न नहीं है लेकिन चिन्ता का विषय है जो स्थिति आई है इसको देखते हुए हमने प्रदेश के जो चुनाव आयुक्त हैं और मान्यवर, जो केन्द्र के चुनाव आयुक्त हैं उनके प्रतिनिधि हैं दोनों को स्थिति से अवगत कराया है परीक्षण करा रहे हैं वह क्या समाधान निकालेंगे । आज जानकारी मिल जाएगी, माननीय सदस्य को भी बता दिया जाएगा उनसे बराबर सम्पर्क बना हुआ है ।

श्री सरजीत सिंह डंग–

बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी ।

डा० कौशल किशोर–

1 से 22 तक का कार्य जो एजेन्डे में है उसको चार बजे तक सम्पादित होना है, 15 घंटे की चर्चा है और वक्तव्य लगे हैं अन्य चर्चायें हैं विनियोग विधेयक है, 17 घंटे का कार्य है तो इसके अनुसार सुबह 9 बजे तक सदन चलेगा । मेरी मध्यांचल के संबंध में चर्चा 9 तारीख को लगी थी, जो जारी कर दी गई, 13 तारीख को चर्चा लगी उसको जारी कर दिया गया, मद संख्या–26 पर मेरी चर्चा आज लगी है तो यह कैसे हो जायेगी । मेरा अनुरोध है कि आप मद संख्या–26 पर अभी चर्चा करा लें ।

श्री अधिष्ठाता–

जो एजेण्डा स्वीकृत हुआ है उसके आधार पर सदन की प्रक्रिया संचालित होगी इसमें अतिरिक्त व्यवस्था देने की आवश्यकता नहीं है ।

डा० कौशल किशोर–

मान्यवर, यह तीन बार आ चुका है । मान्यवर, मध्यांचल में न तो पानी है, न बिजली है । यह मद संख्या–26 में लगा हुआ है इस पर आप अभी चर्चा करा दें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बैठ जायें । आज इस सदन को बहुत सारे कार्य निपटाने हैं इसलिए अनुरोध करता हूं कि जो एजेन्डे की सूची है उसके आधार पर कार्यवाही संचालित होने दें ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, आज की कार्य-सूची में मद संख्या–107 में पूर्वांचल विकास निधि से धन आवंटित किये जाने के संबंध में आधे घण्टे की चर्चा लगी हुई है । अगर कल यह चर्चा हो जाती तो जो समस्या है वह दूर हो जाती है । कल इसमें आधे घंटे में चर्चा हो जाती लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि इस समय लोग हैं नहीं ...

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण खड़े होकर सदन का समय जाया करते हैं तो यह उसी की परिणति है ।

(व्यवधान)

भारत के नियंत्रण-महालेखा परीक्षा का 31 मार्च, 1999 के लिये प्रतिवेदन संख्या–1 (राजस्व प्राप्तियां), प्रतिवेदन संख्या–2 (वाणिज्यक), प्रतिवेदन संख्या–3 (सिविल)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारत के नियंत्रण-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या–1 (राजस्व प्राप्तियां), प्रतिवेदन संख्या–2 (वाणिज्यिक), प्रतिवेदन संख्या–3 (सिविल), उत्तर प्रदेश सरकार को, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151 (2) के अधीन, सदन के पटल पर रखता हूं ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने से व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं अनुरोध कर रहा हूं कि बहुत सारी चर्चाएं लगी हैं और उनका निस्तारण होना है । अधिकांश सदस्य उसमें भाग ले सकें कृपया इसमें मेरा सहयोग प्रदान करें ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां

संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री (श्री बाबूराम एम० काम०)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की, विज्ञप्ति संख्या–(1) क० नि०–2–54/ग्यारह–9(231)94-उ०-48-आदेश–2000, दिनांक 7 जनवरी, 2000

(2) क० नि०–2–101/ग्यारह–9(231)94-

उ०-48-अधि० 15–48–आदेश–2000, दिनांक 15 जनवरी, 2000

(3) क० नि०–2–143/ग्यारह–9(231)94-

उ०-48-अधि० 15–48–आदेश–2000, दिनांक 18 जनवरी, 2000

(4) क० नि०–2–523/ग्यारह–9(231)94-

उ०-48-अधि० 1548–आदेश–2000, दिनांक 17 फरवरी, 2000 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा–3–क की उपधारा (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

(घोर व्यवधान होने पर)

सभी सदस्यों से सदन संचालन में शान्ति एवं सहयोग हेतु श्री अधिष्ठाता का अनुरोध

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलेगा।

श्री अधिष्ठाता–

मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं कि व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर ऐसी कुछ बातें हो रही हैं जिससे सदन का समय जाया हो रहा है। यह जो चर्चाएं लगी हैं यह ठीक प्रकार से हो जायें इसमें आपका सबका सहयोग चाहता हूं। और आपके सहयोग के बगैर सदन नहीं संचालित हो सकता है। ये बात आयी कि कल बजट पास हो गया। मजबूर होकर, विवश होकर सबका अधिकार न छीने यही मेरा आपसे आग्रह है।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से यह घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2000 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 4 मई, 2000 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 9 मई, 2000 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमाति दिनांक 16 मई, 2000 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2000 का उत्तर प्रदेश का चौबीसवां अधिनियम बन गया।

आज की कार्य-सूची की विभिन्न चर्चाओं के संबंध में औचित्य का प्रश्न

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, एक औचित्य का प्रश्न है। मान्यवर, आज की कार्यसूची में मद संख्या–21 से लेकर 34 तक 11 घण्टे और 36 से लेकर 97 तक की जो मदें हैं उसमें 1 घण्टे का समय लगभग लगेगा इसी तरह से मद संख्या 98 से 107 तक जो मदें हैं उसमें लगभग 5 घण्टे का समय लगेगा। मान्यवर, इस संबंध में मेरा यह निवेदन है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कार्य मंत्रणा समिति में यह सुझाव भी रखा था, हम उनके आभारी हैं, मान्यवर, आज इतने महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं लगी हुई हैं आप कृपापूर्वक यह व्यवस्था दें कि आज माननीय सदस्य सदन में चाहें इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों मानसिक दबाव में यहां न बैठें कि इतनी लम्बी कार्य सूची में इतने विषय हैं इसलिये मान्यवर आज सत्र समाप्त होने के बाद बजाय इसके कि सत्रावसान किया जाये इसको अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जाये और उसके पश्चात् जब पंचायतों के चुनाव निपट जायें तब एक सप्ताह का गैप देकर एक सप्ताह के लिये फिर सदन बुला लिया जाये। मान्यवर, कारण यह है कि आज इन चर्चाओं को करने का समय नहीं है

और आज सारा सदन इस मानसिक दबाब में बजट पर भी चर्चा नहीं कर पायेगा जबकि सामान्य गृह प्रशासन का बजट है। मान्यवर, कुल 17 घण्टे की चर्चाएं हैं, उनके संबंध में आप पुनर्विचार कर लें और सरकार से भी मेरा आग्रह है कि पंचायत चुनावों के बाद एक सप्ताह का सदन पुनः बुला लिया जाये ताकि जो 52 और नियम 48 व नियम 103 की चर्चाएं हैं वह हो सकें, हम सरकार के आभारी होंगे।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया यह उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का नियम 15(1) देखने का कष्ट करें इसमें व्यवस्था है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लें पहले।

श्री अधिष्ठाता–

मुझे तो नहीं लग रहा है कि वह कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं व्यवस्था दे रहा हूं। यह जो नियमावली में व्यवस्था है कि जब तक जो निश्चित कार्य हैं वे जब तक समाप्त नहीं हो जायें तब तक सदन चलेगा। इसलिये इसमें कोई चिन्ता की बात नहीं है।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, 17 घंटे की चर्चा सम्भव ही नहीं है इसलिये यह औचित्य का प्रश्न महत्वपूर्ण है।

श्री अधिष्ठाता–

यह आज का सवाल नहीं है जब तक सदन की कार्यवाही पूरी नहीं कर लेते हैं सदन चलता है सदा से परम्परा रही है।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, आपने जिस नियम का हवाला दिया है मैं उसी के तहत व्यवस्था चाहता हूं कि उससे यह मान लिया जाय कि जब तक सदन की कार्यसूची पेन्डिंग रहेगी तब तक सदन का सत्रावसान नहीं किया जायेगा, अगर यह है तो मेरी मांग पूरी हो गयी मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय विद्वान सदस्य डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी, जैसा कि मुझे जानकारी है कि आप अस्वस्थ हैं और आपको इतनी तेज नहीं बोलना चाहिये, आप कृपा करके बैठें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, कल हमने निवेदन किया था कि आप हमारी चर्चा करवा दीजिये लेकिन कल चर्चा नहीं हुई यह हुआ कि चर्चा स्थगित हो जायेगी और आज भी विनियोग विधेयक के बाद, उन चर्चाओं को जो आपकी बड़ी अनुकम्पा के बाद स्वीकृत होती है उन पर चर्चा नहीं हो सकेगी तो हमारी सार्थकता क्या होगी ?

श्री अधिष्ठाता–

जो समय बच सके वह बचाइये, आज बहुत कार्य है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मेरा निवेदन है कि कल या परसों केवल चर्चा के लिये कर दें।

जनपद अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत भीटी से बनगांव सम्पर्क मार्ग का लेपन कार्य पूर्ण कराये जाने विषयक डा० शिव प्रताप सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री धर्मराज निषाद–

जनपद अम्बेदकर नगर के अन्तर्गत भीटी से बनगांव सम्पर्क मार्ग का लेपन कार्य पूर्ण कराये जाने विषयक डा० शिव प्रताप सिंह तथा श्री रामजी, निवासीगण जनपद अम्बेदकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

जनपद अम्बेदकर नगर के बिसुई नदी पर नारायनपुर घाट पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम अचल निषाद आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

जनपद अम्बेदकर नगर के बिसुई नदी पर नारायनपुर घाट पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम अचल निषाद तथा डा० शिव प्रताप सिंह, निवासीगण जनपद अम्बेदकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद उन्नाव में पंचायत चुनाव के अन्तर्गत ब्लाक स्तर पर आरक्षण न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री उदय राज यादव–

मान्यवर, दिनांक 15-5-2000 को मेरे द्वारा नियम 56 में एक सूचना दी गयी थी यह सौभाग्य है कि जिस समय आपने सरकार को निर्देश दिया था उस समय इस पीठ पर आप विराजमान थे। मेरे द्वारा जो सूचना दी गयी थी वह यह थी ...

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बैठें, मैं व्यवस्था के नाम पर इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री उदय राज यादव–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

कुछ लिखा नहीं जायेगा।

श्री उदय राज यादव

[x x x]

(श्री उदयराज यादव सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये)

श्री अधिष्ठाता–

मैं मद संख्या 8 ले रहा हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

नोट [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जनपद आजमगढ़ में मेंहनगर–डीहा मार्ग पर डीहा के पास मगई नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने विषयक श्री गुलजार आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री रामजग–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आजमगढ़ में मेंहनगर–डीहा मार्ग पर डीहा के पास मगई नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने विषयक श्री गुलजार तथा श्री श्याम नारायण यादव, निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद आजमगढ़ में रासेपुर बाजार में 33 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने विषयक श्री रामायन राय आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री राम जग–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आजमगढ़ में रासेपुर बाजार में 33 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने विषयक श्री रामायन राय तथा श्री लोकनाथ यादव, निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद उन्नाव में पंचायत चुनाव के अन्तर्गत ब्लाक स्तर पर आरक्षण न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

(नेती विरोधी दल के प्रयास से वेल में आये हुए श्री उदय राज यादव अपने स्थान पर वापस चले गये)

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय माननीय सदस्य उदय राज जी ने औचित्य का प्रश्न उठाया है, व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। औचित्य के प्रश्न के लिये आवश्यक होता है कि जब एक मद समाप्त हो जाये और दूसरी मद प्रारम्भ हो तो किसी समय इस प्रश्न को, जो सदन के संज्ञान में हो और अध्यक्ष पीठ भी उस संबंध में अवगत हो और तत्समय विचाराधीन हो, ऐसा प्रश्न उठाया जा सकता है। इस समय इसकी ग्राह्यता पर मैं यह कहना चाहूंगा। 15 तारीख को यह प्रश्न उठा था, आप इस पीठ पर विराजमान थे और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि मैंने जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया है और जो पिछड़ी जाति के लोगों का आरक्षण हुआ है, वह ठीक हो जायेगा, जो 17 प्रतिशत है, वह 27 प्रतिशत हो जायेगा। उस आदेश का परिपालन नहीं हुआ है, केवल 17 की जगह 21 हुआ है। श्रीमन् यह औचित्य का प्रश्न है और उदयराज जी उसी प्रश्न को उठा रहे हैं। यह सदन के संज्ञान में है और हल नहीं हुआ है, आपके संज्ञान में भी है। उन्हें दो मिनट अपने औचित्य प्रश्न पर बल देने हेतु, मौका दे दीजिये।

संसदीय कार्य स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, यह बात सही है कि जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कही और माननीय उदयराज जी ने जिस पर चिन्ता प्रकट की। मैंने अकेले जिलाधिकारी को ही नहीं, बल्कि विभाग के मंत्री को भी स्थिति से अवगत करा दिया था। मैं अपेक्षा करता था कि वह अपनी स्थिति यहां बता देंगे। माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश भी आये हैं, आपके पत्र पर। मैं माननीय मंत्री जी को तलाश कर रहा हूं, पहले वह इसे देख लें और संतुष्ट करने का प्रयास करें। आपने जो चार्ट भेजा है, उसे भी मैंने देख लिया है। मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं पाऊंगा, इसकी स्थिति वही स्पष्ट कर पायेंगे।

(मद संख्या–9 पुकारे जाने पर)

---

† छापी नहीं गयी।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार अनुपस्थित हैं।

जनपद लखनऊ के ब्लाक मोहन लाल गंज के ग्राम सिसेण्डी में एक राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने विषयक श्री मो० शकील खां आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री श्याम किशोर यादव–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, जनपद लखनऊ के ब्लाक मोहन लाल गंज के ग्राम सिसेण्डी में एक राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने विषयक श्री मो० शकील खां तथा श्री राकेश यादव, निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद लखनऊ के कस्बा काकोरी में एक अतिरिक्त ट्यूबवेल टंकी तथा वाटर लाइन बनवाये जाने विषयक श्री शकील अहमद आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री श्याम किशोर यादव–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, जनपद लखनऊ के कस्बा काकोरी में एक अतिरिक्त ट्यूबवेल टंकी तथा वाटर लाइन बनवाये जाने विषयक श्री शकील अहमद तथा श्री मो० आरिफ, निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद लखनऊ में बिजनौर तथा स्कूटर इण्डिया मार्गों का चौड़ीकरण, मरम्मत तथा स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था विषयक श्री नफीसुल हसन खां आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री श्याम किशोर यादव–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, जनपद लखनऊ में बिजनौर तथा स्कूटर इण्डिया मार्गों का चौड़ीकरण, मरम्मत तथा स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था विषयक श्री नफीसुल हसन खां तथा श्री रमेश यादव, निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद कुशीनगर स्थित चीनी निगम इकाई खड्डा द्वारा हो रहे प्रदूषण से रोकथाम कराये जाने विषयक श्रीमती विजय लक्ष्मी मिश्रा आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री दीप लाल भारती–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, जनपद कुशीनगर स्थित चीनी निगम इकाई खड्डा द्वारा हो रहे प्रदूषण से रोकथाम कराये जाने विषयक श्रीमती विजय लक्ष्मी मिश्रा तथा श्री हरिशंकर भदौरिया व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बदायूं के विकास खण्ड सहसवान के अन्तर्गत ग्राम उधैती में एक राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने विषयक श्री सुरेन्द्र पाल सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, जनपद बदायूं के विकास खण्ड सहसवान के अन्तर्गत ग्राम उधैती में एक राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने विषयक श्री सुरेन्द्र पाल सिंह तथा श्री किशन लाल, निवासीगण जनपद बदायूं द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या 13, 14 व 15 में कुछ नहीं है।

---

† छापी नहीं गई।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग

मुख्य मंत्री (श्री राम प्रकाश)–

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 13,63,39,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–84–सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 22,21,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

माननीय अधिष्ठाता जी, अपने बजट के संबंध में विचार रखने के पहले मैं एक घोषणा करना चाहता हूं । शासन ने तय किया है कि विधायक निधि 25 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दी जाय ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि कल अयोध्या में दो बड़ी दर्दनाक घटनायें हुई और भगवान ने उसको बचा लिया अन्यथा सारा प्रदेश और देश समस्या में जूझ रहा होता । उस घटना की जांच करने के लिये मैंने केन्द्र को सी० बी० आई० की जांच कराने के लिये निदेश दिये हैं, उसमें प्रारम्भिक जांच से ऐसा आभास हुआ है कि जो बम अयोध्या में प्रयोग किया गया, लगभग उसी प्रकार का बम आगरा में श्री बिल क्विंटन के आगमन के पूर्व जो विस्फोट हुआ था, उसमें इस्तेमाल किया गया था, इसलिये जांच बहुत गहराई से करनी होगी और किसी बड़े षडयंत्र का उसमें पर्दाफाश हो सकता है । श्रीमन् ला एण्ड आर्डर और सामान्य प्रशासन दोनों के संबंध में क्या परिवर्तन लिया जाय, क्या सुधार किया जाय, इस पर कुछ विचार मैं पहले भी माननीय सदन में रख चुका हूँ । मेरा यह मानना है कि सबसे ज्वलंत जो समस्या है, वह भ्रष्टाचार की है और अगर भ्रष्टाचार पर थोड़ा भी अंकुश लगे तो बड़ा जबर्दस्त परिवर्तन हमको दिखाई देगा । इस दृष्टि से श्रीमन् भ्रष्टाचार के संबंध में जो अनेक जांचें लम्बित थीं, बहुत सालों से, जब मैंने अधिकारियों को बुलाकर चर्चा की और मैंने पूछा कि कोई कार्यवाही अपने आखिरी तक क्यों नहीं पहुंचती ? केन्द्र से भी डाइरेक्टर आफ विजीलेंस जब मुझसे मिलने आये तो मैंने उनसे पूछा कि बहुत जबर्दस्त इन्क्वायरियां चल रही हैं, बहुत मेहनत हो रही है बड़े-बड़े मामले प्रकाश में आए हैं फिर भी अभी तक कोई एक व्यक्ति के खिलाफ अन्तिम निर्णय नहीं होता और इसलिए सारी यह मेहनत लगभग बेकार हो रही है । जब तक हम निर्णय नहीं कर पायेंगे, कोई प्रभाव सारे प्रशासन पर नहीं होगा और इसलिए जब चर्चा हुई तो लोगों ने कहा कि सब मामले उलझे हुए हैं, कोई कोर्ट में उलझा हुआ है, को सुप्रीम कोर्ट में उलझा हुआ है, कोई सी० बी० आई० के पास उलझा हुआ है, कहीं पर भी अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया तो मैंने कहा कि भाई, अगर किसी भी इन्क्वायरी को आप पूरा करने के बाद दण्ड देने की स्थिति में आकर न्यायालय में जाते हैं और 2, 4, 6 साल तक कोई निर्णय नहीं हो पाता तो क्या विभागीय कार्यवाही जल्दी नहीं कर सकते ? और इस आधार पर विचार करते हुए कुछ कार्यवाही की गयी और मैं समझता हूं कि कार्यवाही बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी ताकि सन्देश जाए कि जो गलत काम करते हैं, जो शासन को धोखा देकर भ्रष्टाचार के द्वारा जनता को त्रस्त करना चाहते हैं, उनकी मंशा पूरी नहीं होगी और इसलिए जो कार्यवाहियां की गयी हैं उसके बारे में श्रीमन्, मैं इस सदन को अवगत करना चाहता हूं, 1999-2000 में 260 लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन और 432 के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही विजलेंस डिपार्टमेंट

ने की जो अभी तक लम्बित थीं । इस अवधि में 36 लोक सेवक कैट के द्वारा पकड़े गये और गिरफ्तार किए गये । इस मामलों में अभी हाल में 236 अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजना की स्वीकृति जारी कर दी गयी है । और उनमें से 100 व्यक्तियों को निलम्बित भी किया जा चुका है, यह अभियान जारी रहेगा । न्यायालयों में जो मामले जाते हैं, धीरे-धीरे हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि जहां बहुत आवश्यक नहीं है और बहुत बड़े दण्ड की सम्भावना नहीं है, वहां न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं है, विभागीय कार्यवाही ही पर्याप्त हो सकती है । किसी के पास 10-20 लाख ज्यादा पाये गये, उसको वसूल करने के लिए केस चलता है, बहुत सालों तक, इसलिए जो बहुत गम्भीर अपराध हैं, उन्हीं के खिलाफ न्यायालयों में जाया जाए और बाकी में विभागीय कार्यवाही करके निर्णय किए जायें । यह भी हमने निर्णय किया है कि जो न्यायालय में लम्बित मामले हैं, उनको निपटाने के लिए अभी तक 5 विशेष न्यायालय हैं उसके अतिरिक्त और 7 विशेष न्यायालयों के गठन की कार्यवाही की जा रही है । अभी हमने एक और निर्णय किया है कि डिपार्टमेंटल एक्वटीज जितने निर्माण के कार्य सब विभागों में हो रहे हैं और सारे प्रदेश में शिकायत है कि सारा भ्रष्टाचार चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है जो सुपरवीजन करने वाले लोग हैं, उसमें उनका समर्थन रहता है और इसलिए जांच नहीं हो पाती, काम ठीक नहीं हो पाता, जनता की गाढ़ी-कमाई का पैसा बर्बाद हो रहा है । जो हमने यह तय किया है जैसा कि एसटीएफ, स्पेशल टार्सक फोर्स पुलिस में है, उसी प्रकार एक तकनीकी दस्ता मुख्य सचिव की देखरेख में बनाया जायेगा उसमें अच्छे इंजीनियर्स को सलेक्ट करके और 2-2, 4-4 लोगों का ग्रुप हर विभाग के बनाये जायेंगे और उसमें से कोई भी ग्रुप किसी भी डिपार्टमेंट में चेकिंग के लिए जैसे फ्लाइंग स्काट होता है उसी प्रकार सारे प्रदेश में यह तकनीकी दस्ता छापा मारेगा । जो गलत काम हो रहा है उसकी जांच करेंगे और तुरन्त कार्यवाही की जायेगी । इस प्रकार भ्रष्टाचार की दृष्टि से यह अभियान चालू किया जा रहा है ।

(इस समय 12 बजकर 5 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

अब मैं ला एण्ड आर्डर के बारे में कहना चाहता हूं । साधारणतः ला एण्ड आर्डर की बड़ी आलोचना होगी, मैं भी सुनूंगा चूंकि आप लोग बहुत गुस्से और नाराजगी में अपनी बात रखेगे । यह विषय ऐसा है कि कितनी ही शांति हो एक घटना किसी गांव में घट जाय तो गांव के लिए हृदय विदारक और चिन्ता की बात होती है । इसलिए साधारणतः यह कहना कि स्थिति ठीक है, बहुत कठिन है । मैं भी अपनी ओर से संतुष्ट नहीं हूं कि ला एण्ड आर्डर की व्यवस्था ठीक है । लेकिन फिर भी जैसा भ्रष्टाचार का मामला है परिणाम मिलना आसान नहीं । लेकिन धीरे-धीरे परिणाम आयेगा । इसी तरह ला एण्ड आर्डर भी ठीक होगा और बहुत जल्दी नहीं हो सकता है बल्कि कुछ समय लगेगा लेकिन नीति हम बना रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, 5-6 महीने का अनुभव हुआ है कुछ निष्कर्षों पर पहुंच चुके हैं ।

मान्यवर, अभी हमने 6 मई को कमिश्नर और जोनल इंजीनियर्स की बैठक बुलाई और चर्चा किया कि क्या बात है, क्यों नहीं काम कर पा रहे हैं, ला एण्ड आर्डर क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं, अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ पाते हैं, इस सब पर चर्चा हुई और उस चर्चा के बाद कुछ बड़े महत्वपूर्ण निर्णय किये गये । निर्णय यह किया गया कि आईडेन्टीफाई करें, जो थाना इंचार्ज गलत हैं हर जिले में कम से कम 3 की लिस्ट बननी चाहिए, उसमें 3 ऐसे एस० ओ० जिनके बारे में धारणा अच्छी नहीं है, जनता जिनको समझती है शोषण करते हैं, उनको आइडेन्टीफाई करें और जो अच्छे हैं उनको आईडेन्टीफाई करें । अच्छे लोगों को हम पुरस्कार देंगे और जो करेप्ट हैं उनके खिलाफ जबर्दस्त कार्यवाही की जायेगी । मैंने कहा कोई एस० एस० पी० यदि भ्रष्ट एस० ओ० के खिलाफ कार्यवाही नहीं करता है तो माना जायेगा वह सांठ-गांठ में लिप्त है और उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी । यह अभियान लगातार चलता रहेगा । नीचे जो गलत हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और जो अच्छे हैं उनको पुरस्कृत किया जायेगा । लेकिन इस योजना को मैं आपके समक्ष लाऊंगा कि जो पुलिस आफीसर्स अच्छे हैं उनको

पुरस्कार दिया जायेगा जिससे वे काम करने के लिए प्रोत्साहित हों और अपनी जान खतरे में डालकर भी जनता की रक्षा करें। इस तरह प्रयास करके यह सब चीजें हो सकती हैं।

श्रीमन् अभी जो चर्चा यहां हाउस में चली, पता नहीं क्या भगवान की माया है हाउस चलते ही दलितों पर हमले होने लगे। एक के बाद एक बड़े यहां उत्तेजना में माननीय सदस्य थे। हम लोगों के मन में शंका पैदा हो रही थी कि कहीं हम दोषी तो नहीं हैं। धीरे-धीरे सारी बातें साफ हो गयीं। टूंडला की घटना में इतनी उत्तेजना पैदा हुयी, 4 दलित मार दिये गये। सारा विवरण सामने आ गया। मेरे मन में शंका पैदा नहीं हुयी कि पुलिस दोषी होगी और बहुत इन्क्वायरी करने के बाद भी पुलिस का दोष नहीं पाया गया। मुझे खुशी है कि 5 आदमी पकड़ लिये गये हैं और सामान भी मिल गया है। जो लोग डकैती में शामिल थे उन्हीं लोगों ने दलितों को मारा था। अगर गलत तरीके से अखबारों में प्रचार और खबर के आधार पर पुलिस के लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी तो पुलिस का मनोबल नहीं बढ़ सकता है। जो घटनायें हो रही हैं वह बिल्कुल स्थानीय हैं। बाराबंकी में एक महिला के साथ दुराचार होता है, वह एक स्थानीय घटना है इसमें पुलिस ने कार्यवाही की और दोषी को पकड़ा। बरेली में दो बच्चों का अपहरण हुआ। मैंने फोन किया जोनल आई०जी० को। मैंने कहा बैठक से गये हो, बरेली रीजन में अपहरण नहीं हुआ यह क्या शुरुआत है। मुझे खुशी है कि दोनों बच्चों को छुड़ा लिया गया और अपराधियों को पकड़ लिया गया। अगर इस तरह की स्थानीय घटनायें हो रही हैं, अगर किसी के घर में झगड़ा हो गया तो इससे प्रदेश के ला–एण्ड आर्डर का क्या ताल्लुक है ? ला-एण्ड–आर्डर खराब हो और कोई स्थानीय घटना हो तो इसमें हमें फर्क करना होगा। प्रदेश बहुत बड़ा है। आबादी बहुत बड़ी है। छुटपुट घटनायें स्थानीय झगड़ों के आधार पर होती है। किसी की जमीन का झगड़ा हो गया, किसी की सम्पत्ति का झगड़ा हो गया, ऐसी घटनायें होती रहती हैं। ला–एण्ड–आर्डर की समस्या किसी सामाजिक कारण से फैल जाय और उसको कंट्रोल न किया जाय तो आलोचना होनी चाहिए। अभी मऊ और बनारस में घटनायें हुई हैं। तुरन्त शासन सक्रिय हुआ और 3-4 दिन में पूरा कंट्रोल करके शांति स्थापित कर दी। अगर यह और फैल जाता तो समझिये कि ला–एण्ड–आर्डर फेल हो रहा है। इसी तरह से अनेक स्थानों पर परिस्थितियों वश समाज उद्वेलित होता है। बलिया में एक घटना हुयी। थानेदार ने गोली चलाकर एक युवक को आहत कर दिया। उसको गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चलाया गया। वहां ला–एण्ड–आर्डर बिगड़ गया था, घटना पर अगर वहां रियक्ट नहीं करते तो मैं समझता कि सारे प्रदेश में दम नहीं है। वहां के युवकों ने संघर्ष किया मैंने उसकी तारीफ किया। पुलिस अफसरों को गलत कार्यों को लेकर जब जनता रियक्ट करती है, नौजवान रियक्ट करते हैं तो उसको सहानुभूति पूर्वक डील करना चाहिये उसकी प्रतिक्रिया में पुलिस को कार्यवाही नहीं करनी चाहिये। मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि ला–एण्ड–आर्डर ठीक होगा, आपका सहयोग चाहिये। आप आलोचना कीजिये, मुझे आलोचना से डर नहीं लगता लेकिन ऐसी आलोचना कीजिये जिससे वातावरण न बिगड़े। जो चीज ला–एण्ड आर्डर में नहीं आती है, अखबारों में, समाचारों में पढ़ें, पुलिस जहां अच्छा काम करती है उसकी चर्चा कीजिये।

जिस जगह पुलिस ने ठीक काम किया। बरेली में उसने बच्चों को पकड़ लिया, हमारे यहां लखनऊ में एक दरोगा ने अपराधी को पकड़ने के लिये पीछा किया और गोली खायी। उसकी किडनी निकाल दी गयी। मैंने उसको 25 हजार रुपये का ब्रेवरी इनाम दिया। जहां पुलिस अच्छा काम करें उसकी आप प्रशंसा कीजिये। प्रशंसा अखबारों में छपनी चाहिये। जो अच्छे आफिसर हैं, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आखिर काम उन्हीं से लेना है। जो वर्तमान पुलिस है उसको अच्छा नहीं बनाते हैं, उसकी इन्टीग्रिटी, ब्रेबरी, बलिदान करने की भावना इसको आगे नहीं बढ़ाते तो आलोचना से ही हम क्या करेंगे ? प्रदेश के अन्दर विकास नहीं कर पायेंगे। जो एस०टी०एफ० बनाया है उसकी बात करना चाहता हूं। पिछले सालों में बहुत अच्छे काम उसने किये। उत्तर प्रदेश की एस०टी०एफ० सारे हिन्दुस्तान

में प्रसिद्ध है । सभी प्रदेश की सरकारें हमारे एस०टी०एफ० को देख रहे हैं कि कैसा काम कर रहा है ? उसका उदाहरण अपने यहां क्रियेट करना चाहती हैं । यह स्थिति हमारे एस०टी०एफ० की है । जो दो-चार अच्छे काम हैं उसको बताना चाहता हूं । आई०एस०आई० का एजेण्ट शेख मोहम्मद तथा अतीक अहमद को गिरफ्तार किया और उसके पास से ए०के०–47 की रायफल बरामद की । कारगिल युद्ध के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बदमाश मोहम्मद जफर को कानपुर में पकड़ा गया । कुख्यात अपराधी दाऊद इब्राहिम व छोटा शकील गिरोह का राम सिंह ठाकुर को गिरफ्तार किया गया । कुख्यात अपराधी परमजीत सिंह और उसके 4 साथियों को अहमदाबाद, गुजरात में जाकर गिरफ्तार किया गया । 9 जून को नेत्रपाल सिंह जो सासनी अलीगढ़ का था उसको एक अन्य अपराधी के साथ गिरफ्तार किया गया उसके पास से 38 बोर का रिवाल्वर और 315 बोर का पिस्तल बरामद किया गया । 17 मार्च को नागपुर से अपहृत अभिषेक अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया । 22 लाख रुपया नगद, मारूति कार, मोबाइल फोन तथा नशे के इंजेक्शन बरामद हुए । यह एस०टी०एफ० लगातार काम कर रहा है और हम उसके पैरलेल नेपाल बार्डर पर सीमा पुलिस है उसका भी स्ट्रेंग्थ करने जा रहे । सीमा पुलिस के सामने जो कठिनाई है उन कठिनाइयों से वह लड़ सके । इसके लिये अभी तक हमारी सीमा पुलिस को ज्यादा अधिकार नहीं थे, पुलिस के बराबर भी अधिकार नहीं थे । अभी हमने आर्डर किया है कि उनको भी जो हमारे पुलिस आफिसर्स है उनके अधिकार दिये जायेंगे ताकि वह सीधे गिरफ्तार कर सके और कार्यवाही कर सकें । एस०टी०एफ० के आधार पर एक दल बार्डर पर उनके साथ सहयोग करने के लिए नियुक्त किया जाय । यह भी विचार कर रहे हैं । हमारी सीमाओं पर दस्यु उन्मूलन की चिन्ता की जा रही है । मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक मिले और एक योजना बनायी गयी है, दोनों मिलकर कार्यवाही कर रहे हैं और उसमें बहुत कुछ सफलता मिल रही है वह भी मैं बताना चाहता हूं । 28 जनवरी, 2000 को जालौन पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक अन्तर्राष्ट्रीय दस्यु सरगना हरिकृष्ण कठौर मारा गया ।

29 जनवरी, 2000 को थाना कुठौन जनपद जालौन में मानसिंह गैंग से मुठभेड़ में अपहृत युवक मुक्त कराया गया । 8 फरवरी, 2000 को मानसिंह गैंग के साथ पुनः मुठभेड़ हुई जिसमें एक अपहृत मुक्त कराया गया । 12 फरवरी, 2000 को राजू कुशवाहा भिंड में गिरफ्तार किया गया । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां हमारा औद्योगिक क्षेत्र है वहां शांति व्यवस्था कायम करने के लिए असाधारण कार्यवाहियों को करने की आवश्यकता है । श्रीमन् कुछ दिन पहले आई०सी०आई०सी०आई० के बड़े-बड़े प्रभावशाली लोग जिन्होंने हजारों करोड़ की इण्डस्ट्री वहां लगा रखी है वह आए थे उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने जो बात कही वह हमारे लिए खुशी का क्षण था उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश को बिना कारण बदनाम किया जा रहा है । आपके अधिकारी और आपकी व्यवस्था वहां पर जो हम अनुभव कर रहे हैं अति उत्तम है यह हमने नेशनल कांफ्रेंस होती है उसमें खुले आम कहा । जैसे सुव्यवस्था हमारे क्षेत्र में है नोयडा और ग्रेटर नोयडा में उसमें बड़े-बड़े उद्योगपति इन्वेस्टमेंट करने के लिए उस क्षेत्र में आ रहे हैं ऐसी आज व्यवस्था शायद देश में किसी प्रदेश में नहीं है । उन्होंने जो कहा है लेकिन उन्होंने सावधान किया । मैंने तो एक बात बताई है उत्तर प्रदेश का एक कोना ठीक होना शुरू हुआ है वहां से आगे बढ़ना है । ला–एण्ड–आर्डर उस इलाके में काफी बिगड़ गया था अपहरण बहुत हुआ करते थे आज भी छुटपुट हो रहे हैं उसको रोकना पड़ेगा । हमें ला एण्ड आर्डर ठीक करना पड़ेगा अगर उत्तर प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनाना है । अगर किसी उद्योगपति के किसी बच्चे का अपहरण हो जाता है तो इससे गलत संदेश चला जाएगा । सारा उद्योगीकरण बन्द हो सकता है । इसलिए उस क्षेत्र के ला एण्ड आर्डर को स्ट्रेन्थन के लिए कार्यवाही कर रहे हैं । पुलिस को स्ट्रेन्थन कर रहे हैं अगर ला एण्ड आर्डर ठीक होगा तो हमारे क्षेत्र में लोग सुरक्षित अनुभव कर सकेंगे यह सब कारण हैं जिस पर हमें और पुलिस विभाग को ध्यान देना है । अभी हम पुलिस को आधुनिक करने के लिए योजना बना रहे हैं पहले से बहुत काम पड़ा हुआ है ।

मार्डनाइजेशन पर पिछले वर्ष 7 करोड़ 34 लाख रुपये मात्र खर्च हुए इस बार केन्द्र से भी और ज्यादा सहायता मिलने की संभावना है । 19 करोड़ रुपये मार्डनाइजेशन पर खर्च किया जाएगा । आधुनिक वाहन पुलिस को उपलब्ध कराए जायेंगे मैं मानता हूं कि यह बहुत बड़ा काम है आने वाले समय में और अधिक राशि इसमें बढ़ानी पड़ेगी । हर जिला पुलिस अधीक्षक के पास कम्प्यूटर उपलब्ध करा दिया है हर थाने में कम्प्यूटर होना चाहिए ताकि अपराधों का रिकार्ड मिल जाए । ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं ज्यों-ज्यों इस दिशा में आगे बढ़ेंगे हमें अच्छे परिणाम देखने में आयेंगे मैं यह भी कहना चाहता हूं ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पुलिस को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए उनमें गुणवत्ता लाने के लिए उनको ट्रेनिंग और हर प्रकार के मोडर्न मेथड्स का ज्ञान देना आवश्यक है इसके लिए धनराशि उपलब्ध कराना आवश्यक है । बिना ला एण्ड आर्डर को ठीक किये बिना प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता । इन्हीं शब्दों के साथ यह दोनों बजट अनुदान स्वीकार करें यही मेरा अनुरोध है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने गृह पर तो अपने विचार रखे लेकिन सामान्य प्रशासन पर कुछ नहीं कहा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा एक अनुरोध है जब माननीय नेता सदन में बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए जिसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं उस समय क्या कारण है कि उनके गठबन्धन की जो सरकार है उसके नेता संदन में उपस्थित नहीं है ।

(व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन् मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–26 गृह विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्रीमन्, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने गृह और सामान्य प्रशासन का बजट प्रस्तुत करते हुए सामान्य प्रशासन के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा लेकिन पुलिस की तारीफ के पुल बांध दिये । जब तक इस प्रदेश में पुलिस की बर्बता पुलिस के नंगे नांच से पुलिस की बर्बरतापूर्ण उत्पीड़न से, पुलिस के द्वारा सीधे-साधे नागरिकों को मुठभेड़ में मारे जाने से विषय परिस्थिति पैदा हो गई है । लोग पुलिस को आज घृणा की दृष्टि से देखते हैं और पुलिस का नाम सुनते ही आशंका भरी निगाहों से देखने लगते हैं । आज सारे प्रदेश में जंगल राज है, कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है । कत्ल, डकैती, हत्यायें, अपहरण, बलात्कार, चोरी, दंगा तमाम चीजों की बाढ़ सी आ गई है जो अभूतपूर्व है । ऐसे वातावरण के रहते हुए कभी भी यह आशा नहीं की जा सकती है कि उत्तर प्रदेश में उद्योग धन्धे लग पायेंगे और जनता शांतिप्रिय ढंग से जीवन व्यतीत कर सकेगी और प्रदेश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सकेगा । कुछ अखबारों की मैं हैडिंग पढ़ देता हूं और उसको आपके समक्ष रखना चाहता हूं । हिन्दुस्तान टाइम्स 9-5-2000 में छपा है "कानून व्यवस्था बदहाल कौन पूछेगा जनता का हाल", नवभारत टाइम्स जो दिल्ली से प्रकाशित होता है उसने 7-1-2000 के अखबार में लिखा है "आंकड़ों में हेराफेरी दर्शायी पुलिस ने अपराधों में कमी" 1-4-2000 को कुबेर टाइम्स ने उद्धरित किया है "लाचर होकर रह गई है राजधानी

की पुलिस, अपराध निरन्तर बढ़ रहे हैं । इसी तरह से "अपराधों की मार से कराह उठा लखनऊ । लखनऊ के बारे में टिप्पणी भी की है–"बेरहम शातिर बदमाशों ने पिछले दो महीने के दौरान लखनऊ के चेहरे पर नन्हें-मुन्हें बच्चों के कत्ल, मासूम बच्चियों से दुराचार, व्यापारियों और दौलत मंद लोगों की हत्यायें और लूट की सनसनीखेज इबारतें लिखी हैं उन्हें पढ़कर पूरा शहर कराह उठा है ।" जितने शातिर बदमाश हैं वह खुले आम घूम रहे हैं उन्हें पुलिस कभी पकड़ नहीं पाती है, निर्दोषों पर कहर ढाया जा रहा है । निर्दोष लोगों को पकड़कर फर्जी मुठभेड़ के नाम पर मारा जा रहा है । अपहरण होते हैं और अपहरण करने के बाद हत्यायें हो जाती हैं परन्तु पुलिस अपहरणकर्ताओं पर कोई कार्यवाही नहीं कर पाती है और उनको पकड़ने में असफल रहती है । कई अपहरण हुए, हत्यायें हुई परन्तु पुलिस पूरी तरह से उदासीन रही और किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई । लखनऊ में ही 14 मई को ग्राम गौरी में, कल एक प्रश्न उठा था दो छात्रों की निर्मम हत्यायें हुई । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी स्वीकार किया था कोई बड़ा झगड़ा भी नहीं था । यह सब क्यों हो रहा है क्योंकि श्रीमन्, सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है, इसका कोई रौब-दौब नहीं रह गया है और इसी कारण सारे अपराधी और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग स्वच्छन्द हो गये । मनमानी तरीके से कत्ल, हत्या, डकैती में लोग लीन हो गये हैं, लग गये हैं । जहां थोड़ी सी भी रंजिश होती है उस रंजिश के नाम पर निर्दोष लोगों को मौत से घाट उतार दिया जा रहा है । कल एक ही परिवार के 6 सिक्खों को भी यहां से 14 किलोमीटर की दूरी पर मौत के घाट उतार दिया गया । श्रीमन्, इतना ही नहीं अगर पुलिस के जो कुकृत्य हैं उस पर इसी तरह से पर्दा डाला गया तो निश्चित तरीके से और भी अपराध बढ़ेंगे । अपराधों की कमी का कोई प्रश्न नहीं होगा । जब तक 2-4 केस जो वास्तव में पुलिस द्वारा ऐसे किये गये हों जो दिल दहलाने वाले हैं उन पर उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है तो निश्चित तरीके से हालात और बढ़ेंगे और फिर यह कानून व्यवस्था जो आज जर्जर हो गई है, लड़खड़ा कर गिर जायेगी और अराजकता की स्थिति पैदा हो जायेगी । पुलिस के बारे में जब कोई जांच ऐसी होती है उच्च अधिकारी जांच करते हैं तो श्रीमन् उस जांच के आधार पर कोई कार्यवाही भी नहीं होती है, अगर कार्यवाही जांच के आधार पर हो जाय तो निश्चित तरीके से लगने लगे ऐसे अधिकारियों पर ऐसे अधिकारियों के मुंह में तो भविष्य में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे । जैसे ऐटा की बात थी वहां मौजूदा एस०एस०पी० श्रीमन्, वहां डी०आई०जी०, आई०जी० दोनों बड़े अधिकारियों ने जांच की । पुलिस अधीक्षक के खिलाफ लिखा गया और यह भी कहा कि न तो इनके रहते हुए जनरल इलेक्शन हो सकता है, न कानून व्यवस्था ठीक हो सकती है । ऐसे व्यक्ति को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया जाय । इनसे कानून व्यवस्था बनने वाली नहीं है । इस प्रश्न को उठाया भी गया था माननीय सदन में और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि इसको देख लेंगे और अगले दिन इसकी सूचना भी देंगे । लेकिन शायद संसदीय कार्य मंत्री जी ने उचित नहीं समझा या विस्मृत हो गये, भूल गये उस चीज को । यहां पर उन्होंने इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी जब कि हमने स्वयं मांग की थी कि आई०जी०, डी०आई०जी० की रिपोर्ट पुलिस कप्तान के खिलाफ आ गई है तो निश्चित तरीके से उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए । श्रीमन्, इतना ही नहीं है आज महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है जिस तरीके से बढ़ रहा है वह अपने आप में एक बहुत बड़े दुख की बात है और साथ ही साथ एक विडम्बना भी हम कहेंगे कि इस सरकार के चलते महिलाओं का उत्पीड़न जितना बढ़ा है उतना कभी भी महिलाओं का उत्पीड़न नहीं हुआ है । हम एक आंकड़े के अनुसार आपके माध्यम से माननीय सदन को अवगत कराना चाहते हैं कि 99 में दहेज हत्यायें 2065 हो गई, बलात्कार 1546 हो गये, अपहरण 2730 हो गये, चोरी 2276 हो गये, उत्पीड़न 5372 हो गये और अस्मिता के केसेज 2441 हो गये । इस तरीके से हमारी बहिनों और बेटियों के साथ जिस तरीके का सुलूक इस हुकूमत में हो रहा है इस प्रकार बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के अन्दर हो रहा है । गुण्डे, बदमाश, चोर उचक्के स्वच्छन्द हो गये हैं । इन पर कोई अंकुश नहीं है इसलिये अपराधों में बढ़ोत्तरी लगातार हो रही है । श्रीमन् यही नहीं हम अवगत कराना चाहेंगे कि यह सरकार फर्जी मुठभेड़ पर अगर अंकुश लगाती

तो निश्चित रूप से अपराधों में कमी आई होती । मैं उल्लेख करना चाहूंगा जनपद पीलीभीत में राम भरोसे यादव की निर्मम हत्या कर दी गई । टूण्डला में जिनके बारे में मुख्य मंत्री जी ने कहा कि पर्दाफाश हो गया निश्चित रूप से लीपापोती की गई ऐसी लीपापोती से काम नहीं चलेगा । बाबरिया गैंग का नाम ले दिया गया तो ऐसा नहीं है लीपापोती की जा रही है अगर पुलिस को इसी तरह से बचाने का काम चलता रहा तो निश्चित रूप से हत्याओं में वृद्धि होगी । आप भी अवगत हैं, सारा सदन अवगत है, इसी विधान सभा के सामने पुलिस उत्पीड़न से तंग आकर एक सिक्ख नवयुवक ने आग लगाकर अपनी जान दे दी । कोई बड़ी घटना नहीं थी, इसके पहले उस भाई की बहन ने किसी पुलिस अधिकारी पर रंग का छींटा डाल दिया था । पुलिस अधिकारी इस पर बौखला गया और जघन्य अपराध करवा डाला । इससे पहले उस परिवार की कोई आपराधिक हिस्ट्री नहीं थी, उसके भाई के खिलाफ आपराधिक हिस्ट्री बनानी शुरू कर दी, जिससे वह भाई बहन परेशान हो गए, रोज पुलिस के उत्पीड़न का काम होने लगा, वह साधारण परिवार के लोग थे, कोई ठेला लगाता था कोई कुछ कार्य करता था, पुलिस उत्पीड़न की वजह से वह भुखमरी के कगार पर आ गये, जिससे भाई ने परेशान होकर आत्मदाह कर लिया, जब कोई व्यक्ति मजबूर हो जाता हैं तो अपनी जान देता है । श्रीमन् जनपद गाजीपुर में भी पुलिस आपरेशन में दो व्यक्तियों की हत्या कर दी गई । गोली चला देना तो पुलिस का साधारण सा काम हो गया है । कहीं कोई जरा सी घटना घटित होती है तो पुलिस गोलियां चलानी शुरू कर देती है और निर्दोष लोगों की हत्या होना शुरू हो जाता है । श्रीमन् जनपद हरदोई में संडीला में एक व्यक्ति का अपहरण हो गया एक व्यक्ति की हत्या हो गई, बाराबंकी कपड़ा व्यवसायी के पुत्र का अपहरण हुआ, उसकी हत्या कर दी गई । जनपद आगरा के सुभाषनगर निवासी की पुलिस द्वारा हत्या की गई । जनपद चित्रकूट के कर्वी के छोटा लाल की हत्या कर दी गई । 9 मई को गुड्डू पासी लखीमपुर की हत्या कर दी गई यह बिल्कुल आपराधिक हिस्ट्री का नहीं था, एक बदमाश को पुलिस पकड़कर ले गई पुलिस ने उसके हाथ बंध कर जंगल में गोलियों से छलनी कर दिया । गुड्डू पासी देख रहा था इसलिए उसको भी पकड़कर मौत के घट उतार दिया गया । बहन कहती रही उसके भाई का क्या दोष था क्यों मारा जा रहा है, लेकिन मार दिया गया, पुलिस ने सारे सबूत मिटाने की वजह से उसकी हत्या कर दी । जवाब दिया गया कि वह डकैती का अभियुक्त था जबकी कोई भी आपराधिक हिस्ट्री नहीं थी उसने डकैती नहीं डाली थी इसी तरह से लखनऊ में राम विलास और बाबू पासी की हत्या कर दी गयी । श्रीमन् यही नहीं इसी तरह से सारे प्रदेश में 100 से ज्यादा पुलिस द्वारा निरपराध लोगों की हत्याएं की जा चुकी हैं और यह सिलसिला जारी है । और यह इसलिए जारी है कि पुलिस के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है । यदि जांच होती भी है और कोई दोषी पाया जाता है तो उस पुलिस अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है इसलिए इनके हौसले बलन्द हो गये हैं और पुलिस निरंकुश हो गयी है । अब तक इस सरकार के बार-बार निर्देश होते हैं यह कहा जाता है कि हमने निर्देश दे दिये हैं कि कोई घटना हो इसकी रिपोर्ट लिखी जाय । मान्यवर, हमारे पास बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सी सूचनाएं हैं लेकिन मैं नमूने के तौर पर सूचनाएं रख रहा हूं कि किस तरह से महीनों व्यतीत हो चुके हैं लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी । जबकि वह रिपोर्ट लिखने की गुजारिश करता है, कोशिश करता है । मान्यवर, अखबारों में भी है कि असत्य आंकड़े देकर मनगढ़न्त आंकड़े देकर यह काम कर रहे हैं । मान्यवर, ऐसा ही उदाहरण देना चाहूंगा । कानपुर में सकन्जी माहौल थाना कलेक्टरगंज में है वहां पर गोपाल सर्राफ का अपहरण 19/20 की रात को होता है । जब यह अपहरण हुआ था उसी समय डकैती डाल देते हैं 26-3-2000 को और उसके बाद तमाम कोशिश की जाती है कि रिपोर्ट लिखी जाय, एस० एस० पी० को भी लिखकर दिया जाता है, टेलीग्राम किया जाता है, कहा जाता है कि रिपोर्ट लिख दी जायेगी लेकिन दो महीने बीत गये हैं रिपोर्ट नहीं लिखी गयी है । कारण उसका यह है कि कुछ प्रभावशाली लोग लगे हैं कि रिपोर्ट न लिखी जाय । और जो डकैत हैं, जिनमें ऐसे लोग शामिल हैं जो अपने को जनसेवक कहते हैं वह फंस जायेंगे इसके कारण रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है । मेरा आपसे अनुरोध है कि रिपोर्ट लिखने के लिए मैंने निवेदन

किया है, निर्देशित किया जाय एस० एस० पी० कानपुर शहर को रिपोर्ट लिख दी जाय । दूसरी घटना 20-3-99 की इटावा जनपद की है । इटावा में एक ट्रैक्टर ड्राईवर द्वारा एक व्यक्ति की ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या कर दी गयी उसके परिवार वाले थाने में सूचना देते हैं कि रिपोर्ट लिख लीजिये कि इस तरह से फलां-फलां ने हत्या कर दी । एक दिन थाना है वह । तो वह कहते हैं कि घर ले जाइये लाश को और क्रियाक्रम करें, रिपोर्ट नहीं लिखी जायेगी । 15 दिन तक रिपोर्ट नहीं लिखी गयी तो, श्रीमन्, एस०एस०पी० महोदय इटावा से रिपोर्ट लिखने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया और एस० एस० पी० महोदय ने आश्वासन दिया कि रिपोर्ट लिख ली जायेगी थाने चले जाइये, एक श्रीराम पूर्व प्रधान थाने जाते हैं और कहते हैं कि एस०एस०पी० साहब ने लिखकर भेजा है वे थानाध्यक्ष कहते हैं कि मेरे पास कोई कागज नहीं है । मान्यवर, ये मेरे निर्वाचन क्षेत्र के ही व्यक्ति की ही रिश्तेदारी थी वह किसी तरह से मेरे पास भी आया मैंने अपने प्रतिनिधि महेश वर्मा से कहा कि चले जाइये और रिपोर्ट लिखवा दें वे जाते हैं और कहते हैं कि रिपोर्ट लिख दें वह थानाध्यक्ष इतना सबल है कि रिपोर्ट नहीं लिखता है । मैं एस० एस० पी० से टेलीफोन पर कहता हूं कि बड़ा अन्याय है क्यों नहीं रिपोर्ट लिखी जाती है वे कहते हैं कि प्रधान जी को भेज दीजिए कल सबेरे रिपोर्ट लिख जायेगी । कल सबेरे जब वे जाते हैं तो यह थानेदार कहता है कि कहां से आ गये आप कौन हैं वह बेंच पर बैठने लगता है तो वह कहते हैं कि तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हो गई चलिए रिपोर्ट नहीं लिखी जायेगी । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना-पत्र की प्रति मुख्य मंत्री जी के पास भिजवा रहा हूं मैं निवेदन करता हूं कि इनकी रिपोर्ट लिखी जाये गरीब व्यक्ति की मृत्यु हुई है सबूत गवाह इनका भी सारा लिखा हुआ है इसलिए इस पर कार्यवाही हो जाये । मान्यवर, रिपोर्ट लिखने में क्या दिक्कत है ? रिपोर्ट लिखी नहीं जाती अपराधों की और न लिखने के कारण ही आप कहते हैं कि अपराधों में कमी आ गई है । आज चोरी, डकैती, कत्ल की घटनाएं बढ़ रही हैं कमी नहीं हुई है । प्रभावशाली लोग जैसा कि मैंने बताया उनके दबाव में आकर पुलिस जायज से जायज कामों में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है । सत्ता पक्ष के दबाव में आकर वह निर्दोष लोगों को जो उन पर अत्याचार किया जा रहा है उनकी हत्यायें हो जाती हैं लेकिन कार्यवाही कोई नहीं होती है । मैं एक दो मामले जरूर संदर्भ के लिये बताना चाहूंगा । मान्यवर, कानपुर में विश्व बैंक कालोनी के सेक्टर जे० में राजेन्द्र उर्फ धमेन्द्र सिंह यादव जे० 493 विश्व बैंक कालोनी बर्रा कानपुर नगर की हत्या हुई, उसमें किसी भी प्रकार की कार्यवाही नही की गयी नामजद रिपोर्ट होने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है । माननीय मुख्य मंत्री जी आप सरल स्वभाव के हैं आज की इस पुलिस के रवैये की आपको जानकारी नहीं है उस समय की आपको जानकारी है जब पुलिस शालीनता से काम करती थी ईमानदारी से काम करती थी आज पुलिस कितनी छद्मभेषी हो गयी है इसका एहसास माननीय मुख्य मंत्री जी पुलिस पर अंकुश लगायें पुलिस की काली करतूतों को उजागर करें और दोषी लोगों को दण्डित करें । तभी इस प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक हो सकती है नहीं तो कानून व्यवस्था ठीक होने की स्थिति नहीं है ।

[x x x] जैसे एटा में विधायक शिशुपाल सिंह उनके खिलाफ रासुका लगाने के लिए, जब उन्होंने जांच के लिए कहा डी० आई० जी०, आई० जी० की जांच हुई विधान सभा में प्रश्न उठा दिया क्या किसी अफसर के खिलाफ कोई प्रश्न विधान सभा में न उठाया जाये और अगर उठाया जायेगा तो उसका परिणाम घातक है । श्रीमन्, रामेश्वर सिंह और शिशुपाल सिंह ये एटा के विधायक हैं इनके खिलाफ एटा की पुलिस लगी है कि केस लगाकर रासुका लगा दें मैं चाहूंगा कि इसको आप देखें । इसी तरह से इलाहाबाद का केस है यह सम्मानित सदस्या श्रीमती विजमा देवी से सम्बन्धित है । जब वह दौरे पर आ रही थी, उनके साथ में राइफल थी पुलिस ने राइफल छीन ली और उन्होंने कहा तो पुलिस अनियंत्रित हो

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

गयी और उलूल-जलूल बकने लगी । और जब उन्होने जांच के लिए कहा डी०आई०जी०, आई०जी० की जांच हुई विधान सभा में प्रश्न उठा दिया गया क्या किसी अफसर के खिलाफ कोई प्रश्न विधान सभा में न उठाया जाये और अगर उठाया जायेगा तो उसका परिणाम घातक है । अगर किसी तरह की कोई जांच के दौरान राइफल लेनी थी या और कोई बात थी तो साधारण से कह दिया जाता, तो जांच के लिए प्रस्तुत कर दी जाती । अभी उनके पति का मर्डर हो चुका है । वह राइफल साथ में लेकर चलती है ताकि सुरक्षा बनी रहे । लेकिन उसके बाद भी इस तरह से राइफल छीनने से स्पष्ट है कि विरोधियों से पुलिस मिली हुई थी कि शायद हत्या हो जाये लेकिन वाईचांस श्रीमती विजमा जी बच गई वह उनके लिये बड़े भाग्य की बात रही ।

श्रीमन्, यही नहीं मैं विधायकों के उत्पीड़न की बात कह रहा था इसी विधान सभा में उठा काशीराम विधायक साहाबाद, रामपुर, उनको अपमानित किया थानाध्यक्ष और सी०ओ० ने, विधान सभा में उठाने के बाद कार्यवाही नहीं हुई । श्रीमन् हमारे बसपा के विधायक दद्दू प्रसाद और शिवचरन प्रजापति, उनको भी पुलिस ने अपमानित किया, यह कई बार विधान सभा में उठा लेकिन आज तक उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई इसलिए उनका मनोबल बहुत बढ़ गया है । थोड़ी सी कार्यवाही संसदीय कार्य मंत्री जी ने मुजफ्फरनगर में की है लेकिन वह संतोषजनक नहीं है । उसमें और कार्यवाही की आवश्यकता है श्रीमन् जब विधायक को थाने में बातचीत के लिए बुलाया जाये और उसमें लाठी चार्जकर दिया जाये संजय सिंह विधायक और दूसरे विधायक और सांसदों पर लाठी चार्ज हो जाये तो इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है वैसे कार्यपालिका का काम कितना गलत हो रहा है । कार्यपालिका के लोग कितने स्वच्छन्द हो गये हैं इन्हीं सारी बातों से पता चलता है कि यह तो बिल्कुल निरंकुश हो गये हैं किसी प्रकार का अंकुश नहीं रह गया है ।

इसी तरह से श्रीमन् अभी पिछली 16 तारीख को ताजिया दफन करके बनारस में लोग लौट रहे थे, रास्ते में बर्फ की दुकान थी, दो भा२ बर्फ का ठेला लगाते थे, लोगों के धक्के से गिर गया होगा, उन्होंने ताजियों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया । हिन्दू-मुसलमान लोगों ने समझाया, मामला शान्त हो गया । फिर 19 तारीख को ताजिये का अलम जुलूस निकल रहा था, उस जुलूस में फिर वही दोनों लोगों ने झगड़ा कर दिया, उसे भी किसी तरह शान्त करा दिया गया, डी०एम० साहब भी समझाने आये और समझौता करा दिया । लेकिन उसके बाद श्रीमन एक व्यक्ति की हत्या होती है, वह बैंक से लौट रहा था, पैसा और चेंके उसके पास थीं, मोटरसाइकिल पर दूसरा व्यक्ति बैठा था, इस घटना में कई अल्पसंख्यक लोगों पर, उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया और रासुका लगाने का काम होता है, वह व्यक्ति कौन था, जिसका मर्डर हुआ, पीछे बैठा व्यक्ति कौन था, इसका पहले पता लगा लेना चाहिये था । अगर यह पता लगा लिया गया होता तो सारी की सारी बात खुल गई होती और वास्तविकता उजागर हो गई होती और जो निर्दोष लोगों के खिलाफ रासुका लगाई जा रही है, वह कभी न होता । मैं चाहता हूं कि इसकी जांच करा ली जाय, जिससे निर्दोष लोग रासुका में निरुद्ध न हों ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विभाग के बजट के संबंध में जब यह सारी इस तरह की अव्यवस्थायें हैं, तो ऐसे विभाग को एक रुपया भी आवंटित करना उचित नहीं होगा । श्रीमन् मैं सुझाव रखता हूं कि इस विभाग को सक्षम बनाने के लिये, विभाग में गति लाने के लिये, लोगों को ठीक काम करने की प्रवृत्ति पैदा करने के लिये पहली बात तो यह है कि थाने में जीर्ण-शीर्ण जीपें जो हैं, जिनकी मरम्मत भी नहीं हो रही है, आज के युग में पैदल चलकर या साइकिल चलाकर यदि कहीं डकैती पड़ती है, कहीं चोर बदमाश की खबर मिलती है तो इस प्रकार उस पर काबू नहीं पाया जा सकता । मैं चाहता हूं कि हर थाने को एक अच्छी जीप, जो धोखा न दे और बदमाशों को पकड़ने में सहयोग कर सके, इसलिये हर थाने में एक अच्छी जीप का होना अतिआवश्यक है । दूसरा सुझाव मेरा यह है कि थानों और चौकियों पर जो स्वीकृत पद हैं चाहें वह कांस्टेबिल हो, चाहे हेड कांस्टेबिल हों, चाहे एस०आई०

हो, जो स्वीकृत पद हैं, उनके अनुसार वहां पर नियुक्ति हो । जब पुलिस ही नहीं होगी, चौकी पर, थाने पर तो फिर कैसे गश्त लगेगी, कैसे अपराधों पर नियंत्रण होगा और कैसे बदमाश दहशत खायेंगे कि पता नहीं, पुलिस कब आ जाये ?

जब बदमाश को यह दहशत होती है और बदमाश यह समझ लेता है कि पुलिस गस्त में होगी और जब अपराध करेंगे तो पकड़े जायेंगे तो अपराधों में कमी होना स्वाभाविक है । मान्यवर, अगला सुझाव मेरा यह है कि जो अस्थाई रिपोर्टिंग चौकियां हैं, सारे प्रदेश में, उन पर वायरलेस सेट वहां भी उपलब्ध करा दिया जाए, थाने से 5-6-7 किलोमीटर की दूरी पर है यदि उस क्षेत्र में कोई अपराध होता है, कोई घटना होती है तो थाने को और जिले को वहां से सूचना तुरन्त दी जा सके । तुरन्त मदद के लिए रिपोर्टिंग चौकी पर वायरलेस सेट होना आवश्यक है । पुलिस को अगर आप चाहते हैं, अगर यह सरकार चाहती है कि पुलिस प्रशासन चुस्त-दुरुस्त रहे और तुरन्त कार्यवाही करे तो वायरलेस सेट का होना आवश्यक है । श्रीमन्, जो मैंने अभी कहा कि रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, रिपोर्ट यदि नहीं लिखी जाती है तो एस०एस०पी० महोदय के आदेश की ही प्रतीक्षा न की जाए यदि जिलाधिकारी को भी लिखकर दे दिया जाए तो जिलाधिकारी के लिखने से रिपोर्ट दर्ज कर ली जाये, यह मेरा सुझाव है । विभाग में लिखकर दिया जाता है, चाहे थाने की बात सी०ओ० से कही जाये या एस०पी० से कही जाए तो हो सकता है कि वह टाल दें, यदि जिलाधिकारी महोदय लिखें तो वह दर्ज की जायेगी तो कार्यवाही होगी । अगला सुझाव मेरा यह है श्रीमन् बहुत से केसेज आपके भी नालेज में आए होंगे, सदन के माननीय सदस्यों के बहुत से केसेज आए होंगे कि नशे में फलाँ-फलाँ एस०आई० या फलाँ सिपाही ने अमुक-अमुक घटना कर दी । अभी एक बलात्कार की जो घटना हुई उसमें यही कहा कि नशे में हुई । ऐसे सिपाही जो नशे के आदी हैं, उनकी सेवाएं समाप्त कर देनी चाहिए, उन्हें विभाग में रखने का कोई औचित्य नहीं है । यह भी मेरा सुझाव है । श्रीमन्, एक प्रक्रिया चल रही है, अंग्रेजी जमाने से कि पुलिस विभाग की जांच पुलिस के लोग ही करें । पुलिस विभाग की जांच पुलिस विभाग वाले ही करते हैं तो न्याय मिलने की आशा कम रहती है और होनी भी नहीं और होती भी नहीं है कि न्याय मिल सके तो श्रीमन्, इस प्रक्रिया में मेरा सुझाव यह है कि अलग से एक सेल गठित किया जाए जो पुलिस की शिकायतें अलग से सुने, यह मेरा सुझाव है । श्रीमन्, और भी बहुत से सुझाव मैं यहां देना चाहता हूं जो पुलिस बल के संबंध में ही हैं । मैं कहना चाहूंगा कि कान्सटेबिल सबसे ज्यादा मेहनत करता है, गश्त भी करता है और कान्सटेबिल ही बदमाशों से भिड़ते हैं, इनका वेतन बढ़ा दिया जाए । इनकी खाने की व्यवस्था है लेकिन जो पौष्टिक आहार है, दुरुस्त रहे जिससे वह चोर, बदमाश और डकैतों से सक्षम तरीके से निपट सके, यह भी मेरा सुझाव है । श्रीमन् चौकीदारों का वेतन भी अभी 300 रुपया है, इसको बढ़ाकर 500 रुपया कर दिया जाए, आजकल की मंहगाई में जो चौकीदार हैं उसका 200-300 रुपये में क्या होता है, उनका भला होने वाला नहीं है तो उसको भी अगर 500 रुपये कर दिया जाए तो वह अपने बच्चों का पालन-पोषण थोड़ा बहुत तो करेगा, यह मेरी राय है ।

एक और सुझाव है कि कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाये रखने के लिए एस०एस०पी०, एस०पी० और क्षेत्राधिकारी को रात्रि में स्वयं कभी-कभी गश्त करना चाहिए और कांस्टेबिल की गश्त जो रात्रि में हुआ करती है उनकी वे चेकिंग करें । होता है कि गश्त पर सिपाही जाते हैं और गांवों में खाना खाकर सो जाते हैं, इसलिये इसकी चेकिंग जरूरी है । ऐसी हालत में पास-पड़ोस में घटना हो जाती है और पुलिस उससे बेखबर रहती है, इसलिए समय-समय पर चेकिंग करना जरूरी है । यह मेरा सुझाव है । रात्रि में 9 बजे से 3 बजे तक पुलिस गश्त लगाती है इसलिए इस बीच में चेकिंग हो जाये और एक-दो पकड़ में आ जायें तो दूसरे लोग सतर्क हो जायेंगे और फिर गश्त ठीक से होगी जिससे अपराधों में कमी आयेगी ।

मान्यवर, मेरा एक सुझाव और है कि थानों में जब कभी पुलिस अधीक्षक मुआइना के लिये जायें तो क्षेत्रीय जनता को बुलाकर उनकी बातों को सुने । चूंकि पुलिस अधिकारियों ने यह परम्परा डाल रखी है कि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा और मेरी बात जनता पहले सुने । यह गलत है । मेरी जानकारी में यह बात आई है । इसलिए जनता की बात पहले सुनी जाये और उसके बाद पुलिस अधीक्षक अपनी बात कहें तो अधिक अच्छा होगा ।

श्रीमन्, मेरी एक राय और है चाहे कोई भी पुलिस अधिकारी हो उसका एक साल में 2-3-4 बार ट्रांसफर न किया जाये, केवल विषम स्थिति में ही यदि काम नहीं चलता है तो उसका स्थानान्तरण किया जाये अन्यथा एक वर्ष में 2-4 बार ट्रांसफर न किया जाय । जैसा कि इस सरकार ने पिछले दिनों में किया है । श्रीमन् 2 वर्ष से अधिक कोई भी पुलिस अधिकारी एक स्थान पर न रहे । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि बहराइच में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक 5 वर्षों से वहां तैनात हैं । इससे उनका स्थानीय लोगों से अधिक सम्पर्क और संबंध हो जाते हैं । जब कि वहां 5 एस०एस०पी० का ट्रांसफर हो चुका है किन्तु वह बने हैं । इस प्रकार एक स्थान पर कई-कई वर्षों तक रहने से अधिकारियों का स्थानीय लोगों से सम्पर्क और संबंध बन जाते हैं जिससे उन्हीं के आधार पर काम करने से निश्चित रूप से कानून व्यवस्था लचर होना स्वाभाविक है ।

श्रीमन्, अब मैं सामान्य प्रशासन के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं ।

(श्री प्रमोद कुमार के इशारा करने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रमोद कुमार शायद आपना समय आपको दे रहे हैं ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, इस प्रदेश का सामान्य प्रशासन किस ढर्रे पर जा रहा है और किस ढंग से चल रहा है उसके बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं । यह सत्य है कि किसी भी देश और प्रदेश का विकास तभी संभव है जब वहां का प्रशासन सुदृढ़ हो । अगर प्रशासन सुदृढ़ नहीं होगा तो देश और प्रदेश विकास के रास्ते पर अग्रसर नहीं हो सकता । दुख की बात है कि जो हमारे यहां की कार्यपालिका है वह निरंकुश हो गयी है और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गयी है जबकि लोक प्रशासन सम्पूर्ण प्रशासन की रीढ़ हुआ करता है । आज लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार का बोलबाला है । मुख्य मंत्री जी ने प्रयास किया है और कर रहे हैं लेकिन इतना ज्यादा नस-नस में भ्रष्टाचार भर गया है चाहे वह अधिकारी हो या कर्मचारी हो उनकी वजह से समाज का हर वर्ग प्रभावित हो रहा है । गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है । हर्षद मेहता जैसे लोग जो कुख्यात अपराधी हैं पैसे के बल पर खुले आम घूम रहे हैं । 20-30 साल मुकदमें चलते हैं चूंकि गरीब के पास पैसा नहीं है इसलिये वह जेलों में रोटी खा रहा है और उनका परिवार नष्ट हो रहा है । श्रीमन् लोकतंत्र में वह सरकार सबसे अच्छी समझी जाती है जिसमें कानून व्यवस्था अच्छी हो और सत्ता संचालन या लोक प्रशासन अच्छा हो । लेकिन यहां लोक प्रशासन बहुत ढीला ढाला है जिससे सारा का सारा प्रदेश प्रभावित है और सब लोग इससे दुखी हैं । श्रीमन् आप अवगत हैं और आप सब बातें जानते हैं आपसे कहना क्या है । यहां के ज्यादातर बल्कि सब मंत्री अपने सचिवों से दुखी हैं । मंत्रियों के आदेश को नहीं माना जाता, सचिव उनके आदेश नहीं मानते हैं । जब जनता उनसे यह पूछती है कि हमारा काम हुआ, जब लोगों का काम नहीं होता है तो मंत्री कहते हैं कि जब सचिव का तबादला हो जायेगा और दूसरे सचिव आयेंगे तब आपका काम करायेंगे । चाहें वरिष्ठ मंत्री टण्डन जी हों, या चाहे सार्वजनिक निर्माण मंत्री कलराज मिश्र जी हों ।

यह भी परेशान अपने सचिवों से रहते हैं और इनके भी जो आदेश होते हैं उनके क्रियान्वयन नहीं हो पाते हैं। यह भी बड़ी मुश्किल से अपने सचिवों को चेंज कर पाते हैं। यह मेरी ही जानकारी में नहीं, आम लोगों की और सत्तापक्ष के लोगों की भी जानकारी है। मंत्री लोग स्वयं पीड़ित हैं। भले ही वह न कहें। इसी वजह से सबसे बड़े दुःख की बात यह है कि चाहे आई० आर० डी० ए० का पैसा बैंक से लेना हो, स्वरोजगार योजना का पैसा हो, चाहे और किसी तरह की कोई ऋण हो, बैंक में बिना सुविधा शुल्क लिये हुये, कोई पैसा नहीं मिलता है बेचारे ऋण लेने वाले को, जिसको देना भी पड़ेगा, बिना पैसा दिये हुये ऋण नहीं प्राप्त होता है। आज ब्लाकों की स्थिति क्या है ? ब्लाकों में जो इन्दिरा आवास के नाम पर 20 हजार रुपया मिलता है, 2-3 हजार रुपया चुपचाप पहले ही गरीब जनता से, जिसके पास खाने को, रहने को नहीं है किसी प्रकार से यह कहकर कि जब पैसा मिलेगा आपको दे देंगे सवाया या ड्योढ़े पर ले करके देते हैं तब कहीं उनको मकान बनाने के लिये पैसा उपलब्ध होता है। यही नहीं हर विभाग में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा घर कर चुका है कि माननीय मुख्य मंत्री जी आप जब सतत् प्रयास करेंगे और सतत् प्रक्रिया जारी रखेंगे तब कहीं इस पर थोड़ा-बहुत काबू पा सकेंगे। खुशी की बात है कि आपने प्रयास करना शुरू किया लेकिन उसका परिणाम कैसा आता है इसको देखने से मालूम होगा। आपका प्रयास सतत् रहे या नहीं लेकिन अगर सब वही होगा कि प्रयास तो बहुत किये लेकिन रिजल्ट नहीं आया। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इससे प्रदेश की जनता का भला होने वाला नहीं है श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि.....

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (श्री अरविन्द कुमार जैन)–

मान्यवर, उधर के आधे लोग सो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

बहुत रोचक भाषण हो रहा है इसलिये एकाग्र भाव से सुन रहे हैं।

श्री धनीराम वर्मा–

आप भलीभांति जानते हैं कि वादों का निपटारा वर्षों से नहीं हो रहा है। 8–10 साल साधारण मुकदमें चाहे तहसील स्तर के हों, जिला स्तर के हों, चाहे हाईकोर्ट स्तर के हों या और दूसरी अदालतें हैं, उनमें 8–10–15 साल से मुकदमें पड़े हुये हैं, पैसे के बल पर निर्णीत नहीं होने दे रहे हैं। श्रीमन्, आपके माध्यम से सरकार से और खासतौर से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि विशेष अदालतें गठित करके इन मुकदमों का निपटारा कर दिया जाये जिससे गरीब को न्याय मिल सके और उसका जो शोषण हो रहा है उससे वह मुक्ति पा सके, उसकी परेशानी दूर हो सके। आज लोक अदालतों में क्या हो रहा है, उसमें वादों का निपटारा नहीं हो रहा है, अधिकारी पहुंच ही नहीं रहे हैं, जनता इकट्ठा होती है और वापस चली जाती है निराश होकर, तो श्रीमन्, यह भी बड़ी दुःखद बात है। इसमें भी थोड़ी चुस्ती लाई जाए कम खर्च में जनता को न्याय मिल सकता है इसमें थोड़ी चुस्ती लाई जाए। हमारे विधायकगणों को भली भांति मालूम होगा कि तहसील दिवस में अधिकारी आते नहीं हैं जनता आ जाती है मैं चाहूँगा मुख्य मंत्री जी से कि इस सम्बन्ध में सख्ती से आदेश दिया जाये कि तहसील दिवस पर जो अधिकारी उपस्थित नहीं रहेंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी हां कोई विशेष कारण रहा हो यह बात अलग है। तहसील दिवस पर जब अधिकारी आयेंगे तो जनता की समस्याओं का निपटारा भी होगा। हमारे विधायकगण भलीभांति जानते हैं कि ब्लाकों में जो मीटिंग होती हैं इस सम्बन्ध में आप अपने चाहे प्रेक्षक भेजकर पता लगा लीजिए उनमें अधिकारी नहीं आते हैं। किसी के यहां नलकूप खराब हो लेकिन नलकूप विभाग के अधिकारी आयेंगे नहीं, अगर किसी का हैण्ड पम्प खराब हो लेकिन जल निगम के अधिकारी आयेंगे नहीं, अगर नहरों में पानी न आने का प्रश्न उठता हो लेकिन सिंचाई विभाग का कोई

भी आदमी उसमें उपलब्ध नहीं होगा । शिक्षा विभाग से जब प्रश्न उठता है तो शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी वहां उपस्थित नहीं होता । ब्लाक की मीटिंग एक औपचारिकता रह गई है उसमें कोई जनता का भला होने वाला नहीं है । हमारे सदस्य आते हैं, प्रधान आते हैं, बी०डी०सी० के सदस्य आते हैं अपनी बात कह कर चले जाते हैं कोई अधिकारी न होने के कारण क्रियान्वयन नहीं होता है । आप पता लगा लीजिए अगर मेरी बात गलत हो तो मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा । आप इस सम्बन्ध में अधिकारियों को निर्देश दें कि वह ब्लाक की मीटिंगों में उपस्थित रहें, तहसील दिवस की मीटिंगों में उपस्थित रहें । नहीं तो तहसील दिवस की योजना ही खत्म कर दीजिए क्यों बिला वजह पैसा बरबाद किया जा रहा है यह जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है । एक बात और कहना चाहता हूं आज कल के अधिकारी चाहे डी०एम० हो चाहे परगनाधिकारी हो अंग्रेजों के जमाने में जो लोग यहां 70-72 साल के होंगे उन्होंने अंग्रेजों का जमाना भी देखा होगा और आज कल का जमाना भी देख रहे हैं उस समय सिविल हुआ करता था उस समय डी० एम० परगनाधिकारी गांव में जाकर वहां लोगों को बुलाकर उनके दुखदर्द की बात सुना करते थे सारे अधिकारी वहां आते थे और जनता की समस्याओं को वहीं हल कर दिया करते थे । आज अधिकारियों के पास अच्छी-अच्छी गाड़ियां हैं, वह दौरा करने के बाद शाम को एयर कंडीशन मे सोते हैं । देहात के लोग जो सर्दी/गर्मी बर्दास्त करते हैं उसको यह बर्दास्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, न वहां रुकने का प्रश्न है । भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है । सरकार उनको संरक्षण देती है । मैं नहीं कहता कि वर्तमान मुख्य मंत्री जी के समय की बात नहीं है । पिछले सत्र में मैं आपके पास इसी चेयर से एक अहिरवाकटरा के बी०डी०ओ० का प्रकरण लाया था । उस प्रकरण पर जांच भी हुई, रिपोर्ट भी दर्ज हुई और जिलाधिकारी ने जिले में ही दूसरी जगह स्थानांतरित भी कर दिया लेकिन सरकार से मैंने मांग की थी कि उसे यहां से हटाया जाय । परन्तु अभी तक उसे नहीं हटाया गया । जब सामान्य बजट पर चर्चा हुई तब भी उसके काले कारनामों की फाइल मैंने पटल पर रखी थी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई । उसका एक भाई भट्टे का काम करता है । वहीं पास में फर्रुखाबाद का रहने वाला है । मकान भी बनाया हुआ है । जनता का धन हड़पने की रिपोर्ट दर्ज हुई । आपकी सी०बी०सी०आई०डी० ने रिपोर्ट दर्ज कराई लेकिन रफादफा करने की बात चल रही है । जब इस तरह से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी तो उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा । कहा यह जाता है कि विरोध पक्ष ने इस मामले को उठाया है तो इस तरह से प्रशासन में चुस्ती नहीं आ सकती, न्याय नहीं मिल सकता । मैंने उठा दिया तो अपराध कर दिया अरे आप उठाकर देख लो । उसने वोट लिस्ट से नाम काट दिये । तो इस तरीके से अधिकारियों को दण्डित न करके पुरस्कृत किया जायेगा तो निश्चित तरीके से और भी ज्यादा लोग भ्रष्टाचार में लीन होंगे । बार-बार इस पीठ से भी निर्देश होते हैं मंत्री जी भी घोषणा करते हैं कि जो कर्मचारी रिटायर हो उसे उसी समय पेंशन मिल जाय । अच्छा रहे अगर सारे कागजात उसी दिन बना लिये जाय । इतना तो हो ही जाय कि उसका प्राविडेन्ड फण्ड उसका बीमा का पैसा उसको उसी दिन मिल जाय । नियमित तनख्वाह पाकर परिवार का भरण पोषण करता है वेतन मिलना बन्द हो जाय और सालोसाल न मिले तो निश्चित रूप से वह भुखमरी की कगार पर आ जायेगा, उसके परिवार में गरीबी फैलेगी । मैं कहना चाहता हूं कि तबादलों के नाम पर प्रदेश में अधिकारियों में एक दहशत पैदा कर दी गई है । उस दहशत को समाप्त किया जाय । दो-तीन महीनों में तबादलों में टी०ए०डी०ए० का कितना खर्चा आया । तबादलों को उद्योग बना लिया गया है । दो दिसम्बर को 4 जिलाधिकारी 9 आई०ए०एस० 6 दिसम्बर को 7 जिलाधिकारी 9 पुलिस अधीक्षक, कुल 69 अधिकारियों के तबादले हुए । 9 दिसम्बर को 12 आई०ए०एस० 17 अधिकारी, 10 दिसम्बर को 25 पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए । 13 दिसम्बर को 5 पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए, 15 दिसम्बर को 31 पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए ।

19 दिसम्बर को 10 आई०ए०एस० तथा 7 आई०पी०एस० अधिकारियों के तबादले हुए हैं । दो दिन पहले बस्ती के एस०पी० का तबादला हुआ है । इस शासन के बारे में बी०जे०पी० का जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है, उसने टिप्पणी की है । टिप्पणी यह है कि आधे मंत्री लुटेरे निकले ठेलो या पिंड छुड़ाओ । उन्होंने यह भी कहा है "शिवजी की बारात है "। आज ये लोग सत्ता का किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं । परसों ही एक प्रश्न उठा था, उन्नाव में ही नहीं सारे प्रदेश में, इन पंचायती चुनावों में पिछड़ों का जो आरक्षण है उसके साथ यह सरकार घोर अन्याय कर रही है । पिछड़ों को 27 परसेन्ट आरक्षण नहीं दे रही है । यह पिछड़ों की घोर विरोधी सरकार है, उनकी दुश्मन है । पिछड़ी जाति के जो विधायक उधर बैठे हैं, उनकी आत्मा क्यों मर गई, वह सही बात भी नहीं कह पाते । 27 परसेन्ट की जगह पर 17 परसेन्ट आरक्षण दिया गया, उस समय माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि मैंने आदेशित कर दिया है और अब कोई गड़बड़ी नहीं रहेगी । श्रीमन्, कल ही सूचना मिली कि जब ठीक किया तब 21 परसेन्ट कर दिया गया । इसे मैं आपके पास पहुंचा रहा हूं इसे माननीय मुख्य मंत्री जी के पास पहुंचाने की कृपा करें । यही नहीं एक प्रकरण को और लेते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा । किस तरह से इस सरकार में बैठे हुए विधायकगण और इनके छुटभैयूया जो बी०जे०पी० के हैं, वह दबाव डालकर अधिकारियों से आरक्षण गलत करा रहे हैं और अगर कोई नहीं करता है तो उसके साथ मार-पीट करते हैं । माननीय पंचायत राज मंत्री जी अवगत हैं कि औरैयूया जनपद के पंचायत अधिकारी.... भास्कर दत्त पाण्डेय, इनका तबादला भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कैसे कराया । श्रीमन्, मैं वह अंश पत्र का पढ़े देता हूं उसके बाद आपके पास पहुंचा दूंगा इसमें लिखा है कि पिछड़ी चौरा में भी पिछड़ी महिला उसमें सामान्य महिला करा दिया जाय । एक नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी हैं । मान्यवर, यह आदेश देकर पंचायत राज अधिकारी पर दबाव डालकर परिवर्तन करवाना चाहते थे । नहीं किया तो बदली हो गई उन्हें मारा भी । उन्होंने रिपोर्ट दी निदेशक पंचायती राज को उसकी सूचना भी भेजी । श्रीमन्, माननीय मंत्री जी को भी सूचना भेजी गई । मैं नहीं समझता हूं इसमें क्या कार्यवाही हुई लेकिन श्रीमन्, मैं यह जरूर अपेक्षा करता हूं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी इस पत्र को मैं आपके पास भेज रहा हूं और उसमें जो दबाव डाला गया...

गृह राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री रंगनाथ मिश्र)–

मान्यवर, विपक्ष के नेता जी ने जो दबाव डालने और आरक्षण की बात का जिक्र कर रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि 1994 की तरफ लौट कर देखें उस समय तो आपके बड़भइये नेताओं ने जिलाधिकारी और किस तरह से आरक्षण करके किस तरह से लूटने का काम किया....

श्री धनी राम वर्मा–

मैं तो वह बता रहा हूं जो इस पत्र में लिखा है । स्पष्ट हैण्ड राइटिंग में है । अन्त में श्रीमन्, मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि श्रीमन्, शासन चलता है इकबाल से और प्रशासन के प्रति दो बातें होनी चाहिए । चाहे मंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, अधिकारी, डी०एम०,एस०पी० हो बड़ा छोटा हो, दो बातें उसके लिये होनी चाहिए । पहली बात तो यह कि उस प्रशासक के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए । एक सिद्धान्त की बात तो यह कि उस प्रशासक के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए । एक सिद्धान्त की बात मैं कह रहा हूं और दूसरा यह कि भले आदमियों की श्रद्धा होनी चाहिए सज्जन लोगों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए । प्रशसानिक के प्रति जो असामाजिक तत्व है उसका उपाय होना चाहिए अगर उपाय नहीं होगा तो फिर प्रशासन ठीक से चलेगा नहीं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

देखिये, मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आज 4.00 बजे विनियोग विधेयक है । एक मिनट मेरी बता सुन लें । कार्य -मंत्रणा समिति की सिफारिशों के अनुसार 4.00 बजे विनियोग विधेयक प्रस्तुत होना है । सवा दो घंटे बचे हैं अभी । मेरे पास जो सूची आई है विपक्ष से उसमें 23 सदस्यों के नाम और सत्ता पक्ष की तरफ से जो आई है उसमें 13 सदस्यों के नाम, इस प्रकार कुल मिलाकर 36 माननीय सदस्य हो गये । दो घंटे 15 मिनट के समय में उत्तर भाषण के लिये 15 मिनट निकाल दें तो दो घंटा बचा है । 1 घंटा 15 मिनट विपक्ष के लिये और 45 मिनट सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों के लिये निर्धारित कर देते हैं । विपक्ष के दलों के नेताओं से अनुरोध है कि सूची थोड़ा पुनरीक्षित कर लें बहुत अधिक संख्या है ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, हमेशा सामान्य प्रशासन दो दिन होता था । आज 4.00 बजे विनियोग विधेयक है उसको 6 बजे कर दें । इस तरह से कम से कम दो घंटे और मिल जायेंगे हम लोगों को ।

श्री अध्यक्ष–

मैं संसदीय कार्य मंत्री से.....

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, हमको सुझाव को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए । कठिनाई एक है कि आज जो विधेयक है उसे परिषद् में भी जाना है । उसमें तय है । वहां की कार्य–मंत्रणा समिति ने भी यह तय किया है कि 19 तारीख को वे बैठेंगे नहीं । हम तो दो दिन के लिये तैयार थे लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि एक दिन बैठना पड़ा ।

श्री अध्यक्ष–

थोड़ा सा संक्षेप में और बिन्दुवार माननीय सदस्य अपनी बात रखेंगे तो ठीक होगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, 4 बजे विनियोग विधेयक पेश हो जाएगा उसके बाद इस पर चर्चा जारी करा दी जाए ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर विचार कर लेंगे । माननीय सदस्यगण थोड़ा संक्षेप में अपनी बात करेंगे माननीय नेता विपक्ष ने लगभग सभी पहलुओं को ले लिया है । सामान्य, गृह प्रशासन के सभी पहलुओं पर नेता विपक्ष ने अपने विचार प्रकट कर दिए ।

डा० अरविन्द कुमार जैन–

मान्यवर, एक मिनट का समय मुझे दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

समापन में आपको दे देंगे ।

श्री लालजी वर्मा–

आप दल वाइज समय निर्गत कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

सपा के लिए 35 मिनट, बसपा को लगभग 25 मिनट और शेष दूसरे दलों के लिए होगा ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे माननीय नेता सदन द्वारा रखे गये बजट के प्रस्ताव पर और बहुत विद्वतापूर्ण भाषण देने वाले नेता प्रतिपक्ष के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की प्रशंसा करना चाहता हूं इन्हें अन्दाज है न इधर के लोग खुश हैं और न उधर के लोग खुश हैं तो सन् 1960 का लाभ उठाते हुए 25 लाख रुपये की घोषणा पहले ही कर दी। पुराने हाथ हैं, उसके लिए बधाई देता हूं। मान्यवर, मैं समझ सकता हूं दूसरी बधाई और देना चाहता हूं आज इन्होंने आंकड़े नहीं रखे, शायद खुद विश्वास नहीं था कि इसलिए नहीं रखे, इसी से साबित हो जाता है कि कानून व्यवस्था प्रदेश की कैसी है प्रदेश के हालात कैसे हैं ? प्रदेश की स्थिति कैसी है ? यह कहा जाता है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक हो रही है, अगर कानून व्यवस्था ठीक हो रही है तो पूरे प्रदेश में भय, आतंक का वातावरण क्यों बना है ? डर का माहौल क्यों बना है, अपराधियों की हिम्मत क्यों बढ़ रही है ? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपराधियों ने जिस तरह से सरकार को चुनौती दी है उसकी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मान्यवर, आज का अखबार उठाकर आप पढ़ लें 5-5 लोगों की हत्या जिस तरह से हुई है, अपराधी जिस तरह से निकलकर चले गये, कल परसों की घटना को ले लें अगर प्रदेश की राजधानी सुरक्षित नहीं होगी, तो आपको प्रदेश सुरक्षित कहने का अधिकार नहीं है। हर तरफ भय और डर का वातावरण व्याप्त है, एक बात कहना चाहता हूं पूरा विपक्ष उस पर साथ देना चाहता है आपने कहा भ्रष्टाचार हटाओ लगता है कि आपका भ्रष्टाचार वाला टापिक कुछ लोगों को पहले से पता लग गया है और इसलिए आपकी इस मुहिम में हम तो शामिल हैं, आप गौर करें, देखें तो जो आप सबसे बड़े नेता है आप मौजूद हैं, नम्बर-2 के नेता नरेश अग्रवाल जी नजर नहीं आ रहे हैं नम्बर तीन के नेता मार्कन्डेय चन्द जी नजर नहीं आ रहे हैं, नम्बर-4 के नेता राजा राम पाण्डेय जी नजर नहीं आ रहे हैं, लगता है कि वह आपकी बात से सहमत नहीं है तथा नम्बर-पांच पर जो राजधारी जी से हैं, वह भी जंगल चले गये हैं। कोई आपके बीच में नहीं है।

संस्थागत एवं व्यापार कर राज्य मंत्री (श्री अमरमणि त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं इनका स्पष्ट कर दूं। माननीय प्रमोद जी को 1, 2 तथा 3 ही दिखायी दे रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर सहयोगी दल के सदस्य लाबी में और यहां पर मौजूद हैं और वह पूरी तरह से सरकार के साथ मौजूद हैं। नरेश अग्रवाल जी बड़े नेता हैं, नीचे मिटिंग कर रहे हैं यदि आपको परेशानी हो रही है तो मैं उनको बुला दूं। सहयोगी दल के लोग नहीं हैं तो क्या हम लोग असहयोगी दल के हैं। राजा भइया जी यहां बैठे हैं इनको दिखायी नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

जो बहुत प्रिय होता है उसी की तलाश होती है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं नेताओं की बात कर रहा था अभिनेताओं की नहीं।

(इस समय 1 बजकर 48 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए।)

श्री अमरमणि त्रिपाठी-

हम लोग तो विलेन की बात कर रहे थे।

श्री प्रमोद कुमार–

अपनी हिरोइन को बचाकर रखना । तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ घोषणा की है । हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, पूरा विपक्ष उनके साथ है । आप एक नजर उठाकर देखें कि कोई भी सहयोग के लिए यहां पर आपके साथ नहीं है । लेकिन हम आपको बल देने के लिए खड़े हैं । आप भ्रष्टाचार को एक अभियान के रूप में शुरू करें अगर आप इसे अभियान के रूप में श्रीगणेश करेंगे तो यह समूल नाश होगा । माननीय मुख्य मंत्री जी हमारी शुभकामनाएं हैं आप अपने भ्रष्टाचार की शुरुआत अपने मंत्रि-परिषद् से कर दीजिये । क्या कारण है कि अधिकारियों को भीख मांगने के लिए माननीय मंत्री जी का [xxx] भरने के लिए, मजबूर किया जा रहा है तो क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है ? तो आप कदम तो उठाइये । आप एक दो मंत्री पर हाथ डालिये । मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस दिन आप हाथ डालेंगे लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और आप इतिहास में अमर हो जायेंगे आपको इतिहास याद रखेगा । आप दो तीन लोगों के खिलाफ कार्यवाही कीजिये मान्यवर, आपने कहा और गर्व के साथ कहा कि हमने एक एस० टी० एफ० अपराधियों के लिए बनायी है और एस० टी० एफ० भ्रष्टाचारियों के लिए बनायी है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि दो साल पहले जब माननीय मुख्य मंत्री जी कल्याण सिंह हुआ करते थे, अब वह नहीं हैं, लेकिन इस सच्चाई से कोई इन्कार नहीं कर सकता है, उन्होंने शपथ ली थी गोपनीयता की कि गोपनीयता भंग नहीं करेंगे उन्होंने चार्ज देते समय यह कहा कि एस० टी० एफ० की रिपोर्ट में 8 मंत्री शामिल हैं । तो उस एस० टी० एफ० की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दीजिये । अगर कल्याण सिंह ने कहा है तो वह गलत क्या है ।

अगर एस० टी० एफ० की रिपोर्ट है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे तो इससे अपराध कम हो जायेगा । अपराध ही नहीं कम हो जायेगा जो 8-9 स्थान बन जायेंगे बी० जे० पी० के वफादार लोग उसमें आ जायेंगे । इस कार्यवाही को आप जरूर करें मैं आग्रह करूंगा । स्थानांतरण नीति की बात आयी मेरे पास अखबारों की कतरन हैं हौसलापस्त है राजधानी की पुलिस का राजधानी पर छाये खून के बादल । मान्यवर, भाजपा के शासनकाल में सरकारी खजाने से लगभग 3 करोड़ रु० निकाले गये स्थानांतरण कितने हुए हैं लगभग 300 । जो ईमानदारी से काम करेगा अपराधी पर हाथ डालेगा वह एस० पी० एस० पी० नहीं रहेगा वह डी० एम०, डी० एम० नहीं रहेगा । इससे आपका अभियान चलने वाला नहीं है । जो अपराधियों को संरक्षण देते हों ऐसे एस०पी० डी०एम० को बने रहने का अधिकार नहीं है । एक जिले में एक साल में 7-8 बार अगर एस० पी०, डी० एम० बदले जायेंगे तो अपराधियों के हौसले बुलन्द होंगे अधिकारियों का मनोबल कम होगा । पुलिस अपराधियों की तह तक पहुंच नहीं पा रही है । समाज में आज यह स्वीकार किया गया कि 49 प्रतिशत महिलायें हैं अपराधों में वृद्धि हुई है 25 से 60 प्रतिशत तक, तो 50 प्रतिशत लोग तो आपके राज्य में सुखी नहीं हैं कैसे आप कानून व्यवस्था को सुधारने का दावा करते हैं ।

एक अखबार भेज रहा हूं आप सत्यता की जांच कर लीजिये । एक राज्य मंत्री ने चार महीने के अंदर 6 लाख 75 हजार रु० भत्ता ले लिया है । किस तरीके से नियंत्रण होगा वित्त पर हम भी मंत्री रहे हैं 8-9 साल, 100 रु० 200 रु० दैनिक भत्ता बनता था आप भी जानते हैं जब आप मंत्री थे आज भी कई का 200-300 रु० बनता अगर एक मंत्री दैनिक भत्ता 5-6 हजार ले रहा है तो प्रदेश की जनता के साथ क्या न्याय होगा ? आप तो मुखिया हैं तो यह तो कहीं न कहीं गड़बड़ी है । मुख्य मंत्री जी प्रशासन कागजों पर नहीं चलता है विधान सभा की घोषणाओं से नहीं चलता विधान सभा में बैठकर नहीं चलता है । लाबी में क्या हुआ आपके साथ कार्यालय में क्या हुआ मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं सम्मेलन में

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

आपने क्या कहा मैं उसको भी नहीं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग आप पर दबाव डालना चाहते हैं और मैं दबाव में आकर काम नहीं करना चाहता हूं ? लेकिन आप कहीं न कहीं ये बातें महसूस कर रहे हैं कि सहयोगी दलों का आपको पूरा समर्थन नहीं है आप अपने अन्दर ताकत लाइये आप उस मंत्रिमण्डल के मुखिया हैं एक-दो लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे तो प्रदेश की जनता के बीच आप जो कहेंगे वह विश्वास नहीं करेगी । आज अपराध बढ़ते जा रहे हैं । आपने एक बात कही मैं उसकी तारीफ करता हूं कि कानून व्यवस्था यहां की अच्छी है । आपको कहना भी चाहिए तो मान्यवर, बुरे की परिभाषा क्या होती है आप उत्तर प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनाना चाहते हैं ? सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के तहत 173 उद्योग दिल्ली से हटाये गये वह कितने यहां आये, कितनों पर हस्ताक्षर हुए पिछली सरकार में कितने उद्योग आये जो स्थिति है आप चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं ?

मान्यवर, एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा । माननीय मुख्य मंत्री जी, यह प्रदेश सिर्फ आपका नहीं है यह प्रदेश सिर्फ हमारा भी नहीं है यह प्रदेश हम सबका है आप की पार्टी जिससे आप जुड़े हुए हैं पच्चीसों साल प्रयास किया होगा तब सरकार बनी होगी, लेकिन, एक चीज बता दूं आप पुराने संगठन से जुड़े हुए लोग हैं क्या आपकी आत्मा गवाही देती है कि वह मंत्री जिनके ऊपर 30–35 मुकदमें दर्ज हैं उन पर अभियान चलाकर कुछ करें, जिनके ऊपर कत्ल के आरोप हैं आप उनके मुखिया बने बैठे हैं मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप जिलों से रिपोर्ट मंगा लें एक बार दृढ़ता दिखाइए जिनका जीवन अपराध से भरा हुआ है उनकी मजबूरी होगी कि आपको सहयोग करें धमकी कोई दे, लेकिन कानून के आगे कोई लड़ नहीं पायेगा आपने कहा था कि जितनी सरकार चलाना मेरी मजबूरी है उतनी भी उनकी भी है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपके लिए जगह बना रहा था इस बात से खुश होकर के आप दो मिनट का समय दे दीजिए ।

मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं नेता विरोधी दल ने जो कहा है उनकी मैं एक-एक बात पर बल देता हूं जो सुन पाया उस पर भी जो नहीं सुन पाया उस पर भी । दोनों पर बल देता हूं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, जो समझ पाये उस पर जो नहीं समझ पाये उस पर भी ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं नेता विरोधी दल की एक-एक बता समझता हूं अगर यह नहीं समझते हैं तो इनका दोष है । मान्यवर, उन्होंने गरीबों की और जनता की आवाज उठाई है और जो कुछ कहा है उस पर बल देते हुए इतना कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी कृपा करके आपकी कुण्डली में कोई तगह्याग्रह रहा होगा तभी मुख्य मंत्री बन गये हैं । आप एसटीएफ की रिपोर्ट के अनुसार 8 मंत्रियों को बाहर कर दीजिए भ्रष्टाचार के केस 3-4 मंत्रियों पर खोल दीजिए तो आप हीरो बन जायेंगे ।

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, यह सुन पाये कि नहीं सुन पाये, इनके इलाज की जरूरत है (व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह आगरा के रहने वाले हैं इतने दिन रहकर इनका इलाज नहीं हुआ तो मैं 2-4 दिन के लिए जाकर क्या करूंगा ?

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभारी हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बजट पर चर्चा चल रही है मैं कहना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था की स्थिति केवल बजट से ही ठीक नहीं हुआ करती, बल्कि बजट के साथ-साथ कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक करने के लिए स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटिव बिल पावर चाहिए अर्थात प्रशासनिक इच्छा–शक्ति की आवश्यकता है जो इस सरकार के पास नहीं है। आज कोई आदमी यह नहीं कहता कि वह पूरी तरह से सुरक्षित है। लखनऊ के ही एक सप्ताह का संज्ञान ले लिया जाए तो माननीय मुख्य मंत्री जी के कानून एवं व्यवस्था की पोल खुल जायेगी। अगर एक सप्ताह की वारदात को ले लिया जाए तो चारों ओर डकैती, बलात्कार और हत्याओं की बाढ़ लग जाती है।

(इस समय 2 बजकर 3 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल पीठासीन हुए)

मान्यवर, 24 मार्च, को ही एक दिन में ही 5 हत्याएं। 23 अप्रैल को कैसरबाग में पर्यटन विभाग के अधिकारी की हत्या, 19 अप्रैल को व्यापारी पुत्र उमंग की हत्या, 24 अप्रैल का कैसरबाग में डेढ़ लाख की डकैती (व्यवधान) कल ही 7-8 आदमियों की हत्यायें हुईं। मुजफ्फरनगर, मेरठ, नोएडा इन इलाकों में कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यन्त खराब हो चुकी है। इन इलाकों में जो उद्योग लगे हुये हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, उनको पकड़-पकड़ कर, उनका अपहरण किया जा रहा है और उनसे धन वसूली की जाती है और न देने पर उनका कत्ल किया जाता है। वहां के उद्योगपति मेरठ, मुजफ्फरनगर छोड़कर भाग रहे हैं। पिछले वर्ष 1999 में 382 कांड अकेले मुजफ्फरनगर में हुए हैं और मेरठ में 300 कांड हुये हैं। दिल्ली के इर्द-गिर्द में यह मशहूर हो गया है कि हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा वारदातें यदि कहीं हो रही हैं तो मेरठ और मुजफ्फरनगर में हो रही हैं। आज जेलों में कैदियों की तादाद बढ़ी है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अपराध घटे हैं। मैं नहीं समझ पाया कि किस तरह अपराध घटे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अपराध घटे नहीं बढ़े हैं और अपराध बढ़ने के लिये सीधे-सीधे इस सरकार की जिम्मेदारी है। अपनी असफलताओं को छिपाने के लिये सरकार फर्जी आंकड़े देकर, उस पर परदा डालने का प्रयास कर रही है।

मैं पिछले 6-7 महीनों का नमूना दे रहा हूं। पिछले वर्ष गौतम बुद्ध नगर में जानबूझकर अपराधों के आकंड़े बढ़ाकर दिखाये गये। वर्ष 99 में डकैती की 98 घटनायें दिखाई गईं, जबकि वास्तविक केवल 5 थीं। इसी प्रकार लूट 99 में 34 हुई और बढ़ाकर 41 दिखाई, जबकि वास्तविक 20 घटनायें हुई थीं। हत्या की 99 में घटनायें 65 थीं, 74 दिखाई गई, जबकि वास्तविक 64 थीं। इसी प्रकार बलबा की घटनायें 56 थीं, 76 दिखाई गईं, जबकि वास्तविक 69 थीं। वाहन चोरी की 16 थीं, बढ़ाकर 344 दिखाई गईं, जबकि वास्तविक 198 थीं। अभी तक चोर-डकैत डाका डालने का काम करते थे, लेकिन अब मंत्रीगण भी इसमें शामिल हो गये हैं, मैं सबूत के साथ कहना चाहता हूं कि कुछ मंत्रीगण इस काम में लिप्त हैं। दिनांक 21 जनवरी को मथुरा जनपद के भरतपुर तिराहे पर यू०पी० 85 डी 3350 से 36 शराब की पेटियां बरामद हुईं और इस मामले में मंत्री के लोग हाथों पकड़े गये। इसी प्रकार एक राज्य मंत्री के गनर द्वारा आगरा जिले के हरिपर्वत थाने के अन्तर्गत मथुरा के एक व्यापारी से 10 लाख की लूट की गई, जब लूट हो रही थी, उसी समय वहां पुलिस आ गई, इससे पहले बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारी, पुलिस को देखकर बदमाश वहां लाश को छोड़कर भाग गये, उस व्यापारी के पास 5 लाख रुपया था। बाद में पुलिस ने वह 5 लाख रुपया लेकर, उसकी लाश को नदी में फेंक देने का काम किया। तो इस तरह की घटनायें हो रही हैं। आज राजनैतिक विद्वेष की वजह से दलित वर्ग के लागों को मारा-पीटा जा रहा है , उनका फर्जी एनकाउन्टर किया जा रहा है। अभी 4-5 दिन पहले आर० के० चौधरी ने सदन में इस तरह का मामला उठाया था और बताया था कि 12 पासियों की हत्यायें की गई हैं।

श्री अधिष्ठाता–

क्या 25 मिनट आप अकेले ही बोलेंगे ?

(बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, राम ललित चौधरी जी हमारी पार्टी के उप नेता हैं.....

श्री अधिष्ठाता–

बसपा को 25 मिनट आवंटित है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर,

[XXX]

(व्यवधान)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

[XXX]

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया बैठें, बुनियाद हुसैन जी कृपया बैठें । यह चर्चा जो बजट पर चल रही है यह सवा दो घन्टे में होनी है, जिस तरह से समय को बांटा गया है, आप चिन्ता न करें यह समय नहीं जुड़ेगा । वर्मा जी सुन लें, समय इतना कम है जो अध्यक्ष जी ने निर्धारित किया है, 25 मिनट जो निर्धारित है बहुजन समाज पार्टी के लिए उसमें चाहे एक सदस्य बोले लें या बाकी सदस्य बोल लें ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि माननीय सदस्य प्रजापति जी, दद्दू प्रसाद जी और तमाम लोगों के ऊपर जुल्म हुआ, पुलिस ने अपमानित किया, लेकिन सरकार ने लीपापोती करने का ही काम किया । दलितों के साथ जहां-जहां घटनाएं हुई, वहां पर लीपापोती करने का काम सरकार ने किया । फिरोजाबाद में 4 लोगों की हत्या हुई, सरकार ने लीपापोती करने का काम किया । हदोई में भी 4 लोगों की हत्या हुई सरकार ने लीपापोती का काम किया । मान्यवर, अल्पसंख्यक वर्ग के ऊपर, दलित के ऊपर घटना होती है, यह सरकार उस पर लीपा-पोती करती है । उसके समाप्त करने का रफा–दफा करने का काम करती है । मान्यवर, हमारे ऊपर अगर मूली उखाड़ने का इल्जाम है तो उसमें 302 जैसा कांड यह सरकार करती है । लेकिन उनके ऊपर यदि 302 का भी काण्ड होता है तो मूली उखाड़ने जैसा इल्जाम लगाया जाता है । महिलाओं के ऊपर भी कम जुल्म नहीं हुए विशेष कर दलित महिलाओं के ऊपर अत्याचार दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़े हैं । भारतीय संस्कृति की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में किसी की इज्जत बरकरार नहीं है, चाहे 5 साल की अबोध बालिका हो या चाहे 80 साल की बुढ़ियां हो । 12 से ज्यादा महिलाओं का उत्पीड़न होता है, 6 महिलाएं हत्या का शिकार होती हैं, 15 दिन में । यह सरकारी आंकड़ा है । सरकारी आंकड़े से वास्तविकता कहीं ज्यादा होती है । चाहे शहर की

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

महिला हो या देहात की हो, सील भंग होने पर या दुर्व्यवहार होने पर वह अपना मुंह बहुत कम खोलती है। मान्यवर, घटनाएं और भी बहुत हैं। बंथरा में सामूहिक बलात्कार हुआ, 22 मई को दलित महिला के कान नोंचे गये, गाजीपुर की 5 वर्ष की बच्ची के साथ दुराचार हुआ। मान्यवर, 29 अप्रैल को दहेज न मिलने के कारण महिला को जिन्दा जलाया गया। तो यह मामूली घटनायें नहीं हैं। इसी प्रकार से प्रदेश के कोने-कोने में आज घटनायें बढ़ रही हैं। मान्यवर, समय न होने के कारण मैं अनेकों घटनाओं के बारे में यहां प्रकाश नहीं डाल पा रहा हूं। इन शब्दों के साथ मैं श्री वर्मा जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। और ऐशोआराम करने के लिए तथा लूट के लिए इनको एक भी पैसा न दिया जाये।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी द्वारा गृह विभाग के प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अब तक के सबसे बड़े बजट पुलिस विभाग को प्रस्तुत किया है। पिछले साल की तुलना में 9.18 प्रतिशत की वृद्धि गृह विभाग को व्यवस्थित करने एवं चुस्त-दुरुस्त करने के लिए मुख्य मंत्री जी ने यह बजट रखा है। मान्यवर, अपेक्षा तो पुलिस विभाग से सभी करते हैं लेकिन पुलिस विभाग की सुविधा की बात आती है, चुस्त-दुरुस्त करने की बात आती है तो जिनके ऊपर पहले जिम्मेदारी थी, जब विरोध पक्ष में बैठे लोगों को सरकार चलाने का अवसर मिला तो उन्होंने पुलिस विभाग को जितना पैसा देना चाहिए था वह नहीं दिया।

मान्यवर, आज कटौती का प्रस्ताव माननीय नेता प्रतिपक्ष ने रखा है, उन्होंने जो सुझाव रखे हैं, सदन में पहली बार यह अवसर देखने को मिला कि विपक्ष के नाते कुछ रचनात्मक सुझाव रखे। मान्यवर, रचनात्मक सुझावों को देखा जाय तो मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट प्रस्ताव में इन सभी बातों को पूरा करने की कोशिश किया है। मान्यवर, विपक्ष के नेता ने कहा है कि थानों में जीर्ण-शीर्ण जीपें हैं, तो 247 जीपें खरीदने के लिए आर्डर दिये गये हैं। इस प्रकार जो सुझाव दिया उसको मुख्यमंत्री जी ने पहले ही आदेश दे रखा है।

मान्यवर, दूसरा सुझाव जो उन्होंने दिया है कि थानो में सिपाही और दरोगा की कमी है जिसे पूरा किया जाना चाहिए। तो इसकी भी पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री जी ने 9 हजार पुलिस कर्मियों की पिछले साल भर्ती की गयी। इसके साथ ही 3 हजार सब-इंस्पेक्टर्स की भर्ती की परीक्षा हो गई है और भर्ती की जा रही है। इस प्रकार इस सुझाव को पूरा करने का आदेश मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है।

मान्यवर, वायरलेस सेट से जोड़ना हर थानों को जरूरी है, इसलिए इस संबंध में 46 करोड़ रुपये का प्राविधान वायरलेस व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए मुख्य मंत्री जी ने किया है। इस प्रकार से देखा जाये तो जो रचनात्मक सुझाव विपक्ष के नेता जी ने दिया है उसको मुख्य मंत्री जी ने पहले ही पूरा करने के आदेश जारी कर दिये हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो कटौती का प्रस्ताव माननीय विपक्ष के नेता ने रखा है उसको वह वापस ले लेंगे और सर्वसम्मति से, हर्षध्वनि से पुलिस विभाग का बजट पास करेंगे, यह मैं उम्मीद करता हूं।

मान्यवर, आलोचना जो चाहे कर लें लेकिन साफ है कि पिछले सालों की तुलना में इस वर्ष अपराधों में नियंत्रण हुआ है और कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। तो देखा जाये पहले जितने अपराध हुए हैं उसकी तुलना में डकैती, लूट, हत्या, बलवा आदि हर मामलों में कमी आई है। लेकिन विपक्ष की जो आदत है आलोचना करना वह ठीक नहीं है, लेकिन उसका कोई हक नहीं बनता है क्योंकि जब स्वतः जिम्मेदारी थी तो वह इस कानून व्यवस्था को अच्छा करने में अक्षम साबित हुआ। इसलिए उनको आलोचना करने का कोई हक नहीं है।

हमारे विपक्ष के नेता ने कहा कि विधान सभा के सामने एक व्यक्ति ने आत्मदाह कर लिया और इस घटना पर उन्होंने पूरे सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया । मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने आत्मदाह किया उसको बचाने में जिस पुलिस कर्मी ने अपना स्वेटर निकाल कर उसके ऊपर डाल दिया, जिसने उसको बचाने में आपने हाथ झुलसा लिये और जिसने उसको बचाने में अपना चेहरा झुलसा लिया उस पुलिस कर्मी की प्रशंसा आपको करनी चाहिये लेकिन नेता विरोध पक्ष या उनके किसी सदस्य ने कभी उस पुलिस कर्मी की प्रशंसा में कुछ नहीं कहा । आपको याद होगा कि मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे तो कितने युवकों ने आत्मदाह किया था और उनके जो साथी थे कांग्रेस पार्टी जो उनको समर्थन दे रही थी उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी । उस समय अनेकों आत्मदाह हुए लेकिन आपने आलोचना नहीं की आज एक आत्मदाह हो गया है तो आपको आलोचना करने का हक, रा०सु०का० लगा । मैं कहना चाहता हूं कि कानून और व्यवस्था बिगाड़ने का काम जिस तरह से इन लोगों ने किया है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने व पुलिस विभाग की क्षमता का यह द्योतक है कि इनकी कुत्सित योजनाओं पर तुषाराघात हो गया और दंगे पर नियंत्रण कर लिया गया । शान्तिपूर्ण ढंग से ताजियों का जुलूस निकल रहा था उनको भड़काया गया और बनारस जैसी जगह पर जहां भारी जनसंख्या का दबाव है वहां पर जाम लगवा दिया गया । जहां पर लाखों की संख्या में लोग चलते हैं, जहां पर पैदल और रिक्शा से चलने वाले लोग हैं और ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा है अगर वहां पर एक साथ जाम पूरे नगर में कर दिया जायेगा तो उसका क्या रेजल्ट होगा ? तीन बजे तक ताजिये का जुलूस सकुशल निकाला लेकिन कौन सी ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी कि जुलूस को 5 बजे तक रोके रखा गया । विपक्ष के नेता ने कहा कि एक व्यक्ति स्कूटर पर जा रहा था उसकी हत्या हो गयी । उस व्यक्ति को गली में खींचकर उसकी हत्या करने की साजिश में कौन लोग थे ? साजिश थी कि बनारस जैसी संवेदनशील जगह में तनाव पैदा होगा तो पूरे प्रदेश में आग लगेगी और पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब होगी । इसलिये एक सुनियोजित साजिश के तहत बनारस में दंगा कराने का प्रयास किया गया लेकिन पुलिस विभाग की कार्य कुशलता से 2-3 दिन में इस पर नियंत्रण कर लिया गया और दंगा प्रदेश में नहीं फैल पाया ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 2–4 घटनायें लखनऊ में हुई हैं । मैं मानता हूं कि अगर किसी की हत्या होती है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है किसी की हत्या होना अच्छी बात नहीं है । लेकिन जब स०पा० की सरकार थी तो क्या हो रहा था ? इसी विधान सभा भवन में आये दिन 1993 में, इसी सचिवालय में बच्चों की लाशें मिलती थी । क्या कारण था तब सरकार ने क्यों नहीं कानून व्यवस्था पर नियंत्रण किया था ? कहीं पर पारिवारिक जायजाद को लेकर, हत्या हो गयी तो आप पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं लेकिन जब सचिवालय में [x x x] लाश फेंक दी जाती थी तो आपकी पुलिस और आपका प्रशासन क्या कर रहा था ? जब भाजपा की सरकार आयी तो उसने ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण किया है । हमारे अभी ब०स०पा० के मित्र महिलाओं के साथ ज्यादाती की बात कर रहे थे । जब आपकी सरकार, स०पा०, ब०स०पा की सरकार थी तो इलाहाबाद में एक दलित महिला को नंगा करके घुमाया गया था । किसी से छिपा नहीं है । उसी समय सरकार जाने की स्थिति आयी थी और आपने कुछ नहीं किया लेकिन हमने पूरी कोशिश की है । महिलाओं के सम्मान के लिये प्रयास किया गया है । इतना ही नहीं आपको तो बोलने का हक इसलिए नहीं है कि जब लोकसभा में महिलाओं के सम्मान के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण देने का बिल लाया गया तो आप जैसे लोग जो चेहरे पर नकाब लगाये हुये हैं आपने उस बिल का विरोध किया ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

आपको महिलाओं के सम्मान के लिये बोलने का कोई अधिकार नहीं है । दूसरी बात अभी आपने कानून-व्यवस्था की, की है । रामपुर तिराहे की घटना किसी से छिपी नहीं है । जो गाजीपुर की घटना का उल्लेख किया गया अभी विपक्ष के माननीय नेता ने कहा कि वहां पर दो व्यक्तियों की हत्या पुलिस की गोली से हुई, किसकी गोली से हुई यह नहीं कह सकता । मेरठ में एक छात्रा की हत्या हुई लेकिन भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्य मंत्री जी का निष्पक्ष सोच इस बात का प्रमाण है कि हम पुलिस कर्मियों के दोषों को छुपाना नहीं चाहते, पुलिस यदि गल्ती करती है तो उसे भी उसी प्रकार से सजा मिलनी चाहिए जैसे अपराधी को मिलती है । गाजीपुर की घटना के न्यायिक जांच के आदेश दिये गये । रामपुर तिराहे की घटना हुई, मुकदमा भी कायम नहीं हुआ था लेकिन हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी सी० बी० आई० से इसकी जांच कराने के लिये केन्द्र सरकार को लिखा और उसकी जांच करायी गयी । मान्यवर, 1995 में आगरा में ओला पड़ा था । किसान भूखे पेट, रोटी के लिये आन्दोलन कर रहे थे । पुलिस ने वहां पर गोली चलायी और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी । वर्ष 1995 में विधान सभा में बदन सिंह जी ने मामला उठाया था कि पुलिस ने हत्या की । सरकार ने कहा कि किसी आन्दोलनकारी की बन्दूक से, 12 बोर की बन्दूक से उसकी मृत्यु हुई है । रामपुर तिराहे की घटना से लोगों के रोंगटे खड़े हो गये थे वहां पर पुलिस के लोगों ने बलात्कार किया था, निर्मम हत्यायें हुई थीं । इसी सदन में आपके नेता ने कहा था कि यदि यह जांच में साबित हो जाये कि उत्तरांचल की महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है तो मैं राजनीति से सन्यास ले लूँगा । जांच में साबित हो गया कि उत्तरांचल की महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ लेकिन अपने बयान को झुठलाने का प्रयास किया ।

श्री अवधेश प्रसाद–

यह गलतबयानी कर रहे हैं, सत्य से परे है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बैठिये जब आप बोलेंगे तो उस समय कह दीजिएगा ।

श्री इकबाल महमूद–

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला निकलवाकर देख लीजिए, मालूम हो जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं है । कृपया बैठें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय गृह राज्य मंत्री जी, एक ऐसे मंत्री हैं जिनके अधिकार में कुछ नहीं है और माननीय मुख्य मंत्री जी को खुश करने के लिए जो बात कही है, सदन में जितनी बात कहनी चाहिए, जो सही बात हो और जिसकी प्रामणिकता हो । जो बात कही कि बलात्कार किया गया । सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि कहीं बलात्कार नहीं किया गया । एक बात और याद कर लीजियेगा । माननीय मुलायम सिंह जी ने जो भी व्यक्ति घायल हुये थे जिसको चोट लगी थी सबको 10-10 लाख रुपया दिया था जो आज तक आपकी सरकार ने नहीं दिया ।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह रावत "ग्रामवासी"–

माननीय सदस्य ने सदन को गुमराह किया है वहां बलात्कार हुआ था ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

माननीय रेवती रमण सिंह जी ने जो कहा है कि 10–10 लाख रुपये दिए गए तो यह आपके मुख्य मंत्री के विवेक से नहीं दिए गए हाई कोर्ट ने आदेश दिया था इस कारण उन्होंने दिए थे आपके नेता ने तो उस पर परदा डालने का काम किया था। मैं बसपा के भाइयों से कहना चाहता हूं कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार की जो बात कही गई है तो महिलाओं की सुरक्षा उधर बैठने वाले लोग नहीं कर सकते बसपा के भाइयों को इधर आ जाना चाहिए क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा इधर बैठने वाले लोग करते हैं। 2 जून, 1995 में मायावती जी के साथ जो व्यवहार हुआ था उसको उत्तर प्रदेश की 16 करोड़ जनता नहीं भूल सकती है आप लोगों के लिए उधर बैठने की जगह नहीं है इधर जगह है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री रंगनाथ मिश्र–

जिस प्रकार टूण्डला कांड को लेकर विपक्ष के लोगों ने पुलिस को हतोत्साहित करने का काम किया है इस सदन में, यह बहुत शर्मनाक बात है। न यह पुलिस के हक में है न उत्तर प्रदेश की 16 करोड़ जनता के हक में है। आप इकबाल की बात करते हैं यदि पूरे देश में पुलिस का कहीं इकबाल है तो उत्तर प्रदेश पुलिस का इकबाल है आप किसी दूसरे प्रदेश से तुलना कर लीजिए।

श्री इकबाल महमूद–

पुलिस का इकबाल है मुख्य मंत्री का इकबाल नहीं है।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मुख्य मंत्री का इकबाल है और पुलिस का भी इकबाल है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, 2.30 बज रहे हैं आप संसदीय कार्य मंत्री जी से कह दें कि वह विनियोग विधेयक के लिए निर्धारित समय बढ़ा दें। नहीं तो सबको अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिलेगा।

श्री अधिष्ठाता–

सत्ता पक्ष के लिए समय निर्धारित है इसी के अन्तर्गत वह जितना बोलेंगे बाकी का समय कम कर दिया जायगा।

श्री रंगनाथ मिश्र–

टूण्डला काण्ड पर पुलिस ने जिस तत्परता के साथ कार्यवाही की है उसकी जितनी प्रसंशा की जाए कम है। लेकिन जिस प्रकार टूण्डला घटना को लेकर सदन का समय जाया किया गया और इसलिए जाया किया गया कि [x x x] आरोप लगाकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस पर [x x x] आरोप लगाया आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया।

कुंवर रेवती रमण सिंह –

[x x x] शब्द कार्यवाही से निकलवा दिया जाये।

गौरी शंकर एडवोकेट–

सत्य से परे बात कही जाती है।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मुख्य मंत्री जी ने जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए बजट में प्राविधान किया है उसके लिए मुख्य मंत्री जी को बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और विपक्ष के लोगों से अनुरोध करता हूं कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, अध्यक्ष जी ने कहा था कि पहले दलीय नेताओं को सुना जाय।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अध्यक्ष ने अपने हाथ से सबके लिए समय निर्धारित किया है। विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर एक घण्टा पन्द्रह मिनट और सत्ता पक्ष के लिए साठ मिनट नेता सदन को छोड़कर। समाजवादी पार्टी को 35, बसपा को 25, कांग्रेस को 15 और अन्य को शेष। ऐसा निश्चित किया गया है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह समय का विवाद नहीं है। विवाद केवल यह है कि प्राथमिकता के आधार पर कौन बोलेगा। नेता प्रतिपक्ष के बाद नेता कांग्रेस फिर नेता बसपा बोल चुके हैं उसी क्रम में बुलवाइये।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि यह सदन इतिहास की बातें करने के लिये नहीं है। आज गृह विभाग का बजट है। यहां 2000 का बजट पास हो रहा है। मुख्य मंत्री जी ने 2000 का बजट प्रस्तुत किया है यहां पिछले साल क्या हुआ, 98 में क्या हुआ, 99 में क्या हुआ, 77 में क्या हुआ 80 में क्या हुआ इसके लिए यह सदन नहीं है। जब इकबाल खतम होता है चमक खतम होती है तो वह सरकार चला नहीं करती। आप कहते हैं सब ठीक कर दिया तो मैं बता देता हूं कि क्या ठीक हुआ। पिछले साल में डकैती हुई 636 और इस साल 803, लूट पिछले साल हुई 353 इस साल 3900, हत्यायें हुईं 6834 और इस साल 7834, बलवा हुआ पिछले साल 4390 और इस साल 6460।

मान्यवर, ये चीजें कैसे बढ़ रही हैं। फिरौतियों के लिये अपहरण। पिछले साल 158 हुई और इस साल 1901 यह क्या हो रहा है इसके बाद भी आप सीना तान के कहते हैं कि प्रशासन अच्छा चल रहा है। इस सरकार ने अपने एस० एस० पी० तथा डी० एम० एस० को यह कहा है कि तुम गैंगस्टर ऐक्ट में बन्द करके भेजो। इसका नतीजा क्या हो रहा है ? मैं पुलिस स्टेटिक्स की फीगर्स पढ़ रहा हूं। आज गैंगस्टर ऐक्ट में जितने मुकदमें कायम हुए हैं, उन्हें निपटाने में 65 साल गुजर जायेंगे। 6000 मुकदमें गैंगस्टर ऐक्ट में कायम हुए हैं और पिछले साल 155 का डिस्पोजल हुआ है। इसकी वजह क्या है ? आज कोई चोरी कर रहा है, जेब काट रहा है, सट्टा लग पा रहा है, पहले यह होता था कि जो जिस में पकड़ा होता था, उस धारा में वह बन्द होता था। गैंगेस्टर वालों पर तो आपने नेशनल सिक्योरिटी ऐक्ट लगा दिया और जो ये छोटे काम कर रहे हैं, उन्हें गैंगेस्टर ऐक्ट में बन्द कर दिया। आखिर इसका हश्र क्या होगा ? चीफ सेक्रेटरी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनकी सूची 15 दिन में दे देंगे। आज 15–20 दिन गुजर गये हैं, कोई सूची नहीं आयी। कहां कमी है। एक विवाद है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप उस पर अवश्य कार्यवाही करवा दें। हरियाणा और उत्तर प्रदेश का विवाद 1975 से लम्बित है। पिछले तीन-चार साल से इधर के किसानों की और उधर के किसानों की हत्यायें हो चुकी हैं। आपके बागपत के एस० डी० एम० को हरियाणा की पुलिस ने उठाकर बन्द कर दिया।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपनी बात समाप्त कर दीजिये।

श्री कौकब हमीद–

श्रीमन्, ट्रांसफर पोलिसी का यहां पर बहुत जिक्र आया । मान्यवर, मैं आपको तथा इस आदरणीय सदन को जानकारी देना चाहता हूं ।

यह फिगर मेरी नहीं है । यह प्लानिंग कमीशन की है जब दावत में उन्हें बुलाया था आपने मार्च से पहले, मेम्बरान आये थे उनकी रिपोर्ट का अंग है । 23 करोड़ रुपया ट्रांसफर में खर्च हुआ और इस साल जो पिछला गुजर रहा है जिसके अन्तर्गत 123 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं । यह प्लानिंग कमीशन का है । हमारे यहां पैसा नहीं है सैलरी देने के लिये, विकास के कार्य करने के लिये । इसकी वजह यह है कि विधायक ने चाहा आज यह रहे दूसरा विधायक दूसरी पार्टी का आ गया उसने कहा यह नहीं रहेगा । मान्यवर, चिन्ता का विषय यह है कि आपके यहां 23 जिले हैं और मैं समझता था कि कुछ अपनी कम से कम सम्वेदनशीलता को सबूत दे देंगे । 23 जिलों के अन्दर एक भी मुसलमान डी० एम० है न एस० पी० है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें । बैठ जायं ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह गृह विभाग और सामान्य प्रशासन के बजट पर माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उस पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, माननीय नेता सदन ने गृह विभाग पुलिस और सामान्य प्रशासन का बजट इस सम्मानित सदन में प्रस्तुत करते हुए कानून और व्यवस्था का जिक्र किया । सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में अपना भाषण दिया । मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं बीते हुए दिन के कुछ अपराध के आंकड़ों का जिक्र करके अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति समझी जा सकती है । प्रदेश की राजधानी में पिछले दिनों जिस तरह की घटनाएं हुईं श्रीमन् वह उत्तर प्रदेश की सरकार के लिये बहुत बड़ी चुनौती है । जो सरकार विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिये बात करती है, विधि के शासन को स्थापित करने की बात करती है उस प्रदेश की राजधानी में पिछले दिनों 99-2000 के वर्ष में प्रत्येक 48 घण्टे में एक हत्या लखनऊ के अन्दर हुई है । प्रदेश की राजधानी में प्रत्येक सप्ताह में एक दहेज हत्या हुई है 29 नवम्बर, 99 को स्वयं भारत सरकार के गृह मंत्री ने हिन्दुस्तान के संसद में इस बात को स्वीकार किया कि हत्याओं और अपहरण में उत्तर प्रदेश का दर्जा अव्वल है । यह मैं नहीं भारत सरकार के गृह मंत्री का कहना है उनकी स्वीकारोक्ति है कि उत्तर प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है । उन्होंने कबूल किया कि हत्या और अपहरण में पूरे भारत देश में 99 में वर्ष में जहां हत्याएं हुईं 8303, वहीं अपहरण की घटनाएं हुईं 4369 और यह कीर्तिमान पूरे देश में उत्तर प्रदेश का है । मैं मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में डालना चाहता हूं कि यह चुनौती उत्तर प्रदेश के लिये है इससे मुकाबला करने के लिये मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, जिसका कि आप सर्वथा अभाव देख रहे हैं । जिस लोक सेवकों की, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति होती है उनके तबादलों के पीछे आज प्रदेश की सरकार राजनीति कर रही है ।

मैं आपकी अनुमति से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 2 दिसम्बर, माननीय मुख्य मंत्री जी के शासन में आने के बाद से 19 दिसम्बर तक कुल 17 दिनों में जो प्रशासनिक और आई०पी०एस० अधिकारियों के तबादले हुए । श्रीमन्, उसके आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं एक-एक दिन में बहुत बड़ी तादाद में प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानान्तरण हुए । यह सिलसिला 2 दिसम्बर से शुरू हुआ,

2 दिसम्बर से 19 दिसम्बर तक पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले हुए, 2 दिसम्बर को चार जिलाधिकारी सहित 9 आई० ए० एस० के तबादले हुए, 6 दिसम्बर को सात जिलाधिकारी 9 पुलिस अधीक्षक सहित 69 अधिकारियों के तबादले हुए 9 दिसम्बर को 12 आई० ए० एस० सहित 17 अधिकारियों के तबादले हुए, 10 दिसम्बर को 15 आई०ए०एस० 25 पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए। 13 दिसम्बर को 5 पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए, 15 दिसम्बर को 31 पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए, 19 दिसम्बर को 10 वरिष्ठ आई०ए०एस० तथा 7 आई०पी०एस० के तबादले हुए, इस प्रकार एक माह में 189 पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए। इसमें आधा दर्जन ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें हटाया गया और एक सप्ताह में ही वहीं पर फिर तैनात कर दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, एक बहुत ही दर्दनाक घटना के बारे में कहना चाहता हूं। रुड़की विश्वविद्यालय का इन्जीनियरिंग का छात्र था जो देवरिया का रहने वाला था, इंजीनियरिंग छात्र मोहित मणि डा० सुधीन्द्र नाथ सिन्हा प्रोफेसर का बेटा था जिसने अत्याधुनिक साफ्ट वेयर जो बैंक और सेना के लिए उपयोगी थे, का अविष्कार किया था। मान्यवर 18 अप्रैल को मोहित मणि का अपहरण कर लिया गया 28 अप्रैल को कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, 11 मई को मोहित मणि का शव मिला, मान्यवर, जो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई उसमें प्रमुख अभियुक्त पुलिस सब इंसपेक्टर का पुत्र है, लेकिन पुलिस का कहना है कि नकली नोट बनाने वाला एक अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह है जो अमेरिका को हिन्दुस्तानी मुद्रा....

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें, लिखा नहीं जायेगा।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मैं एक मिनट में अपनी बात कहूंगा। श्रीमन् वहां की पुलिस मोहित मणि की हत्या में लीपापोती कर रही है मुख्य अभियुक्त पुलिस अधिकारी का पुत्र है मोहित मणि द्वारा साफ्ट वेयर के रहस्य को न बताने के कारण उसकी हत्या कर दी गई। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में डालना चाहता हूं कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, इस देश की होनहार प्रतिभा की हत्या हुई है, इस मामले की जांच सी०बी०आई० से कराने के लिये केन्द्र की सरकार को लिखने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता–

अब लिखा नहीं जाएगा।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

[x x x] मैं नेता विरोधी दल के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बालचन्द्र मिश्र–

श्रीमन् माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने दीर्घ अनुभव, प्रतिभाशाली बुद्धि और विचारधारा के आधार पर जो भ्रष्टाचार पर हमला करने के लिए योजना का प्रारूप रखा है। वह निश्चित ही समर्थन

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

योग्य है और मुझे उम्मीद थी कि उनका भाषण सुनने के बाद, योजनाएं सुनने के बाद प्रतिपक्ष की ओर से उसका समर्थन होगा, लेकिन आलोचना और वह भी उस तरह की, जिसका कोई आधार नहीं था। भ्रष्टाचार एक दो दिन या दो चार,महीनों में नहीं जन्म लेता है। यह परम्परागत बुराई है और मैं यह कहना चाहता हूं कि यह भ्रष्टाचार पिछले पचास वर्षों में जन्म लेकर क्रमशः थोड़ा-थोड़ा बढ़ा और गहराता चला गया। उसी तरह से जैसे यूकेलिप्टस का पेड़ जितना ऊपर दिखायी देता है उसकी जड़े भी उतनी ही नीचे रहती हैं। मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि आपकी इच्छा शक्ति है और आप प्रयास कर रहे हैं देखें कैसा परिणाम आता है। तो मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि परिणाम अच्छा ही आयेगा। कानून व्यवस्था और एफ० आई० आर० लिखने की बात हो रही थी। वहां से वकालत एफ० आई० आर० की हो रही थी जिनके मुख्यमंत्रित्व काल में चाहे वह सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार रही हो यह स्पष्ट आदेश अधिकारियों को दिये गये थे कि एफ० आई० आर० न लिखी जाय। सामान्यतः अधिकारी व कर्मी बचते हैं एफ० आई० आर० लिखने से लेकिन जब प्रदेश का मुखिया इस तरह का आदेश दे कि एफ० आई० आर० न लिखी जाय तो यह दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जायेगा और आज इसी मानसिकता को देखते हुए एफ० आई० आर० का दर्ज कराने का अभ्यास कराने में समय लगेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मा० मुख्य मंत्री यह आदेश कर दें कि अगर अपराध का एफ० आई० आर० जनप्रतिनिधियों के द्वारा, राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रयास से पंजीकृत होती है तो पंजीकरण के साथ-साथ जो थानाध्यक्ष है उसके खिलाफ भी कार्यवाही की संस्तुति हो कि उसने पंजीकृत करने में कोताही बरती है श्रीमन्, कानून व्यवस्था ठीक होने का एक बड़ा बैरोमीटर है। जब-जब नेता प्रतिपक्ष की तरफ से यह हल्ला मचाया जाता है कि उनके कार्यकर्ताओं का पुलिस उत्पीड़न कर रही है, उनको बन्द कर रही है तो आम जनता को यह समझ में आता है कि पुलिस वाले कानून व्यवस्था को कड़ा करने के लिए, कार्यवाही तेज कर रहे हैं, दबाव बढ़ा रहे हैं इसलिए इधर से हल्ला हो रहा है। क्योंकि हल्ला होता है जब अपराधी पकड़े जाते हैं। बूथ कैपचरिंग करने के लिए, बाहुबल के लिए जब अपने कार्यकर्ता अपराधियों के बीच से लायेंगे तब कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए पुलिस कार्यवाही करेगी तो फिर किसे पकड़ेगी ? अगर अपराध दबाने के लिए कार्यवाही की जाती है तो फिर पेट में दर्द क्यों होता है ? और अगर अपराधी न पकड़े जायें तो आप कहते हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं। यह तो वही कहावत हो गयी कि चित भी मेरी पट भी मेरी और अन्टा मेरे बाप का। मान्यवर, यह जो भ्रष्टाचार बढ़ा है यह आज से नहीं पुराने समय से चला आ रहा है। मैं चार पंक्तियां सुनाना चाहता हूं–

"जब लाख सिफारिश फेल करे तब घूस कमाल दिखाता है,
इन्सान की बात कौन कहे भगवान भी दौड़ा आता है।
पंडित के लिए यही पूजा, हाकिम के लिए यह डाली,
हर दफ्तर और महकमें में इसका गुण गाया जाता है।"

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह पचास सालों की देन है और सरकार इसको दफना करके ही शान्त बैठेगी। यह पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। मान्यवर, इसी गृह विभाग से एक ताजा घटना जुड़ी है एक अमित कुमार आई० पी० एस० हैं जो पी० ए० सी० प्रशिक्षण केन्द्र मेरठ में तैनात हैं अभी मार्च महीने के अंतिम सत्र में उड़ीसा के पूर्व डीजीपी की बेटी ने उस आई० पी० एस० अधिकारी के विरुद्ध हजरतगंज थाने में काफी दौड़ भाग के बाद अपने पति के खिलाफ 498 का मुकदमा पंजीकृत कराया। मैं वर्तमान डी० जी० पी० साहब को बधाई देना चाहता हूं कि जब यह मामला उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने कार्यवाही की श्रीमन् दहेज उत्पीड़न जो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ किया उसे घर से बाहर निकाल दिया, एक महिला क्षेत्राधिकारी जो कानपुर में मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत तैनात हैं उससे

उन अधिकारियों के अवैध सम्बन्ध डेवलप हो गये । सरकारी टेलीफोन से कई हजार काले भी हुई हैं । लेकिन मान्यवर, खेद का विषय है और माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उस केश में अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई । एक ज्ञानेन्द्र पाण्डेय क्रिकेटर का जब ऐसा ही मामला प्रकाश में आया तो उस पर तुरन्त कार्यवाही हो गई और अपराध पंजीकृत हुआ लेकिन अमित कुमार के मामले में अभी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । मान्यवर, उसे क्षेत्राधिकारी ने अपनी ओर से कभी थानाध्यक्षों को एक आदेश निर्गत किया है कि जो भी 406–420 के मुकदमें पंजीकृत होने हैं वह पहले उनके संज्ञान में लाये जायें, इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाये यह उनके हस्ताक्षर से हैं मेरे पास उसकी प्रति है । मान्यवर, यह अपने आप में एक अपराध है । मान्यवर, यह अपने आप में एक अपराध है । मान्यवर, वहां ट्रांसपोर्ट नगर में लाखों-लाख का माल ट्रकों पर गायब करते हैं । क्षेत्राधिकारी यह देखती है कि कितने लाख का माल है परसेन्टेज तय होता है । तब 406/420 का मुकदमा कायम होता है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री बालचन्द्र मिश्र–

मान्यवर, एक क्राइम नम्बर 174/99 धारा 406, 420 में बाबू पुरवा में पंजीकृत हुआ उसमें एस०एस०पी० कानपुर से यह आदेश प्राप्त कर लिये गये कि यह एस० आई० एस० में ट्रान्सफर कर दिया जाये । उसके बाद आई० ओ० ने जांच ट्रांसफर किया रजिस्टर में पंजीकृत हो गया लेकिन जब उस क्षेत्राधिकारी ने देखा कि एस० आई० एस० में ट्रांसफर कर रहे हैं तो एस० आई० एस० के ट्रांसफर सम्बन्धी एस० एस० पी० के आदेश क्षेत्राधिकारी ने फाड़कर फेंक दिये । इसलिये कि एस० आई० एस० में वह ट्रांसफर हो जायेगा तो जो पैसे का लेन-देन होगा वहां सम्भव नहीं हो पायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री बालचन्द्र मिश्र–

मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक नौबस्ता थाना है जैसी चर्चा है वहां 100 रुपये प्रति ट्रक ट्रैफिक पुलिस लेती है एक हजार ट्रक वहां से होकर गुजरते हैं तो इस तरह से 1 लाख रुपये रोज अवैध वसूली हो रही है हमारे अधिकारीगण गम्भीरता से इस पर विचार करें । कानपुर नगर में 6 आई० पी० एस० अधिकारी, 4 एस० पी० सिटी, एक एस० पी० क्राईम और एक एस० पी० ट्राफिक होना चाहिये ।

मान्यवर, आज आवश्यक है कि थानों का परिसीमन कराया जाये । उनके भवन भी होने चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । अब आप बैठें नहीं तो मुझे कहना पड़ेगा कि न लिखा जाए, मैंने गौरी शंकर जी को बुलाया है ।

श्री बालचन्द्र मिश्र–

मान्यवर, मैं अपनी बात को विराम देता हूं और प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

(श्री विनोदमणि के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

जो समय सीमा है उसी में चर्चा समाप्त होनी है ।

(व्यवधान)

विनोदमणि जी मैं आपको बुलवाऊंगा, आप दल के नेता नहीं हैं आप बैठें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैंने लिखित रूप से आग्रह किया है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका क्रम आ रहा है । आपको बुलवायेंगे ।

श्री विनोदमणि–

कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को बोलने को मिलेगा या नहीं ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बैठें ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

माननीय अधिष्ठाता जी मैं माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत जो कटौती का प्रस्ताव है उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं मैंने नेता सदन और माननीय मुख्य मंत्री जी को विस्तार से सुना है । एक–एक बात को सुनकर लगा कि अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुख्य मंत्री जी जो यह सिद्ध करने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक–ठाक चल रहा है । यह दृष्टि की बात है कि आधा गिलास भरा है और आधा गिलास खाली तो खाली गिलास दिखाई पड़ा है नहीं भरा ही दिखाई पड़ा है । कालिदास ने कहा है कि –

"अनन्तरल प्रभवस्य यस्य,
हिमं न सौभाग्य विलापि जातम् ।
एकोहि दोषो गुण सन्निपाते,
निमज्जतीन्दोः किरणेयुवाकः ।"

मान्यवर, सभी माननीय सदस्य सत्ता पक्ष के बोल रहे थे, एक बात याद आती है इनकी मजबूरी पर इस शेर के साथ–

"न पूछो क्या गुजरती है,
दिले खुद्दार पर अक्सर,
जब किसी नामेहरवां को मेहरवां कहना ही पड़ता है
हमारे सामने जिसने बहारे अंजुमन लूटी,
उसी को अब फरोगे अंजुमन कहना ही पड़ता है ।
यह दुनिया है यहां हर काम होती है करीने से,
यहां पत्थर को भी लालेगिरों कहना ही पड़ता है ।
बफैजे मसलहत कभी ऐसा भी होता है जमाने में,
कि रहजन को भी मीरे कारवों कहना ही पड़ता है ।"

इस बात का उल्लेख मैं इसलिये कर रहा हूं कि एक कोने से शुरू हुआ है और आपके हिसाब से सुधार हो रहा है । एक कोना ठीक होना शुरू हुआ है, यह वाक्य है, मुख्य मंत्री जी आपका इस प्रदेश में 16 करोड़ जनता है और एक कोने से शुरू हुआ है तो हम उसका साधुवाद देते हैं लेकिन इस प्रदेश में कितने कोने हैं और इतने कोनों में कब तक सुधार हो पायेगा, इस पर विशेष दृष्टि आपकी जानी चाहिये । दलित हत्या के संबंध में टूण्डला का जिक्र किया, लेकिन यह बात आप स्वयं जानते होंगे कि सब कुछ ठीक–ठाक नहीं है । आपने कहा कि पुलिस का मनोबल नीचे न गिरे, पुलिस को ताकत देंगे । यह एक्सपेरीमेंट भी आप करके देख लीजिये । पुलिस के पास एक जोर डंडा तो है, ही अब उसे डंडा मजिस्ट्रेट भी बना दीजिये, मजिस्ट्रेट का पावर भी दे दीजिये, जुडीशियरी भी दे दीजिये, उसके बाद देखिये, क्या होता है ? उत्तर प्रदेश के लोग कहां जाते हैं, हिन्दुस्तान के कौन से कोने में बसते हैं ? पुलिस का दरोगा आज कैसी भाषा बोलता है । पुलिस के थाना इंचार्ज को पता रहता है कि उसके क्षेत्र में कौन–कौन से बदमाश हैं, कहां–कहां डकैती हुई है, लेकिन कुएं में भाँग पड़ी है और पूरे कुएं की सफाई आप कैसे करेंगे । आपकी शराफत, आपकी नीयत पर किसी को शक नहीं है, लेकिन कुएँ में भाँग पड़ी है, आप चाहें जितनी बातें मुस्करा–मुस्करा कर करते जायें, हम लोगों के दिल को हल्का करते जायें, लेकिन सही मायने में अपराध कैसे रुकेगा, इस पर विचार करने की जरुरत है । आप अनुभवी हैं, विद्वान हैं, लेकिन सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है ।

"उद्योगिनं हि पुरुषसिंहमुपैतलक्ष्मीः
देवेन देयामिति का पुरुषाः वदन्ति,
दैवं निहत्य कुरु पौरुष आत्मशक्तयः
यत्नेे कृते यदि न सिद्धयति को अत्र दोषः।।"

मैं इसकी आखिरी लाइन पर आता हूं । कोई काम करने पर यदि कार्य सिद्ध नहीं होता है तो उसमें आपका क्या दोष है ? इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि यत्न करने पर यदि कोई काम सिद्ध नहीं होता है तो यह देखना चाहिये कि कहीं उसमें कोई दोष तो नहीं रह गया है ।

इसी प्रकार यदि कोई विद्यार्थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर करेगा तो । अगर विद्यार्थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी का करेगा तो यह ए प्लस बी x ए प्लस बी होगा । इसी प्रकार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी करेगा x ए माइनस बी होगा । ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर हमेशा ए प्लस बी ए माइनस बी ही होगा । मैंने यह बात इसलिये कही कि जो सिद्धान्त है, प्रशासन चलाने का, उसके लिये हनक होनी चाहिये, वह ताकत आपकी जाँघों में होगी । यह सही है कि उम्र के अनुसार जाँघ कुछ कमजोर हो जाती हैं तो मजबूत जाँघे तो घुड़सवारी के लिये चाहिये नहीं तो घुड़सवार को घोड़ा नीचे पटक देता है । लेकिन इन आई०ए०एस० और आई०पी०एस० को नियंत्रण में रखने के लिये जाँघों की ताकत की जगह रगों की ताकत की जरूरत है, वह आपमें हैं, आप रिजल्ट देने की कोशिश कीजिये । नहीं तो वक्त आपको माफ नहीं करेगा इस संबंध में यह शेर प्रसंगित होगा कि –

" वक्त को जिसने नहीं समझा,
उसे मिटना पड़ा है,
बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है,
चाहे जितनी बड़ी हो, चाहे जितनी ही कड़ी हो,
हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है ।।"

मान्यवर, मैंने कभी उत्तर, प्रति उत्तर देने की संस्कृति नहीं सीखी, यदि आपको अच्छा लगे तो ठीक

है और यदि आपको लगे कि सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है, तो मैं यह आपके आत्मावलोकन पर छोड़ता हूं। यह वक्त आत्म विश्लेषण करने का है यदि आपने इसको नहीं समझा तो यह वक्त आपको कभी माफ नहीं करेगा। मान्यवर, हम सब चले जायेंगे लेकिन यादें [illegible] को ज्ञान बैराग्य सिखाने जाते हैं लेकिन उल्टे गोपियां कहती हैं–:–

"जोगन की भोगन की, विकल वियोगन की।
जग में न जागती, जमाते रह जायेंगी ॥
कहत रत्नाकर, न सुख के रहे जो दिन।
तो ये दुख द्वन्द्व की, न रातें रह जायेंगी ॥
प्रेम नेम छांड़, ज्ञान छेम जो बतावत हो।
भीत नहीं तो क्या छाते रह जायेंगी ॥
घाते रह जायेंगी, न कान्ह की कृपा इती।
ऊधौ बस, कहिबे को बाते रह जायेंगी ॥"

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इस शेर के साथ कि मान्यवर,

"हक के सौदाई हैं, बालित को मसल डालेंगे।
गर्दसे वक्त भी आई तो कुचल डालेंगे ॥
हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है।
और इस दौर को चाहेंगे, बदल डालेंगे ॥"

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में 9 प्रतिशत से अधिक की जो वृद्धि की है मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिए और अपराधों पर और अपेक्षित नियन्त्रण करने के लिए और पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों की सुविधाओं में जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, क्योंकि "भूखे भजन न होय गोपाला", मान्यवर, जो अच्छा काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी है, उनको आउट आफ टर्न प्रमोशन देने का नियम है, उसका पालन नहीं हो रहा है और इसमें निर्णय करने में सरकार देरी कर रही है। थाना देहलीगेट मेरठ के इंस्पेक्टर श्री रघुराज सिंह चौहान और उनकी टीम ने हरियाणा के नामी अपराधी को गिरफ्तार किया लेकिन प्रस्ताव आने के बाद अभी तक उनको आउट आफ टर्न प्रमोशन नहीं दिया गया। इसी प्रकार एक महिला सिपाही, पम्मी यादव ने दो लोगों को गंगा में डूबने से बचाया और दो लोगों को आग में कूदकर जलने से बचाया किन्तु उसको भी प्रस्ताव आने के बावजूद आउट आफ टर्न प्रमोशन देने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इंस्पेक्टर से सी० ओ० को आउट आफ टर्न प्रमोशन देने की नियमावली बना दी गयी लेकिन प्रख्यापित नहीं की गयी जिसके कारण वह प्रकरण लम्बित पड़े हैं।

मान्यवर, मृतक के आश्रितों, सामान्य मृतक आश्रित नियमावली के अनुसार उनको सुविधा नहीं दी जा रही है और मृतक आश्रित के प्रकरण लम्बित पड़े हैं। मान्यवर, एस० टी० एफ० को सुरक्षा देने का वायदा किया गया था लेकिन वह अभी तक अधूरे हैं जिसके कारण उनमें असुरक्षा घर कर गयी है और वे अपेक्षित काम नहीं कर पा रहे हैं। यदि यह सुविधा उनको दे दी जाय तो अपराधों के नियंत्रण में वांछित सफलता मिल जायेगी।

मान्यवर, उ० प्र० की पुलिस मानवाधिकार आयोग के आतंक के साये में काम कर रही है उसे इससे मुक्ति दिलाना आवश्यक है और तभी कानून व्यवस्था में अपेक्षित सुधार आ सकता है ।

मान्यवर, थानों के टेलीफोन कटे पड़े हैं । हमारे जनपद के 25 टेलीफोन कटे पड़े हैं । आई० जी०, डी० आई० जी०, एस० एस० पी० और एस० पी० के भी टेलीफोन कटे पड़े हैं । जब फोन ही नहीं होगा तो क्या सूचना आयेगी और क्या कार्यवाही होगी ? इसलिए इन पर ध्यान दिया जाय । मान्यवर, होना यह चाहिए कि डी० आई० जी०, एस० एस० पी०, एस० पी० सिटी, एस० पी० देहात को मोबाइल फोन की सुविधा दी जानी चाहिए ।

मान्यवर, तीव्र गति के अच्छे वाहन उपलब्ध कराये जाने चाहिए, क्योंकि जब जी–2, जी–3, ए० के० 47,56, सी–4 और आर० डी० एक्स जैसे हथियार अपराधियों के पास होगें तो पुलिस को उसी के अनुरूप सुसज्जित किया जाना चाहिए ।

मान्यवर, नये थानों और चौकियों की स्थापना होनी चाहिए । शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है । हम चाहते हैं कि मेरठ के शास्त्री नगर, जागृति बिहार दो बड़ी कालोनी हैं जिनमें विशेष चौकसी के लिए थाना शास्त्री नगर सृजित होना चाहिए । थाना-हसनापुर का प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन है और थाना रौहदा तथा किदवई नगर का प्रस्ताव भी शासन के विचाराधीन है जिन पर शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए । मान्यवर, चाहे प्राधिकरण, चाहे आवास विकास परिषद्, चाहे प्राइवेट कालोनी हो, उनके कलपट मानचित्र स्वीकृत करते समय थाना–चौकी का प्राविधान किया जाना चाहिए । मान्यवर, थाना–दौराला 75 हजार की आबादी पर बना था । अब पल्लवपुरम बस गया है, वहां पांच लाख की आबादी है इसलिए नये थाने का सृजन होना चाहिए ।

मान्यवर, मेरठ में जो थाने तत्काल बनाये जाने चाहिए उनके नाम इस प्रकार हैं–थाना, शास्त्री नगर, किदवई नगर, हासनपुरा, रौहटा, रिर्पोटिंग चौकी नगला हैदर नगर, थाना–खरखौदा बनाये जाने चाहिए । मान्यवर, एस० पी० सिटी मेरठ का कार्यालय घण्टाघर पर स्थापित होना चाहिए । इसके अलावा थाना–टी०पी० नगर आवास विकास की दुकानों में चल रहा है जिसका स्वयं का भवन बनता है, जिसकी भूमि आवास विकास परिषद ने योजना सं०–10 में निःशुल्क उपलब्ध करवाई है । मान्यवर, थाना–नौचन्दी जिसके लिए धारा–4 और 6 की कार्यवाही हो चुकी है, भूखण्ड का अधिग्रहण हो चुका है और शासन द्वारा 1997 में 54 लाख रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है ताकि भवन निर्माण हो सके जिसके लिए प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति आवश्यक है ।

थाना–लिगाड़ीगेट नगर निगम की जर्जर भवन में चल रहा है स्कूल भवन है लेकिन इसके लिए भी अलग से भवन निर्माण की स्वीकृति होनी चाहिए ।

मान्यवर, मेरठ को नए वाहनों की आवश्यकता है जिसमें 15 जिप्सी, एक अम्बेंसडर कार, एक छोटी रिकवरी बैन और 10 मोटर साइकिलों की तत्काल वहां आवश्यकता है ।

मान्यवर, आई० एस० आई० प्रदेश में पूरी तरह से बढ़ चुका है बार्डर पुलिस में सजा के नाम पर अधिकारियों को भेजा जा रहा है जबकि वहां पर उचित कार्य क्षमता वाले संसाधनों से युक्त लोगों को वहां भेजा जाना चाहिए । तभी नेपाल सीमा पर से आई० एस० आई० की गतिविधियों को रोका जा सकेगा । क्योंकि धर्मस्थल विधेयक लागू होने के बाद आई० एस० आई० ने अपनी गतिविधियों का केन्द्र भारत की सीमा से हटाकर नेपाल की सीमा को बना लिया है ।

आई० एस० आई० के लोग जासूसी, सैबोटेज जैसे अपराध करवाते हैं और वह इस देश के निवासियों की निष्ठा परिवर्तन करके देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं । मैं निश्चित जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं कि मेरठ के कुछ लोग ऐसे हैं जो तालिबान समर्थक हैं । जो लोग आई०एस०आई० का

प्रशिक्षण प्राप्त करने जा रहे हैं वह ऐसे लोगों को प्रशिक्षण के लिये भेज रहे हैं और उनको मदद पहुंचा रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए । मान्यवर, एक मुकदमा 118/2000 पंजीकृत हुआ है इसमें पुलिस ने लापरवाही की है । इस मामले में 500 के जाली नोट एक व्यक्ति अब्दुल वहीद के पास पकड़े गये और उस आदमी को गिरफ्तार किया गया है । पुलिस 14 दिन के भीतर रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से इन नोटों का परीक्षण नहीं करवा सकी कि यह जाली हैं या असली हैं जिसके कारण जो अभियुक्त था उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं हो सकी । बाद में रिजर्व बैंक ने कहा कि यह नोट जाली हैं लेकिन पुलिस द्वारा मामले में देर कर दिये जाने के कारण उस अभियुक्त की जमानत हो गयी और उसको रिमांड पर नहीं लिया जा सका । इसके अलावा जैसा मैंने पहले उल्लेख किया था मानवाधिकार के डर से मेरठ में एक केस जिसमें 25 लाख के जेवर हड़पे गये थे उसमें पुलिस ने कोई कार्यवाही मानवाधिकार आयोग के डर से नहीं की जिससे वह मुकदमा पैंडिंग है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन कर रहा हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जो तथ्य मैं दे रहा हूं उस पर ध्यान दिया जाय । बजट में 9 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है इसका अच्छा असर होगा । पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर आवास सुविधा दिलायें, पुलिस का आधुनिकीकरण करें, एस० टी० एफ० में जो स्वच्छचारिता घर कर गयी है उसको दूर करायें यदि इन सब बातों को किया जायेगा तो बेहतर कानून व्यवस्था दी जा सकती है और विपक्ष के उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है जो कानून व्यवस्था के ऊपर निरर्थक आरोप लगाते हैं । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस ओर विशेष ध्यान दें और कानून व्यवस्था में सुधार करके अपराधों पर नियंत्रण करने की कार्यवाही करें । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

अधिष्ठाता महोदय, गृह और सामान्य प्रशासन के बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया । मैंने माननीय मुख्य मंत्री और माननीय गृह राज्य मंत्री के भाषण को सुना और सत्ता तथा विपक्ष के माननीय सदस्यों के भी भाषण सुने । मैं तो केवल इतना कह सकता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी यह कोई राजनीतिक बहस नहीं है अगर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिये कोई बात कही जाती है तो वह प्रदेश की भलाई के लिये की जाती है । आइये हम सब लोग मिलकर ऐसा वातावरण सृजित करें जिससे प्रदेश की 16 करोड़ जनता को सुरक्षा मिले और किसी घर की बहू अगर उसका पति मेहनत करने या नौकरी करने जाता है तो शाम को अपने पति का सुहाग को थाल सजाकर इंतजार करती है तो उसका पति शाम को घर सही सलामत लौट न सके तो फिर ऐसी कानून व्यवस्था से क्या फायदा ?

"जिन चिरागों से तास्सुब का धुआं उठता है,
उन चिरागों को बुझा दोगे तो अजमत होगी ।"

गृह राज्य मंत्री जी ने कहा कि पुलिस की आलोचना करते हैं तो पुलिस का मनोबल गिरता है मेरा कहना है कि उन जैसे जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसा नहीं कहना चाहिए । अगर विपक्ष के लोग सदन में किसी घटना का उल्लेख करते हैं, जघन्य अपराध का उल्लेख करते हैं तो आपकी पुलिस की वह आलोचना नहीं करते हैं । उस घटना के लिये जो जिम्मेदार लोग हैं जिन पर कानून व्यवस्था

की जिम्मेदारी है उनकी जिम्मेदारी निर्धारित करने की हमारी मांग होती है, हमारी मंशा होती है । अगर इस पर यह कहा जायगा कि पुलिस का मनोबल गिरता है आलोचना करने से तो फिर 6 महीने में जो 389 आई०ए०एस०, आई०पी०एस० अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया है क्या उससे पुलिस का मनोबल नहीं गिर रहा है । दुनिया के किसी मुल्क में जिसके ऊपर कानून व्यवस्था और प्रशासनिक मशीनरी को ठीक रखने की जिम्मेदारी है उन अधिकारियों का 6-6 महीनों में ट्रान्सफर होगा तो कानून व्यवस्था कैसे अच्छी रह सकती है ? आज अच्छे अधिकारी नहीं जाते हैं जब उनका स्थानान्तरण किया जाता है तो वह जाने से इन्कार करते हैं, उन्हें पता है कि वह उस जनपद में जायेंगे तो राजनैतिक हस्तक्षेप के आधार पर किस समय उनकी शाम हो जाये यह पता नहीं । आज अच्छे पुलिस अधिकारी नहीं जाना चाहते । माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने वाराणसी में पुलिस कर्मियों की एक बैठक के बाद प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि यहां पर थाने बिकते हैं, पुलिस के लोग सड़कों पर वाहनों से वसूली करते हैं तो कानून व्यवस्था की स्थिति कैसे अच्छी होगी ? अगर उन्होंने जनहित में कहा है और उत्तर प्रदेश के किसी एस०पी० के ऊपर थाने बिकने की बात कही है या सड़कों पर वसूली की बात कही ।

मान्यवर, मैं आलीचना से ऊपर उठकर 3-4 बातें कह रहा हूं । आज आप कहीं भी किसी जनपद में चले जायं अवैध वाहनों का संचालन पुलिस के संरक्षण में हो रहा है । माननीय मंत्रीगण या माननीय सदस्य अगर निकलें तो चिनहट से शुरू हो जायेगा । फिकेटिंग में लगे पुलिस कर्मी सड़क पर खड़े मिलेंगे, आप उन्हें वाहनों से वसूली करते पायेंगे । आज थानों के विभिन्न क्षेत्रों में पेड़ कट रहे हैं और पुलिस पैसा वसूलने का काम कर रही है । तमाम जिलों में यह स्थितियां बन रही हैं । अवैध बस, पेड़ या सड़कों पर वसूली की बात हो इस प्रकार की स्थिति बन गयी है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि एक-आध घटनायें हो जायं तो उससे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं हो जाती । कानून व्यवस्था की परिभाषा कौन सी होगी ? माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि एक दरोगा ने अपराधियों का पीछा करते हुए गोली खायी और उसे 25 हजार रुपये का इनाम दिया आप उसे एक लाख रुपया दें हम सभी सहमत हैं । उन्नाव से किसी एक बच्चे का अपहरण करके मारुति कार से अपहरणकर्ता चले । एस०पी० उन्नाव ने एस०एस०पी० लखनऊ को वायरलेस किया । अपहर्ता किसी छोटे जनपद की ओर नहीं जा रहा है वह उत्तर प्रदेश की राजधानी में प्रवेश कर रहा है । एस०एस०पी० ने पूरे थाने को मैसेज दिया कि वह अपराधी निकल रहा है । हर चौराहे पर पुलिस लग गयी आखिर एक चौराहे पर उस बहादुर दरोगा ने रोकने की कोशिश की तो अगले चौराहे पर वह कैसे बच गया, तीसरे चौराहे पर वह कैसे बच गया । आज तक आप उस अपहरणकर्ता का पता नहीं लगा पाये । आपने एक तरफ दरोगा की तारीफ की दूसरी तरफ अन्य चौराहों से वह कैसे निकल गया उसकी भी बात की होती । विधान भवन के सामने एक लड़का जल जाता है और उसके पास मौजूद सैकड़ों पुलिस देखती रह जाती है । मैं कहता हूं कि कौन सी परिभाषा होगी ?

मान्यवर, मैंने चोरियां सुनी थीं, कार की चोरी, जीप की चोरी, मोटर साइकिल की चोरी, घरों की चोरी लेकिन यह पहली घटना है कि माननीय मुख्य मंत्री जी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रोड़वेज की बस चोरी हो गयी और पता नहीं लगा ! मान्यवर, रोड़वेज बसों की चोरियां शुरू हो जायेंगी उसे चोरी करके वह कहां ले जायेगा ?

श्री अरविन्द कुमार जैन–

मान्यवर, यह बस की चोरी की बात कर रहे हैं इनके समय में 600 इन्जन चोरी हुए थे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, बड़े सम्मान के साथ मैं यह बातें कह रहा हूं । उत्तर भषण दें तो स्पष्ट करें । माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं रामपुर तिराहे से लेकर विपक्ष की

अनेक घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं । आज हत्यायें हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं लेकिन एक तरफ कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं जिसके बल पर सत्ता में बैठे हुए हैं श्री परमहंस राम चन्द्र दास जी जो राम जन्म भूमि मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज उनके ऊपर बम से प्रहार किया जाए यह कानून व्यवस्था का सही चित्रण है । दूसरी तरफ हनुमान गढ़ी के दूसरे महन्त की हत्या हो गयी यह अयोध्या और लखनऊ की कानून व्यवस्था का हाल है । 6 सिक्ख परिवार मारे गये ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

आज इस तरह की घटनायें हो रही हैं इससे सामान्य प्रशासन और कानून व्यवस्था का पता चलता है । स्वयं लोक सभा में गृह मंत्री ने जवाब दिया है कि मानवाधिकार का सबसे ज्यादा उल्लंघन उत्तर प्रदेश में हुआ है । इसके बावजूद हम अपने को सबसे अच्छा मान रहे हैं, सबसे ज्यादा दलित महिलाओं का उत्पीड़न यहां हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

4.00 बजे विनियोग विधेयक प्रस्तुत होना है । आप कृपया समाप्त करें ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, मुझे दो मिनट सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप या रामजग दोनों में से कोई एक सदस्य अपनी बात रखें ।

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, समाजवादी पार्टी के सदस्यों को दो-दो मिनट सुन लें ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, हमारे दल के 12 सदस्य हैं । कम से कम दो सदस्यों को बुलवा दें ।

(श्री अवधेश प्रसाद को बोलने के लिये बुलाये जाने पर)

श्री अवधेश प्रसाद–

आपने गृह और सामान्य प्रशासन के बजट पर कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आभारी हूं ।

(व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, आज इस प्रदेश की 16 करोड़ जनता मुख्य मंत्री जी की आभारी होती यदि वे इस सदन में कोई घोषणा करते । परन्तु जिस तरीके से रटीरटाई बातों को दोहराया गया है उससे इस प्रदेश की जनता को निराशा ही हाथ लगी है । आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे क्षेत्र फैजाबाद में परमहंस जी पर हमला हुआ जिसका असर अयोध्या, फैजाबाद ही नहीं पूरे देश व प्रदेश पर हुआ है । आज कोई भी सुरक्षित नहीं है । अभी राज्य मंत्री जी बोल रहे थे [xxx] यह सरकार हयादार सरकार नहीं है ।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बैठ जायं । मेरा अनुरोध स्वीकार करें ।

श्री अवधेश प्रसाद–

कानून व्यवस्था पर किसी पार्टी का हक नहीं है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । 4 बजने में 17 मिनट बचे हैं मेरा निवेदन है.....

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मेरा आग्रह यह है कि अभी कई दल अगर रह गये हैं तो उनको भी अवसर दे दिया जाय । उसके बाद 5–7 मिनट का अवसर हमें फिर नेता प्रतिपक्ष को समय दे दें ।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, आपका आभारी हूं और गृह एवं सामान्य बजट पर माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा कही गई बातों पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि कानून व्यवस्था काफी अच्छी हुई है परन्तु मैं इससे सहमत नहीं हूं । हत्यायें, लूट और डकैती की घटनाओं में वृद्धि हुई है परन्तु माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि पूरे भारत में सबसे अच्छी कानून व्यवस्था यदि कही अच्छी है तो उत्तर प्रदेश में है । मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अभी गोरखपुर में इसी महीने बिहार के माफियाओं ने दिन के बारह बजे तीन लोगों की हत्या तथा दो लोगों को घायल कर दिया । एस० पी०, सिटी गोरखपुर को उन माफियाओं ने धमकी दी है और आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है । दो दिन पहले इसी सदन में हमने इसी सदन के संज्ञान में लाने के लिये कहा था कि नैपाल सीमा से उत्तर प्रदेश में हत्यायें, मादक द्रव्यों की तस्करी और जाली नोटो की तस्करी हो रही है परन्तु माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसे बहुत ही हल्के ढंग से लिया और कहा कि कोई स्पेशिफिक घटना का जिक्र नहीं किया गया है । मैंने इस लिये नहीं किया कि आपके राज में कानून-व्यवस्था ठीक नहीं है अगर घटना का जिक्र करें तो मैं जानता हूं कि मेरे जीवन की रक्षा यह सरकार नहीं कर पायेगी । जनपद कुशीनगर के थाना विशुनपुरा के खिरकिया नाले के पास एक बड़े बक्से में 500 रुपये के जाली नोट मिले और समाचार पत्र में वह बक्सा छपा परन्तु पुलिस ने 500 रुपये के केवल 8 जाली नोट दिखाये । महराजगंज के कुल्हई थाने में 500 रुपये के जाली नोटों की तस्करी पकड़ी गई परन्तु केवल एक नोट का चालान किया गया । मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस रैकेट में पुलिस विभाग के छोटे आफिसर्स से लेकर आला आफिसर्स तक इसमें शामिल हैं, मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने भ्रष्टाचार के बारे में कहा । हम डी०जी०पी० के कार्यों से बखूबी वाकिफ हैं, वह अच्छे हैं परन्तु एस० पी० महराजगंज जो नैपाल बार्डर पर तैनात है, उनकी पत्नी ने 8 दिन पहले 8 लाख रुपये के जेवरात गोरखपुर के एक ज्वेलर्स के यहां से खरीदें । आपने उनको हटाया था परन्तु महराजगंज जनपद के राज्य मंत्री ने उस पुलिस अधीक्षक को जाने नहीं दिया और आपको आदेश रोकना पड़ा । मेरी मांग है कि वहां पर ईमानदार पुलिस अधीक्षक तैनात होना चाहिये परन्तु यह नहीं हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप कृपा करके बैठ जायं ।

विनोद मणि जी कृपया बैठें ।

श्री विनोद मणि–

माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर कानून व्यवस्था में बदलाव लाना चाहते हैं, उसकी स्थिति सुधारना चाहते हैं तो ईमानदार लोगों को जनपद में भेजने की कृपा करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं

कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात खत्म करना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि आप स्वयं मजबूत हैं आपको विवेक..

श्री अधिष्ठाता–

अब लिखा नहीं जायेगा । कृपया करके बैठें ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, बहुत ही गंभीरतापूर्ण विचार आये नेता प्रतिपक्ष, अन्य सभी सम्मानित नेताओं और सम्मानित सदस्यों के विचारों को अगर दो श्रेणियों में रखा जाय तो एक तो वह हैं जिसमें आरोप लगाये गये उत्तर प्रदेश की कार्य प्रणाली के ऊपर । दूसरे सुझाव के रूप में सम्मानित नेता प्रतिपक्ष ने दिये । मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने यह पहला अवसर है जिसमें सुझाव अधिक आलोचना कम की है और आलोचना भी केवल अखबारों की कुछ कतरन के आधार पर की । एक भी ऐसा आरोप नहीं था जो किसी और जानकारी के आधार पर आधारित हो । कुछ अखबारों का हवाला दिया कि फलाँ सम्पादकीय ने लिखा । मान्यवर, यह लोकतंत्र है । हर अखबार को अधिकार है अपने विचार रखने का । कभी कुछ विचार किसी के पक्ष में आ जाते हैं और कभी विपक्ष में । कुछ घटनाओं का विशेष रूप से जिक्र किया गया, उन घटनाओं की तरफ ध्यान आकृष्ट करते हुए जब आपने शुरूआत की तो आपने कहा यहां पर आत्म हत्या हुई इसी विधान सभा के सामने हुई । मान्यवर, यह दुख की बात है मनदीप नामक व्यक्ति ने आत्म हत्या की । लेकिन सरकार ने क्या किया । सरकार ने शिथिलता बरतने के लिये जो उत्तरदायी थे एक इन्स्पेक्टर और 3 सिपाहियों को निलम्बन किया । एक इन्स्पेक्टर को लाइन हाजिर किया । मान्यवर, कुछ मनोवैज्ञानिक बातें होती हैं, कुछ दबाव रहता है, कुछ पारिवारिक कारण भी होतें हैं लेकिन सरकार को जो करना चाहिए था वह हमने किया । दूसरी कुछ और घटनाओं का जिक्र किया । अधिकांश वे घटनाएं हैं जिनके बारे में कल सदन में चर्चा विस्तार से हुई । एक से अधिक बार उन घटनाओं का उल्लेख सदन में किसी न किसी रूप में हो चुका । लखीमपुर खीरी के बारे में विस्तार से चर्चा हुई थी । सारे तथ्य सरकार की ओर से आपके सामने रखे थे । नेता कांग्रेस पार्टी की एक ही मांग रहती है कुछ को निकालें । दर्द इस बात का है कि सरकार क्यों चल रही है ? यह बात सही है कि हम लोग अलग-अलग पार्टियों से चुनकर आये हैं, यह गठबन्धन की सरकार है लेकिन यह पहली सरकार उत्तर प्रदेश में संभवतः ऐसी है जिसने अपनी समझदारी का परिचय देकर कुछ बातों पर मतान्तर होते हुए भी सरकार बनाई और बड़ी धमक के साथ सरकार चला रहे हैं । (मेजें थपथपाई गई)

(इस समय 3 बजकर 54 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

एक पीड़ा है, मैं उस पीड़ा की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं अगर इतनी बुराइयां थी इन घटकों में तो अभी तक तो आपके ही साथ थे । आपने साथ नहीं रखा तो हमारे साथ हैं । इसके बाद एक रोज कला दिखाई 11.30 बजे रात को दिखाई शपथ करा दी किसी और की । आज दर्द इस बात का है कि इनके प्रयासों के बाद भी, इनके कुचक्र के बाद भी यह सरकार क्यों चल रही है ? हम निःस्वार्थ भाव से प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं इसलिये यह सरकार चल रही है । मान्यवर, प्रहार उद्योग के ऊपर किया गया । दो उद्योग बताये । एक तबादला और एक अपहरण उद्योग बतलाये । दो उद्योग के बारे में बताया बाकी तो इनको नजर नहीं आये । चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग चल रहा है ।

दो उद्योगों के बारे में विशेष रूप से एक्सपर्टीज प्राप्त है यह है अपहरण उद्योग और ट्रांसफर उद्योग । अपहरण उद्योग के जन्मदाता कौन हैं ? यह कबसे शुरू हुआ यह प्रदेश की जनता से पूछे ? वर्ष 1989 के बाद में जो सरकार आई, वह पहला वर्ष था जब गाजियाबाद में अपहरण के उद्योग को जन्म

दिया, आप लोगों ने और उसके बाद में बराबर प्रतिवर्ष यह बढ़ता रहा, उसको पूरा राजनीतिक संरक्षण भी दिया और राजनीतिक संरक्षण के बाद में ..

मैं कुछ नहीं कह रहा हूं न मैंने किसी का नाम लिया है, मैं याद दिला रहा हूं और तो उद्योग रहे नहीं इन सारे उद्योगों को समाप्त करते-करते आपने एक उद्योग बना दिया और वहीं चुनौती हमारे सामने है कि इसको कैसे समाप्त करें, मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इस उद्योग को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम लगे हैं । जिस उद्योग की जड़ें बहुत गहरे चली गई हैं उसमें समय लग रहा है समय तो लगेगा ही ..

(व्यवधान)

गृह विभाग पुलिस तथा सामान्य प्रशासन विभाग के बजट पर चर्चा हेतु समय बढ़ाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

कृपया समय बढ़ाने का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री ले आएं ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि इस बजट पर चर्चा हेतु आधे घण्टे समय और बढ़ा दिया जाए ?

श्री लालजी वर्मा–

45 मिनट कर दें ।

श्री हुकुम सिंह–

ठीक है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग (क्रमागत)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

दूसरा तबादलों के बारे में कहा गया, मैं भी नतमस्तक होता हूं उन माननीय सदस्यगण के सामने जिन्होंने पहली बार तबादलों को उद्योग का दर्जा प्रदेश में दिया । जिस वक्त मण्डल ऐक्ट में तबादला करते थे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं अगर सारे प्रशासन में भ्रष्टाचार की नींव रखी, वह भी संयोग से सामने ही बैठे हैं, कभी सत्तापक्ष में हमारे साथ रहे हैं आपने उद्योग बना दिया । भ्रष्टाचार की बात करते हैं भ्रष्टाचार को जन्म देने वाले पनपाने वाले आप ही हैं । आप प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हैं, ट्रांसफर ज्यादा क्यों किए, यह मानते हैं कि ट्रांसफर ज्यादा हुए हैं वह नहीं होने चाहिए थे, नेता प्रतिपक्ष ने रचनात्मक सुझाव दिए कि दो-तीन सालों तक आप जिलों में अधिकारी को नहीं रखेंगे तो वह कैसे नीति बनायेंगे, कैसे पकड़ बनायेंगे और हम उसी तरफ प्रयासरत हैं । हमारी मजबूरी थी क्योंकि जो आज विरासत में हमको सत्ता मिली थी वह ऐसी थी जहां ये दोनों बुराइयां नियमितीकरण कर दी गयी थीं और उनको उखाड़ने में समय तो लगेगा ही । हमने ट्रांसफर और पोस्टिंग उस आधार पर नहीं की जिस

आधार पर उद्योग का दर्जा दिया गया था । नेता जी दो तीन शिकायतें हैं । अगर वास्तव में इस प्रदेश के लिए कुछ करना हो तो हम किसी की आलोचना बाद में करें पहले अपनी अन्तरात्मा में झांककर देख लें कि जब-जब सत्ता आयी है हमने उसका सदुपयोग किया है या दुरुपयोग किया है । हमने उसको जनता की सेवा में लगाया है ? आज आप दुरुपयोग की बात करते हैं जब भी कभी सहकारिता के, स्थानीय निकायों के, जिला पंचायतों के, ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए आपने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि फलां को मैं प्रधान चाहता हूं । फलां को मैं प्रमुख चाहता हूं, फलां को मैं जिला अध्यक्ष चाहता हूं और जिसने आपकी इच्छा पूरी नहीं की वह टिक नहीं पाया । आज आप शिकायत करते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं । हमारी तो यह कोशिश है कि कैसे पारदर्शिता लायी जाय । इसलिए कभी भी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल इस बात की अपेक्षा नहीं करते कि हम जिलाधिकारी के माध्यम से चुनाव करायें या दुरुपयोग करें । आपके सामने एक भी मिसाल, आज चुनाव होने जा रहे हैं, नहीं होगी कि हमने दुरुपयोग किया । हमने क्लास–III का चयन किया । एक भी शिकायत किसी भी मंत्री के खिलाफ, किसी भी अधिकारी के खिलाफ नहीं आयी कि भ्रष्टाचार के आधार पर चयन हुआ हो । लेकिन जब आपने नियुक्ति की तो इन्टरव्यू सहारनपुर में और लिस्ट इटावा में । आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सत्ता के दुरुपयोग की बात करते हैं । मान्यवर, जिस तरह से इन लोगों ने सत्ता को कलंकित किया है उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है । मान्यवर, मैं आपकी पीड़ा को समझता हूं जो आप इतनी उछल कूद करते रहे । चाहे आप जितनी उछल कूद कर लो अब सफलता मिलने वाली नहीं है । यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और उसके बाद इस प्रदेश की हम मिलकर सेवा करते रहेंगे । आपको मुबारक वह स्थान और हमको मुबारक यह स्थान यही मुझको कहना है ।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री जी ने सबसे प्रमुख मुद्दा उठाया है भ्रष्टाचार का, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सरकार भ्रष्टाचार, अनैतिकता और माफियाओं के बल पर बनी हुई वह भ्रष्टाचार मिटाने की कल्पना करे यह उसी तरह से जैसे पर्वत के आगे ऊंट खड़ा होता है। भ्रष्टाचार की बात कही गयी मैं माननीय मंत्री जी की बात सुन रहा था । बहुत बढ़-चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया । अपहरण उद्योग और ट्रांसफर उद्योग के बारे में बताया । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सदन प्रदेश की सर्वोच्च संस्था है उसके चुनाव को भी आप देख लें क्या आपकी निगाह इस तरफ नहीं गयी है ।

मान्यवर, आज जब भ्रष्टाचार मिटाने की बात आती है और दूसरी ओर भ्रष्ट अधिकारी को प्राइज पोस्टिंग दे रहे हैं तो यह दोनों बातें एक साथ कैसे चल पायेंगी ? मान्यवर, आज प्रशासन की स्थिति यह बन गई है कि छात्राओं को अपने ड्राइंग-रूम में नचाने का काम किया जाता है अधिकारियों के द्वारा और इस पर यह सरकार आंख मूंद कर बैठी है । मान्यवर, आज प्रदेश के तमाम मंत्रियों के द्वारा मतान्तर की बात चल रही है, सहयोगी दल एक सरकार चला रहे हैं यह बात कही गयी है, कहा गया कि हमें जनता की सेवा करनी है इसलिए सरकार चला रहे हैं । मान्यवर, प्रदेश की जनता की सेवा करना दूर रहा यह तो चुनाव जब होगा तब स्वतः पता चल जायेगा,, आज मंत्री लोग अपनी जेबें भरने के लिये काम कर रहे हैं । एक दूसरे को धमकी देते हुए आज यह सरकार चलाने का काम कर रहे हैं । मान्यवर, यह पहली सरकार है जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी अपने मंत्रियों और विधायकों के सामने असहाय से हो रहे हैं । मान्यवर, जबसे मैं राजनीतिक जीवन में आया पहली बार मैंने देखा है कि किसी मुख्य मंत्री को किस तरह से उनके दल के विधायकों ने घेराव करने का काम किया है । आज अधिकारियों की हालत यह है कि मंत्री एस०पी० को धमकी देते हैं और एस०पी० मंत्री को धमकी देता है और पूरा प्रदेश तमाशा देखने का काम करता है । मान्यवर, जो आपका सतर्कता विभाग है उसमें 424 मामले सतर्कता

अधिष्ठान की जांच के लिए सौंपे गये उसमें से 251 की जांच रिपोर्ट आ गयी और जिसमें से मान्यवर, संस्तुति की कि आरोप प्रमाणित करके उस पर कार्यवाही करने का काम किया जाए। लेकिन अभी तक कोई कारगर कार्यवाही करने का काम नहीं किया गया है। मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, 10-10 साल सतर्कता विभाग जांच करता रहता है आज जिनके खिलाफ जांच होती है अधिकांश मामलों में वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या रिटायर हो जाता है। उसके बाद आप कल्पना करें कि उसमें क्या कार्यवाही कर लेंगे यह असंभव सा प्रतीत होता है। आज जरूरत है कार्यवाही करनी है तो जांच की समय सीमा जो है उसको घटाने का काम किया जाए। मान्यवर, जब से यह सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की तब से दलितों के ऊपर अत्याचार के मामले सर्वाधिक हुए हैं। मान्यवर, जबसे यह सरकार अस्तित्व में आई है सदन चल रहा है चाहे टुण्डला हो, हरदोई हो या बाराबंकी सहारनपुर की घटना हो, अनेकों दलितों के ऊपर घटनाएं हुई हैं ज्यादती हुई है। मान्यवर, चाहे कल्याण सिंह जी रहे हों जो अनुसूचित जाति का ऐक्ट है उसे निष्प्रभावी करने के लिए यह कर दिया कि उसकी जांच सी०ओ० करेगा उसके आधार पर गिरफ्तारी होगी। मान्यवर, जब क्रास केस होता है दलित अपनी रिपोर्ट लिखाता है और दूसरी तरफ से दलित के ऊपर गंभीर आरोप लगाकर फर्जी रिपोर्ट लिखाई जाती है। दलित जेल चला जाता है और जो दलित की ओर से 307, 395 की रिपोर्ट लिखाई जाती है उस पर कार्यवाही नहीं होती है क्योंकि सी०ओ० जांच नहीं करता है वह जानबूझकर उसे लटकाये रहता है। मान्यवर, हमारे यहां अम्बेडकर नगर में टांडा सी०ओ० सर्किल के क्षेत्र में यह सब देखा जा रहा है कि जितने मामले दलितों के पंजीकृत हुए हैं उसमें एक भी मामला ऐसा नहीं हुआ है जिसमें सी०ओ० ने रिपोर्ट लगाने का चार्ज सीट लगाने का काम किया है। वह हमेशा अपराधियों से मिलकर उन्हें छुड़ाने का काम करते हैं। मान्यवर, आज आप प्रशासन पुलिस का अच्छा चलाना चाहते हैं तो पुलिस फोर्स को बढ़ाकर उसे आधुनिक बनाने का काम करें। जो नवसृजित जनपद है उनमें प्रशासनिक भवन नहीं है इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पुलिस फोर्स की बहुत कमी है, मैं अम्बेडकर नगर जनपद के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि आज वहां पर 50 साल से नीचे के एस०आई० नहीं है वहां पर पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए जो चुस्ती से काम कर सके। जो थानों में गाड़ियां हैं वह पुरानी है टूटी हुई है। पुलिस के पास जो शस्त्र हैं, वह पुराने हैं, जंग लगे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं इसी के साथ माननीय नेता विरोधी दल के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(कई सदस्यों द्वारा बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

लोकदल से माननीय कौकब हमीद साहब बोल चुके हैं यदि समय मिला तो अवसर जरूर दूंगा। भारत की मार्क्सवादी पार्टी से विनोद मणि जी बोल चुके हैं, सुभाष जी बोल चुके हैं।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, आपने अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, माननीय नेता सदन ने जो भी बात कही उसमें कोई भी आंकड़ा नहीं बताया कि कल में, डकैती में, चोरी में जो पिछड़ा रिकार्ड था जब वह मुख्य मंत्री नहीं थे बढ़े हैं या नहीं। संसदीय कार्य मंत्री ने बड़ा लच्छेदार भाषण देना शुरू कर दिया। विपक्ष के ऊपर आरोप लगाया तो इससे काम नहीं चलेगा। मान्यवर, गोण्डा, बलिया, देवरिया,

सहारनपुर पूरे सड़कों के ऊपर बल्लियां लगी हुई हैं जो भी ट्रक ट्रैक्टर ट्राली कोई भी सामान लेकर जाती है तो 100 रु० दिये बगैर नहीं जा पाती है । वह कहता है कि मंत्री दौरा करते हैं डी०आई०जी० हैं एस०पी० है सब लोग पैसा लेते हैं, सबको देना पड़ता है । जो भी जांच गुप्तचर विभाग में चली जाती है । उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि जरवल रोड में बालकराम की हत्या हो जाती है और जांच सी०आई०डी० में चली जाती हैं यहां वह बन्द रहता है और सी०आई०डी० के लोग उसमें चार्जसीट नहीं लगाते हैं और कत्ल का मुल्जिम छूट जाता है तो उस परिवार को न्याय नहीं मिला । 97-98 में जो आंकड़े हैं वह बताना चाहता हूं डकैती 636 थी और इस समय हुई 900 और प्रतिशत आया है इसका 26.45, लूट 3053 थी अब 3888 हुई, हत्या पहले 6834 थी अब 7399 हो गई बल्वा पहले 4309 था अब 6460 है । फिरौती के लिए अपहरण 198 थे अब 163 और दहेज हत्यायें 1512 थीं अब 1916 तो यह आंकड़े बढ़े हैं । यह लचर पंगु और भ्रष्ट सरकार को आप जो तरजीह देते हैं संसदीय कार्य मंत्री जी, आप विद्वान है आपने कई सरकारें चला कर देखा है लेकिन इससे ज्यादा पंगु और कमजोर दूसरी सरकार नहीं रही जिसकी आप वकालत करते हो । [× × ×]

(शोर)

[× × ×] बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री पूर्णमासी पंकज–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं । हमारे मुख्य मंत्री, हमारी सरकार,

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया :,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग भवेत ।

की भावना से काम कर रही है । इसी उद्देश्य को लेकर प्रदेश में अपनी हनक धनक से प्रदेश सरकार चल रही है । अभी हमारे भाई रामतेज जी मुलायम सिंह यादव के जमाने की बात कर रहे थे और कह रहे थे, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली । मैं सपा सरकार की कुछ विशेषतायें प्रस्तुत करना चाहता हूं–

"अपहरण व्यापारिन का, छटनी कर्मचारिन का,
ट्रांसफर अधिकारिन का, किये बड़े पैमाने पर ।
गांव गलियारों और खेत खलिहानों और
संविधान की हत्या कर मस्त सबको सताने में,
चोरी, घूसखोरी, बरजोरी, सीनाजोरी किये
अपनी कमजोरी छिपाये जाइ मयखाने में,
लुच्चई, लफंगई, नंगई और गुंडई,
बढ़ी थी दबंगई [× × ×] के जमाने में ।।
हमने सुरक्षित नारियों का लाज किया है,
जंगल राज खत्म भयमुक्त समाज किया है ।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

अपराधी लस्त-पस्त जनता मस्त लग रही,
ऐसा कभी नहीं था जैसा आज किया है ।
जाति वर्ग, धर्म, कर्म का भेदभाव नहीं है,
अत्याचारियों से अपना कोई लगाव नहीं है ।
जब तक अपराध हम यहां निर्मूल न कर दें,
है चैन नहीं अभी ये अंतिम पड़ाव नहीं है ।

शत-प्रतिशत एफ०आई०आर० का आदेश दिया है,
दलालों से मुक्त थानों का परिवेश किया है ।
अधिकारी जो अपराध लिप्त पाये जा रहे,
उनको सजा देकर सुखद संदेश दिया है ।
दंगे में इस प्रदेश को तुमने ढकेले हैं,
अपराधियों से हम यहां लड़ते अकेले हैं ।
अपराधी सजा पा रहा तो हल्ला क्यों करते हैं,
लगता है ऐसा वे सभी इनके ही चेले हैं ।।

मुस्लिम विरोधी हम नहीं, जनाब आप हैं,
साम्प्रदायिक सौहार्द कर रहे खराब आप हैं ।
समता, ममता समरसता का हम प्रयास कर रहे,
पिलाते रहे सदा मजहबी शराब आप हैं ।।

आई०एस०आई० ले रही प्रदेश को लपेट में,
हत्यायें हो रही हैं श्रीमन् थोक रेट में ।
हम रोक लगाने की बात कर रहे हैं जब,
क्यों दर्द हो रहा है इन लोगों के पेट में ।

आता नहीं समझ में क्यों विरोध हो रहा,
इस नेक काम में भी है अवरोध हो रहा ।
सरकार इसमें कौन सी गडबड़ है कर रही,
जो आप सभी लोगों को हम पर क्रोध आ रहा ।
अपराधियों का जीना अब मोहाल करेगी,
जनता जर्नादन की देखभाल करेगी ।
सारे विरोधी चाहे जितना जोर लगा लें,
सरकार अपना पूरा कार्यकाल करेगी ।।

उत्तर प्रदेश अब उद्योग प्रदेश बनेगा,
उद्योग लगाने लायक परिवेश बनेगा ।
ला एण्ड आर्डर चुस्त और दुरुस्त हो रहा,
निष्क्रिय नहीं प्रभावी हर आदेश बनेगा ।।
कानून-व्यवस्था हमारी चुस्त है श्रीमन,
शासन प्रशासन आज का दुरुस्त है श्रीमन् ।
अपराधी भाग रहे या सड़ रहे हैं जेल में,
भ्रष्टाचारी सभी हो गये अब सुस्त हैं श्रीमन् ।।
महिलाओं की लाज सुरक्षित,
अब तो सकल समाज सुरक्षित ।
सबके जानमाल की चिन्ता,
कल से बेहतर आज सुरक्षित ।
गुण्डों का प्लान अब फेल हो रहा,
काफी को तो जेल हो रहा ।
कितने भगे छोड़कर यू०पी०
कितनों के नाक-नकेल हो रहा ।
भ्रष्टाचार उन्मूलन होगा,
बंद सभी उत्पीड़न होगा ।
अपना तो है परम लक्ष्य यह,
प्रगति और परिवर्तन होगा ।
सुविधा सब सरकार दे रही,
सबको अपना अधिकार दे रही,
सभी सुरक्षित रहें बिना भय,
सबको यह एतबार दे रही ।
जनता के बीच है अच्छा संदेश जा रहा,
प्रगति पथ पर निरन्तर अपना प्रदेश जा रहा
जबसे बनी सरकार है श्री राम प्रकाश की,
धीरे-धीरे जनता का सारा क्लेश जा रहा ।
हमारी यहां राजनीति सफल रही है,
उजड़े प्रदेश की हालत अब संभल रही है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विकास की गति तेज हुई अल्प समय में,
प्रदेश की दशा और दिशा बदल रही है ।
अपराध का निरन्तर यहां घट रहा ग्राफ है,
जो हैं गलत उन्हें न किया गया माफ है ।
कोई हो कितना बड़ा नहीं बक्शा जायेगा,
हमारी नीति और नीयत दोनों साफ है ।
प्रदेश में कानून का है राज आ रहा,
सब कह रहे हैं भयमुक्त समाज आ रहा,
कानून व्यवस्था ऐसी दुरुस्त हो गई,
लगने लगा सचमुच में रामराज आ रहा,
सबका हो उत्थान मेरा संकल्प यही है,
छेड़ा है जो अभियान समय अल्प नहीं है,
कोई कितनी कोशिश करे सफल नहीं होगा,
अब भाजपा का यू०पी० में कोई विकल्प नहीं है ।
मैं गलत नहीं कर रहा तो भला क्या डरूं ।
तुमसा नहीं हूं जनता का धन लूटता फिरूं ।
जनता सराहती हमें शाबासी दे रही,
तुझे मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं ।।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत देर से बहस हो रही है । मान्यवर, स्थानान्तरण उद्योग बताया गया और उद्योग प्रदेश को बताया गया । माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के एक निर्णय, जो काटजू साहब ने और डी०आर० चौधरी ने सम्भवतः पिछले अप्रैल में एक जजमेंट दिया और उस जजमेंट में उत्तर प्रदेश की जो स्थानान्तरण नीति है, सरकार द्वारा जो स्थानान्तरण किये जा रहा हैं, गलत तरीके से उसमें जातिवाद के आधार पर, धर्म के आधार पर, राजनीतिक दबाव के आधार पर पिक एण्ड चूज के आधार पर स्थानान्तरण हो रहे हैं, उनसे मर्माहत होकर एक निर्णय दिया और उन्होने कहा कि एक परिषद् का गठन होना चाहिए ताकि सही तरीके से स्थानान्तरण हो सकें और इससे पहले 1997 में भी हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया । मैं कहना चाहता हूं कि जो सरकार न्याय पालिका के आधार पर राज कर रही है, वही सरकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करके जाति, धर्म, सम्प्रदाय और भ्रष्टाचार के आधार पर ट्रांसफर कर रही है । नम्बर–2, मान्यवर, अपराधी किसी पार्टी का हो, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई राजनैतिक मूल्य नहीं होता । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं । ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकाण्ड में एक अभियुक्त उपदेश सिंह चौहान खलीफा जो जेल में रहे और जो यहां के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो आजकल मंत्री हैं, जिले में जाते हैं और कहते हैं, इसका भाई है, ध्यान रखना । माननीय मुख्य मंत्री जी मैं कहना चाहता

हूं, मान्यवर, इसके खिलाफ 62 मुकदमें दर्ज हैं, उसके भाई के खिलाफ 59 मुकदमें हैं । मुख्य मंत्री जी इसको देख लें । उसको और उसके लड़के को गनर प्रदान किया गया है । यह सरकार अपराधियों को महिमा मण्डित करने का काम कर रही है तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्या कांड में सरीक होने वाले अपराधी खुले आम घूमेंगे और सरकार उनका कुछ नहीं कर पायेगी । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, यह सरकार शासनादेशों का उल्लंघन कर रही है । थानाध्यक्षों की तैनाती में जो 94 का शासनादेश है, उसका उल्लंघन हो रहा है । आपके डीजीपी ने मर्माहत होकर वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि 20 जिलों में शासनादेश के अनुसार एस० सी०, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग की तैनाती नहीं हो रही है । इन शब्दों के साथ मैं नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, आपने अवसर दिया मैं आभारी हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था बेहतर होगी । कहने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ भी कहें । आंकड़ों में कहा गया कि हत्याओं में कमी आ रही है, अपहरण में कमी हो रही है, प्रदेश की कानून-व्यवस्था ठीक हो रही है । लेकिन बच्चा-बच्चा जानता है कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह सत्र बहुत लम्बे समय से चल रहा है और सत्र के दौरान तमाम मुद्दे उठाये जाते थे, जीरो आवर में । पहली बार शून्य प्रहर के दौरान यहां पर माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र से सम्बन्धित कानून-व्यवस्था की समस्याएं उठायीं ।

इतने लम्बे सत्र के अन्दर महंगाई, गन्ने, बिजली और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं हुई लेकिन ऐसा दिन यहां नहीं गया जिस दिन यहां सदन में कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति पर आवाज न उठाई गयी हो । मान्यवर, दलितों के उत्पीड़न की घटनाओं, बलात्कारों की घटनाओं और अपराधों में आज बढ़ोत्तरी होती जा रही है किन्तु सरकार इन पर अंकुश लगाने के बजाए पर्दा डाल रही है । मान्यवर, आज आई०एस०आई की गतिविधियां बढ़ रही हैं जिस पर नियंत्रण होना चाहिए । पुलिस बल को चुस्त-दुरुस्त करना चाहिए तथा इसके साथ ही बिजलेंस की दूसरी एजेन्सियों को इसमें लगाना चाहिए लेकिन सरकार इस आर कोई ध्यान नहीं दे रही है जिससे आई०एस०आई० की गतिविधियां बढ़ रही हैं । आप धर्मस्थल विधेयक ले आये लेकिन इससे क्या होगा ? क्या इससे आई०एस०आई० की गतिविधियां रुक गयी । मान्यवर, निर्दोष लोगों को एन०एस०ए० और गुण्डा ऐक्ट में निरुद्ध किया जा रहा है लेकिन जो चोटी के अपराधी हैं उन पर सरकार का हाथ नहीं पहुंच रहा है और वे बेखौफ निर्दोष व्यक्तियों को मारने का काम कर रहे हैं । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी प्रदेश की कानून व्यवस्था में क्या सुधार करेंगे जब वे अपने विधायकों को नहीं सुधार पा रहे हैं । [x x x] तो क्या इसका प्रभाव सामान्य प्रशासन और कानून व्यवस्था पर नहीं पड़ेगा । यही कारण है कि आज कानून व्यवस्था खराब हो रही है ।

श्री अध्यक्ष–

आपका समय समाप्त हो गया और बैठ जाये । अब जो बोलेंगे वह अब नहीं लिखा जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री समरपाल सिंह–

[xxx]

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राम जग–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महत्वपूर्ण बजट, गृह विभाग, पर मा० नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में मुझे बोलने का मौका दिया ।

मान्यवर, नेता सदन ने अपने बजट भाषण में भ्रष्टाचार को मुख्य निशाना बनाया है । मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से नेता सदन से कहना है कि जब भ्रष्टाचार के आधार पर आपकी सरकार बनी है तो क्या आपसे उम्मीद की जाये कि भ्रष्टाचार को आप समाप्त करेंगे । अखबारों में छपा है कि आप भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित करेंगे लेकिन मेरा कहना है कि जितना आपको अपने विधायकों से खतरा नही है उससे अधिक खतरा आई०ए०एस० और आई०पी०एस०, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो विधायकों से मिलकर आपको हटाने का कदम उठाया है उससे घबड़ाकर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलायें हैं । मान्यवर, आपने भ्रष्टाचार को बढ़ाया है, आपकी कानून व्यवस्था खराब है और प्रदेश में अपराधियों का राज है । सरकार में उच्च पदों पर बैठे लोग और मुख्य-मुख्य पदों पर बैठे अधिकारीगण जैसे सचिव, डी० एम०, एस० एस० पी०, एस० पी० जो उत्तर प्रदेश में तैनात हैं मैं जानना चाहता हूं उनमें कितने अनुसूचित जाति के लोग हैं ? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जबसे यह भाजपा सरकार आयी है अनुसूचित जाति के अधिकारियों को उच्च पदों पर नियुक्ति से वंचित किया जा रहा है । जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको सम्मानित करने का काम किया जा रहा है और उनको अच्छे-अच्छे पदों पर रखा जा रहा है । आज जो विभिन्न योजनायें हैं उनमें उच्च पदों पर अनुसूचित जाति के लोगों को नहीं रखा जा रहा है जिससे जो गरीबों के लिये कल्याण के कार्य हैं वह नहीं हो पा रहे हैं । इन पदों पर जो अधिकारी बैठाये जा रहे हैं वह नहीं चाहते हैं कि गरीब लोग ऊपर उठें । मैं पूछना चाहता हूं कि कितने अनुसूचित जाति के एस०एस०पी०, नियुक्त किये गये हैं । अच्छे थानों पर अनुसूचित जाति के एस० ओ० नहीं रखे जाते हैं । आपकी पुलिस के अधिकारी अवैध ढंग से अधिकांश गाड़ियां चलवाते हैं । पूर्वान्चल में थानेदार और पुलिस अधिकारी तथा एम० एम० आई० की गाड़ियां चल रहीं हैं । इनकी गाड़ियों की चेकिंग नहीं होती है और दूसरे लोगो की गाड़ियों की चेकिंग होती है । डी०आई०जी०, एस० एस० पी०, डी० एम० आदि का दबाव रहता है जिससे अपराधी लोग पकड़े नहीं जाते हैं और गरीबों पर जुल्म होता है । शराब, गांजा, अफीम में गरीब आदमियों का चालान होता है । मुसहर का चालान शराब दिखाकर किया जाता है, कमजोर आदमी का चालान गांजा में होता है । जो लोग अवैध गांजा बेचते हैं अवैध धंधे करते हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है । आपके पुलिस के लोग कमजोर लोगो पर जुल्म करते हैं । अधिकारियों की बसें चलती हैं । अवैध बसों से हर थाने पर पैसा बन्धा होता है और आपके वरिष्ठ अधिकारियों तक उसका कमीशन जाता है । जिलों में अच्छे पदों पर और अच्छे स्थानों पर ऐसे लोगों को बैठाया जाता है जो मनमाने ढंग से लूटने का काम करते हैं आज गरीब को न्याय नहीं मिल पा रहा है । इसलिये हमारा कहना है मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, समझदार व्यक्ति हैं आप समझदारी रखते हुए भी आज जिस भ्रष्टाचार और जिस-जिस दल बन्दी और जिस राजनीतिक भ्रष्टाचार में फँसे हैं उसके कारण एक भी अत्याचारी, भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं और भ्रष्टाचार पर आपने चुप्पी साध ली है । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । माननीय प्रमोद कुमार और हमारे अन्य माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार रखे हैं मेरा निश्चित रूप से मानना है कि विपक्ष के माननीय सदस्यों ने सरकार को दर्पण दिखाने की कोशिश की है । आज हत्याओं, डकैतियों, चोरियों से मंत्रियों के दामन तरबतर है जिससे पूरा

समाज अपमानित हो रहा है । पूरे प्रदेश में अराजकता का वातावरण बना हुआ है । मैं अपने जनपद के बारे में मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं । भले ही उनकी नीतियां और सिद्धान्त और उनका मन इन चीजों को दूर करने का है लेकिन वास्तविक स्थिति जो है उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता है । मैं बताना चाहता हूं कि इनके मंत्री इनके सिद्धान्त, इनकी नीतियों को उखाड़ने का काम कर रहे हैं । जनपद लखीमपुर खीरी में एक मंत्री के बारे में आप किसी संस्था से जांच करवा लें, लीची का व्यवसाय नेपाल से हो रहा है । एक कथित मंत्री का नाम आया है उस मंत्री के संरक्षण में बहुत बड़ा तस्करी का काम चल रहा है । हमारे यहां एक ब्राह्मण परिवार था उसकी जमीन पर कब्जा किया गया और उसको मारा गया जिससे उसके बच्चों को दरबदर कर दिया गया है । हमारे कहने पर जिलाधिकारी गये तो उनके स्थानान्तरण की बात कही जाती है । माननीय मुख्य मंत्री जी जिन नीतियों को जिन सिद्धान्तों को आप लागू करने की बात करते हैं उन्हीं को आपकी सरकार में शामिल मंत्री उजाड़ देना चाहते हैं ।

अभी संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे ।....

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करिये ।

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । अभी संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे कि जितने भी चुनाव हुये हैं उसमें निष्पक्षता रखी गयी है । सहकारिता के चुनाव में, भूमि विकास बैंक में जनपद खीरी में जिलाधिकारी के माध्यम से चुनाव में धांधलियां की गयी और सारे रिकार्ड ध्वस्त किये गये हैं । एक ऐसे व्यक्ति को भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष बनाने का काम किया गया जो डेलीगेट भी नहीं बन सकता था । मान्यवर, यहां पर हमने जो दो-तीन बातें रखी हैं वह इसलिये रखी है कि जो वास्तविक स्थिति है उसको देखने का काम करें और मंत्रिमण्डल के फौरवी सेना में जो मत्रीगण हैं, आज यहां जो सार्थक चर्चा हुई है विपक्ष के लोगों ने प्रस्तुत की है उस दर्पण में अपना चेहरा देखने का काम करेंगे ।

श्री अब्दुल कलाम (वाराणसी)–

माननीय अध्यक्ष जी, नेता विपक्ष ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर बल देने के लिये खड़ा हुआ है । नेता सदन और गृह राज्य मंत्री जी वाराणसी दंगे की चर्चा की और गृह राज्य मंत्री ने बड़ा लम्बा चौड़ा भाषण दिया । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सच्चाई को छुपाकर पुलिस की वाह-वाही लूटने और फूले न समाना कोई अच्छी बात नहीं है । आई०जी० जोन ने "स्टार प्लस" पर अपनी गल्ती को स्वीकार किया था कि पुलिस की अक्षमता के कारण बनारस में दंगे हुए । पुलिस का कहना है कि दंगा हुआ, लेकिन मेरा कहना है कि दंगा नहीं हुआ । दंगा कराने की कोशिश की गयी । 16 तारीख की घटना है ताजियादार ताजिया दफन करके वापस लौट रहे थे । एक बर्फ वाले का ठेला लगा हुआ था लोगों ने उससे कहा कि रास्ते से ठेला हटा लो, उसने नहीं हटाया और ताजियेदार की बांस उसके ठेले से लग गयी जिससे बर्फ का टुकड़ा नीचे गिर गया । इससे उत्तेजित होकर बर्फ वाले ने बर्फ के टुकड़े व ईंट के टुकड़े मारना शुरू कर दिया । वहीं से माहौल खराब हुआ । हिन्दू-मुसलमान तथा कुछ पुलिस के लोगों ने मामला शान्त कराया था । 4 लोग गिरफ्तार हुए थे एक स्थानीय नेता के कहने पर उनको छोड़ दिया गया । यह घटना घट गयी लेकिन अभी । तीजा का जुलूस निकलना बाकी था । अधिकारियों ने क्यों नहीं वहां पुलिस की व्यवस्था की व ड्यूटी लगायी ? ठीक दूसरे दिन 11.00 बजे वही बर्फ वाले ने दो लोगों को पकड़कर मारना शुरू कर दिया दोनों वर्ग के लोग

इकट्ठे हुये और ईट-पत्थर चलाना शुरू हुआ और वह इतना बड़ा रूप लिया । 19 तारीख की शाम को अलम का जुलूस यकायक रुक जाता है और ...

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करिये ।

श्री अब्दुल कलाम (वाराणसी)–

लोगों ने मांग किया कि जो लोग थाने में बेकसूर गिरफ्तार किये गये हैं, छोड़े नहीं जाते यहां से नहीं ले जायेंगे । एस०पी० (सिटी) टेलीफोन पर मुझसे वार्ता करते हैं और कहते हैं कि तत्काल आइये नहीं तो माहौल बिगड़ जायेगा । मान्यवर, मैंने वहां पहुंचकर लोगों को समझाने-बुझाने तथा जाम हटाने का काम किया । थोड़ी दूरी पर ही जगनबाड़ी के पास विनोद जैन नामक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, वह कौन था उसके स्कूटर पर पीछे बैठा व्यक्ति कौन था ?

श्री अध्यक्ष–

यह बजट पर चर्चा हो रही, किसी घटना पर नहीं एक-एक बात कहेंगे, यह ठीक नहीं है ।

श्री अब्दुल कलाम (वाराणसी)–

मान्यवर, विनोद जैन कौन था, उसकी हत्या क्यों हुई जिला प्रशासन ने उसके परिवार के लोगों को बुलाकर पूछने की कोशिश नहीं की । 70 हजार रुपया उसके पास था और बीसियों चेक थे । अगर मारने वाला हत्यारा था तो विनोद जैन के पीछे बैठे हुये व्यक्ति को चोट क्यों नहीं आयी ? उसका 70 हजार रुपया और चेक क्या हुआ ? इस सबके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की गयी । इसके साथ ही कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री भारत सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । आज मुख्य मंत्री जी ने इस सम्मानित सदन में बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की है इससे इस प्रदेश की 16 करोड़ जनता के सामने एक संदेश जाएगा कि वह प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे । मैं इस घोषणा का स्वागत करता हूं । हम सभी को अपने-अपने गिरेबान में झांकना चाहिए हम भ्रष्टाचार से मुक्त हों, अधिकारी भ्रष्टाचार से मुक्त हों जो इस समस्या से मुक्ति मिल सकती है । आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़े हो जाएं इसका संदेश लेकर जाएं । मैं उत्तरांचल की जनता की ओर से आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपके इस सर्वोच्च आसन पर होने के समय तीन-तीन बार प्रथम उत्तरांचल का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को गया है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री भारत सिंह रावत–

इसके साथ ही मैं मुख्य मंत्री जी को भी इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने इस प्रस्ताव को पास कराया इसके लिए मैं सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस पर अपना सहयोग दिया ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें । तीन मिनट हो गए ।

श्री भारत सिंह रावत–

यहां सदन में डकैती, अपहरण और लूट की चर्चा हो रही है मैं ऐसे भाग से आता हूं कि वहां की सामाजिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि वहां इस तरह की घटनाएं नहीं होती ।

श्री अध्यक्ष–

अब लिखा नहीं जाएगा ।

श्री भारत सिंह रावत–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

लिखा नहीं जा रहा है ।

श्री भारत सिंह रावत–

[× × ×]

गृह विभाग (पुलिस) तथा सामान्य प्रशासन विभाग के बजट पर चर्चा हेतु समय बढ़ाने का पुनः प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

एक प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री जी की तरफ से आ जाए जब तक अनुदानों की मांगों पर मतदान न हो जाए, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य मंत्री जी अपनी बात रख लें तब तक के लिए समय बढ़ा दिया जाय ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मा० 15 मिनट के लिए ।

श्री लालजी वर्मा–

संसदीय कार्य मंत्री जी ने आपके ऊपर विश्वास नहीं किया ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सदन तब तक बढ़ा दिया जाए तब तक विनियोग विधेयक प्रस्तुत न हो जाए ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव किया है उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

हमारे कटौती के प्रस्ताव पर लगभग 17 माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए सभी लोगों ने भ्रष्टाचार के संबंध में अपने विचार रखे । मैंने कहा था कि इस समय मौजूदा शासन में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार मौजूद है अपनी बात कहकर स्वयं उन्होंने मेरी बात की पुष्टि की ।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्रीमन्, इस कानून व्यवस्था के बारे में दबी जबान से सत्ता पक्ष के लोगों ने हमारी बात का समर्थन किया है । श्रीमन्, यदि भ्रष्टाचार नहीं हैं, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने तमाम बातें कह डाली और उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है तो श्रीमन् एक साल पहले भ्रष्टाचार निवारण अभियान के तहत कुछ आई०ए०एस० की जांच कराई गई । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी से संसदीय कार्य मंत्री जी से क्या कहूं कि अगर साहस है, हिम्मत है तो जो रिपोर्ट भ्रष्टाचार निवारण समिति की है उसके आधार पर [× × ×] के संबंध में जो रिपोर्ट आई है उसको पटल पर रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष–

अधिकारियों के नाम लिये जाते हैं या पद नाम जहां तक मुझे ज्ञात है नाम नहीं लिये जाते केवल पदनाम लिये जाते हैं ।

श्री धनीराम वर्मा–

मैंने नाम और पद आई०ए०एस० दोनों कह दिये हैं । यदि ये चाहते हैं कि इस प्रदेश की कानून व्यवस्था में कुछ सुधार हो तो यह राग अलापना बन्द कर दें कि हमारे शासनकाल में कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, मजबूत है, भ्रष्टाचार नहीं है । मैं चाहूंगा कि सरकार यह घोषणा करे कि इटावा औरैया जनपदों में यमुना चम्बल के रिवाइन्स में जो परमानेन्ट दस्यु पनप रहे हैं और अपराधिक घटनायें करते चले आ रहे हैं उन रिवाइन्स को समतल करके वहां सिंचाई और कृषि की व्यवस्था की जाय जिससे वहां हमेशा के लिए अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को पनपना बन्द हो जाय । इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जैसे सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्यों ने खासतौर से संसदीय कार्य मंत्री जी ने विपक्ष की बातों को झुठलाने की बात कही है तो मैं चाहता हूं कि उच्चाधिकारियों से या हाईकोर्ट के वर्तमान जज से जांच करवा ली जाय । लखीमपुर खीरी में छात्रों को जेलों में बन्द किया गया उन पर रासुका लगाने का काम चल रहा है, जो गंगा बचाने का काम अल्पसंख्यकों ने किया उनके खिलाफ रासुका लगाने की तैयारी चल रही है तो इस सबकी जांच करवा ली जाय । श्रीमन यही नहीं सरकार बार-बार टूण्डला काण्ड की बात करती थी मैं आज मांग करता हूं कि हाईकोर्ट के मौजूदा जज से सरकार इसकी जांच करवा ले दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जायेगा और जो पर्दा पड़ा हुआ है वह भी उठ जायेगा । जिन भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार साबित हो चुके हैं मुकदमें दर्ज हो गये हैं फिर भी उन्हें बचाने का काम क्यों किया जा रहा है ? मैंने कहा था कि औरैया जनपद के बी०डी०ओ० की बात, जब उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई तो उसे क्यों बचाया जा रहा है क्या वह भ्रष्टाचार नहीं फैलायेगा ?

वह दबाव नहीं बनायेगा । आप जांच करवा लें । उन्नाव जनपद ही नहीं प्रदेश के दूसरे जनपदों में भी इस बार के पंचायत चुनावों के लिये आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया जा रहा है उस पर भी पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है । फिर भी आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार अच्छा कार्य कर रही है । आज माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से यह घोषणा होनी चाहिये कि हम चापलूसों की प्रशंसा में नहीं आयेंगे । साढ़े नौ सौ वर्ष पूर्व की यह व्यवस्था समाप्त हो गई है अब इसकी कोई जरूरत नहीं है । आप निर्भीक होकर और निडर होकर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और अपराधियों के खिलाफ जो आपने मन बनाया है वही लेखनी में भी करके दिखायेंगे तभी जाकर माननीय मुख्य मंत्री जी की मंशा सही मालूम होगी कि आप भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये तथा कानून व्यवस्था के लिये काम करना चाहते

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

हैं । तभी प्रदेश उद्योग प्रदेश बन पायेगा अन्यथा आपकी ये बातें कोरे कागज पर ही रह जायेंगी । जिन अधिकारियों के खिलाफ जांच हो चुकी है जैसे एटा के एस०एस०पी० की जांच हो चुकी है, डी०आई०जी० और आई०जी० ने जो भी लिखा है, उसके आधार पर कार्यवाही की जाय । आप उसे छुपाना क्यों चाहते हैं । उसमें क्या आरोप लगाये गये हैं । शायद स्थानान्तरण के लिये भी उन्होंने लिखा है । जब तक नकारा और अक्षम अधिकारियों को शरण दी जाती रहेगी तब तक कानून-व्यवस्था कभी भी चुस्त-दुरुस्त नहीं हो सकती है । यह कोरी कल्पना मात्र है । श्रीमन्, आज ही घोषणा होनी चाहिये । हर थाने में अच्छी हालत में नई जीप दी जानी चाहिये जिससे कि थाने पर काम करने वाले लोगों में इतनी शक्ति आ जाये कि वह अपराधियों को पकड़ने में सक्षम हो सकें और कानून व्यवस्था कायम करने में सक्षम हो सके । श्रीमन्, यही नहीं तहसील दिवस की आपकी जो योजना है या तो उसे आप समाप्त कर दीजिये और या फिर उसे प्रभावशाली बनाना चाहिये । इस तहसील दिवस का जो उद्देश्य था वह उद्देश्य पूरा हो सके । श्रीमन्, आज ही यह भी घोषणा होनी चाहिये कि जब भी ब्लाकों की मीटिंगें हों उनमें संबंधित अधिकारी उपस्थित होने चाहिये और अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये । इससे काम चलने वाला नहीं है कि फलां सन् में ये हुआ और फलां सन् में ये हुआ । आप कमजोरी को छिपाने के लिये दूसरों को दोष दे रहे हैं । उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को आप चरितार्थ कर रहे हैं । दोष तो आप कर रहे हैं और दूसरों पर मढ़ने का काम कर रहे हैं । आज जो स्थिति है अगर उस स्थिति को ठीक करने का काम आप करेंगे तो प्रदेश में खुशहाली आयेगी और यदि पर्दा डालने की कोशिश करेंगे तो भी कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी और तब भ्रष्टाचार दूर होगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

मुख्य मंत्री(श्री राम प्रकाश)--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष और सभी माननीय नेतागण और इधर के सभी माननीय सदस्यों के विचारों को मैंने सुना और वो सब नोट भी किया गया है । बहुत ही उपयोगी सुझाव दिये गये हैं । खास तौर से माननीय नेता विपक्ष से अधिकांश सुझाव वो दिये हैं जिनकी घोषणा मैं पहले ही कर चुका हूं (मेजों की थपथपाहट) श्रीमन्, मैं बहुत आभारी हूं जो दिशा मैंने ली है जब उस दिशा में कोई सच्चे मन से सुझाता है तो उसी प्रकार के कदम सुझाता है जो कदम मैं ले रहा हूं । जैसा मैंने कहा था बड़े-बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है । नाम देकर मैं दिखावा नहीं करना चाहता । लेकिन मैंने कहा उसमें अड़चन क्या है । 4-5-6 साल से वो लम्बित हैं । हालांकि आपने देखा होगा पिछले एक हफ्ते में 236 लोगों के खिलाफ मुकदमें और 100 लोगों को निलम्बित किया गया । जैसा नाम लेकर माननीय नेता विपक्ष ने कहा उस प्रकार के नामों में हर जगह न्यायालय में अड़चन में है या कोई दूसरी एजेन्सी अड़चन में है । आप देखियेगा दो चार दिन में हम तो वो बेड़ियां पार करके कुछ करके दिखायेंगे । श्रीमन्, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि बहुत विचार आये भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर । यह भ्रष्टाचार और ला एण्ड आर्डर दो ऐसे विषय हैं जिन पर निर्णय नहीं हो सकता कि अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है । मैंने आंकड़े देखे लेकिन आंकड़े दिये नहीं । मैं आंकड़ों पर भरोसा नहीं करता । क्या होता है, एक ओर कहते हैं कि एफ० आई० आर० लिखी जाय और दूसरी ओर चाहते हैं कि आंकड़े कम हो । इन दोनों में अन्तर है । मेरी नीति है कि आंकड़े जो भी हों, एफ० आई० आर० लिखी जाय । आंकड़ों के आधार पर पर निर्णय नहीं करूंगा । आंकड़ों में तो हम जीत रहे हैं । उसमें हम कम हो रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि चाहे भ्रष्टाचार हो यह सब कम्परेटिव चीजें हैं । किस काल में कितना था । लॉ एण्ड आर्डर कब ठीक हो रहा है, कब गलत हो रहा है । आज जो हो रहा है मैंने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया लेकिन सामान्य है जैसा था पिछले 2/3 साल से वैसा ही चल रहा है । उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया है । हम जो कदम अब उठा रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, तब

दिखाई देखा । तब हम चर्चा करेगे । चर्चा हो लेकिन इस प्रकार की हो कि जो हो रहा है उसे ठीक करने के लिये क्या कदम उठाये जायं । क्या कठिनाई आ रही है, वह कैसे दूर हो, क्या बेईमानी है क्या ईमानदारी है इस पर चर्चा होनी चाहिये तब हमको आगे रास्ता निकालने में सहायता होगी । मैं कहना चाहता हूं कि मैं तो संकल्पबद्ध हूं चाहे कुर्सी ही चली जाय, कोई कहीं चला जाय ; (हंसी)

श्री अध्यक्ष–

शान्त रहिये ।

श्री राम प्रकाश–

मैं इसको बड़ी उपलब्धि नहीं मानता हूं, श्रीमन् मेरा छोटा सा प्रयास है ।

(व्यवधान)

मैं अहंकार नहीं करता कि बड़ा काम कर रहा हूं, क्योंकि अहंकार करूं ऐसा स्वभाव नहीं है । प्रयोग है, एक्सपेरीमेंट है, कुछ कर सकते हैं ? परिवर्तन ला सकते हैं ? क्या प्रदेश को बचा सकते हैं ? क्या हिन्दुस्तान में अपना मस्तक ऊंचा कर सकते हैं । मैं सत्ता को महत्व नहीं देता हूं, मेरा कहना है इस पर विचार कीजिये, क्या अड़चन है, किसी पर आप आरोप लगाइए, मैं किसी के प्रेशर में नहीं आता हूं, लेकिन तथ्य दीजिये, तथ्य होंगे तो मैं एक्शन लूंगा, वैसे किसी को बहादुरी दिखाने के लिये मैं कुछ नहीं करता हूं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुरोध करूंगा नेता विपक्ष से ...

(व्यवधान)

माननीय नेता विपक्ष ने कहा कि पुलिस ठीक करने के लिये खर्चा बढ़ायें और कटौती का प्रस्ताव रख दिया,

(हंसी)

श्री अम्बिका चौधरी–

लाबी में हुकूमत करने वालों का विश्वास ठीक करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री राम प्रकाश–

मैं प्रार्थना करता हूं कि नेता विपक्ष अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अपनी सरकार के निश्चय और निर्णय को सदन में बताया है और यह कहा है कि मैं किसी के दबाव में काम नहीं करूंगा, साथ ही साथ कोई कहीं जाए किसी भी तरह से रहे हमें कोई चिन्ता नहीं है, हमें परवाह नहीं है चाहे कुर्सी चली जाए, जो निर्णय लिया है उस निर्णय पर क्या अडिग रह पाएंगे । क्योंकि वर्तमान में जो परिस्थिति है जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में जगह-जगह चर्चा होती है उससे सारे प्रदेश में यह संदेश जा रहा है कि यह सरकार ज्यादा चलने वाली नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, यह भाषण नहीं हो रहा है ।

श्री राम नरेश यादव–

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार जाएगी या रहेगी ? यदि जाएगी तो कब जाएगी ?

श्री अध्यक्ष–

अभी तो है ।

श्री राम प्रकाश–

आप मिस-इन्टरप्ट न करिए । मेरा निर्णय मेरे सरकार का निर्णय है ।

श्री धनीराम वर्मा–

यह सरकार तो पूरी तरह से कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में लगी हुई है और भ्रष्टाचार को बढावा दे रही है । मुख्य मंत्री जी इच्छा करते हुए भी मजबूर हैं । मुख्य मंत्री जी ने कहा हमारी सरकार चाहती है, भ्रष्टाचार मिटे, अगर यह बात मुख्य मंत्री जी कहते, तो मैं समझता, इसलिये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,63,39,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 122,21,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–19
कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 3,04,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–15 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,04,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–20
कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग एवं लोक सेवा अधिकरण)

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग एवं लोक सेवा अधिकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 65,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग एवं लोक सेवा अधिकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 65,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–30
गोपन विभाग (राजस्व अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य-व्यय)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 93,41,000 रुपये से अनधिक धनरशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–30–गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 93,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–38–नागरिक उड्डयन विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–38–नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 4,78,10,000 रुपये से अनधिक धनरशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–38–नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,78,10,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–40–नियोजन विभाग

नियोजन मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 3,26,28,26,000 रुपये से अनधिक धनरशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,26,28,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–41–निर्वाचन विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–41–निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले

परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 15,99,94,000 रुपये से अनधिक धनरशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–41–निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,99,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–46–प्रशासनिक सुधार विभाग

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–46–प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 3,33,85,18,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–46–प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,33,85,18,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 5,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–53–राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–78–सचिवालय प्रशासन विभाग

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–78–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 1,09,79,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–98–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,09,79,61,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–82–सतर्कता विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–82–सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 8,08,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–82–सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,08,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–86–सूचना विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–86–सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 21,92,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–86–सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,92,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या--88--संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री (श्री बाबू राम, एम० काम०)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या--88--संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 3,08,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या--88--संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,08,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या--89--संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)

संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री (श्री बाबू राम, एम० काम०)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या--89--संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 1,04,36,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या--89--संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,04,36,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या--61--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव)''हरीश जी''--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या--61--वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 14,.63,95,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,.63,95,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव)"हरीश जी"––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 17,44,76,71,000 रुपये से अनधिक धनरशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,44,76,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव)"हरीश जी"––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 44,45,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 44,45,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–64–वित्त विभाग (राज्य लाटरी)

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–64–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 75,93,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–64–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 75,93,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष अनुदान संख्या–65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 43,28,77,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 43,28,77,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 57,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 57,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–42–न्याय विभाग

न्याय मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–42–न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 2,08,53,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–42–न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,08,53,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2000

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां वितरित की जायें ।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2000 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2000 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2000

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

31 मार्च, 2001 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्यानवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2000 कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च,, 2001 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग [उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुनदान) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2000) की अनुसूची के स्तम्भ-3 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके] 53498,24,70,000 रुपये (केवल तिरपन हजार चार सौ अठ्ठानबे करोड़ चौबिस लाख सत्तर हजार रुपये मात्र) होता है, अधिक न हो। — उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2000-2001 के लिये 53498,24,70,000 रुपये का निकाला जाना

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष के सबंध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये गये हैं। — विनियोग

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

1	2		3		
			निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	आबकारी विभाग	राजस्व	270382	10	270392
		पूंजी	10363	—	10363
2	आवास विभाग	राजस्व	305543	479000	784543
		पूंजी	1715825	272500	1988325
3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व	411469	200	411669
		पूंजी	71304	—	71304

1	2		3		
4	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व	95516	50	95566
		पूंजी	--	--	--
5	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व	256207	--	256207
		पूंजी	--	--	--
6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व	265182	300	265482
		पूंजी	15000	572	15572
7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	10702	6500	17202
		पूंजी	2360301	8700	2369001
8	उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन-सामग्री)	राजस्व	419684	...	419684
		पूंजी	1769	...	1769
9	ऊर्जा विभाग	राजस्व	91539	3200	94739
		पूंजी	24676600	--	24676600
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व	822479	3805	826284
		पूंजी	33000	--	33000
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व	10000559	10	10000569
		पूंजी	1905121	...	1905121
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व	642293	...	642293
		पूंजी	--	...	--
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व	13548566	400	13548966
		पूंजी	2	--	2
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व	9920519	21	9920540
		पूंजी	90055	--	90055
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व	1743153	100	1743253
		पूंजी	116933	--	116933
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व	79283	3	79286
		पूंजी	43301	--	43301

अपने पंचायत में

1	2		3		
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व	241167	5	241172
		पूंजी	--	--	--
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व	324953	112930	437883
		पूंजी	3321699	195501	3517200
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय	राजस्व	41277	...	41277
		पूंजी	--	...	--
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग एवं लोक सेवा अधिकरण)	राजस्व	8707	93501	102208
		पूंजी	--	--	--
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	990256	50085	1040341
		पूंजी	24094442	11310050	35404492
22	खेल विभाग	राजस्व	162385	...	162385
		पूंजी	17442	...	17442
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व	665553	2818	668371
		पूंजी	--	2217	2217
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	159687	160013	319700
		पूंजी	--	80000	80000
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	1057859	800	1058659
		पूंजी	70000	--	70000
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	18861835	6710	18868545
		पूंजी	250072	3800	253872
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	898616	...	898616
		पूंजी	--	...	--
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	689734	...	689734
		पूंजी	--	...	--
29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व	...	29892	29892
		पूंजी	...	--	--
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व	12455	...	12455
		पूंजी	--	...	--

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
31	चिकित्सा विभाग	राजस्व	1736791	25	1736816
	(चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	पूंजी	500000	--	500000
32	चिकित्सा विभाग	राजस्व	6309932	500	6310432
	(एलोपैथी चिकित्सा)	पूंजी	984633	--	984633
33	चिकित्सा विभाग	राजस्व	1168925	--	1168925
	(आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	पूंजी	5000	--	5000
34	चिकित्सा विभाग	राजस्व	509422	25	509447
	(होम्योपैथी चिकित्सा)	पूंजी	30000	--	30000
35	चिकित्सा विभाग	राजस्व	2718611	177	2718788
	(परिवार कल्याण)	पूंजी	--	--	--
36	चिकित्सा विभाग	राजस्व	1531507	500	1532007
	(सार्वजनिक स्वास्थ्य)	पूंजी	2	--	2
37	नगर विकास विभाग	राजस्व	4134309	...	4134309
		पूंजी	2000001	...	2000001
38	नागरिक उड्डयन	राजस्व	63210	...	63210
	विभाग	पूंजी	538	...	538
39	भाषा विभाग	राजस्व	35367	--	35367
		पूंजी	--	--	--
40	नियोजन विभाग	राजस्व	2350431	--	2350431
		पूंजी	2000004	--	2000004
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व	213326	--	213326
		पूंजी	--	--	--
42	न्याय विभाग	राजस्व	2600649	396573	2997222
		पूंजी	180001	--	180001
43	परिवहन विभाग	राजस्व	297438	10	297448
		पूंजी	--	--	--
44	पर्यटन विभाग	राजस्व	112416	--	112416
		पूंजी	389238	--	389238
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व	2111027	--	2111027
		पूंजी	760000	--	760000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	4455357	---	4455357
		पूंजी	---	--	--
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	1215161	75102	1290263
		पूंजी	52000	--	52000
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	1717113	175	1717288
		पूंजी	75024	---	75024
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व	3214703	--	3214703
		पूंजी		--	--
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	1743823	35	1743858
		पूंजी	259692	--	259692
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	राजस्व	2438824	2408201	4847025
		पूंजी	1	1	2
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	6585456	13734	6599190
		पूंजी	2262	1052	3314
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	697	--	697
		पूंजी	100	--	100
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	3973378	400	3973778
		पूंजी	--	--	---
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व	274071	14757	288828
		पूंजी	280201	100	280301
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	5225904	500	5226404
		पूंजी	10926235	...	10926235
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व	286989	...	286989
		पूंजी	14994	...	14994
60	वन विभाग	राजस्व	2908343	521	2908864
		पूंजी	9000	...	9000
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	18975378	78982691	979580609
		पूंजी	544000	89425535	89969535

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व	21263561	11,537	21275098
		पूंजी	2000000	...	2000000
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	592715	500	593215
		पूंजी	...	...	0
64	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व	10124	...	10124
		पूंजी	...	...	0
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व	577169	...	577169
		पूंजी	...	...	0
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	7692	1128361	1136053
		पूंजी	...	...	0
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	83733	2186	85919
		पूंजी	...	...	0
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	239615	4648	244263
		पूंजी	...	...	0
69	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)	राजस्व	...	...	...
		पूंजी	12,500	...	12,500
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	203271	...	203271
		पूंजी	950000	...	950000
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	31207020	2923234	34130254
		पूंजी	21411	...	21411
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	18070992	1560003	19630995
		पूंजी	77828	...	77828
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	4264560	70001	4334561
		पूंजी	91000	...	91000
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व	597760	20	597780
		पूंजी	...	...	0
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	717065	...	717065
		पूंजी	...	...	...
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	875006	...	875006
		पूंजी	27825	...	27825

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	1463948	5	1463953
		पूंजी	...	...	...
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व	695533	...	695533
		पूंजी	50387	...	50387
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व	6622516	...	6622516
		पूंजी	200005	...	200005
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व	115837	10	115847
		पूंजी	12400	...	12400
82	सतर्कता विभाग	राजस्व	107793	6547	114340
		पूंजी	...	...	...
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	2962	...	2962
		पूंजी	...	...	0
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व	10132	...	10132
		पूंजी	...	...	...
86	सूचना विभाग	राजस्व	292249	...	292249
		पूंजी	50	...	50
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	150929	5	150934
		पूंजी	...	...	0
88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	16363	3	16366
		पूंजी	24781	...	24781
89	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार-कर)	राजस्व	1378133	1102	1379235
		पूंजी	13411	...	13411
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	59599	...	59599
		पूंजी	...	...	0
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	332470	10	332480
		पूंजी	102	...	102
92	संस्कृति विभाग	राजस्व	141908	5	141913
		पूंजी	12944	...	12944

विधान सभा उत्तर प्रदेश

1	2		3		
93	सिंचाई विभाग	राजस्व	3140075	...	3140075
	(अधिष्ठान)	पूंजी	1148092	...	1148092
94	सिंचाई विभाग	राजस्व	2250827	3896778	6147605
	(निर्माण-कार्य)	पूंजी	12287035	20100	12307135
95	उत्तरांचल विकास	राजस्व	4898936	677	4899613
	विभाग	पूंजी	4178201	1693	4179894
	योग–	राजस्व	242296611	92449911	334746522
		पूंजी	98914127	101321821	200235948
	कुल योग–		341210738	193771732	534982470

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2000 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2000 को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम में संशोधन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने आज दिनांक 17 मई, 2000 की अपनी बैठक में निम्नलिखित सिफारिश की है :–

दिनांक 17 मई, 2000 की कार्य-सूची में मद संख्या–20 के उपरान्त, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के संगत नियमों को शिथिल करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 के पुरःस्थापन, विचार एवं पारण की मदें रख ली जायें ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने आज दिनांक 17 मई, 2000 की अपनी बैठक में जो सिफारिश की है और जिसका प्रस्ताव संसदीय कार्य-मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधयेक, 2000

संसदीय कार्य, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 पर को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) विधेयक, द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायेगा ।

(2) यह पहली जून, 2000 को प्रवृत्त होगा ।

2–उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा–5 में, उपधारा (1) में, प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात् :– उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–23 सन् 1980 की धारा–5 का संशोधन

"परन्तु किसी सदस्य को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, इस धारा के अधीन दिये जाने वाले रेल कूपनों में से उसके विकल्प पर उतने मूल्य के रेल कूपन के बजाय, जितने वह चाहे,–

(क) समान मूल्य के कूपन उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर किसी वायुयान द्वारा यात्रा के लिये उसे दिये जाएंगे, और

(ख) उसके निजी वाहन के लिये पेट्रोल या डीजल हेतु तीन हजार रुपये प्रति माह से अनधिक की धनराशि नकद भुगतान की जाएगी।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गयी सूचना पर नियम–52 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता लम्बे समय से....

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

आज की कार्य-सूची की शेष मदों को स्थगित किये जाने का अनुरोध

संसदीय कार्य स्टाम्प, न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, आज प्रातः कुछ मा० सदस्यों ने अपने विचार रखे थे, आज की कार्य-सूची को लेकर, उसमें इतनी मदें हैं कि सब को लेना सम्भव नहीं है। मान्यवर, आज सत्र का अंतिम दिन है और अधिकांश मा० सदस्यों को बाहर भी जाना है और उनके कार्यक्रम लगे हैं, इसलिए प्रस्ताव है जो मदें हैं उनमें अपने विवेक से अगले सत्र के लिए लम्बित जिन्हें रखना चाहें वह रखें यह आपका अधिकार है। मैं चाहता हूं कि अभी आज चूंकि अंतिम दिन है, हम कैसे माहौल में मिले हैं, चूंकि लम्बा सत्र चला है, इसलिए दो-दो मिनट के लिए माननीय नेतागण अपने-अपने विचार रख दें, इसलिए अन्य मदें न ली जायं, यह मेरा प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष–

जितनी चर्चायें हैं चाहे वह नियम–52 में हों, चाहे नियम–49 में हो, उन्हें लम्बित मान लेते हैं। जितने नियम–103 के प्रस्ताव हैं और जिन पर चर्चायें जारी हैं उनको लम्बित मान लेते हैं और उनमें चर्चा जारी रहेगी।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जो चर्चायें हैं चाहे नियम–52 में हों, चाहे नियम–49 में हों अथवा नियम–103 के प्रस्ताव हों, इतना लम्बा सत्र चला है, उनमें से एक भी चर्चा ऐसी नहीं है कि जो जनता से न जुड़ी हो, और महत्वपूर्ण न हो, आपने जो निर्णय दिया वह शिरोधार्य है, लेकिन चिन्ता की जाय कि जो चर्चा पेश करते हैं चर्चा में भाग लेते हैं वह पूरी तैयारी से आते हैं चूंकि हम लोग जनता के प्रति जवाबदेह हैं। इसलिए भविष्य में चिन्ता की जाये कि उन पर चर्चा अनन्त काल तक न जारी रखी जाये और चर्चा यथासमय समाप्त करने का प्रयास किया जाये। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात उचित है कि चर्चा होनी चाहिए। लेकिन विभिन्न कारणों से सदन अवगत है, चर्चायें नहीं हो पायीं।

(व्यवधान)

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, जून में फिर सत्र आहूत कर लें और 3-4 दिन सदन की बैठकें इन चर्चाओं के लिए रख लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने संसदीय कार्य-मंत्री से अनुरोध किया है कि कृपया थोड़े से उचित अन्तराल के बाद यथाशीघ्र विधान सभा सत्र आहूत कर लें चूंकि कई चर्चायें हैं इसलिए दो-तीन दिन के लिए सदन बुला लिया जाय।

इस प्रकार मद संख्या–21 से 34 तक जो चर्चायें और प्रस्ताव हैं उन्हें हम लम्बित मान लेते हैं।

आज की कार्यसूची की शेष मदों का आगे के लिए स्थगन

श्री अध्यक्ष–

नियम 103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव/नियम 52 के अन्तर्गत निम्नलिखित चर्चायें एवं विशेष प्रतिवेदन पर चर्चा अगले सत्र के लिए स्थगित की जाती है।

नियम 103 के अन्तर्गत श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 6 अप्रैल, 2000 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर जारी चर्चा :—

> "इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश के भू-गर्भ जल-स्तर में हो रही गिरावट पर नियंत्रण हेतु भू-गर्भ विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति गठित की जाय।"

नियम 103 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 4 मई, 2000 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर जारी चर्चा :—

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक समान नीति बनाई जाय तथा उसे बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किया जाय ।"

नियम–103 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना तथा श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा सदस्यगण, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 मई, 2000 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर जारी चर्चा :–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि पोलीथीन बैग्स के कारण जनस्वास्थ्य पर मण्डराते खतरे एवं पशुओं द्वारा उसे खा लिये जाने के कारण उत्पन्न लाइलाज बीमारी को देखते हुए प्रदेश में इसके उत्पादन और प्रयोग पर तत्काल पाबन्दी लगाई जाये ।"

नियम 103 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 8 मई, 2000 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर जारी चर्चा :—

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि पण्डित दीन दयाल उपाध्याय की हुई मृत्यु की जांच/परीक्षण हेतु एक आयोग गठित किया जाय जो अपना प्रतिवेदन छः माह में प्रस्तुत करे ।"

प्रदेश में मध्यांचल के पूर्ण विकास हेतु 'मध्यांचल विकास निधि' की स्थापना किये जाने के संबंध में डा० कौशल किशोर तथा डा० अशोक बाजपेयी द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, आधे घण्टे की चर्चा ।

प्रदेश में शीत गृह मालिकों द्वारा आलू उत्पादक किसानों से आलू भण्डारण प्रभार लिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शिव सिंह चक द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, आधे घण्टे की जारी चर्चा ।

प्रदेश में नकली दवाओं के तेजी से पनपते व्यापार/उद्योग से जनजीवन पर हो रहे हानिकारक प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम कुमार एडवोकेट, श्री राजेन्द्र यादव तथा श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, एक घण्टे की जारी चर्चा ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का विशेष प्रतिवेदन जो दिनांक 26 फरवरी, 1999 को सदन में प्रस्तुत किया गया, पर डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री श्याम देव राय चौधरी, श्री केशो मेहरा, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, मेजर जे० पी० सिंह तथा श्री अतुल कुमार, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम 216(4) के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, सदन में विचार हेतु जारी चर्चा ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 57 सूचनाएं प्राप्त हुईं ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

1–श्री मोती लाल — जनपद लखीमपुर के पैला क्षेत्रान्तर्गत बांकेगंज कुकुरा मार्ग पर बने लोहे के पुल की मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में।

2–डा० कौशल किशोर — जनपद मैनपुरी के गौतम बुद्ध उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डालूपुर के प्रबन्धक द्वारा धोखा-धड़ी करके सरकार का लाखों रुपये निकाले जाने के सम्बन्ध में।

3–श्री राम नरेश यादव — जनपद आजमगढ़ में फूलपुर (टेंउगा) में 132 के०वी० के विद्युत उपकेन्द्र के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने हेतु अपेक्षित धनराशि का आवंटन किए जाने के सम्बन्ध में।

4–श्री उदय राज यादव — बी० एन० इण्टर कालेज, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5–श्रीमती उर्मिला देवी, श्रीमती विजमा यादव एवं श्री राम सिंह सैनी — नगरपालिका परिषद्, सिरसागंज, जनपद फिरोजाबाद में व्याप्त अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

6–श्री भोला शंकर मौर्य — जनपद बदायूं के बिल्सी क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड अम्बियापुर के हैदरपुर ग्राम में 33/11 के०वी० विद्युत उपखण्ड की स्थापना के सम्बन्ध में।

7–श्री जगदीश नारायण राय — जनपद जौनपुर के बयालसी क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले प्रमुख ग्रामीण मार्गों का निर्माण कराने हेतु पंचायती राज द्वारा सीधे वित्तीय स्वीकृति प्रदान करके धन अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

8–श्री शिवपाल सिंह यादव — जनपद इटावा में डग्गामार बसें व जीपें चलाने से सरकार को हो रहे नुकसान तथा ए०आर०टी०ओ० द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने के सम्बन्ध में।

9–श्री राम औतार शाक्य — नगर पंचायत हरवर्तपुर जनपद देहरादून में विकास कार्य हेतु धन आवंटित करने के सम्बन्ध में।

10–श्री अरुण प्रताप सिंह एवं श्री राम लखन — उत्तर प्रदेश छात्र कल्याण निधि, उच्च शिक्षा विभाग, उ० प्र० शासन लखनऊ से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की निर्धारित तिथि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

11–श्री शिशुपाल सिंह यादव — जनपद आगरा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के सम्बन्ध में।

12–श्री रूप चौधरी — जनपद गाजियाबाद में वर्षों से विभिन्न पदों पर तैनात प्रशासनिक अधिकारियों को जनहित में स्थानान्तरित किए जाने के सम्बन्ध में।

13–श्री संजय गर्ग — जनपद सहारनपुर की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संगठनों के एकमात्र केन्द्र बिन्दु सहारनपुर नगर के मध्य स्थित जनमंच सभागार के जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

14–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी — प्रदेश के महानगरों विशेषतः मेरठ महानगर में अनियमित विद्युत कटौती से उत्पन्न गम्भीर पेयजल संकट के सम्बन्ध में।

15–श्री भाई लाल — जनपद मिर्जापुर के छानवे क्षेत्रान्तर्गत पेयजल परियोजना बन्द होने के सम्बन्ध में।

16–श्री उबैदुर्रहमान — जनपद बलरामपुर की तहसील उतरौला के अन्तर्गत होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन के लिए आवश्यक मुस्लिम समुदाय के पिछड़ी जाति के प्रमाण पत्रों को तहसीलदार द्वारा न बनाये जाने के सम्बन्ध में।

17–श्री बाबू खां — जनपद हरदोई की सबायजपुर तहसील अन्तर्गत कई गांवों में हुई अग्निकाण्ड की घटनाओं के पीड़ितों को दैवी आपदा सहायता एवं राहत न दिए जाने के सम्बन्ध में।

18–श्री पूर्णमासी पंकज — उत्तर प्रदेश में निजी पेशा में लगे धोबी जाति के लोगों को कपड़े की धुलाई हेतु धोबीघाट सुरक्षित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

19–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी — जनपद एटा की तहसील पटियाली में चीनी एवं मिट्टी के तेल के वितरण की आपूर्ति विभाग की सांठ-गांठ से ब्लैक में विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

20–श्री तेजभान सिंह — ग्राम पंचायत पदारथपुर, विकास खण्ड जयसिंहपुर, जिला सुल्तानपुर के ग्राम प्रधान द्वारा शासन के नियमों को अनदेखा करने तथा एकाधिकार स्थापित कर सरकारी धन को हड़पने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

21–श्री गोपाल कृष्ण — होम्योपैथी निदेशालय स्तर से शासन के चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 के आदेशों की अवहेलना किए जाने के सम्बन्ध में।

22–श्री दुर्गा प्रसाद यादव — आजमगढ़ शहर में भीषण पेयजल संकट के सम्बन्ध में।

23–श्री श्याम किशोर यादव — जनपद लखनऊ के सरोजनीनगर क्षेत्रान्तर्गत सालेहनगर में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध नागरिकों के आवास गिराये जाने के सम्बन्ध में।

24–श्री परवेज हलीम खां — जनपद कन्नौज के ग्राम सकरी खुर्द स्थित सरस्वती जनता बाल विद्यालय का सामान लूटने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

25–श्री विश्वम्भर सिंह एवं डा० ज्ञानवती सिंह — जनपद बहराइच की कैसरगंज तहसील में सब रजिस्ट्रार कार्यालय में फर्जी स्टैम्प पेपर के प्रकरण के संबंध में की जा रही अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

26–श्री राम अचल राजभर — प्रदेश में भर/राजभर जाति के लोगों की पिछड़ी हुई आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक स्थिति को उन्नत किए जाने के सम्बन्ध में।

27–श्री रामचन्द्र यादव — जनपद फैजाबाद में सहादतगंज बाईपास पर अबूसराय के पास हुई जीप एवं ट्रक की टक्कर में मृतक लोगों के आश्रितों तथा घायलों को शासकीय सहायता न दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

28–चौधरी बाबू लाल — जनपद आगरा में उटंगन नदी पर सिरौली गांव के पास बांध बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

29–श्री विजयपाल सिंह — जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सम्पर्क मार्गों का लेपन स्तर का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

30–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया — जनपद गाजियाबाद में मोदीनगर की सीमा से लगी बस्तियों कृष्णापुरी आदि के नागरिकों को नगरपालिका मोदीनगर में सम्मिलित कर मताधिकार की सुविधाएं दिए जाने के सम्बन्ध में।

31–श्री रघुवर दयाल वर्मा — फिरोजाबाद नगर में पेयजल समस्या के निस्तारण हेतु नये नलकूपों एवं हैण्डपम्पों की व्यवस्था किए जाने के सम्बन्ध में।

32–श्री लवकुश कुमार — लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ में प्रतिनियुक्ति पर आये कतिपय अधिकारियों को उनके पैतृक विभाग में वापस किये जाने के सम्बन्ध में।

33–श्री अजय कुमार पोइया — जनपद मथुरा में परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण में शिक्षा विभाग द्वारा की गयी अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

34–श्री रणधीर सिंह — जनपद इटावा में पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

35–श्री धर्मराज निषाद — जनपद अम्बेदकर नगर में निझौड़ा से नरायनपुर घाट तक के मार्ग पर लेपन स्तर तक का कार्य शीघ्र कराए जाने के सम्बन्ध में।

36–श्री मुरली धर — जनपद फतेहपुर के किशुनपुर क्षेत्रान्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टरों के नियमित रूप से न जाने तथा सी०एम०ओ० द्वारा डाक्टरों को संरक्षण प्रदान कर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार किए जाने के सम्बन्ध में।

37–श्री कृपा शंकर सिंह — जनपद उन्नाव की बीघापुर तहसील अन्तर्गत नहरों एवं माइनरों में पानी न आने से नागरिकों को हो रही भीषण असुविधाओं के सम्बन्ध में ।

38–श्री विजेन्द्र आर्य — शहरी भूमि हदबंदी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को आवास विभाग के कर्मचारी माने जाने के सरकारी आश्वासन के बावजूद उन्हें अन्यत्र समायोजित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

39–श्री ओमकार सिंह — जनपद बदायूं के सहसवान क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 1999-2000 में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित कराये गये सम्पर्क मार्गों में की गयी अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में ।

40–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना एवं श्री बनारसी दास चांदना — संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में लैब अटेन्डेन्ट पद पर कार्यरत तथा तकनीशियन ग्रेड–2 के पदों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके व अर्हता रखने वाले पात्र अभ्यर्थियों को पदों को विज्ञापित कराकर नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

41–श्री विश्वनाथ — शासन, होम्योपैथी निदेशालय व जिले स्तर पर व्याप्त विभागीय भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में ।

42–श्री समरपाल सिंह — मुख्य अभियन्ता सिंचाई (शारदा) गंगा सिंचाई भवन, तेलीबाग, लखनऊ द्वारा समूह 'ग' की भर्ती में महिलाओं को आरक्षण न दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

43–श्री राजपाल सिंह — निदेशक (होम्योपैथी) उत्तर प्रदेश द्वारा की गयी अनियमितताओं के चलते उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में ।

44–श्री प्रदीप कुमार — प्राचार्य, राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज द्वारा की जा रही अनियमितताएं तथा मनमानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई हैं उनके नाम निम्न प्रकार हैं:–

1–डा० धर्मज्ञ मिश्र, 2–श्री अशोक कुमार सिंह, 3–श्री दिलीप कुमार, 4–श्री कौकब हमीद, 5–श्री वीरेन्द्र सिंह, 6–श्री परवेज हलीम, 7–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, 8–श्री सूर्य भान सिंह, 9–श्री दुर्गा प्रसाद यादव, 10–श्री श्याम किशोर यादव, श्री उदय राज यादव एवं श्री गौरी शंकर एडवोकेट हैं।

विभिन्न विषयों पर वक्तव्य के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष–

यह सभी वक्तव्य जो कार्य सूची पर हैं उसमें से जिनके वक्तव्य आ गये हैं या जो केवल वक्तव्य हैं, जिनकी प्रतियां माननीय सदस्यों को प्राप्त हो गयी हैं, जिन वक्तव्यों को स्थगित करने का अनुरोध किया गया हैं, उनको स्थगित किया जाता है । जिनमें स्थगित करने का अनुरोध नहीं किया गया है और जिनके वक्तव्य आ गये हैं, उनको पढ़ा हुआ माना जाता है ।

श्री लालजी वर्मा–

वक्तव्य की प्रतियां नहीं मिली हैं ।

श्री अध्यक्ष–

जिनकी प्रतियां मिल गयीं हैं वे पढ़े हुये माने जायेंगे जिनकी प्रतियां नहीं मिली हैं, वह लम्बित माने जायेंगे ।

चौधरी लक्ष्मी नारायण इण्टर कालेज मण्डी श्यामनगर, जनपद गौतम बुद्धनगर में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)–

[चौधरी लक्ष्मी नारायण इण्टर कालेज, मण्डी श्याम नगर, जनपद गौतमबुद्धनगर में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में गृह विभाग की सूचना के अनुसार दिनांक 19-7-99 को थाना दनकौर पर अ०सं० 142/99 धारा 409/420/467/468 भा०द०वि० का अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक श्री शिव कुमार शर्मा द्वारा की जा रही है अब तक की विवेचना में उनके द्वारा निम्नलिखित 10 व्यक्तियों के बयान अंकित किये गये हैं :–

1–श्री योगेश विज, वादी–उप प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति, चौधरी लक्ष्मी नारायण इण्टर कालेज ।

2– परगना मजिस्ट्रेट, सदर

3–श्री राजेन्द्र प्रसाद, अध्यापक

4–श्री शिव कुमार, अध्यापक

5–श्री मुकेश कुमार, अध्यापक

6–श्री एच०सी० नागर, प्रधानाचार्य

7–श्री सौदान सिंह, तत्कालीन अध्यापक

8–श्री अशोक कुमार, अध्यापक

9–श्री विजय कुमार, अध्यापक

10–श्री सन्तोष कुमार, अध्यापक

उक्त अभियोग में दिनांक 14-3-2000 को प्रधानाचार्य द्वारा कुछ अभिलेख तथा टी० सी० विवेचनाकर्ता को दिये गये हैं जिन्हें सत्यापन हेतु भेजा गया है । लिये गये बयान तथा अभिलेखों से अभी तक इस अभियोग में श्री एस० एस० विष्ट जिला विद्यालय निरीक्षक, बुलन्दशहर व श्री सुरेन्द्र कुमार जौहरी, सेवानिवृत्त जिला विद्यालय निरीक्षक के नाम अभियुक्त के रूप में प्रकाश में आये हैं । जिनके विरुद्ध सत्यापन की आख्या प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

विवेचना प्रचलित है तथा शीघ्र ही इसका निस्तारण किये जाने के लिये विवेचनाकर्ता को निर्देशित कर दिया गया है ।

जहां तक विद्यालय की फर्जी कमेटी को मान्य किये जाने की बात है । विद्यालय में प्रबन्ध समिति एवं अध्यापकों की अवैध नियुक्ति का विवाद मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन था । मा० उच्च न्यायालय ने सिविल मिसलेनियस रिट पिटीशन संख्या–45990/99 श्री विजय कुमार आर्य बनाम जिला

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

विद्यालय निरीक्षक आदि में अपने आदेश दिनांक 7-4-2000 द्वारा सम्बन्धित अन्य रिट याचिका संख्या–32270/99, 38603/99, 45991/99, 45990/99, 3762/2000, 2353/2000 एवं 12377/2000 सभी रिट याचिकाओं को निरस्त करते हुये आदेश दिया है कि सभी पक्ष दिनांक 24-4-2000 को संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ के समक्ष उपस्थित हो तथा अपनी आपत्ति और प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें । संयुक्त शिक्षा निदेशक सभी सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई का मौका देकर यह निर्णय करेंगे कि (1) विद्यालय में कौन सी मान्य प्रबन्ध समिति है (2) विवादित नियुक्ति शिक्षकों के सम्बन्ध में निर्णय करेंगे । उक्त विवादों का निर्णय मा० उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त होने के 3 माह के अन्दर देने के आदेश हैं । मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 7-4-2000 में निर्धारित तिथि 24-4-2000 को सभी संबंधित पक्षों ने उपस्थित होकर अपने-अपने प्रत्यावेदन संयुक्त शिक्षा निदेशक मेरठ कार्यालय में प्रस्तुत कर दिये हैं किन्तु मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 7-4-2000 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की है जिसकी मांग की गयी है । मा० उच्च न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने के उपरान्त विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई करके विवादित प्रबन्ध समिति के सम्बन्ध में एवं विवादित शिक्षकों के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि में निर्णय लिया जायेगा ।]

क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, परिवहन द्वारा मनमाने ढंग से लखनऊ महानगर बस सेवा के अन्तर्गत संचालित बसों का मार्ग परिवर्तन किये जाने तथा लखनऊ शहर में तथा शहर से बाहर को अवैध रूप से चलायी जा रही जीपों, टाटा सूमों तथा डग्गामार बसों से परिवहन निगम को हो रही क्षति के संबंध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य

परिवहन मंत्री (राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)–

[क्षेत्रीय प्रबन्धक, लखनऊ द्वारा लखनऊ क्षेत्र के लिये निजी बस मालिकों से अक्टूबर, 1999 तक प्राप्त निविदाओं के आधार पर 25 बसें, इस शर्त के साथ अनुबंधित की गयी थीं कि इन बसों का मार्ग परिवर्तन एक वर्ष तक नहीं किया जायेगा । बाद में अनुबंधित बसों के मार्ग सृजन एवं मार्ग परिवर्तन हेतु परिवहन निगम मुख्यालय द्वारा मार्च, 2000 में नई नीति निर्धारित की गयी, जिसके अन्तर्गत मार्ग सृजन तथा मार्ग परिवर्तन का अधिकार क्षेत्रीय, अन्तर्क्षेत्रीय तथा अन्तर्मण्डलीय समितियों को प्रतिनिधानित किये गये । इस नीति के अन्तर्गत बस मालिकों द्वारा मार्ग परिवर्तन हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्रों पर विचार तभी किया जाना था जब अनुबंधित बस को देय भुगतान में लगातार तीन माह तक कम आय प्राप्त होने के कारण 10% से अधिक कटौती की गयी हो । इस नीति के अन्तर्गत क्षेत्रीय प्रबन्धक, लखनऊ द्वारा बसों के मार्ग परिवर्तन हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्रों का परीक्षण कर उन्हें अन्तर्क्षेत्रीय समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया । अन्तर्क्षेत्रीय समिति ने 5 बसों, जिनकी संख्या–यू०पी० 32 जेड 1964, यू०पी० 32 जेड 1668, यू०पी० 32 जेड 1791, यू०पी० 32 जेड 1675 व यू०पी० 32 जेड 1977 है, जिनकी आय लगातार तीन माह तक कम होने के कारण उनके देयों के भुगतान में 10 प्रतिशत से अधिक की कटौती आगणित होती थी, उन बसों के मार्ग परिवर्तन का निर्णय लिया । इसके अतिरिक्त एक अन्य बस संख्या–यू०पी० 30 ए 4706 जिसके दो माह के देयकों के भुगतान में 50 प्रतिशत से अधिक कटौती आगणित हुई थी, को संचालन की उपादेयता को ध्यान में रखते हुये विशेष परिस्थितियों में मार्ग परिवर्तन का निर्णय लिया गया । इसके अतिरिक्त चार बसों जिनकी संख्या–यू०पी० 32 जेड 1931, यू०पी० 32 जेड 1945, यू०पी० 32 जेड 1946 व यू०पी० 32 जेड 2372 है, जिनके मार्ग परिवर्तन के लिये भी प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे, पर भी अन्तर्क्षेत्रीय समिति द्वारा विचार किया गया । इन बसों की आय में कोई कटौती न होने के कारण इनके मार्ग परिवर्तन के प्रार्थना-पत्रों को अस्वीकृत कर दिया गया । तद्नुसार समिति द्वारा लिये गये निर्णय का क्रियान्वयन क्षेत्रीय प्रबन्धक लखनऊ द्वारा किया गया । जिन बसों का मार्ग परिवर्तन क्षेत्रीय प्रबन्धक लखनऊ द्वारा किया गया उन बसों को पूर्व में निर्धारित दरों के अनुसार अधिक भुगतान

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

किया जा रहा था, परन्तु अब इन बसों को नई नीति के अन्तर्गत रु० 6.64 प्रति कि०मी० की दर से भुगतान किया जा रहा है जो कि पहले से कम है। इस प्रकार मार्ग परिवर्तन से परिवहन निगम को कोई आर्थिक हानि नहीं हुई है।

क्षेत्रीय प्रबन्धक लखनऊ द्वारा अनुबन्ध पत्र के प्राविधानों के अन्तर्गत 5 बसों जिनकी संख्या–यू०पी० 32 जेड 1791, यू०पी० 32 जेड 1977, यू०पी० 32 जेड 1780, यू० पी० 32 जेड 1929 व यू०पी० 32 जेड 1677 है, का अस्थायी मार्ग परिवर्तन विशेष परिस्थितियों में सीमित अवधि के लिये किया गया था, जिन्हें अवधि समाप्त होने के पश्चात् अपने पूर्व निर्धारित मार्गों पर संचालित करा दिया गया है। परीक्षणोपरान्त यह पाया गया है कि इस अस्थायी परिवर्तन से निगम को कोई आर्थिक हानि नहीं हुई है।

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अनधिकृत संचालन के विरुद्ध रोकथाम हेतु चेकिंग कार्य को प्रभावी बनाने के लिये मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा–207 के अन्तर्गत परिवहन विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है। अनधिकृत संचालन की रोकथाम हेतु वैसे तो सामान्य चेकिंग होती रहती है परन्तु प्रभावी रोकथाम हेतु परिवहन विभाग एवं निगम के अधिकारियों द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान भी चलाया जाता है जिसमें जिला प्रशासन व पुलिस विभाग का भी सहयोग लिया जाता है। गत वित्तीय वर्ष में भी सामान्य चेकिंग के अतिरिक्त समय-समय पर संयुक्त चेकिंग अभियान परिवहन विभाग एवं परिवहन निगम के साथ चलाये गये जिनका विवरण निम्नवत् है :–

चेक वाहन	चालान वाहन	बन्द वाहन	मार्ग पर करों की वसूली	प्रशमन शुल्क
18188	6958	5333	5156502	7575050

इसके अतिरिक्त अनधिकृत संचालन के प्रभावी रोकथाम के लिये परिवहन विभाग एवं निगम अधिकारियों के साथ सप्ताह में दो दिन अनधिकृत संचालित वाहनों की चेकिंग करने तथा अनधिकृत संचालित वाहनों को निरुद्ध करने के निर्देश परिवहन विभाग द्वारा जारी किये गये हैं।

प्रवर्तन दलों द्वारा सामान्य चेकिंग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1999-2000 तक प्रदेश स्तर पर किये गये प्रवर्तन कार्य का विवरण निम्नवत् है :–

चेक वाहन	चालन वाहन	सवारी वाहन	अन्य वाहन	बन्द वाहन	धारा–207 में निरुद्ध वाहन	मार्ग पर करों की वसूली (करोड़ में)	प्रशमन शुल्क (करोड़ में)
327710	133973	58274	75699	46686	41167	20.37	22.17

महाराज सिंह इण्टर कालेज, बहराइच से सेवानिवृत्त श्री अली हुसैन को पेंशन प्रपत्र न मिलने से पेंशन के भुगतान में हो रही कठिनाई के सम्बन्ध में डा० बकार अहमद शाह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

माध्यमिक शिक्षा मंत्री डा० नैपाल सिंह–

[श्री अली हुसैन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवानिवृत्त तिथि विद्यालय द्वारा 31-3-98 दर्शाकर उन्हें सेवा निवृत्त कर दिया गया था जिसके प्रति श्री हुसैन द्वारा प्रत्यावेदन दिये जाने पर पाया गया कि उनकी सेवा पुस्तिका में कतिपय इरैजिंग/ओवरराइटिंग हुयी है, ऐसा उनकी दो खण्डों की सेवा पुस्तिकाओं के दोनों में ही किया गया था। अतः इनका लाभ कर्मचारी के पक्ष में प्रदान करते हुए तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपने पत्र दिनांक 1-8-98 के माध्यम से श्री हुसैन की सेवानिवृत्त तिथि 31-7-98

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मानी और तद्नुसार यह भी निर्देशित किया कि यदि भविष्य में श्री हुसैन की जन्म तिथि 1-8-38 न होकर 1-3-38 है तो इस प्रकार उनके द्वारा प्राप्त की गयी अधिक धनराशि उनके पेंशन से वापस की जायेगी । इस आधार पर श्री हुसैन को 31-7-98 तक के वेतन का भुगतान राजकोष से किया गया । उसके पश्चात् श्री हुसैन द्वारा अपनी जन्म तिथि के संबंध में उपभोक्ता फोरम, बहराइच में वादयोजित कर दिया गया । श्री हुसैन द्वारा पेंशन प्रकरण प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया । जिसके संदर्भ में विद्यालय को दिनांक 17-1-2000 को पेंशन पत्रजात प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये परन्तु विद्यालय प्रधानाचार्य ने उपरोक्त फोरम में योजित वाद को आधार बनाकर योजित वाद के निर्णय तक पेंशन प्रकरण प्रस्तुत करने में असमर्थता व्यक्त की और प्रकरण प्रेषित नहीं किया गया ।

दिनांक 1-5-2000 को पुनः विद्यालय को प्रकरण प्रेषित करने के निर्देश दिये गये और प्रकरण उसी दिन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी जिसके संदर्भ में प्रधानाचार्य ने अपने पत्र दिनांक 2-5-2000 द्वारा पूर्व में उल्लिखित उपभोक्ता फोरम के बाद को भी आधार बनाकर पेंशन प्रकरण प्रस्तुत करने में असमर्थता व्यक्त की ।

उपशिक्षा निदेशक (मा०) नवम् मण्डल फैजाबाद के पत्रांक पेंशन 570-73/2000-01 दिनांक 2-5-2000 द्वारा श्री अली हुसैन को 1-8-98 से आगामी छः माह हेतु रु० 1200/- प्रतिमाह की दर से अनन्तिम पेंशन की स्वीकृत इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान कर दी है यह स्वीकृति श्री अली द्वारा जनपद उपभोक्ता फोरम, बहराइच में योजित वाद 739/98 के अन्तिम निर्णय तथा उनकी सेवापूंजी के जांचोपरान्त निर्धारित की जाने वाली अंतिम पेंशन के अधीन होगी । तद्नुसार विद्यालय को पेंशन बिल पारण हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दे दिये गये हैं और विद्यालय द्वारा छः माह की पेंशन का रु० 8136/- का देयक प्रस्तुत कर दिया गया है ।]

नाबार्ड द्वारा आवंटित पूर्ण धनराशि को प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त न कर पाने से आर० आई० डी० एफ० योजनान्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विकास कार्य प्रभावित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

लोक निर्माण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

[वित्तीय वर्ष 1999-2000 में आर० आई० डी० एफ० योजना हेतु नाबार्ड द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों की योजनाओं के वित्त पोषण हेतु लगभग 525 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया था । इसके सापेक्ष लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1999-2000 में रु० 300 करोड़ के प्रस्ताव नाबार्ड को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये थे, जिसमें से नाबार्ड द्वारा रु० 227.00 करोड़ की लागत के कार्य स्वीकृत किये गये । इन स्वीकृतियों के अनुसार बजट व्यवस्था करके विभिन्न सड़कों/पुलों की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है, या की जा रही है । निर्माण कार्य पूर्ण होने पर राज्य सरकार नाबार्ड से प्रतिपूर्ति प्राप्त करती है ।

2– यह उल्लेखनीय है कि नाबार्ड पोषित आर० आई० डी० एफ० योजना के कार्यों को पूर्ण कराये जाने के उद्देश्य से वर्ष 1999-2000 में रुपया–237.20 करोड़ धनराशि उपलब्ध थी तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में चालू कार्यों को पूर्ण कराने हेतु रुपया–248 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है । अतएव इस योजनान्तर्गत निर्माणाधीन कार्यों को पूर्ण करने हेतु पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध है ।

इस योजना के कार्यों को 2-3 वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

3–इस योजना में जनपद मैनपुरी के 21 ग्रामीण सम्पर्क मार्ग कार्य स्वीकृत किये गये थे, जिसमें विधान सभा क्षेत्र भोगांव के 4 मार्ग कार्य सम्मिलित है । इन 4 कार्यों में से एक कार्य पूर्ण है, दो कार्य प्रथम सतह लेपन तथा एक कार्य टॉप कोट तक पूर्ण है और अवशेष कार्यों को वर्ष 2000-2001 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है । आर० आई० डी० एफ० 5 योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र भोगांव के दो ग्रामीण सम्पर्क मार्ग के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिन्हें नावार्ड को भेजने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा नावार्ड पोषित आर० आई० डी० एफ० योजना में ग्रामीण सम्पर्क मार्गों को स्वीकृत कराकर उन्हें निर्धारित अवधि में पूर्ण कराने के सतत् प्रयास किये गये हैं ।]

वाराणसी में गंगा प्रदूषण कार्यक्रम के अन्तर्गत फेज–11 के कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

आवास, नगर विकास मंत्री (श्री लाल जी टण्डन)–

[श्री श्यामदेव राय चौधरी, मा० सदस्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना के संबंध में स्थिति ये है कि गंगा कार्यकारी योजना का प्रथम चरण लागू करते समय वर्ष 1986 में वाराणसी शहर में कुल 147 एम० एल० डी० सीवेज था जिसमें से गंगा नदी में गिरने वाले 122 एम० एल० डी० के लिए इण्टरपेप्शन एवं डायवर्जन कार्य कराये गये थे । वरुणा नदी में गिरने वाले 25 एम० एल० डी० सीवेज के लिए कोई कार्य नहीं कराया गया था । शहर के उत्तरोत्तर विकास, बढ़ती हुई आबादी तथा जलापूर्ति में वृद्धि के कारण वर्ष 1998 में गंगा नदी में सीधे गिरने वाले सीवेज की मात्रा 165 एम० एल० डी० तथा वरुणा नदी के माध्यम से नदी में गिरने वाले सीवेज की मात्रा 48 एम० एल० डी० (कुल 213 एम० एल० डी०) हो गयी थी । गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण के पूर्ण होने के पश्चात् द्वितीय चरण न लागू होने के कारण सीवेज पम्पिंग स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि न होने से 213 एम० एल० डी० में से केवल 122 एम० एल० डी० सीवेज को ही इण्टरसेप्ट कर डायवर्ट किया जा रहा है तथा शेष 91 एम० एल० डी० सीवेज विभिन्न नालों के माध्यम से गंगा नदी में गिर रहा है ।

2–वाराणसी में गंगा कार्य योजना प्रथम चरण के कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् सितम्बर, 1993 में गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रस्तावित योजनाओं की पी० एफ० आर० एन० आर० सी० डी० नई दिल्ली को प्रेषित की गयी थी । इस पी० एफ० आर० में रु० 5360.50 लाख लागत की कुल 12 योजनायें सम्मिलित थी । इसके अन्तर्गत 60 एम० एल० डी० सीवेज के लिए इण्टरसेप्शन डायवर्जन एवं ट्रीटमेंट के कार्य प्रस्तावित किये गये थे । इस बीच मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन श्री आर० के० जायसवाल बनाम उ० प्र० सरकार की जनहित रिट याचिका संख्या–21552/97 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु मुख्य सचिव उ० प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की दिनांक 27-6-98 की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार उ० प्र० जल निगम को वाराणसी शहर के लिए फूल प्रूफ व्यवस्था लागू करने हेतु संशोधित पी० एफ० आर० प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया । जल निगम द्वारा गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत वाराणसी शहर की संशोधित पी० एफ० आर० अनुमानित लागत रु० 236.28 करोड़ तैयार कर शासन को उपलब्ध कराया है जिसे एन० आर० सी० डी० नई दिल्ली को स्वीकृत हेतु प्रेषित कर दिया गया है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

3–इस संशोधित पी० एफ० आर० में विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त को लागू करते हुए वाराणसी शहर हेतु द्वितीय ट्रंक सीवर, ट्रान्स वरुणा क्षेत्र हेतु इण्टरसेप्टर सीवर तथा ब्रांच सीवर्स, जल प्लावन से हर वर्ष प्रभावित महमूरगंज क्षेत्र में सप्लीमेंट्री इण्टरसेप्टर सीवर घण्टों पर विभिन्न ड्रेनों के लिए इण्टसेफ्टर सीवर्स, पांय नग घाट सीवेज पम्पिंग स्टेशनों की क्षमता वृद्धि रमना एवं सथवा में किये गये एस० टी० पी० का निर्माण कर वर्ष 2013 हेतु कुल 283 एम० एल० डी० सीवेज के उपचार की व्यवस्था करना आदि कार्य प्रस्तावित किये गये हैं ।]

लखनऊ स्थित "पुनर्वास एवं कृत्रिम अवयव केन्द्र" की सरकारी उदासीनता के चलते बदहाली तथा संस्थान के अस्तित्व को बरकरार रखे जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

लोक निर्माण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

[मा० सदस्य द्वारा लखनऊ में स्थित पुनर्वास एवं कृत्रिम अवयव केन्द्र (आर० ए० एल० सी०) के सम्बन्ध में यह बिन्दु उठाये गये हैं कि राज्य सरकार की उदासीनता से पिछले 9 महीने से बिजली एवं पानी की लाइनें कटी हुई हैं । संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा नियमावली तक नहीं बनी और संस्थान का पुनर्वास कार्यक्रम ठप पड़ा है । उन्होंने यह भी इंगित किया है कि राज्य सरकार द्वारा संस्थान को चिकित्सा विश्वविद्यालय का परिसर बनाया जा रहा है जो उचित नहीं है ।

2– मा० सदस्य विधान सभा के द्वारा उठाये गये उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आर० ए० एल० सी० को उच्चीकृत करने, वहां उपकरणों आदि की पर्याप्त व्यवस्था करने के उद्देश्य से सामान्य बजट के अतिरिक्त रु० 25 लाख स्वीकृत किया गया है जिससे वहां उपकरणों की मरम्मत व नये उपकरणों को क्रय करने की कार्यवाही की जा रही है । इसके अतिरिक्त और 25 लाख रुपये उपलब्ध कराने के सम्बन्ध मे प्रस्ताव मांगा गया है । विद्युत एवं पानी के सम्बन्ध में ज्ञातव्य है कि आर० ए० एल० सी० में विद्युत एवं पानी के बकाये के भुगतान हेतु रुपये 4.50 लाख स्वीकृत किया जा चुका है और यह धनराशि कुल बकाये से भी अधिक है । इस प्रकार वहां बिजली आदि के बकाये की कोई समस्या नहीं है और लाइने भी कटी नहीं हैं ।

3–आर० ए० एल० सी० के कर्मचारियों की सेवा नियमावली अभी तक नहीं बनी थी, अब यह निर्णय किया गया है कि तीन माह में सेवा नियमावली प्रख्यापित कर दी जायेगी ।

4–जहां तक चिकित्सा विश्वविद्यालय का परिसर बनाने का प्रश्न है, ज्ञातव्य है कि कुछ समय के लिए आर० ए० एल० सी० के चार कमरों में चिकित्सा विश्वविद्यालय का आफिस खोला गया है । चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जा रही है । इस प्रकार चिकित्सा विश्वविद्यालय को अन्यत्र स्थापित किया जायेगा ।

5–इस प्रकार मा० सदस्य द्वारा उठाये गये बिन्दु सत्य नहीं हैं और शासन द्वारा आर० ए० एल० सी० के उन्नयन और पुनर्गठन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और यह प्रयास किया जा रहा है कि वहां की समस्याओं का तत्परता से निराकरण कर दिया जाय ।]

प्रदेश में शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रबन्ध तंत्रों को अवैधानिक ढंग तरीके से भंग करने तथा खाते का एकल संचालन किये जाने से शिक्षा जगत में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)–

[आर्य कन्या इ० का० मेरठ माध्यमिक शिक्षा परिषद उ० प्र० इलाहाबाद द्वारा मान्यता प्राप्त एवं विभाग द्वारा अनुदानित संस्था है । इस विद्यालय की पूर्व प्रबन्ध समिति का चुनाव 5-9-96 को सम्पन्न हुआ था । विद्यालय की नवीन प्रबन्ध समिति के गठन 5-9-99 को कराये जाने की सूचना निरीक्षणालय मेरठ को दिनांक 7-10-99 को प्राप्त कराई गई । विद्यालय की प्रबन्ध समिति का संचालन आर्य प्रतिनिधि सभा/आर्य समाज मेरठ शहर द्वारा किया जाता है । विद्यालय की स्वीकृत प्रशासन योजना के अन्तर्गत प्रबन्ध समिति का गठन (साधारण सभा के समस्त प्रकार के सदस्यों से) निम्नवत किया जाता है ।

1–आर्य समाज मेरठ शहर की अन्तरंग सभा द्वारा नामित सदस्य–08

2–आर्य समाज स्त्री समाज मेरठ शहर की अन्तरंग सभा द्वारा नामित सदस्या–02

3–आर्य समाज मेरठ शहर के प्रधान पदेन–प्रधान

4–संरक्षक–01

5–संस्था के विशिष्ट सहायक–01

प्रशासन योजना में दिये गये उक्त प्राविधानों की जांच हेतु विद्यालय के पूर्व प्रबन्धक से साधारण सभा के वैध सदस्यों की सूची निर्धारित प्रपत्र पर एवं अन्तरंग सभा की कार्यवाही तथा अन्य अभिलेख जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्र संख्या : शि०/1905/99-2000, दिनांक 16-2-2000 के द्वारा मांगी गई । पूर्व प्रबधक द्वारा अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की दशा में पत्र–शि०स०/1955–59/99–2000, दिनांक 25-02-2000 के द्वारा चुनाव की जांच होने तक तथा पूर्व प्रबन्ध समिति (कार्यकाल तीन वर्ष अतिरिक्त 1 माह पूर्ण होने पर) कालातीत होने पर केवल वेतन संदाय खाते का एकाकी परिचालन लागू किया गया ताकि विद्यालय के शिक्षिकाओं/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन भुगतान होने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो ।

निरीक्षणालय के पत्र शिविर/2051/99–2000, दिनांक 08-3-2000 के द्वारा वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु पुनः स्मरण पत्र भेजा गया तब प्रबन्धक द्वारा दिनांक 22-3-2000 को साधारण सभा के सदस्यों की सूची छोड़कर अन्य अभिलेख जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को प्रेषित किये । साधारण सभा के सदस्यों की सूची उपलब्ध कराने हेतु पुनः स्मरण कराने के उपरान्त साधारण सभा के 92 सदस्यों की अस्पष्ट एवं अपूर्ण सूची दिनांक 31-3-2000 को प्रेषित की जिसमें सदस्यों की सदस्यता का प्रकार, सदस्य बनने की तिथि, सदस्य के पिता/पति/पत्नी का उल्लेख नहीं किया गया है जिसके अभाव में प्रबन्ध समिति के चुनाव की जांच सम्भव नहीं है ।

अवगत कराना है कि वर्तमान में केवल वेतन संदाय खाते को छोड़कर अन्य सभी क्रिया कलाप (प्रबन्धकीय खाते) प्रबन्ध समिति द्वारा संचालित किये जा रहे हैं । प्रबन्ध समिति के चुनाव को निर्णित किये जाने हेतु प्रशासन योजना में दिये गये नियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है । विद्यालय के अथवा प्रबन्ध-समिति के प्रति किसी भी प्रकार से द्वेष भावना अथवा षड़यंत्र किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है । मण्डलीय वित्त एवं लेखाधिकारी, लेखापरीक्षा संगठन शिक्षा निदेशालय उ० प्र० प्रथम मण्डल मेरठ द्वारा वर्ष 99–2000 की अवधि का आडिट दिनांक 01-4-2000 से 03-4-2000 को किया गया है जिसमें प्रबन्ध समिति पर वित्तीय अनियमितताओं सम्बन्धी गम्भीर आरोप हैं । मण्डलीय वित्त एवं लेखाधिकारी, लेखापरीक्षा संगठन मेरठ के पत्रांक आडिट/35–37/2000–2001, दिनांक 27 अप्रैल, 2000 के द्वारा जिला विद्यालय–निरीक्षक मेरठ कार्यालय में आडिट आख्या दिनांक 02-5-2000 को प्राप्त हुई है जिसके संबंध में तत्काल कार्यवाही किये जाने के निर्देश शिक्षा निदेशक, माध्यमिक को दे दिये गये हैं ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद उन्नाव के पुरवा क्षेत्रान्तर्गत राज्य योजना से वर्ष 1995-96 व 1996-97 में स्वीकृत अधूरे पड़े मार्गों को शीघ्र बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री उदय राज यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

लोक निर्माण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

[माननीय विधायक द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत जिन मार्गों के सम्बन्ध में सूचना दी गयी है उनके सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार है :–

1–बनी मोहनलालगंज से बेलोरा गोमापुर-ओगरपुर-चौपाई मार्ग वर्ष 95-96 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत 3.55 कि०मी० लम्बाई में रुपये 13.27 लाख की लागत से स्वीकृत हुआ था। इस मार्ग के निर्माण पर मार्च, 2000 तक रु० 5.70 लाख का व्यय हुआ है। इस मार्ग पर 2.55 किमी० लम्बाई में इन्टरकोट एवं 1 किमी० लम्बाई में टापकोट की कुटाई का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। स्वीकृत लागत की अवशेष धनराशि का आवंटन वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

2–मोहनलालगंज-मौरावां उन्नाव मार्ग से मुसुन्डी मार्ग वर्ष 1996-97 में 4 किमी० लम्बाई में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत रु० 22.76 लाख की लागत से स्वीकृत हुआ था। मार्च, 2000 तक इस मार्ग के निर्माण पर रु० 0.87 लाख का व्यय हुआ है। इस मार्ग पर 1 किमी० लम्बाई में सोलिंग कोट एवं 1 किमी० लम्बाई में टापकोट का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। स्वीकृत लागत की अवशेष धनराशि का आवंटन वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

3–असरेन्दा-कलखोड़ा मार्ग से बिरहीखेड़ा कुअरखेड़ा मार्ग नाम से कोई मार्ग राज्य सेक्टर में स्वीकृत नहीं है। कालूखेड़ा अतरेन्दा मार्ग से बेसनखेड़ा वाया सुखईखेड़ा के पूर्व से चकरोड तक 5.00 किमी० लम्बाई में मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृति रु० 33.26 लाख की लागत से वर्ष 1996-97 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत दी गई थी। इस मार्ग के निर्माण हेतु मार्च, 2000 तक रु० 25.69 लाख का व्यय किया जा चुका है। इस मार्ग पर अब तक 5 किमी० लम्बाई में मिट्टी का कार्य, 5.00 किमी० लम्बाई में सोलिंग का कार्य एवं 4.00 किमी० लम्बाई में टापकोट का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अवशेष कार्य को पूरा करने हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि रु० 7.57 लाख आवंटित कर दी गयी है।]

हथकरघा कपड़े के प्रमुख उत्पादक एवं निर्यात केन्द्र खेकड़ा (बागपत) में बिजली, पानी एवं सड़कों जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रूप चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

निर्यात प्रोत्साहन मंत्री (श्री जय नारायन तिवारी)–

[हथकरघा वस्त्रों के उत्पादन एवं निर्यात के लिये प्रसिद्ध खेकड़ा जनपद बागपत के हथकरघा वस्त्रों के उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि की दृष्टि से उस क्षेत्र की मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़/उच्चीकरण करने के उद्देश्य से उ० प्र० निर्यात निगम के माध्यम से यूपिको, कानपुर द्वारा क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन कराकर परियोजना तैयार कराने हेतु शासन द्वारा निर्देश दिये गये थे। इसके अनुपालन में यूपिको कानपुर द्वारा भारत सरकार की सी० आई० बी० स्कीम के अन्तर्गत उ० प्र० निर्यात निगम के माध्यम से एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्राप्त परियोजना रिपोर्ट के अन्तर्गत विद्युत व्यवस्था में सुधार, जल निकासी की व्यवस्था में सुधार, सड़कों एवं नालों का सुदृढ़ीकरण/निर्माण तथा हैन्डलूम डिजाइन एवं विकास केन्द्र की व्यवस्था की गयी है। इस परियोजना में कुल रु० 925.53 लाख के व्यय का प्रस्ताव शामिल किया गया है।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस परियोजना रिपोर्ट की समीक्षा दिनांक 10-5-2000 को औद्योगिक विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गठित स्टियरिंग कमेटी की बैठक में की गई । समीक्षा के उपरान्त परियोजना रिपोर्ट में कुछ कमियां पायी गयी । उक्त कमियों का निराकरण कर संशोधित परियोजना रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रस्तुत करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० निर्यात निगम के माध्यम से यूपिको, कानपुर को निर्देश दिये गये हैं । संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुनः उसकी समीक्षा करके वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित सी० आई० बी० स्कीम के अन्तर्गत परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु वाणिज्य मंत्रालय, भारत-सरकार को भेजा जायेगा । भारत सरकार से परियोजना के अनुमोदन एवं स्वीकृति प्राप्त होने पर परियोजना पर कार्य कराया जायेगा ।]

सरकार द्वारा विधान सभा में घोषणा करने के बाद भी प्रत्येक विधान सभा सदस्य के प्रस्ताव पर पांच-पांच ग्रामों का विद्युतीकरण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री शिवपाल सिंह यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

[वर्ष 1998-99 में मा० विधायक श्री शिवपाल सिंह यादव द्वारा चयनित एवं रेस्पो द्वारा अनुमोदित ग्रामों के विद्युतीकरण की स्थिति :–

जनपद	ग्राम का नाम	विकास खण्ड	विद्युतीकरण की तिथि
इटावा	फतेहपुरा	जसवन्तनगर	29-3-99
,,	गडी रामधन	,,	28-3-99
,,	पन्तपुर	बासरेहर	28-3-99
,,	गुलावपुरा	,,	29-3-99
,,	काशीपुर देही	,,	28-3-99

वर्ष 1999-2000 में चयनित

इटावा	गोपालपुर दोदुआ	जसवन्तनगर	02-11-99
,,	घनश्यामपुर	,,	02-11-99
,,	नगला जगन	,,	
,,	मो० धनुआ	,,	
,,	बरौली कला हरचन्दपुर	,,	
,,	अतिराजपुर	,,	
,,	नगला मिया अवरपुर	,,	

ग्रामों के विद्युतीकरण में अपेक्षित प्रगति न होने के निम्न कारण हैं :–

(अ) सामान्यतयः जिला योजना से प्राप्त धनराशि विलम्ब से प्राप्त होती है जिसके कारण सामानों की व्यवस्था में देर होती है, परिणामस्वरूप विद्युतीकरण का कार्य प्रभावित हो जाता है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

(ब) माननीय विधायकों द्वारा ग्रामों के विद्युतीकरण के संदर्भ में संस्तुति देर से प्राप्त होती है ।

(स) स्थानीय कारण जैसे रास्ते में फसल खड़ी होने के कारण कार्यों को त्वरित गति से करने में अवरोध उत्पन्न होता है ।

सभी महाप्रबंधकों को वर्ष 1998-99 में शेष कार्यों को जून, 2000 एवं वर्ष 1999-2000 के शेष कार्यों को दिसम्बर, 2000 तक पूर्ण करने हेतु निदेशित किया जा चुका है ।]

प्रदेश के संस्कृत महाविद्यालयों की विभाजन योजना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई, नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

[डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना के अन्तर्गत अवगत कराया है कि शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश के संस्कृत महाविद्यालयों के वर्गीकरण की योजना से इन विद्यालयों के अध्यापकों की सेवा शर्तें, वरिष्ठता तथा छात्रों की उपलब्धता का संकट खड़ा हो गया है एवं विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं । मा० सदस्य ने लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन से योजना को स्पष्ट करने की मांग की है ।

2–इस सम्बन्ध में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि वर्तमान में संस्कृत विद्यालयों में प्रथमा से आचार्य (स्नातकोत्तर) तक की पढ़ाई होती है । अतः शासन द्वारा संस्कृत विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय तथा महाविद्यालय की श्रेणियों में वर्गीकरण करने का निर्णय लिया गया है ताकि वर्गीकरण के आधार पर ही शिक्षकों के पदनाम, अर्हताएं व वेतनमान आदि निर्धारित किया जा सके, यह निर्णय लिया गया है । अब केवल संस्कृत महाविद्यालय ही सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रह जायेंगे । प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों को सम्बद्ध करने के लिए माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् की स्थापना की जा रही है ।

3–महाविद्यालयों के लिए जो मानक निर्धारित किये जा रहे हैं उन्हें पूरा करने वाले महाविद्यालय ही अब सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रह पायेंगे । इस व्यवस्था में कोई विसंगति नहीं है अथवा महाविद्यालयों के समक्ष कोई संकट का प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा कथित रूप से की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री उदय राज यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

[उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–34(2) निम्न प्रकार है :–

34 (2) "विश्वविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय का कोई अध्यापक अध्यापन सम्बन्धी कर्त्तव्यों या किसी परीक्षा सम्बन्धी कर्त्तव्यों से भिन्न कर्त्तव्यों वाला एक से अधिक पारिश्रमिक पद धारण नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण "पारिश्रमिकीय पद" शब्दों के अन्तर्गत छात्र निवास अथवा छात्रावास के वार्डेन या अधीक्षक, प्राक्टर, क्रीड़ा अधीक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष और नेशनल कैडेट कोर राजकीय

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

खेलकूद संगठन, राष्ट्रीय समाज सेवा स्कीम तथा विश्वविद्यालय रोजगार कार्यालय में कोई पद भी है ।

वर्तमान में विश्वविद्यालय में सुश्री निशी पाण्डेय, डा० विनोद सिंह, डा० आनन्द मुरारी सक्सेना, डा० ए० के० पाण्डेय एवं डा० वाई० पी० सिंह छात्रावास के वार्डेन/सहायक वार्डेन के साथ-साथ सहायक प्राक्टर का कार्य भी देख रहे हैं ।

इस सन्दर्भ में अवगत कराना है कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में लेक्चरार, रीडर के पदों पर काफी रिक्तियां हैं तथा अधिकांश शिक्षक सहायक प्राक्टर अथवा वार्डेन/सहायक वार्डेन का कार्य करने में अनिच्छुक भी रहते हैं । अतः विश्वविद्यालय में इच्छुक शिक्षकों की कमी के कारण विशेष परिस्थितियों में कतिपय शिक्षकों को एक से अधिक पारिश्रमिक पद पर नियुक्ति किया गया है । विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा समाप्त होने पर ऐसे सभी मामलों में जहां शिक्षकों को एक से अधिक पारिश्रमिक पद पर नियुक्त किया गया है उनमें से एक पद से अनिवार्य रूप से मुक्त कर दिया जायेगा । यद्यपि उपरोक्त 5 शिक्षक एक से अधिक पारिश्रमिकीय पदों पर नियुक्त हैं । किन्तु इनमें से मात्र एक शिक्षक डा० आनन्द मुरारी सक्सेना को छोड़कर शेष चार शिक्षकों को एक ही पद का पारिश्रमिक दिया जा रहा है । डा० आनन्द मुरारी सक्सेना के सम्बन्ध में विसंगति संज्ञान में आ गयी है इसका शीघ्र निराकरण कर लिया जायेगा ।

यह आरोप बिल्कुल निराधार है कि कुलपति द्वारा अपने नजदीकी लोगों को कई पदों पर नियुक्त किया गया है । उपरोक्त उल्लिखित पांचों अध्यापकों में से कोई भी कुलपति का रिश्तेदार नहीं है और न ही उनका कोई नजदीकी संज्ञान में आता है ।]

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रदेश में विशेषतः जनपद मथुरा में घोषित मानकों के अनुरूप गुणवत्ता के भवनों का निर्माण व आवंटन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

आवास, नगर विकास मंत्री (श्री लाल जी टण्डन)–

[उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रदेश में विशेषतः जनपद मथुरा में घोषित मानकों के अनुरूप गुणवत्ता के भवनों का निर्माण व आवंटन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा० सदस्य श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के विषय में आवास विकास परिषद् से आख्या प्राप्त की गयी । माननीय सदस्य श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी उपरोक्त सूचना के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि आवास विकास परिषद की राधिका बिहार योजना मथुरा में समस्त विकास कार्य जैसे सड़कों, नालियों, सैप्टिक–टैंक, बाह्य विद्युतीकरण, पेयजल व्यवस्था, पार्कों आदि की स्वीकृति ले–आउट के अनुसार निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाया गया है । राधिका बिहार मथुरा मात्र 68.9 एकड़ की योजना है । योजना के प्रथम चरण में 23.87 एकड़ का विकास कार्य पूर्ण करके योजना का रख-रखाव नगरपालिका परिषद मथुरा को दिनांक 5–3–93 को हस्तगत कर दी गयी है तथा नगरपालिका परिषद् मथुरा द्वारा ही पिछले 7 वर्षों से योजना का रख-रखाव किया जा रहा है एवं भवनों के आवंटियों से जलकर व भवन कर वसूला जा रहा है । इस योजना की जन-सुविधाओं के रख-रखाव में हुई कमियों के निवारण हेतु सचिव, नगर विकास विभाग को आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

योजना के प्रथम चरण में स्कूल भूखण्ड का प्राविधान नहीं किया गया था परन्तु योजना के द्वितीय चरण का ले–आउट प्लान तैयार किया जा रहा है जिसमें स्कूल भूखण्ड का प्राविधान किया जा रहा है। सामुदायिक केन्द्र का प्राविधान राधिका बिहार योजना से संलग्न दूसरी योजना कृष्ण बिहार मथुरा में है। बैंक, पोस्ट आफिस, पुलिस चौकी आदि योजना के आस-पास एक किलोमीटर के क्षेत्र में उपलब्ध हैं अतः योजना में इनका प्राविधान नहीं किया गया है।

योजना में 13 नग दुकानें लगभग 10 वर्ष पूर्व निर्मित की गयी थी, परन्तु निरन्तर ब्याज जुड़ने के कारण विक्रय मूल्य अधिक हो गया जिसके कारण दुकानें विक्रय नहीं हुई हैं। कुछ दुकानों में अस्थाई रूप से परिषद का उपखण्ड स्टोर स्थापित है तथा कोई अवैध गोदाम नहीं है। इन दुकानों की विक्रयशीलता बढ़ाये जाने की दृष्टि से इन दुकानों का मूल्य फ्रीज किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त इस योजना में 445 भवन हैं जिसमें 97 नग भवन मध्यम आय वर्ग तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग के 170 नग व दुर्बल आय वर्ग के 178 नग भवनों तथा उपरोक्त 13 नग दुकानों का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार किया गया है। दुर्बल आय वर्ग के मात्र 10 भवन आवंटन हेतु शेष हैं इनका निस्तारण भी शीघ्र कर दिया जायेगा।

3–इस संबंध में यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि इस योजना में दुर्बल आय वर्ग व अल्प आय वर्ग भवनों का निर्माण 20 सूत्रीय कार्यक्रम के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु वर्ष 1988 में किया गया था, परन्तु इन भवनों की पर्याप्त मांग न होने के कारण इनके निस्तारण में लगभग 12 वर्ष का समय लगा। इस कारण वे निर्मित भवन लम्बी अवधि तक बिना समुचित रख-रखाव के खाली रहें हैं, जिससे इन भवनों में कुछ न कुछ टूट-फूट एवं क्षति होना स्वाभाविक है, परन्तु जैसे-जैसे इन भवनों का आवंटन होता जायेगा वैसे-वैसे भवनों में हुई टूट-फूट की मरम्मत एवं रंगाई-पुताई कराकर आवंटियों की संतुष्टि से कब्जा दिया जायेगा।

4–आवास विकास परिषद द्वारा दुर्बल आय वर्ग के भवन संख्या–229, 230, 231, 268, 274, 250, 371 तथा 338 आदि लगभग 10 वर्ष पूर्व आवंटित किए गये थे। इन भवनों का कब्जा निर्गत नहीं किए जाने तथा आवंटियों से ब्याज वसूल किए जाने के संबंध में अवगत कराना है कि परिषद द्वारा भवन संख्या–238 तथा भवन सं०–268 का कब्जा पत्र पूर्व में ही कार्यालय के पत्र दिनांक 3-8-94 तथा दिनांक 15-6-89 के द्वारा नियमानुसार निष्पादित किया जा चुका है तथा संबंधित आवंटी के द्वारा भौतिक कब्जा भी प्राप्त किया जा चुका है। शेष भवनों के आवेदकों को कब्जा पत्र प्राप्त कराने हेतु समय-समय पर दैनिक समाचार-पत्रों में क्रमशः दिनांक 20-1-95, 27-2-95 तथा 24-3-1998 को सूचनायें प्रकाशित करायी गयी तथा समय-समय पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस आदि भी निर्गत किये गये थे परन्तु संबंधित आवंटियों के द्वारा कब्जा पत्र प्राप्त करने की वांछित औपचारिकतायें निर्गत प्रदेशन-पत्र के अनुसार पूर्ण न करने के कारण संबंधित भवनों का पंजीकरण तथा आवंटन माह अगस्त, 1999 में निरस्त कर दिया गया है। यदि वर्तमान में संबंधित आवेदक अपने पक्ष में आवंटित भवन का कब्जा लेना चाहते हैं तो नियमानुसार पंजीकरण/भवन प्रदेशन पुनर्जीवन करवाते हुए कब्जे की वांछित औपचारिकतायें तथा अद्यतन देय अवशेष भुगतान परिषद कोष में जमाकर कब्जा पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही करने पर परिषद द्वारा विचार किया जा सकता है। इन आवेदकों से ब्याज की दर निर्गत प्रदेशन-पत्र की शर्तों के अनुसार ही ली जा रही है। इसके अतिरिक्त परिषद में तत्समय लागू नियमों के अनुरूप आवंटियों से 180 मासिक किश्तों में धनराशि वसूल किये जाने हेतु प्रदेशन-पत्र निर्गत किया गया था तथा परिषद में मूल्यांकन नियमों के अनुसार भवन का मूल्य अवधि व मासिक किश्तों का निर्धारण एवं ब्याज की दर ली गयी है।]

प्रदेश में सहकारी गन्ना समितियों को गन्ना मिलों से मिलने वाले गन्ना आपूर्ति कमीशन की दर कम किये जाने तथा मिल मालिकों के दबाव में सहकारी समितियों को समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

गन्ना विकास मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

[माननीय सदस्य विधान सभा श्री राम विशुन आजाद द्वारा उक्त विषयक नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में यह कहा गया है कि प्रदेश की गन्ना विकास समितियों द्वारा गन्ने के पड़ताल से लेकर भुगतान कराने तक की समस्त कार्यवाही सम्पादित की जाती रही है लेकिन मिल मालिक समितियों को समाप्त कराना चाहते हैं और यह समस्त कार्य निहित स्वार्थवश अपने हाथों में लेना चाहते हैं। उनका यह भी कथन है कि गन्ना आपूर्ति पर प्राप्त कमीशन ही समितियों की आय का प्रमुख स्रोत है जिसे भी 5 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया है और अब 3 प्रतिशत से घटाकर 1/- प्रति कुन्टल 01-10-98 से कर दिया गया है। इस प्रकार गन्ना समितियों की हालत जर्जर हो गयी है। मिल मालिकों के समितियों को समाप्त करने के कुत्सित प्रयास में सरकार भी सम्मिलित है जो किसानों के शोषण का कारण बन रहा है।

प्रदेश में कुल 174 सहकारी गन्ना विकास समितियां हैं जिनका गठन गन्ना कृषकों को कृषि निवेश एवं उर्वरक क्रय हेतु ऋण उपलब्ध कराने, गन्ना विकास संबंधी गतिविधियों में सहयोग करने, गन्ने की चीनी मिलों को आपूर्ति सुनिश्चित करने, कृषकों को चीनी मिलों से गन्ना मूल्य भुगतान कराने एवं इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में गन्ना कृषकों के हितों का संरक्षण करने के उद्देश्य से किया गया था। प्रारम्भ में समितियों ने इसके अनुरूप कार्य किया भी किन्तु कालान्तर में अनावश्यक रूप से कर्मचारियों की भर्ती करने एवं अन्य प्रशासनिक व्ययों में वृद्धि कर लेने के साथ-साथ कृषि निवेश एवं उर्वरक आदि आय अर्जित करने वाले व्यवसाय में कमी होते रहने के फलस्वरूप अधिकांश समितियों का वित्तीय स्वास्थ्य एवं प्रबन्धक दिनों दिन गिरता गया। इस समय प्रदेश की कुल 174 गन्ना समितियों में से लगभग 100 समितियां घाटे में हैं इनमें से भी 42 गन्ना समितियों ने अपने प्रबन्धकीय एवं प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति हेतु चीनी मिलों को आपूर्ति किये गये गन्ने का प्राप्त गन्ना मूल्य संबंधित कृषकों को भुगतान न करके रु० 19.55 करोड़ की धनराशि का व्यावर्तन कर लिया इन परिस्थितियों के संदर्भ में अनेक किसानों, जनप्रतिनिधियों एवं मिल मालिकों की ओर से गन्ना समितियों की कार्य प्रणाली के विरुद्ध आवाज उठाई जाने लगी इसलिए समितियों द्वारा किये जाने वाले सर्वेक्षण एवं सट्टा, पर्ची निकासी के कार्य में चीनी मिलों को भी भागीदारी प्रदान की गई। विभागीय कर्मचारियों एवं चीनी मिल के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से गन्ना सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है और कम्प्यूटर के माध्यम से पर्ची निकासी का कार्य भी कराया जा रहा है, जिससे यह कार्य अधिक विश्वसनीय रूप से एवं त्वरित गति से सम्पन्न हो सके। साथ ही इसमें किसानों को होने वाली कठिनाईयां भी दूर की जा सके। गन्ना मूल्य भुगतान में विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं एवं छोटे किसानों के शोषण संबंधी शिकायतों के संदर्भ में पूरे प्रदेश में बैंकों के माध्यम से गन्ना मूल्य भुगतान कराये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया जिससे छोटे गन्ना किसानों को विशेष रूप से व्यापक राहत प्राप्त हुई है और गन्ना विपणन में कार्यरत विचौलियों से व्यवस्था को पूरी तरह मुक्त कराया जा सका है। जहां तक कमीशन का प्रश्न है इसकी दर समितियों द्वारा चीनी मिलों को आपूर्ति किये गये गन्ने के संविधिक न्यूनतम मूल्य, जो पेराई सत्र 1999-2000 के

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लिए रु० 56.10 लाख है, का 3 प्रतिशत है । इस दर में कोई कमी नहीं की गई है । वर्ष 99-2000 के लिए रु० 1/- से ऊपर देय गन्ना कमीशन की छूट शासन द्वारा चीनी मिलों को गन्ना मूल्य में की गई बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत चीनी उद्योग की खराब स्थिति के संदर्भ में दी गई है किन्तु कमीशन की स्थाई दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । यह दरें 1994 से ही प्रभावी हैं । यहां यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष संविधिक न्यूनतम मूल्य में वृद्धि की जाती है और उसकी के अनुरूप 3 प्रतिशत की दर से गन्ना कमीशन में भी वृद्धि प्रतिवर्ष होती रहती है अतएव इस दर को अलग से बढ़ाये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

शासन कृषकों के हितों के प्रति पूर्णतया सजग है और समितियों के सुदृढ़ीकरण की एक कार्ययोजना शासन के विचाराधीन है । शासन गन्ना कृषकों और चीनी मिलों के हितों को एक दूसरे का पूरक मानते हैं और दोनों ही हित संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है ।]

प्रदेश में शासनादेश के बावजूद जिला पंचायतों को डी० आर० डी० ए० का 30 प्रतिशत धन आवंटित न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

[मा० श्री राम औतार शाक्य द्वारा विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम–51 के अन्तर्गत जनपद मैनपुरी में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत मात्राकरण का अनुपालन ठीक से न करने के संबंध में प्रेषित सूचना दिनांक 9-5-2000 के संबंध में अवगत कराना है कि सुनिश्चित रोजगार योजना केन्द्र पुरोनिधानित योजना है, जिसका क्रियान्वयन भारत सरकार के मार्ग निर्देशों के अनुरूप किया जाता है । इस संबंध में प्राप्त निर्देशों को पहले ही जनपदों को प्रेषित किया जा चुका है, और मार्ग निर्देशों के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन कराये जाने के निर्देश हैं । जहां तक जनपद मैनपुरी का प्रश्न है इस संबंध में पृथक से जांच कराने की कार्यवाही की जा रही है ।]

अतिरिक्त महाप्रबन्धक (विद्युत) उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ को उनके मूल विभाग में भेजे जाने के संबंध में श्री भीम प्रसाद सोमकर, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

लोक निर्माण, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

[श्री छत्रपाल सिंह, जो लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता के पद पर कार्यरत थे, उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम में स्थानिक अभियन्ता के पद पर प्रतिनियुक्ति पर आये थेऔर वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 01 दिसम्बर, 1984 में निगम में संविलियन किये जाने के प्राविधानों के प्ररिप्रेक्ष्य में श्री सिंह ने उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम में दिनांक 01 दिसम्बर, 1984 से संविलियन किये जाने हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत किया । जिसके परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा दिनांक 01-12-84 से उनका त्याग-पत्र स्वीकार करते हुए उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम में संविलियन किये जाने की अनुमति प्रदान की गई । जिसके पालन में उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम के आदेश दिनांक 30-10-86 द्वारा उन्हें स्थानिक अभियंता के पद पर संविलीन किया गया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

2–मा० सदस्य द्वारा दी गई सूचना में पुलिस अधीक्षक, सतर्कता के जिस पत्र को शासन स्तर पर दबाये जाने का उल्लेख किया गया है उसके विषय में सतर्कता विभाग से जानकारी की गई । सतर्कता विभाग ने सूचित किया है कि क्योंकि प्रश्नगत पत्र का दिनांक अंकित नहीं किया गया है अतः यह स्पष्ट नहीं है कि मा० सदस्य का आशय किस पत्र से है । ऐसी स्थिति में संदर्भ स्पष्ट न होने के कारण स्पष्ट सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है ।

3–जहां तक उक्त अधिकारी द्वारा विद्युत सामग्री एवं आई.एस० ओ० 900/-2 के अनुरूप निर्माण निगम में अनुमोदन हेतु 50,000/- से 1,00,000/- रुपये लेकर चहेते फर्मों को कार्य दिये जाने एवं कोई विज्ञापन न करने का प्रश्न है, इस संबंध में उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम के वर्किंग मैनुअल में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार विद्युत सामग्री को क्रय करने की प्रक्रिया से संबंधित सारा कार्य इकाई स्तर पर गठित क्रय समिति द्वारा किया जाता है । कुछ विशेष विद्युत सामग्रियों के क्रय जैसे–लिफ्ट, एल० टी० पैनल, डी०जी० सेट, वातानुकूलन एवं सब स्टेशन से संबंधित कार्यों में दरों के निर्धारण हेतु सारा कार्य उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम के मुख्यालय स्तर से गठित एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है, जो समस्त दरों का सम्यक परीक्षण करके दरें तय करती है । अतः दरें बाजार दर से अधिक होने का प्रश्न नहीं उठता है ।

4–नवनिर्मित बापू भवन में ट्रांसफोरमर की खरीद में तथा बस्ती अस्पताल में एल० टी० पैनल बोर्ड, डी० जी० सेट आदि के क्रय में घोर अनियमितता किये जाने का जो उल्लेख किया गया है, इस संबंध में स्थिति यह है कि जो ट्रांसफारमर क्षतिग्रस्त हुआ बताया गया है, वह संबंधित फर्म द्वारा बिना किसी अतिरिक्त धनराशि लिए बदल दिया गया है । उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार 1250 केवीए ट्रांसफारमर की खरीद हेतु चार फर्मों से कोटेशन मांगे गये थे तथा निगम के वर्किंग मैनुअल में निर्धारित नियमों के अनुसार पी०सी०आर० बनाकर श्रीमंत कामर्शियल एजेंसीज द्वारा श्रीमंत क्राम्पटन ग्रीवज के नाम आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया था । बस्ती चिकित्सालय में जो सामग्री क्रय की गई है, वह नियमानुसार मुख्यालय स्तरीय समिति, जिसमें अधीक्षण अभियंता, स्वास्थ्य महानिदेशालय भी उपस्थित थे, के अनुमोदनोपरान्त क्रय किया गया है, अतः इसमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । सिविल कोर्ट कानपुर में क्रय की गई लिफ्टों के संबंध में जांच कराई गई एवं कोई शासकीय क्षति नहीं पाई गई ।

5–जहां तक इण्टरप्राइजेज के खातों की जांच एवं उक्त अधिकारी को प्रतिनियुक्ति से तत्काल हटाये जाने एवं सी०बी०आई० से जांच कराये जाने का संबंध है, इस संबंध में स्थिति यह है कि उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम के लेखों की जांच एक सतत् प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर महालेखाकार द्वारा की जाती है । श्री सिंह के विरुद्ध सी०बी०आई० से जांच कराने का औचित्य नहीं है । चूकि श्री सिंह का संविलियन निर्माण निगम में वर्ष 1984 में नियमानुसार किया जा चुका है, अतः अब नियमानुसार उन्हें मूल विभाग में वापस किया जाना सम्भव नहीं है ।]

जनपद–गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत नोएडा प्राधिकरण में तैनात कतिपय अधिकारियों को भारी अनियमितताओं के आरोप में निलम्बित किये जाने तथा उनकी बहाली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नबाब सिंह नागर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर

केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

आवास, नगर विकास मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

[मा० सदन में मा० सदस्य श्री नबाब सिंह नागर द्वारा नोएडा प्राधिकरण में तैनात श्री जी० सी० तिवारी, वरिष्ठ विकास प्रबन्धक व तीन अन्य अधिकारियों के सम्बन्ध में निम्न बिन्दु रखे गये हैं :–

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद–गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत नोएडा प्राधिकरण में तैनात श्री जी० सी० तिवारी, वरिष्ठ विकास प्रबन्धक व तीन अन्य अधिकारियों को भारी अनियमितताओं के आरोप में पत्र संख्या : नोएडा/का०/96/583/दिनांक 29-2-96 के द्वारा निलम्बित कर दिया गया था । इनकी जांच सतर्कता विभाग में 113/95 (बी)–1 सं० 18 से सम्बन्धित भी चल रही है, श्री तिवारी के निलम्बन बहाली के लिये माननीय उच्च न्यायालय में दी गयी याचिका संख्या–40558 को मा० उच्च-न्यायालय द्वारा खण्डित कर दिया गया था तथा मा० उच्च न्यायालय ने मत व्यक्त किया था कि निलम्बन आदेश, आरोपों की गम्भीरता और याची को पुनः इस पद पर रखने से होने वाली सम्भावित दुराचारिता तथा आरोप सिद्ध करने के लिये उपलब्ध होने वाले साक्ष्य पर दुष्प्रभाव की सम्भावनाओं पर विचार करने के पश्चात् निलम्बन आदेश खण्डित करने योग्य नहीं हैं । इन सब तथ्यों से अवगत कराने के बाद भी शासन ने अपने पत्र संख्या : औद्योगिक अनु०–4–77–4–2000 दिनांक 15 फरवरी, 2000 के द्वारा श्री जी० सी० तिवारी का निलम्बन रद्द कर बहाली का निर्णय ले लिया गया है, जिसकी अनेकों राष्ट्रीय पत्रों में कड़ी आलोचना हुई है तथा जनता में शासन व प्रशासन के प्रति भारी क्षोभ व असंतोष व्याप्त है और अन्य आरोपी अधिकारियों की भी बहाली की आशंका है, जिससे भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलन्द हैं व ईमानदार व कर्मठ अधिकारियों में भारी मायूसी छायी हुई है ।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :–

श्रीमती नलिनी तिवारी पत्नी श्री जी० सी० तिवारी, आर–19, सेक्टर-12 नोएडा का पत्र शासन में प्राप्त हुआ, जिसमें श्री जी० सी० तिवारी वरिष्ठ विकास प्रबन्धक (निलम्बित) नोएडा प्राधिकरण का निलम्बन बहाल करने का अनुरोध किया गया था । इस सम्बन्ध में नोएडा प्राधिकरण से आख्या प्राप्त की गयी । प्राप्त आख्यानुसार श्री तिवारी को दिनांक 29-2-96 को निलम्बित किया गया था । इनके दीर्घकालीन निलम्बन अवधि को दृष्टिगत रखते हुए तथा श्रीमती नलिनी तिवारी के प्रार्थना-पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सम्यक विचारोपरान्त श्री जी० सी० तिवारी के निलम्बन बहाली का निर्णय लिया गया तथा श्री तिवारी के विरुद्ध चल रही जांच को तीन माह में पूर्ण करने के निदेश नोएडा प्राधिकरण को भेजे गये ।

इसी प्रकार श्री आर० पी० कालरा, विकास प्रबन्धक (निलम्बित) को बहाल करने का निर्णय लिया गया है ।]

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सुलेमसराँय आवास योजना के अन्तर्गत पेयजल हेतु निर्मित ओवर हेड टैंक का जन सामान्य हेतु उपयोग न किये जाने से हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत सरोज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

आवास, नगर विकास मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

[इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सुलेमसराँय आवासीय योजना में पेयजल हेतु निर्मित किये गये ओवर हेड टैंक का जन सामान्य हेतु उपयोग न किये जाने के सम्बन्ध में मा० सदस्य श्री इन्द्रजीत सरोज द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सुलेमसरांय आवासीय योजना में आर०सी०सी० ओवर हेड टैंक के निर्माण हेतु रु० 19.25 लाख का कार्यादेश इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मे० कपूर कान्स्ट्रक्शन कं० को दिनांक 22-6-1985 को प्रदान किया गया । कार्य समाप्ति की तिथि 9-7-1986 थी । ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य समय से पूर्ण नहीं किया गया । अतः दिनांक 22-1-1992 को दूसरे ठेकेदार मे० संगम लाल पाण्डेय को अवशेष कार्य पूर्ण करने का आदेश प्रदान किया गया । इन्होंने 1993 में कार्य पूर्ण किया तथा इस टैंक से जलापूर्ति आरम्भ की गयी । उपरोक्त ओवर हेड टैंक जल संस्थान को हस्तगत करने हेतु वर्ष 1993 में एक संयुक्त समिति बनायी गयी थी तथा दिनांक 22-6-1994 को इस योजना की समस्त जल प्रणाली जल संस्थान को हस्तान्तरित कर दी गयी ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

वर्ष 1999 में जल संस्थान द्वारा टंकी में लीकेज की मरम्मत की आवश्यकता बतलायी गयी । बीच की अवधि में टंकी का प्रयोग न होने के कारण लीकेज की शिकायत आयी, जिसके क्रम में माह फरवरी, 1999 में व्ययानुसार बनाकर जल निगम से मरम्मत कराये जाने का निर्णय लिया गया तथा परियोजना प्रबन्धक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ० प्र० जल निगम यूनिट–10 को रु० 1,35,850.00 (रुपये एक लाख पैंतीस हजार साठ सौ पचास मात्र) की स्वीकृति दिनांक 9-5-2000 को टंकी की मरम्मत हेतु दी गयी तथा यह आदेश दिया गया कि उपरोक्त धनराशि की कटौती पूर्व ठेकेदार मे० संगमलाल पाण्डेय से नियमानुसार की जाय । जल निगम यूनिट 10 द्वारा उपरोक्त लीकेज की मरम्मत कर परियोजना का ओवर हेड टैंक पूर्ण कर टेस्ट कराने के उपरान्त जल संस्थान को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा । वर्तमान में सुलेमसराँय आवास योजना में सीधे ट्यूबवेल द्वारा 8–10 घण्टे जलापूर्ति की जा रही है ।

प्राधिकरण द्वारा नलकूप तथा जल वितरण प्रणाली जल संस्थान को हस्तान्तरित की जायेगी तथा ओवर हेड टैंक की मरम्मत के पश्चात् इसे भी जल संस्थान को टेस्ट कराने के बाद हस्तगत कर दी जायेगी ।]

जनपद उन्नाव के थाना बिहार अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में पुलिस के सहयोग से शराब की अवैध भट्टियों के संचालन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री कृपा शंकर सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर

केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

मुख्य मंत्री–

[प्रश्नगत प्रकरण की जांच पुलिस अधीक्षक, उन्नाव के माध्यम से करायी गयी । जांच से पाया गया कि थाना बिहार, जनपद उन्नाव के अन्तर्गत ग्राम केदारखेड़ा, न्योती, पोखरी, परसण्डा, पकराखुर्द, रामखेड़ा, नयाखेड़ा, भइयाखेड़ा, अकबारा एवं पहाड़पुर में स्थानीय पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत जो अभियोग पंजीकृत किये गये हैं उनका तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित है :–

क्र०सं०	ग्राम का नाम	1997 (सम्पूर्ण वर्ष)	1998 (सम्पूर्ण वर्ष)	1999 (सम्पूर्ण वर्ष)	दिनांक 1-1-2000 से 30-4-2000 तक
1	केदारखेड़ा	—	4	7	—
2	न्योती	2	—	—	9
3	पोखरी	2	—	—	—
4	परसण्डा	—	—	—	—
5	पकराखुर्द	—	1	7	—
6	रामखेड़ा	—	—	—	—
7	नयाखेड़ा	5	1	6	—
8	भइयाखेड़ा	—	—	—	—
9	अकबारा	12	19	2	2
10	पहाड़पुर	—	—	—	—
		योग : 21	25	22	11

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इस प्रकार उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि सन्दर्भित ग्रामों में विगत 3 वर्षों की अपेक्षा वर्ष 2000 में दिनांक 30-4-2000 तक अवैध शराब बनाने वालों के विरुद्ध स्थानीय पुलिस द्वारा अपेक्षाकृत अधिक कार्यवाही की गयी है ।

थाना क्षेत्र बिहार के अन्तर्गत उपरोक्त ग्रामों में देह व्यापार के धन्धे के तेजी पकड़ने सम्बन्धी आरोप के बारे में अवगत कराना है कि देह व्यापार सम्बन्धी कोई प्रकरण थाना क्षेत्र बिहार में प्रकाश में नहीं आया है और न ही इस सम्बनध में आम जनता द्वारा कोई शिकायत प्राप्त हुई है ।

अतः स्थानीय पुलिस के विरुद्ध अवैध शराब बनवाने एवं बेचने तथा देह व्यापार सम्बन्धी आरोप निराधार पाये गये हैं ।]

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही में ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बारीपुर एवं तिलंगा में पेयजल समूह का ओवर हेड टैंक का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

ग्राम्य विकास मंत्री (शिव प्रताप शुक्ल)–

[जनपद सन्त रविदास नगर के विधान सभा क्षेत्र के डीध विकास खण्ड में 166 आबाद ग्रामों में 19 ग्रामीण पेयजल योजनाओं के माध्यम से 148 ग्रामों में जल सम्पूर्ति की जा रही है । शेष 18 ग्रामों के मजरों में हैण्ड पम्प लगाये गये हैं । ग्राम वारीपुर व 25 अन्य ग्राम कोइराना ग्राम समूह पेयजल योजना से लाभान्वित हैं, परन्तु ग्राम बारीपुर तथा योजना में सम्मिलित अन्य दो ग्रामों कुडुआ व केवटाई में पेयजल आपूर्ति में कठिनाई उत्पन्न होने के कारण एक नलकूप ग्राम बारीपुर में बनाकर मूल योजना से इन्हें अलग कर इन तीनों ग्रामों को नियमित पेयजल आपूर्ति की जा रही है । इसके अतिरिक्त ग्राम बारीपुर एवं उसके समस्त मजरों में इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं । ग्राम बरीपुर में कोई ओवर हेड टैंक प्रस्तावित नहीं है ।

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि ग्राम तिलंगा अमिलोर ग्राम समूह पेयजल योजना में सम्मिलित है । इस योजना में 24 ग्राम सम्मिलित हैं । परन्तु 6 ग्राम जो छोर पर स्थित हैं, में पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है । इन 24 ग्रामों के समस्त पुरवों में इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं । जिनमें उपरोक्त 6 ग्राम भी सम्मिलित हैं, जहां पाइप लाइन द्वारा पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है ।]

जनपद मथुरा के जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा कथित रूप से की जा रही अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

खाद्य एवं रसद मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

[जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मा० सदस्य, श्री अजय कुमार पोइया द्वारा मा० मुख्य मंत्री जी को दिये गये शिकायती-पत्र प्रमुख सचिव/सचिव खाद्य विभाग को प्राप्त हुए हैं । प्रकरण में सहायक खाद्य आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा से जांच करायी जा रही है ।

जनपद मथुरा के ग्राम बेरी थाना फरह में पेटी डीलर की दुकान से दिनांक 3-5-2000 को हुए भीषण अग्निकाण्ड में जिला पूर्ति अधिकारी मथुरा (राम पलट पाण्डेय) को प्रथम दृष्ट्या दोषी मानते हुए

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

दिनांक 6-5-2000 को शासन द्वारा निलम्बित कर दिया गया है । उक्त घटना में दोषी पाये गये वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक की सहायक खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं रसद आगरा के आदेश दिनांक 4-5-2000 द्वारा निलम्बित किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है । पेटी डीजल डीलर का लाइसेंस निलम्बित किया जा चुका है । इस घटना की मजिस्ट्रेटीय जांच हेतु श्री आर० डी० पालीवाल अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) मथुरा को जांच अधिकारी नामित किया गया है । घटना स्थल का निरीक्षण मण्डलायुक्त, आगरा/पुलिस महानिरीक्षक/जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा एवं अन्य अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है ।

जिलाधिकारी मथुरा से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त अग्निकाण्ड से प्रभावित 131 व्यक्तियों को जनपद के विभिन्न चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम में भर्ती कराकर उनका उपचार कराया गया । सभी मरीजों को यथासम्भव निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है । समय-समय पर प्रशासनिक/पुलिस/चिकित्सा विभाग के अधिकारियों द्वारा इन अस्पतालों में भ्रमण कर यह सुनिश्चित किया जा रहा हैं कि उक्त अग्निकाण्ड में घायल हुए व्यक्तियों को उच्चकोटि की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हों ।

अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार इस घटना से प्रभावित 48 व्यक्तियों की मृत्यु होने की पुष्टि हुई है । मृतकों के परिवारों को तत्काल राहत सहायता वितरित करायी जा रही है । यदि मृतक व्यक्ति परिवार का कमाऊ सदस्य नहीं है तो उसके आश्रितों को मु० 50,000.00 रुपया तथा विधवा कमाऊ सदस्य नहीं है तो उसके आश्रितों को मु० 25,000.00 रुपया राहत सहायता तत्काल उपलब्ध करायी गयी है । मृतकों के परिवारों को दिनांक 10-5-2000 तक मु० 12,00,000.00 रुपया की धनराशि उपरोक्तानुसार उपलब्ध करायी जा चुकी है ।

दिनांक 6-5-2000 को मा० नगर विकास एवं आवास मंत्री जी द्वारा अन्य मा० मंत्रीगणों के साथ प्रभावित गांव का स्थलीय निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान मा० नगर विकास एवं आवास मंत्री द्वारा मंत्रीगण की समिति के साथ उक्त दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों के आश्रितों को निम्न धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु घोषणा की गयी :–

1–वयस्क कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर एक लाख रुपया ।

2–वयस्क गैर कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर मु० 50,000.00 रुपया ।

3–ऐसे व्यक्ति जो वयस्क नहीं हैं, उनकी मृत्यु होने पर मु० 25,000.00 रुपया ।

इस घटना के सम्बन्ध में मुकदमा अपराध संख्या–75/2000 धारा 304 ए/336/337/338/427 आई०पी०सी० के अन्तर्गत थानाध्यक्ष फरह द्वारा दर्ज करायी गयी है, जिसमें पेटी डीजल डीलर लाइसेंसी श्री घूरेलाल तथा श्री नाहर सिंह को नामजद किया गया है । प्रश्नगत डीजल डीलर का लाइसेंस श्री घूरे लाल के नाम से जारी हुआ था, जिसका संचालन श्री नाहर सिंह के द्वारा किया जा रहा था । इस घटना में श्री नाहर सिंह की मृत्यु हो चुकी है ।

दिनांक 4-5-2000 से ही दुर्घटना प्रभावित ग्राम गढ़ी–बेरी में शिविर लगाकर सहायता उपलब्ध करायी जा रही है । प्रभावित परिवारों के सदस्यों को आवश्यकतानुसार खाद्य सामग्री भी उपलब्ध करायी जा रही है । वर्तमान में श्री घूरे लाल पेटी डीजल डीलर (लाइसेंसी) फरार है जिसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है ।

मा० सदस्य द्वारा दी गयी सूचना में उठाये गये अन्य बिन्दुओं पर जांच करने के आदेश जिलाधिकारी मथुरा को दे दिये गये हैं ।]

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के अन्तर्गत ज्ञानपुर स्थित काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय में विधि विभाग (लॉ सेक्शन) खोले जाने के सम्बन्ध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

[प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय में विधि विभाग खोला जाना सम्भव नहीं है। वैसे भी बार काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा ऐसे निर्देश दिये गये हैं कि अब विधि शिक्षण के लिए अलग महाविद्यालय होना चाहिए।]

जनपद जौनपुर में विकास खण्ड सरकोनी में सरकोनी निधि न बने होने के कारण हो रही असुविधाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जगदीश नारायण राय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

[प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 1-11-94 को निर्गत अधिसूचना के द्वारा जनपद जौनपुर में सरकोना विकास खण्ड की स्थापना की गयी। लेकिन अभी तक उक्त विकास खण्ड के लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं उसके अधीनस्थ कर्मचारियों के पदों का सृजन प्रदेश के वित्तीय संसाधनों की कठिन स्थिति को देखते हुए नहीं किया जा सका है। वर्तमान समय में नव सृजित विकास खण्ड सरकोनी में विकास कार्य कराये जाने हेतु जनपद जौनपुर के अन्य निकटवर्ती विकास खंड के अधिकारी/कर्मचारियों को सम्बद्ध कर कार्य कराया जा रहा है। चूंकि विकास खण्ड सरकोनी के लिए खण्ड विकास अधिकारी का पद सृजित नहीं हो सका है। अतः इस विकास खण्ड के लिए क्षेत्र निधि/पी०एल०ए० की स्थापना नहीं हो सकी, क्योंकि क्षेत्र निधि/पी०एल०ए० का संचालन खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से किया जाता है। चूंकि सरकोनी विकास खण्ड के अधिकारी/कर्मचारी अन्य विकास खंड़ों के हैं, अतः इन कर्मचारियों का वेतन सरकोनी विकास खण्ड से आहरित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। पदों के सृजन के पश्चात् ही क्षेत्र निधि/पी०एल०ए० की स्थापना किया जाना सम्भव हो सकेगा और बजट सीधे क्षेत्र पंचायत सरकोनी को उपलब्ध हो सकेगा।]

प्रदेश में इंजीनियरिंग की संयुक्त प्रवेश परीक्षा सम्पन्न कराने का दायित्व अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, सीतापुर रोड, लखनऊ के निदेशक डा० ए० के० खरे को सौंपे जाने से परीक्षा की सुचिता पर लगे प्रश्नचिन्ह के सम्बन्ध में श्री जगदम्बिका पाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्रीमती प्रभा द्विवेदी)–

[उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं प्रदेश के निजी क्षेत्र में स्थापित अभियंत्रण संस्थाओं में अभ्यर्थी उपलब्ध कराने का कार्य उत्तर प्रदेश राज्य अभियंत्रण संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से कराया जाता है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा का कार्य प्राविधिक

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन पूर्ण वित्त पोषित महाविद्यालयों के माध्यम से कराने की अधिसूचना दिनांक 17 दिसम्बर, 1988 में व्यवस्था की गयी ।

2–उक्त अधिसूचना दिनांक 17 दिसम्बर, 1988 की व्यवस्था के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य अभियंत्रण प्रवेश परीक्षा 1999 का कार्य लखनऊ स्थित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ द्वारा ही सम्पन्न कराया गया था । वर्ष, 1999 में इस परीक्षा के आयोजन का कार्य तत्कालीन निदेशक, डा० जी० एन० पाण्डेय, जो प्रवेश परीक्षा समिति के अध्यक्ष भी थे, द्वारा कराया गया था । किन्तु पूर्व अध्यक्ष डा० जी० एन० पाण्डेय के विरुद्ध प्रारम्भ हुई सतर्कता अधिष्ठान की खुली जांच/अन्वेषण के अनुक्रम में संस्थान की प्रशासकीय परिषद ने दिनांक 29 अप्रैल, 1999 के निर्णय से उन्हें निलम्बित किया । डा० पाण्डेय के निलम्बन के फलस्वरूप प्रवेश परीक्षा के अध्यक्ष वरिष्ठ आचार्य होने के नाते डा० एस० के० बाजपेयी को नियुक्त किया गया और उनकी अध्यक्षता में नयी समन्वयक समिति का गठन 01 मई, 1999 को किया गया । इस नई समन्वयक समिति ने प्रवेश परीक्षा कार्य प्रारम्भ किया । इस समिति ने कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल पश्चात् यह पाया कि अधिकांश कार्य लम्बित पड़े थे तथा लगभग 80,000 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र नहीं भेजे गये थे तथा लगभग 9000 अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा केन्द्रों का चयन एवं निर्धारण भी नहीं किया गया था । उल्लेखनीय है कि श्री खरे प्रवेश परीक्षा, 1999 की परीक्षा के समय अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुये थे । उस समय इसके अध्यक्ष, श्री एस० के० बाजपेयी थे; समन्वयक, डा० ए० के० खरे थे और समन्वयक (गोपनीय) डा० आर० सी० सारस्वत थे ।

3–नई समन्वयक समिति ने 02 मई, 1999 को एवं 12 मई, 1999 को प्रवेश समिति की चौथी एवं पांचवीं बैठक आयोजित की तथा परीक्षा को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराये जाने हेतु रात दिन कार्य करते हुये पूरे देश के तीस शहरों में 153 परीक्षा केन्द्रों पर दि० 18 व 19 मई, 1999 की परीक्षा सम्पन्न करायी ।

4–अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र भेजने में विलम्ब को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक शहर में नोडल केन्द्र बनाकर प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति निर्गत करने की व्यवस्था की गयी । दिनांक 16 मई, 1999 को समन्वयक समिति के संज्ञान में लाया गया कि कई छात्रों को जिनके पास अपने आवेदन-पत्र प्रवेश कार्यालय में जमा करने अथवा पंजीकृत डाक से भेजने के निश्चित प्रमाण है, अनुक्रमांक आवंटित नहीं हुये हैं । चूंकि पूर्व समन्वयक समिति ने छात्रों द्वारा जमा किये गये आवेदन-पत्रों का हिसाब नहीं रखा था, अतः प्रवेश समिति ने यह निर्णय लिया कि ऐसे छात्रों से आवेदन-पत्र जमा करने का निश्चित प्रमाण तथा शपथ पत्र लेकर प्रोविजनल रूप से परीक्षा में सम्मिलित कर लिया जाय । उक्तानुसार अभ्यर्थियों के पास आवेदन-पत्र भेजने की रसीद होने की दशा में उन्हें प्रवेश-पत्र निर्गत किया गया । इसी प्रकार जिन्हें प्रवेश-पत्र नहीं प्राप्त हुआ उन अभ्यर्थियों से पंजीकृत डाक की रसीद तथा शपथ-पत्र प्राप्त करके परीक्षा में सम्मिलित किया गया । ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 123 थी ।

5–उक्त अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु प्रवेश परीक्षा समिति द्वारा एक उप समिति का गठन किया गया । इस उप समिति ने रजिस्ट्रेशन कक्ष में आवेदन-पत्रों को ढूंढने तथा मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल तथा प्रवर डाक अधीक्षक की सहायता से पोस्टल सर्तकता अधिकारियों की नियुक्ति करवाकर विभिन्न आवेदन-पत्रों को प्रवेश परीक्षा कार्यालय में प्राप्ति की निश्चित तारीख निर्धारित की । इस जांच से यह निष्कर्ष निकला कि उपरोक्त अभ्यर्थियों ने वास्तव में आवेदन-पत्र जमा किये थे । तद्नुसार उपसमिति की 16 जून, 1999 को सम्पन्न बैठक के निर्णयानुसार परीक्षा-फल निर्माण तथा उनके परीक्षाफल घोषित किये जाने की कार्यवाही की गयी ।

6–प्रवेश परीक्षा, 1999 की अन्तिम पाली दिनांक 19 मई, 1999 को एनी बेसेन्ट परीक्षा केन्द्र के अभ्यर्थी श्री शिवम् शर्मा एवं श्री रामेन्द्र सिंह जिनकी उत्तर-पुस्तिका कोरी पायी थी, के प्रकरण में विवेचना सम्बन्धित थाने के स्तर पर प्रचलित है । इस प्रकार की कुल चार छात्रों की उत्तर पुस्तकायें ही

पूरे देश के परीक्षा केन्द्रों में कोरी पायी गयी । इस सम्बन्ध में प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 16 जून, 1999 पूरी परीक्षा में पूरे देश में कोरी उत्तर-पुस्तिकाओं की नगण्य संख्या को देखते हुये यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में कोई दुराशय/दुर्भावना प्रतीत नहीं होती ।

7–डा० एस० के० बाजपेयी, अध्यक्ष, प्रवेश समिति को डा० ए० के० खरे ने 01 मई, 1999 को एक पत्र द्वारा सूचित किया था कि इनकी रिश्तेदार कु० सुप्रिया श्रीवास्तव प्रवेश परीक्षा 1999 में एन० आर० आई० कोटे से बैठ रही थी । अध्यक्ष, डा० एस० के० बाजपेयी ने अपने पत्र दिनांक 05 मई, 1999 द्वारा शासन को अवगत कराया कि डा० खरे द्वारा बहुत परिश्रम के साथ परीक्षा का कार्य सम्पादित किया जा रहा है एवं उक्त लड़की एन० आर० आई० कोटे के अन्तर्गत बैठ रही है, इसलिए डा० खरे द्वारा परीक्षा का कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए एवं डा० खरे द्वारा उक्त कार्य सम्पादित किया जाना अपरिहार्य है । प्रवेश समिति ने गोपनीय कार्य हेतु डा० आर० सी० सारस्वत को समन्वयक का कार्य देखने हेतु अधिकृत किया । डा० ए० के० खरे ने प्रवेश परीक्षा, 1999 का कोई भी गोपनीय कार्य सम्पादित नहीं किया । उल्लेखनीय है कि डा० खरे की रिश्तेदार उक्त अभ्यर्थिनी का इस परीक्षा में चयन नहीं हुआ ।

8–क्वीन्स इन्टर कालेज में गणित तथा बायोलोजी के प्रश्न-पत्र एक ही समय पर होने की दशा में भूलवश बायोलोजी के प्रश्न-पत्र के स्थान पर गणित के 500 प्रश्न-पत्र भेज दिये गये थे । गलती का पता लगने पर अध्यक्ष प्रवेश समिति, डा० एस० के० बाजपेयी ने उक्त परीक्षा केन्द्र पर जाकर बायोलोजी के प्रश्न-पत्र उपलब्ध कराये तथा गणित के प्रश्न-पत्र लाकर गोपनीय कक्ष में जमा किये । इसका परीक्षा पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा डा० खरे का इस गोपनीय कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं रहा ।

9–उत्तर पुस्तिकाओं के कोडिंग तथा मूल्यांकन हेतु 12 निदेशकों/प्रधानाचार्यों/आचार्यों की एक समिति बनायी गयी जिसमें डा० खरे सम्मिलित नहीं थे । उक्त समिति ने ही कोडिंग, उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन तथा परीक्षाफल तैयार करने का कार्य सफलता एवं गोपनीयता के साथ सम्पन्न किया । इस प्रकार कोडिंग, मूल्यांकन आदि गोपनीय कार्य में डा० खरे की कोई सहभागिता नहीं थी तथा तत्कालीन मा० प्राविधिक शिक्षा मंत्री जी के किसी आदेश की अवहेलना भी नहीं की गयी ।

10–विगत सत्र 1999 में प्रवेश परीक्षा पूर्ण पारदर्शिता एवं स्वच्छतापूर्वक आयोजित की गयी ।

11–प्रवेश परीक्षा में प्रवेश दिलाने के नाम पर अभ्यर्थियों से ढाई लाख से चार लाख रुपये तक लिये जाने सम्बन्धी आरोप पूर्णतः बलहीन एवं आधारहीन है ।

12–अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, सीतापुर रोड, लखनऊ का निदेशक होने के कारण डा० खरे पदेन यू पी सीट, 2000 के अध्यक्ष हैं । प्रवेश परीक्षा, 1999 में डा० खरे द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गयी और न ही प्रवेश परीक्षा, 2000 के सम्बन्ध में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुयी है, इसलिए इन्हें इस परीक्षा के प्रभार से हटाये जाने का न तो कोई औचित्य है और न ही यह सम्भव है ।]

जनपद अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज के क्षेत्रान्तर्गत रजबाहों पर टूटी पुलियों का निर्माण तथा पतली पुलियों को चौड़ा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भीम प्रसाद सोनकर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर

केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

[मा० सदस्य ने अपनी सूचना में विधान सभा क्षेत्र जहांगीर गंज अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत राजबाहों पर टूटी पुलियों का निर्माण एवं पतली पुलियों को चौड़ा कराये जाने का उल्लेख किया गया है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

2–उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र जहांगीर गंज, जनपद अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत जहांगीर गंज रजबाहा स्थित है, जिसकी लम्बाई 62.7 कि०मी० है । विधान सभा क्षेत्र में जहांगीरगंज रजबाहा पर कुल 35 विभिन्न प्रकार के पुल है जिसमें 14 पैदल पुलिया है । इन पुलियों का निर्माण क्षेत्रीय ग्रामीण वासियों एवं जनप्रतिनिधियों की मांग के अनुसार किया गया था । मा० सदस्य द्वारा इंगित माडल मऊ मेन रोड कि०मी० 40.928 ग्राम रामनगर के पास क्षतिग्रस्त बी०आर०बी० का पुनरोद्धार कर दिया गया है जिस पर आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो गयी है । कि०मी० 41.68 पर निर्मित पुलियों जो रामनगर ब्लाक के पीछे है इसे भी बी०आर०बी० में परिवर्तित करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है ।]

प्रदेश में सड़क परिवहन निगम के अन्तर्गत नियमों के विरुद्ध सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों को क्षेत्रीय प्रबन्धक प्रभारी बनाये जाने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

परिवहन मंत्री (श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)–

[उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के अन्तर्गत 18 क्षेत्र हैं जिनमें क्षेत्रीय प्रबन्धकों की तैनाती की जाती है । इन 18 क्षेत्रों में से 16 क्षेत्रों में संचालन शाखा के क्षेत्रीय प्रबन्धक संवर्ग तथा दो क्षेत्रों में तकनीकी शाखा के उप मुख्य यांत्रिक अभियंता संवर्ग के अधिकारी तैनात किये जाने का प्राविधान है । क्षेत्रीय प्रबन्धक के कुल 21 पद स्वीकृत है जिनके विपरीत 17 अधिकारी कार्यरत हैं । निगम मुख्यालय लखनऊ के लिये क्षेत्रीय प्रबन्धकों के 5 पद आवंटित हैं जिन पर क्षेत्रीय प्रबन्धक संवर्ग के 05 अधिकारी निगम मुख्यालय में तैनात हैं, और 01 क्षेत्रीय प्रबन्धक निलम्बित हैं । उप मुख्य यांत्रिक अभियंता के कुल स्वीकृत 05 पदों के विपरीत 04 अधिकारी कार्यरत हैं, जिनमें 01 अधिकारी निलम्बित हैं ।

क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं मुख्य यांत्रिक अभियंता के सभी पद आंतरिक प्रोन्नति से क्रमबद्ध संचालन शाखा के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक व तकनीकी शाखा के सेवा प्रबन्धक से भरे जाने का प्राविधान है ।

क्षेत्र में क्षेत्रीय प्रबन्धक का पद अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील है । निगम को विशिष्ट कार्य प्रकृति के अनुसार क्षेत्रीय प्रबन्धक की अनुपलब्धता से कार्य पूर्णतया प्रभावित होता है और इसका सीधा प्रभाव निगम की आय पर पड़ता है ।

निगम के हित में कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत कर क्षेत्रीय प्रबन्धक स्तर के अधिकारियों की कमी के कारण फैजाबाद, कानपुर, इटावा, आजमगढ़ व नैनीताल क्षेत्रों में आकस्मिक/स्थानीय व्यवस्था के रूप में कतिपय सेवा प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों को अग्रिम आदेशों तक अपने कार्यों के साथ-साथ क्षेत्रीय प्रबन्धक के कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन करने के लिए निर्देशित किया गया है । इस प्रकार निगम हित में आवश्यकता के अनुसार कतिपय सेवा प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक से क्षेत्रीय प्रबन्धक का कार्य लिया जा रहा है, तथा उन्हें प्रभारी क्षेत्रीय प्रबन्धक के रूप में तैनात नहीं किया है ।]

पूर्वी उत्तर प्रदेश से विन्ध्यांचल मण्डल में कोई भी विश्वविद्यालय न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री पूर्ण मासी पंकज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

[सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में किसी नये विश्वविद्यालय की स्थापना पर अभी विचार नहीं किया जा रहा है ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मिर्जापुर मण्डल में काशी नरेश महाविद्यालय ज्ञानपुर को विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का औचित्य नहीं पाया गया ।]

प्रदेश के आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा विभाग में मनमानी कार्यशैली अपनाये जाने, खासकर दलित वर्ग की उपेक्षा व न्यायसंगत मामलों को अनायास लम्बित किये जाने के सन्दर्भ में श्री राम चन्द्र यादव, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

लोक निर्माण, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

[माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा उक्त दी गयी सूचना में प्रदेश के आयुर्वेदिक एवं चिकित्सा सेल विभाग में मनमानी चरम पर होने, दलितों की पिछड़े वर्ग से जुड़े लोगों व अल्प संख्यकों की प्रोन्नति के प्रकरण लम्बे समय से लटकाये जाने तथा दलित वर्ग के चिकित्सकों की प्रोन्नति न करके उन्हें आर्थिक क्षति पहुंचाने व पद लाभ से वंचित करने का उल्लेख किया गया है । उक्त सूचना में फैजाबाद मण्डल के जनपदों एवं देवी पाटन मण्डल के जनपद गोण्डा व बलरामपुर के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के पदों के रिक्त रहने तथा इन मण्डलों के चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारी, फार्मासिस्ट, स्वीपर व चौकीदार के पद रिक्त होने के कारण ग्रामीण अंचलों में चिकित्सालयों के बदहाल होने का उल्लेख किया गया है । माननीय सदस्य द्वारा दलितों व पिछड़े वर्ग से जुड़े लोगों के प्रति वर्षों से अन्याय के बिन्दु का उल्लेख करते हुये औरैया जिले के ग्राम नवीमोहन, बेलूपुर निवासी कुंवर मेहतर के प्रकरण का दृष्टिंत देते हुये उल्लेख किया गया है कि उक्त कर्मचारी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, इटावा में स्वच्छक/चौकीदार के पद पर वर्ष 1974-75 में नियुक्त हुआ था तथा इलाकाई अपराधिक मामले में उसको फंसा कर जेल भेज दिये जाने के कारण दिनांक 16 जनवरी, 1978 को निलम्बित कर दिया गया था । इटावा के सेशन कोर्ट ने दिनांक 19 जुलाई, 1980 को उसे बरी कर दिया था परन्तु उसे अभी तक सेवा में बहाल नहीं किया गया है तथा पैसे की मांग की जा रही है । माननीय सदस्य द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त दलित वर्ग के सफाई कर्मी को न्यायालय से न्याय मिलने पर भी विभाग में 20 वर्ष से प्रकरण लटका है । माननीय सदस्य द्वारा दृष्टांत का उदाहरण देते हुये आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा में विभागीय चयन समिति की बैठक बुलाकर दलित व पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की प्रोन्नति करने तथा लिपिकीय वर्ग के मामले निपटाये जाने तथा श्री कुंवर मेहतर को बहाल कर विभागीय देयों का भुगतान करने की मांग की गयी है ।

माननीय सदस्य द्वारा दी गयी नोटिस के सन्दर्भ में वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 1993-94 के आयुर्वेदिक घोटाले के उपरान्त विभाग में बहुत से पद रिक्त हैं जिनमें चिकित्सीय संवर्ग के प्रोन्नति ज्येष्ठता सूची अन्तिम न होने के कारण विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी है । विभाग में इन रिक्त पदों पर प्रोन्नति के माध्यम से चयन किये जाने के समय विभाग के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को निर्धारित आरक्षण का लाभ स्वतः अनुमन्य हो जायेगा । इसी प्रकार विभाग में फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही सम्पन्न कराई जा रही है जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये निर्धारित आरक्षण कोटे का अनुपालन किया जायेगा । विभाग के चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति पर कार्मिक विभाग द्वारा लगायी गयी रोक के कारण इन पदों को भरा जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है त था जैसे ही इस सन्दर्भ में कोई नीतिगत निर्णय होगा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये पदों को भरने की कार्यवाही कराई जायेगी जिसमें निर्धारित आरक्षण कोटे का ध्यान रखा जायेगा ।

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उक्त सूचना में श्री कुंवर मेहतर, स्वच्छक/चौकीदार के प्रकरण का दृष्टांत देते हुये उसकी बहाली व विभागीय देयों के भुगतान कराये जाने का सम्बन्ध है । इस विषय में प्रकरण की वस्तुस्थिति से अवगत कराने के आदेश निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें को निर्गत किये जा चुके हैं । क्योंकि स्वच्छक/चौकीदार के पद के नियुक्ति प्राधिकारी निदेशालय स्तर के अधिकारी हैं । प्रश्नगत प्रकरण में वस्तुस्थिति की सूचना प्राप्त कर शासन स्तर पर कार्य कार्यवाही की जायेगी ।]

जनपद गाजियाबाद के लोनी व आसपास के क्षेत्रों में बांगला देशी नागरिकों के बस जाने से श्री रूप चौधरी, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

मुख्य मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)–

[मा० सदस्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी थी कि जनपद गाजियाबाद के लोनी व आसपास के क्षेत्रों में बांगलादेशी नागरिकों के बस जाने से उत्पन्न कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में कहा गया कि पुलिस व प्रशासन के निष्क्रियता व मिलीभगत के कारण इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है । इनके कारण इस क्षेत्र में आई०एस०आई० की गतिविधियां भी बढ़ती जा रही हैं । आई०एस०आई० इन बंगलादेशी नागरिकों के माध्यम से इस क्षेत्र व आसपास के राज्यों में स्मैक, अवैध हथियारों व नकली नोटों का धन्धा देश व प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रही है । यह क्षेत्र की राजधानी दिल्ली से मिला हुआ है । इस असामाजिक तत्वों के कारण हत्या, लूटपाट, अपहरण और बलात्कार जैसे अपराधों में बढ़ोत्तरी हुई है । क्षेत्र के नागरिक अपने भविष्य और शान्ति व कानून व्यवस्था को लेकर चिन्तित हैं ।

प्राप्त आख्यानुसार वर्ष 1999 के प्रारम्भ में कुल 1391 अवैध बंगलादेशी राष्ट्रिक चिन्हित किये गये थे जो समय-समय पर अपना निवास स्थान बदलते रहे और कभी दिल्ली कभी गाजियाबाद में आते-जाते रहे । दिनांक 20-8-99 को 11 व दिनांक 2-9-99 को 5 बंगलादेशी राष्ट्रिकों को उदवासित किया गया । दिनांक 6-3-2000 को 33 बंगलादेशी राष्ट्रिकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया जिनके विरुद्ध उदवासन की प्रक्रिया चल रही है । इसके बाद अन्य बंगलादेशी राष्ट्रिकों के उदवासन की कार्यवाही की जायेगी ।

किसी बंगलादेशी राष्ट्रिक का आई०एस०आई०, नकली नोटों का धन्धा, स्मैक, अवैध हथियार आदि कार्य में संलिप्त होता एवं हत्या, लूटपाट, बलात्कार आदि के अपराधों में भी संलिप्त होना प्रकाश में नहीं आया । पहिचान पत्र, राशन कार्ड आदि के मामलों में शासन सतर्क है । सत्यापित कराने के पश्चात् की उपयुक्त पाने पर राशन कार्ड आदि की कार्यवाही की जा रही है ।

उल्लेखनीय है कि शहीदनगर, लोनी, पसोन्डा (गाजियाबाद) की सीमायें गौतमबुद्धनगर, दिल्ली व बागपत से लगी हुई हैं । के बंगलादेशी राष्ट्रिक अस्थाई रूप से वास करते हैं जो शरहदी जिलों में चले जाने के कारण कार्यवाही करने में विलम्ब होता है फिर भी उदवासन की कार्यवाही के समुचित प्रयास जारी हैं ।]

ताज ट्रेपेजियम के अन्तर्गत लभ्य समस्त सुविधाओं को जनपद हाथरस को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामवीर उपाध्याय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

[मा० विधायक श्री रामवीर उपाध्याय, विधान सभा क्षेत्र हाथरस द्वारा जनपद हाथरस में विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में जो बिन्दु उठाये गये हैं, उनके बारे में सूचित करना है कि जनपद हाथरस का कुछ भाग ही ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत आता है जहां पर मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । जनपद हाथरस में ताज ट्रेपेजियम योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु कार्य प्रस्तावित किये गये हैं :–

1–हाथरस नगर एवं हाथरस जंक्शन में नये 33/11 के०वी० उपकेन्द्र का निर्माण किया जाना हैं । यह कार्य वर्ष 2000-2001 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

2–33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि किया जाना है । यह कार्य भी इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

3–जनपद हाथरस के हाथरस नगर, मुरसान एवं मेडू में विद्युत सुधार हेतु विभिन्न प्रणाली सुधार के कार्य कराये जाने भी प्रस्तावित हैं जिसकी अनुमानित लागत लगभग 45 लाख रुपये है । यह कार्य भी 2000-01 में पूर्ण करा दिया जायेगा ।

4–ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद हाथरस के 40 ग्राम ही विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित किये गये हैं तथा उनको इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना है ।

5–उक्त कार्यों के पूर्ण होने पर जनपद हाथरस में विद्युत व्यवस्था में गुणात्मक सुधर होगा ।]

कुम्भ मेला 2001 के अन्तर्गत इलाहाबाद में हो रहे सुन्दरीकरण एवं मरम्मत का कार्य प्रीतम नगर एवं सुलेम सराय में न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री इन्द्रजीत सरोज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य

(सदन की अनुमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

आवास, नगर विकास मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

[कुम्भ मेला 2000 के अन्तर्गत इलाहाबाद में विभिन्न सड़कों का सुन्दरीकरण एवं मरम्मत का कार्य तथा विद्युत व्यवस्था में सुधार एवं पेयजल की आपूर्ति हेतु धन खर्च किया जा रहा है । परन्तु उक्त कार्य पूरे नगरीय क्षेत्र में नहीं किये जा रहे हैं । मोहल्ला प्रीतमनगर एवं सुलेमसराय में भी कार्य नहीं किये जा रहे हैं जिसके कारण उक्त क्षेत्र की जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है जनहित में सुलेम सराय एवं प्रीतम नगर आदि मोहल्ले में भी विकास कार्य होना चाहिये क्योंकि उक्त क्षेत्र में भी तीर्थ यात्री बड़े पैमाने पर आते हैं ।

मा० सदस्य द्वारा प्रस्तुत उक्त सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि इलाहाबाद नगर में वर्ष 2001 में आयोजित होने वाले कुम्भ मेले के अवसर पर मेला क्षेत्र सहित सम्पूर्ण नगर क्षेत्र की आवश्यकतानुसार सभी विभागों द्वारा कार्य सम्पन्न कराये जाने हैं । धनराशि की उपलब्धता एवं कार्य की प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुये वरीयता के आधार पर कुम्भ मेले की व्यवस्था, मेला क्षेत्र से संबद्ध मार्गों/मोहल्लों का सुन्दरीकरण/विकास के कार्य कराये जाने हैं ।

इलाहाबाद नगर के मोहल्ला प्रीतम नगर में जल संस्थान द्वारा पेयजल आपूर्ति हेतु एक नलकूप के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है । लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग एवं विकास प्राधिकरण द्वारा प्रीतमनगर एवं सुलेमसराय मोहल्लों में किसी कार्य का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है । नगर निगम इलाहाबाद द्वारा कुम्भ मेले के अवसर पर नगर क्षेत्र में हाट मिक्स प्लांट द्वारा सड़कों का निर्माण एवं गलियों की सड़कों का निर्माण, नालों की सफाई एवं नालों का निर्माण कराया जाना है । नगर निगम द्वारा शहर क्षेत्र की सड़कों एवं गलियों के निर्माण हेतु अभी सड़कों का चयन आयुक्त इलाहाबाद मण्डल के साथ किया जा रहा है । सड़कों के चयन के उपरान्त निर्माण कार्य आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये कराये जायेंगे । कुम्भ मेले में आने वाले यात्रियों/दर्शनार्थियों के आधार पर विभिन्न विभागों द्वारा मोहल्ला प्रीतमनगर एवं सुलेम सराय में यदि किसी कार्य की आवश्यकता इंगित की जाती है तो उस पर विचार कर कार्यवाही की जायेगी ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद गोण्डा में मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड छपिया में होने वाले मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिये सुमचित सुविधाओं की व्यवस्था किये जाने के संबंध में श्री राम बिशुन आजाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य

(सदन की अनुमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अशोक यादव)–

[जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड, छपिया के अन्तर्गत तीर्थ स्थल को पर्यटक स्थल घोषित किये जाने के संबंध में अवगत कराना है कि पर्यटन विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल नहीं घोषित किया जाता है, बल्कि महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर मूलभूत पर्यटक अवस्थापना सुविधायें ही उपलब्ध कराई जाती हैं । जहां तक उक्त स्थल पर प्रतिवर्ष लगने वाले मेले के दौरान आने वाले तीर्थ यात्रियों को सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रश्न है, इसके लिये पर्यटन विभाग को जिला योजना वर्ष 1999–2000 के अन्तर्गत रु० 9.00 लाख का परिव्यय उपलब्ध कराया गया था । इसके अन्तर्गत स्थल विकास, सम्पर्क मार्ग, बैंचों का निर्माण, पेयजल व्यवस्था तथा प्रचार पट का कार्य किया जाना प्रस्तावित था । परन्तु वर्ष 1999–2000 के आय-व्ययक में पर्यटन विभाग हेतु जिला योजना के अन्तर्गत कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो सकी । अतः उक्त कार्य की स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं हो सका । चालू वित्तीय वर्ष 2000–2001 में जिला योजना के अन्तर्गत प्रश्नगत कार्य को जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु महानिदेशक, पर्यटन द्वारा संबंधित अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है ।]

जनपद पीलीभीत में नेपाल से आने वाली शारदा नदी के बाढ़ से पूरनपुर क्षेत्र को बचाने व पूरनपुर में बाढ़ प्रखण्ड कार्यालय की स्थापना किये जाने के संबंध में श्री गोपाल कृष्ण द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

[मा० सदस्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत जनपद पीलीभीत में नैपाल से आने वाली शारदा नदी की बाढ़ से पूरनपुर क्षेत्र को बचाने व पूरनपुर में बाढ़ प्रखण्ड कार्यालय की स्थापना किये जाने के संबंध में सूचना दी गई है ।

2—अवगत कराना है कि उक्त जनपद में विभिन्न स्थलों व शारदा सागर बांध की सुरक्षा हेतु 17 कि०मी० लम्बा एक मार्जिनल सनेढ़ी तटबन्ध एवं 20 नम्बर पर बनाये गये हैं ।

3—जहां तक शारदा नदी की बाढ़ से विभिन्न स्थानों आदि को सुरक्षा प्रदान करने का प्रश्न है, बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य काफी खर्चीले होते हैं । इसलिये उत्तर प्रदेश की उपलब्ध आर्थिक स्थिति तथा वहां की तकनीकी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य कराये जाते रहते हैं ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद चन्दौली की तहसील सकलडीहा के ग्राम पूरे विजयी तथा जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी के ग्राम चकजीयन में हुये अग्निकाण्ड के पीड़ितों को समुचित सहायता न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री प्रभु नरायण सिंह यादव, आदि द्वारा दी गई सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

[जनपद चन्दौली की तहसील सकलडीहा के ग्राम पूरा विजयी में दिनांक 1-5-2000 को अग्निकाण्ड की घटना हुई । इस अग्निकाण्ड की घटना से उक्त ग्राम के 31 परिवारों की झोपड़ियां जलकर नष्ट हो गईं थीं तथा एक बकरी जलकर मर गई थी । अग्निकाण्ड से प्रभावित सभी 31 परिवारों को दिनांक 3-5-2000 को रु० 1000/–प्रति परिवार की दर से रु० 31,000/–अहेतुक सहायता का वितरण किया गया । प्रभावित परिवारों की झोपड़ियों का मूल्यांकन करते समय दिनांक 14-5-2000 को सभी 31 परिवारों को रु० 500/–प्रति परिवार की दर से पुनः अहेतुक सहायता का तथा 29 व्यक्तियों, जिनकी झोपड़ियां पूर्णतया ध्वस्त हो गई थीं, उनको रु० 1000/–प्रति परिवार की दर से रु० 29,000/–तथा दो व्यक्तियों में जिनकी झोपड़ियां आंशिक रुप से क्षतिग्रस्त हुई थी, उन्हें रु० 600/–प्रति परिवार की दर से रु० 1200/– अर्थात कुल रु० 30,200/– गृह अनुदान वितरित किया गया । श्री नन्दलाल जिनकी बकरी जलकर मर गई थी, उन्हे रु० 500/–अनुग्रह धनराशि के रूप में वितरित किया गया । गांव के सभी प्रभावितों को मा० विधायक श्री अमरमणि सिंह यादव की उपस्थिति में राहत सहायता का वितरण किया गया ।

श्री सहदेव यादव, ग्राम चकजीयन, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ के खलिहान में दिनांक 3-5-2000 को हुये अचानक अग्निकाण्ड से 500 बोझ गेहूं तथा लगभग 55 कुन्तल भूसा जलकर नष्ट हो गया । ये पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं, इनके परिवार के सदस्य सरकारी नौकरी भी करते हैं । इसलिये पात्रता की श्रेणी में न आने के कारण इन्हें कोई राहत सहायता नहीं दी गई । ग्राम हैदराबाद में दिनांक 5-4-2000 को अचानक हुये अग्निकाण्ड से 12 व्यक्तियों को सम्पूर्ण आवासीय मड़ईं जलकर नष्ट हो गई थी । सभी 12 प्रभावित परिवारों में रु० 1500/–प्रति परिवार की दर से कुल रु० 18,000/–अहेतुक सहायता के रूप में रु० 1000/–प्रति परिवार की दर से कुल रु० 12,000/–गृह अनुदान के रूप में वितरित किया गया । ग्राम मिर्जापुर में दिनांक 8-4-2000 को अग्निकाण्ड की घटना में 2 व्यक्तियों की सम्पूर्ण आवासीय मड़ई, खाद्यान्न, विस्तर आदि एवं 6 व्यक्तियों की गैर आवासीय मड़ई एवं खाद्य सामग्री जलकर नष्ट होने के साथ साथ एक भैंस की मृत्यु हो गई थी । उक्त ग्राम के प्रभावित व्यक्तियों में रु० 4500/–अहेतुक सहायता रु० 1400/–गृह अनुदान एवं रु० 2000/–अनुग्रह अनुदान के रूप में वितरित किया गया । ग्राम हरैया में दिनांक 8-4-2000 को विद्युत तार स्पर्श से उत्पन्न चिनगारी से श्री उपेन्द्र राय के खलिहान में आग लगी थी, जिससे 300 बोझ गेहूं, 20 बोझ सरसों जलकर नष्ट हो गई थी तथा 30 पेड़ शीशम के आग से झुलस गये थे । यह प्रकरण दैवी आपदा के अन्तर्गत न आने के कारण कोई राहत सहायता वितरित नहीं की गई ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद मथुरा की निरन्तर बिगड़ती कानून व्यवस्था तथा पुलिस द्वारा की जा रही मनमानी एवं भ्रष्टाचार के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

मुख्य मंत्री–

[उ०प्र० विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम–51 के अन्तर्गत श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई सूचना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा से आख्या मांगी गई । प्राप्त आख्यानुसार दिनांक 4-5-2000 को ग्राम बेरी, जनपद मथुरा की घटना में ज्वलनशील पदार्थ से जलने वालों की संख्या लगभग 128 है, जिसमें अब तक 50 व्यक्ति मृत्यु का शिकार हो चुके हैं । घायलों को विभिन्न अस्पतालों/नर्सिंग होमों में, मथुरा, आगरा, दिल्ली, अलीगढ़ में उपचार हेतु भर्ती कराया गया है । इस हेतु थाना फरह पर मु०अ०सं०–74/2000 धारा 304ए/336/338/427 भा०दं०वि० का घूरे लाल बाल्मीकि व नाहर सिंह, निवासी बेरी के विरुद्ध पंजीकृत हैं । विवेचना से अभियुक्त नाहर सिंह की मृत्यु जलने के कारण दिनांक 6-5-2000 को हो चुकी है । पूरे लाल के विरुद्ध दिनांक 11-5-2000 को अपराध सं०–82/2000 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम थाना फरह में पंजीकृत किया गया । मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है । उजड़े हुये घरों का निर्माण कराकर उन्हें बसाया जा रहा है, अवैध पेट्रोल, डीजल एवं मिट्टी का तेल को मथुरा रिफाईनरी से जिला प्रशासन एवं पुलिस संरक्षण में अवैध बिक्री किये जाने का आरोप निराधार एवं असत्य है ।

2—मु०अ०सं०–77/2000 धारा 147/148/149/307/504/506/336 भा०दं०वि० 08 व्यक्तियों के विरुद्ध थाना नरहौली पर पंजीकृत कराया गया है । इसमें दिनांक 3-5-2000 को छोटे लाल व दुल्ली न्यायालय में आत्म समर्पण कर चुके हैं । दिनांक 13-5-2000 को अभियुक्त मोहन, राम जी लाल, महेन्द्र, ओम प्रकाश, किशन सिंह तथा गोविन्द को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है । प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है ।

3—मु०अ०सं० 51/2000 धारा 420/467/468/506 भा०दं०वि० दिनांक 17-2-2000 को वादी राम स्वरूप दास ने थाना वृन्दावन में अभियुक्त अनुरद्दाचार्य इत्यादि के विरुद्ध पंजीकृत कराया । अभियुक्त अनुरद्दाचार्य दिनांक 26-2-2000 को तथा श्री निवास एवं विशुनदास दिनांक 29-2-2000 को गिरफ्तार करके जेल भेजे गये शेष अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना जारी है ।

4—मु०अ०सं०–77/2000 धारा 307/504 थाना वृन्दावन में दिनांक 6-3-2000 को वादी दुर्गा प्रसाद अग्रवाल ने अभियुक्त विकास व गिराज के विरुद्ध पंजीकृत कराया । प्रकरण में विकास दिनांक 10-3-2000 को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर चुका है तथा गिराज को नामजदगी गलत पायी गई । अभियुक्त विकास के विरुद्ध आरोप पत्र सं०–27 दिनांक 2-4-2000 को प्रेषित किया गया ।

5—श्रीमती शान्ती देवी ने अपनी पुत्री कुमारी पार्वती को गायब हो जाने के संबंध में चौकी कृष्णानगर में गुमशुदगी दर्ज करायी । न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में कुमारी पार्वती एवं कुमारी मधू को पुलिस अभिरक्षा में बनारस ले जाया गया परन्तु स्थानीय थाने के माध्यम से पता तफदीक किया गया तो श्रीमती शान्ती देवी का पता असत्य पाया गया । इसके बाद दोनों लड़कियों को दिनांक 24-4-2000 को नगर मजिस्ट्रेट मथुरा के समक्ष पेश किया गया । इनके आदेश पर इन्हें पुनः नारी निकेतन भेज दिया गया । न्यायालय द्वारा दिनांक 26-4-2000 को पुनः तलब किया गया । शान्ती देवी

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

की प्रार्थना पर दोनों लड़कियों को शान्ती देवी सहित उनके बिहार के पते पर पुलिस अभिरक्षा में भेजा जा चुका है ।

6—दिनांक 10-5-2000 को जगदीश प्रसाद ने उसके पुत्र नरेन्द्र कुमार को अज्ञात बदमाशों द्वारा उठा ले जाने के संबंध में अपराध सं० 84/2000 धारा 364 पंजीकृत कराया । दिनांक 15-5-2000 को पुलिस दबाव के कारण अपहृत नरेन्द्र कुमार को डीग जंगल में छोड़ दिया गया जिसे थाना गोबर्धन पुलिस द्वारा बरामद किया गया । अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं ।

अपराध सं० 32/99 थाना गोबर्धन जनपद मथुरा की विवेचना सी०बी०सी०आई०डी० आगरा द्वारा की जा रही है ।]

जनपद गाजियाबाद के खेकड़ा क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड लोनी में अवैध भू-खनन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रूप चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

मुख्य मंत्री–

[माननीय सदस्य, विधान सभा श्री रूप चौधरी के पत्र दिनांक 2 मई, 2000 के द्वारा जनपद गाजियाबाद के ग्राम टीला शहबाजपुर, अफजलपुर, निस्तौली, जावली, बंधला, सिखरानी निठौरा, पावीसा विकपुर, लोनी देहात, पंचलोक, अगरौला में अवैध खनन किये जाने एवं ठेकेदारों द्वारा जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृत सीमा से अधिक मात्रा में मिट्टी उठाये जाने के साथ क्षेत्र में अवैध खनन एवं निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में खनन किये जाने से आवास एवं विकास तथा यू०पी०एस०आई०डी०सी० द्वारा स्थापित परियोजनाओं में तथा वातावरण एवं जनसामान्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की शिकायत की गयी है । मा० सदस्य द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि अवैध खनन में पुलिस एवं प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है ।

जिलाधिकारी गाजियाबाद से इस सम्बन्ध में आख्या प्राप्त की गयी । आख्या के अनुसार क्षेत्र में एक निश्चित गहराई तक निर्धारित मात्रा में मिट्टी उठाये जाने की अनुमति रायल्टी वसूल कर दी जाती रही है । विगत महीनों में लोनी क्षेत्र में नियमित रूप से खनन अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने से रुपया 1,30,737.00 रायल्टी के मद में प्राप्त हुए हैं । राजस्व एवं पुलिस विभाग के सहयोग से जांच कराने पर अनुमति से अधिक मात्रा में मिट्टी उठाने के प्रकरण पकड़े जाने पर सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ रायल्टी वसूल करने की कार्यवाही की जाती रही है । शिकायत प्राप्त होने पर पर्याप्त नियंत्रण एवं सतर्कता बरती जा रही है एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में भी मिट्टी खनन की अनुमति दिये जाने पर विचार किया जाता रहा है । वर्तमान में लोनी क्षेत्र में मात्र राजस्व ग्राम बामला के दो खसरा नम्बरान में ही यू०पी०एस० आई० डी० सी० द्वारा निर्मित ट्रानिका सिटी में सड़क निर्माण में मिट्टी भराव हेतु खनन की अनुमति दी गयी है । विगत वित्तीय वर्ष में लोनी क्षेत्र में दिनांक 1 अप्रैल, 1999 से मई, 2000 तक अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध कुल 64 मामले थाना लोनी में तथा 4 मामले थाना साहिबाबाद में पंजीकृत कराये जा चुके हैं जिनकी विवेचना का कार्य प्रगति पर है ।

अवैध खनन को रोकने हेतु दिनांक 28 जनवरी, 2000 एवं 3 मई, 2000 को उप जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा एवं क्षेत्राधिकारी वार्डर ने ग्राम पावी सादकपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया था तथा अवैध खनन में लिप्त क्रमशः एक जे० सी० वी० मशीन एवं मिट्टी से लदे 21 डम्पर तथा एक जे० सी० वी० मशीन एवं मिट्टी से लदे चार डम्परों को पकड़ा था तथा वाहनों को जब्त करते हुए 26 लोगों को

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जेल भेजा गया है । इसी तरह दिनांक 8 मई, 2000 को ग्राम मिठौरा एवं सिखरानी का आकस्मिक निरीक्षण करके अवैध खनन में लिप्त 6 जे० सी० बी० मशीनों एवं मिट्टी से लदे 16 डम्परों को जब्त करते हुए 22 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर कुल 21 लोगों को जेल भेजा गया है । अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार रु० 55,41,000/- की रायल्टी वसूल करने हेतु मांग पत्र जारी किये जा चुके हैं ।

वर्तमान में शासकीय कार्यों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को मिट्टी खनन की अनुमति नहीं दी जा रही है । अवैध खनन रोकने हेतु क्षेत्र में निरन्तर निगरानी रखी जा रही है तथा अवैध खनन की सूचना प्राप्त होने पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है । पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले क्षेत्रों में खनन की अनुमति कदापि नहीं दी जाती है ।]

जनपद संत रविदास नगर की नगर पालिका परिषद्, गोपीगंज के थाना परिसर में बने पेयजल नलकूप के ओवर हेड टंक के निर्माण के सम्बन्ध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

आवास, नगर विकास मंत्री (श्री लाल जी टण्डन)–

[मा० सदस्य द्वारा गोपीगंज नगर पालिका परिषद् के थाना परिसर में बने पेयजल के नलकूप के ओवर हेड टैंक के निर्माण के संबंध में दी गई सूचना के परिप्रेक्ष्य में निवेदन है कि नगर पालिका परिषद्, गोपीगंज संत रविदास नगर क्षेत्रान्तर्गत 3 नलकूप पूर्व से संचालित थे जिससे समुचित जलापूर्ति संभव नहीं हो पा रही थी । जलापूर्ति के सुधार हेतु पालिका द्वारा अपने सीमित संसाधनों से थाना परिसर गोपीगंज में वर्ष 1998 से नलकूप नं०–4 का संचालन किया जा रहा है । धनाभाव-वश इस नलकूप पर पालिका द्वारा ओवर हेड टंक (टंकी) का निर्माण नहीं किया जा सका है जिसके कारण समुचित वोल्टेज पर विद्युत आपूर्ति प्राप्त होने पर जलापूर्ति की जाती है । नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत कई-कई घन्टे विद्युत कटौती रहती है जिसका कोई समय निर्धारित नहीं है । विद्युत आने पर भी अक्सर खराब वोल्टेज के कारण जलापूर्ति नहीं हो पाती जिसके कारण नगर के दूर दराज के हिस्सों में समुचित जलापूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है ।

2–उक्त समस्या के समाधान हेतु नलकूप नं०–3 व 4 पर उपरि जलाशय निर्माण हेतु नगर पालिका द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम भदोही से आगणन मांगा गया है । प्रश्नगत शिरोपरि जलाशय के निर्माण हेतु प्रति जलाशय रु० 20.00 लाख का अनुमानित व्यय दिया गया है । इस प्रकार से प्रश्नगत शिरोपरि जलाशय के लिये नगर पालिका द्वारा कुल रु० 40.00 की धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है जो विधाराधीन है ।]

जनपद–फैजाबाद के थाना हैदरगंज अन्तर्गत ग्राम–करौदी में दबंगों द्वारा पिछड़ी जाति के परिवारों को उत्पीड़ित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सीताराम निषाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

मुख्य मंत्री–

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–51 के अन्तर्गत मा० सदस्य द्वारा दी गई सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद से आख्या प्राप्त की गयी । जिससे यह प्रकाश में आया कि दिनांक 29-4-2000 को स्थानीय निरीक्षक के समय ज्ञात हुआ कि कई वर्षों पूर्व श्री बाबूराम पाण्डे द्वारा ग्राम करौदी में एक कमरा बनवाया गया था परन्तु उसमें कोई निवास नहीं करता था । जिस भूमि पर श्री बाबूराम पाण्डे द्वारा एक कमरे का निर्माण किया गया था, श्री राम कलप यादव की थी । दिनांक 7-5-2000 को श्री बाबूराम पाण्डे ने इस कमरे में भूसा रखकर अपना

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

ताला बन्द कर दिया था जिसे निरीक्षण के समय अधिकारियों ने हटवा दिया । चूंकि इस कमरे में कोई रहता ही नहीं था और न ही किसी पक्ष द्वारा कमरे का उपयोग किया जा रहा था । विवादित कमरे के संबंध में धारा 145 द०प्र०सं० की कार्यवाही की जा रही है । स्पष्ट है कि विवाद किसी मकान का न होकर विवादित भूमि पर बनाये गये कमरा से संबंधित है । अतः यह कहना कि दिनांक 29-4-2000 से 5 मई, 2000 तक सामन्तों द्वारा ग्राम–करौदी में ताण्डव जारी रहा सत्य नहीं है ।

2—जहां तक मा० सदस्य द्वारा दी गई इस सूचना का प्रश्न है कि दिनांक 29-4-2000 को ग्राम–करौदी में मगरू यादव का घर तहस नहस कर दिया, शंकर जी का चौरा तोड़ा गया, कटहल व शीशम के पेड़ काटा, मकान की कच्ची दीवार को गिरा दिया, खलिहान हटवा दिया, रामकलप आदि का बिजली का केबिल काटा, छविलाल यादव का छप्पर का मकान गिरा दिया, नीम का पेड़ काटा तथा दो ट्राली ईटा दो कि० मी० दूर गिरवा दिया तथा सिर से ढोकर लाने को मजबूर किया, राम कलप यादव की दीवार गिरायी गयी, गरीब व धीरी की भी दीवार गिरायी गयी, के संबंध में दिनांक 6-5-2000 को उप जिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी बीकापुर द्वारा निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के समय एक कच्ची दीवार गिरी हुई पायी गयी, जिसे मगरू यादव को बताया गया । मगरू यादव के पशुओं को बांधने के लिए निर्मित कच्ची मिट्टी की दीवार जयराम पाण्डे आदि द्वारा गिरा दी गयी थी तथा लगभग दो वर्ष पुराने कटहल के पौधे एवं एक शीशम के पौधे को काटा गया है । पेड़ों को नहीं काटा गया है । भगौती पाण्डे आदि की बाग से झगरू यादव आदि के खलिहान को हटाने का प्रयास किया गया था । परन्तु निरीक्षण के समय खलिहान आदि मौजूद पाया गया । शंकर जी का चौरा तोड़ने की बात बिल्कुल असत्य है, क्योंकि निरीक्षण के समय शंकर जी का चौरा यथावत मौजूद पाया गया ।

3—दिनांक 7-5-2000 को राम कलप यादव धीरी यादव, रामसुख, मगरू की बिजली के केबिल को खम्भे से विच्छेदित कर दिया गया था । उक्त दिनांक को ही रामनाथ पुत्र छविलाल यादव का छप्पर तथा धीरी यादव का छप्पर, छप्पर की कच्ची मिट्टी की दीवार गिरायी हुई पायी गयी थी । जहां तक नीम के पेड़ को काटने का प्रश्न है इस संबंध में स्थिति यह है कि श्री रामनाथ यादव का नीम का पेड़ खड़न्जा मार्ग के किनारे स्थित है तथा इसी मार्ग से व्यक्तियों व वाहनों का आवागमन होता है चूंकि नीम के पेड़ की डालियां वाहन के आवागमन में अवरोध उत्पन्न करती है इसी कारण हरिशंकर पुत्र रामलखन पाण्डे द्वारा बिना रामनाथ की अनुमति के नीम के पेड़ की डालियां काटी गयी । जिसके संबंध में दोनों पक्षों में दिनांक 12-4-2000 को लिखित समझौता किया गया । परन्तु नीम के पेड़ काटने की बात सत्य नहीं पायी गयी । दिनांक 7-5-2000 को छविलाल के यहां ट्रैक्टर से ईंट आ रही थी जिसे दयाशंकर पाण्डे ने अपने दरवाजे से मोड़ने से मना कर दिया था फलस्वरूप छविलाल यादव ने अपनी ईंटें अन्यत्र उतरवा दी । अतएव यह कहना कि दो कि० मी० दूर से ईंटे सिर से ढोकर लाने को विपक्ष किया गया, सत्य नहीं है । किसी भी व्यक्ति का अगूंठा तोड़े जाने की पुष्टि ग्राम में जांच से नहीं हुई । उपरोक्त घटना के संबंध में श्री संतराम पुत्र धीरी यादव द्वारा दिनांक 8-5-2000 को दिये गये प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना–हैदरगंज में जयराम पाण्डे आदि 4 नफर के विरुद्ध दीवार व छप्पर को गिराये जाने के संबंध में एन०सी०आर० सं० 34/2000 धारा 427 भा०द०वि० पंजीकृत किया गया । इसकी जांच उप निरीक्षक द्वारा की गई तथा जांच के बाद मु०अ०सं० 81/2000 धारा 147/323/506/504/427/34 भा०द०वि० व 7 कि० ला० अमेन्डमेन्ट एक्ट विरुद्ध जय जयराम पाण्डे बाबूराम पाण्डे, सीताराम पाण्डे, महेश पाण्डे, दिनेश पाण्डे, सुरेश पाण्डे, मुन्ना पाण्डे, कल्लू पाण्डे, राजेश कुमार पाण्डे, दयाशंकर पाण्डे तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 8-5-2000 को पंजीकृत किया गया । उक्त अभियोग में अब तक अभियुक्त सीताराम पाण्डे तथा महेश पाण्डे को पुलिस द्वारा बन्दी बनाया जा चुका है तथा शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किये जा रहे हैं । अभियुक्तगण अपने आवासों से लगातार फरार है । इनकी सम्पत्ति की कुर्की के आदेश प्राप्त करने हेतु न्यायालय से अनुरोध किया गया है ।

4—जहां तक श्री रामसुख यादव की युवा पत्नी श्रीमती फूल कुमारी को बुरी तरह पीटा गया उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, थूक चटाकर अपमानित किया गया से संबंधित मा० सदस्य द्वारा दी गयी सूचना का प्रश्न है, इसका उल्लेख मु०अ०सं० 81/2000 में अंकित है । परन्तु फिर भी आवेदिका के

प्रार्थना-पत्र पर महिला थाना–फैजाबाद में अभियोग अन्तर्गत धारा 147/148/149/323/504/506/452 भा०द०वि० अंकित करा दिया गया है । इस अभियोग में बाबूराम यादव, जय जयराम पाण्डे, सीताराम पाण्डे,, अरविन्द कुमार पाण्डे, हरिशंकर पाण्डे, जयशंकर पाण्डे, दिनेश पाण्डे आदि कुल 7 व्यक्तियों को नामजद किया गया है, जिससे संबंधित मु०अ०सं० 84/2000 थाना हैदरगंज में पंजीकृत है, अभियोग में सीताराम पाण्डे व महेश पाण्डे को दिनांक 8-5-2000 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है । घटना स्थल पर गये अधिकारियों को श्रीमती फूल कुमारी से जमीन पर थूक कर चटवाने की घटना के संबंध में गांव में किसी व्यक्ति ने अवगत नहीं कराया और न ही उक्त आरोप प्रार्थिनी के प्रार्थना-पत्र में अंकित ही है कि उनसे थूक कर चटवाया गया, आरोप की पुष्टि नहीं हुई ।

5—जहां तक मा० सदस्य द्वारा दी गई इस सूचना कि 20 जून, 1999 को इसी गांव में खरही फूंकी गयी, चार फायर कर आतंक पैदा किया गया, आतंक से गांव के जीयाराम चमार, धन्नी यादव, हूबलाल यादव, बहाऊ यादव, बाबूलाल कलवार, रामप्रसाद यादव कुछ वर्षों पूर्व गांव छोड़कर भाग गये, अभी तक लौट कर नहीं आये सम्पूर्ण गांव में सन्नाटा है, भय व आतंक का वातावरण व्याप्त है, पीड़ितों को न्याय व सुरक्षा नहीं मिल रही है, का प्रश्न है, इस संबंध में दिनांक 20-6-99 को ग्राम–करौदी में खरही फूंके जाने व फायर करके आतंक पैदा करने के संबंध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । ग्रामवासियों ने बताया कि दिनांक 20-6-99 को कमरे के कब्जे को लेकर श्री जय जयराम पाण्डे व राम कलप यादव के बीच विवाद हुआ था । दिनांक 21-6-99 को दोनों पक्षों ने आपस में समझैता किया है । इस समझौते की प्रति श्री राम कलप यादव द्वारा दी गयी है । इसके अतिरिक्त ग्रामवासियों से विस्तृत जानकारी से ज्ञात हुआ कि जियाराम अनुसूचित जाति (चमार) न होकर कुम्हार जाति का है तथा वह पन्द्रह-सोलह वर्ष से अपनी बहन के घर जनपद–सुल्तानपुर में रह रहा है । धन्नी यादव की लगभग 20 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है । हूबलाल व बहाऊ यादव सगे भाई जो लगभग 40-45 वर्ष पूर्व गांव से चले गये थे, हूबलाल इस समय गांव हरिनाथपुर थाना–बीकापुर में रहते है तथा बहाऊ यादव उकसाये थाना भीटी जनपद–अम्बेडकर नगर में रहते हैं । इनकी मृत्यु हो चुकी है । बाबूलाल कलवार 30-35 वर्ष पूर्व अपनी ससुराल में रह रहे थे तथा उनकी मृत्यु 10 वर्ष पूर्व हो चुकी है । राम प्रसाद यादव 30-35 वर्ष पूर्व थाना–अयोध्या में बस गये थे, इनकी भी मृत्यु हो चुकी है । स्पष्ट है कि उपरोक्त तथा कथित व्यक्तियों द्वारा आतंक के भय से गांव छोड़कर अन्यत्र चले जाने की पुष्टि जांच से नहीं हुई । ग्राम–करौदी में स्थिति सामान्य है । सम्पूर्ण गांव में सन्नाटा होने, भय व आतंक का वातावरण व्याप्त होने, पीड़ितों को न्याय व सुरक्षा नहीं मिल पाने की बात असत्य पायी गयी । सतर्कता मूलक कार्यवाही के रूप में एक उपनिरीक्षक, दो सशस्त्र आरक्षी गांव में नियुक्त है । घटना स्थल का निरीक्षण अपर पुलिस अधीक्षक/अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भी कर लिया गया है ।]

श्रीमती हरप्यारी देवी इंटर कालेज, रोहई जनपद हाथरस के प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धक द्वारा छात्रवृत्ति के लाखों रुपये को डकार लेने तथा ठेके पर छात्र-छात्राओं को पास कराने के संबंध में श्री रामवीर उपाध्याय द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)–

[मा० सदस्य द्वारा श्रीमती हरप्यारी देवी इण्टर कालेज, रोहई जनपद हाथरस के प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धक श्री गिरीश पाचौरी द्वारा ठेके पर छात्र-छात्राओं को पास कराये जाने तथा अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति की लाखों रुपये की धनराशि को डकार लिये जाने की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है । उक्त सूचना में वर्ष 1992 से मई, 2000 तक की छात्रवृत्ति की धनराशि हड़पने की शिकायत है क्योंकि प्रकरण आठ वर्षों से संबंधित है इसलिये इसकी जांच कराने में कुछ समय लगना संभावित है । मामले की जांच शीघ्र कराये जाने के आदेश दिये जा रहे हैं । जांच शीघ्र ही पूर्ण

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

करायी जायेगी तथा जांच आख्या प्राप्त होने पर संबंधित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।]

जनपद अम्बेडकर नगर में विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षण प्राप्त प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों की नियुक्ति जनपद के बाहर किये जाने तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सहायक अध्यापकों को प्रोन्नति न किये जाने के संबंध में श्री लालजी वर्मा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री बालेश्वर त्यागी)–

[मा० सदस्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 11-5-2000 में यह सूचित किया गया है कि विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षण प्राप्त प्रा० पाठशाला के अम्बेडकर नगर जनपद के चयनित अध्यापकों को जनपद से बाहर नियुक्ति की गयी है जिसके कारण उक्त अध्यापकों, विशेष रूप से महिला अध्यापिका/अध्यापिकाओं को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । जनपद अम्बेडकरनगर में पद रिक्त होने के उपरान्त भी बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सहायक अध्यापकों को प्रोन्नति न किये जाने के कारण उक्त नई नियुक्ति नहीं हो पा रही है । जिसके कारण लगभग 314 अध्यापकों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण उक्त अध्यापकों में काफी आक्रोष व्याप्त है ।

उपरोक्त के संबंध में यह अवगत कराना है कि विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति जनपद में रिक्त पदों के सापेक्ष्य की गयी है । जो अभ्यर्थी रिक्त पदों से अतिरिक्त थे और वे मैरिट में आ रहे थे उन्हें मण्डल/प्रदेश के अन्य जनपदों में नियुक्ति प्रदान की गयी है । जैसे-जैसे जनपद अम्बेडकर नगर में सहायक अध्यापक के पद रिक्त होते जायेंगे वैसे-वैसे वहां पर संबंधित अध्यापकों के आवेदन-पत्रों के प्राप्त होने पर स्थानान्तरण की कार्यवाही कर दी जायेगी । जहां तक जनपद–अम्बेडकर नगर में रिक्त होने के उपरान्त भी बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अध्यापकों की प्रोन्नति नहीं किये जाने का प्रश्न है, इस विषय में अवगत कराना है कि वर्ष 1993 में सहायक अध्यापक जू०हा० स्कूल तथा प्र० अ० प्राथमिक विद्यालय का संवर्ग एक करते हुए सेवानियमावली, 1981 में आवश्यक संशोधन किये गये । इस संशोधन आदेश को मा० उच्च न्यायालय में दायर एक रिट याचिका में स्थगित कर दिया गया तथा कालान्तर में मा० उच्च न्यायालय ने अपने स्थगन आदेश को स्थायी रूप प्रदान कर दिया । इस विषय में बेसिक शिक्षा परिषद् की ओर से प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किया जा चुका है और प्रकरण अभी भी मा० उच्च न्यायालय में लम्बित है । इसके कारण इन पदों पर प्रोन्नतियां पूरे प्रदेश में अवरुद्ध है । इस विषय में शासन की ओर से पदोन्नति हेतु आवश्यक व्यवस्था नियमों में कराये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है जिस पर शीघ्र ही अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा ।]

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु कुएं खुदवाने की योजना को प्रभावी रूप से संचालित किये जाने के संबंध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

[मा० सदस्य द्वारा विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 11-5-2000 में मुख्य रूप से प्रदेश में सूखे की भयावह स्थिति का उल्लेख करते हुए पेयजल एवं सिंचाई हेतु वृहद रूप से कुएं खुदवाये जाने का प्रस्ताव किया गया है ।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प लगवाये जाते हैं, इससे पूर्व ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत दस

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लाख कूप योजना संचालित थी जिसके तहत कुएं खुदवाने एवं तालाब निर्माण कराये जाने का प्राविधान था । कालान्तर में भारत सरकार द्वारा दस लाख कूप योजना समाप्त कर दी गयी है । अतः वर्तमान में कुआं खुदवाये जाने की कोई योजना संचालित नहीं है । यहां यह भी स्पष्ट करना है कि प्रश्नगत योजना भारत सरकार की केन्द्रपोषित योजना थी । अतः इसमें भारत सरकार के ही मार्ग निर्देश लागू होते हैं ।]

लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन एटा के प्रांगण में अधिशासी अभियन्ता के साथ की गयी मारपीट की घटना की प्राथमिकी पर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री नरेन्द्र सिंह भाटी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

मुख्य मंत्री–

[उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–51 के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र सिंह भाटी सदस्य, विधान सभा द्वारा यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 27-3-2000 को लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन के प्रांगण में ठेकेदार द्वारा अधिशासी अभियन्ता के साथ की गयी मार-पीट की घटना के संबंध में कोतवाली सदर, एटा में पंजीकृत मु०अ०सं०–163/2000 में पुलिस द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी । अतः मा० सदस्य द्वारा उक्त घटना का उल्लेख करते हुए शासन से इस पर वक्तव्य दिये जाने की मांग की गयी ।

2—वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा से प्राप्त आख्यानुसार मामले में अपर पुलिस अधीक्षक कासगंज द्वारा जांच/छानबीन करायी गई । प्रश्नगत प्रकरण में थाना कोतवाली सदर पर मु०अ०सं०–163/2000 धारा 323/353/147/427/504/506 भा०द०वि० बनाम सत्यदेव गुप्ता ठेकेदार आदि 05 नामित अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । प्रयासों के बावजूद नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी संभव न हो पाने के फलस्वरूप नामित अभियुक्तों के विरुद्ध 82/83 की कार्यवाही की गयी । दिनांक 1-4-2000 को मा० न्यायालय में उनके द्वारा आत्मसमर्पण करने पर उन्हें जेल भेज दिया गया । उक्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होने पर आरोप-पत्र सं०–85 दिनांक 6-4-2000 को मा० न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है । शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से उक्त अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय पर थाना कोतवाली नगर से दो आरक्षी भी तैनात किये जा चुके हैं ।]

जनपद उन्नाव के पुरवा क्षेत्रान्तर्गत सरकारी गेहूं क्रय केन्द्र न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री उदयराज यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

खाद्य एवं रसद मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

[मा० सदस्य विधान सभा श्री उदयराज यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई है कि जनपद उन्नाव के पुरवा विधान सभा क्षेत्र में आज तक कोई क्रय केन्द्र नहीं खुला है और गेहूं निर्धारित रु० 580/–प्रति कुन्टल से कम दर 400 रु० से लेकर 500 रु० के बीच व्यापारियों के हाथ बेचा जा रहा है ।

2—इस संबंध में यह उल्लेख करना है कि जनपद उन्नाव में 56 क्रय केन्द्र खोले गये हैं । इनमें से 31 क्रय उ० प्र० प्रादेशिक कोआपरेटिव फेडरेशन, 16 विपणन शाखा (खाद्य विभाग), 02 भारतीय खाद्य निगम, 05 उ० प्र० कृषि औद्योगिक निगम, 02 उ० प्र० राज्य भण्डारागार निगम द्वारा संचालित हैं ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सभी क्रय केन्द्रों पर खरीद संबंधी पूर्ण व्यवस्था है । अभी तक 10360 कुन्टल गेहूं की खरीद की जा चुकी है । पुरवा विधान सभा क्षेत्र में विपणन शाखा के 03, पुरवा, असोहा व मौरावां तथा पी०सी०एफ० के 02, गोसाईखेड़ा कचनपुर क्रय केन्द्र खोले गए हैं । अभी तक पुरवा क्रय केन्द्र पर 70 कुन्टल एवं मौरावां क्रय केन्द्र पर 125 कुन्टल गेहूं की खरीद की जा चुकी है ।

3—खाद्य तथा रसद विभाग की विपणन शाखा द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाया गया कि खुले बाजार में भी गेहूं के मूल्य समर्थन मूल्य के आस-पास होने के कारण खरीद कम हो रही है । किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार और प्रशासन सचेष्ट है तथा उप जिलाधिकारियों द्वारा क्रय केन्द्रों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि किसानों को कोई असुविधा न हो । साप्ताहिक रूप से गेहूं खरीद की प्रगति एवं आने वाली कठिनाइयों के समाधान हेतु जनपद स्तर पर समीक्षा की जाती है । जिसमें सभी क्रय एजेन्सी के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया जाता है तथा उनके द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान किया जाता है । इस प्रकार शासन पूरी तरह से वचनबद्ध है कि किसानों का शोषण किसी प्रकार से न हो ।]

जनपद बहराइच में स्थित दरगाह सै० सालार मसूद गाजी की प्रबन्ध समिति द्वारा की जा रही मनमानी एवं भ्रष्टाचार के संबंध में डा० वकार अहमद शाह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री (राजा गजनफर अली खां)

[वक्फ दरगाह सै० सालार मसूद गाजी उत्तर प्रदेश की बड़ी औकाफों में से एक है जो उ० प्र० सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड में वक्फ संख्या–19 बहराइच पर वक्फ अललखैर के रूप में पंजीकृत है । उक्त वक्फ का प्रबन्ध वक्फ ऐक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड में निहित है । वक्फ ऐक्ट 1936 के अस्तित्व में आने के बाद दरगाह शरीफ वक्फ ऐक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत बोर्ड के अधीन आ गया । वर्ष 1960 में वक्फ ऐक्ट, 1960 के अस्तित्व में आने के बाद बोर्ड ने धारा–63(2) के अन्तर्गत प्रबन्ध समिति को बर्खास्त करके बोर्ड के अधीक्षक, श्री रफीक अहमद को इसका प्रशासक नियुक्त किया । वर्ष 1971 में बोर्ड द्वारा मा० उच्च न्यायालय में लम्बित अपील संख्या–172/1941 अब्दुल हक बनाम एडवोकेट जनरल यू०पी० में एक स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रस्तुत की जिस पर मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच द्वारा दिनांक 2-9-75 को सहमति प्रदान की गयी । इस स्कीम के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा कमेटी के गठन की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी परन्तु एक अन्य याचिका संख्या–4568/89 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-5-89 के कारण कमेटी का गठन स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन के अन्तर्गत संभव न हो सका एवं उक्त वक्फ सीधे बोर्ड के नियंत्रण में रहा । दिनांक 1-10-97 को मा० उच्च न्यायालय द्वारा एक अन्य याचिका संख्या–2872 (एमबी०)/97 में दिये गये निर्देशों के अनुसार दरगाह शरीफ के प्रबन्ध हेतु सर्वश्री सहीरूल हसन उसमानी, डा० मो० आलम सरहदी एवं अब्दुल हलीम तीन सदस्यीय की प्रशासक समिति गठित की गयी परन्तु तत्कालीन नियंत्रक, श्री समीउल्लाह अंसारी द्वारा श्री हलीम के स्थान पर श्री जावेद उमर फारूकी की नियुक्ति प्रशासक समिति में की गयी व पुनः उनके द्वारा अपने आदेश को वापस लेकर मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार श्री हलीम को पुनः नियुक्त किया गया जिसके विरुद्ध श्री फारूकी द्वारा मा० उच्च न्यायालय में याचिका संख्या–1883 (एमबी)/99 दायर की गयी जिसमें मा० उच्च न्यायालय ने दिनांक 11-5-99 को यह व्यवस्था की कि गठित बोर्ड के द्वारा लिये निर्णय या मा० उच्च न्यायालय के अग्रिम

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

आदेशों जो भी पहले हो तक श्री मो० यूनुस, अधीक्षक वक्फ बोर्ड चार सदस्यीय पैनल आफ एडमिनिस्ट्रेटर्स (श्री शहीरूल हसन उस्मानी, डा० मो० आलम सरहदी, श्री जावेद उमर फारूकी एवं श्री अब्दुल हलीम) के कन्वीनर/रिसीवर के रूप में कार्य करेंगे । वर्तमान में मा० उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रिसीवर कार्यरत हैं जिसके द्वारा दरगाह का प्रबन्ध देखा जा रहा है ।

एक अन्य याचिका संख्या–6468 (एमबी)/86 में मा० उच्च न्यायालय ने दिनांक 9-12-97 को बोर्ड को निर्देशित किया था कि दरगाह शरीफ के प्रबन्ध हेतु स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार प्रबन्ध समिति का गठन तीन माह में कर दिया जाये । बोर्ड का गठन जुलाई, 99 में शासन द्वारा कर दिया गया है ।

आजाद इण्टर कालेज वर्ष 1948 में मौलाना महफूजूर्रहमान के द्वारा विशेष रूप से मुसलमानों की शिक्षा के लिये स्थापित किया गया । वर्ष 1951 में दरगाह शरीफ के प्रबन्धतंत्र ने इसके इन्तिजाम की जिम्मेदारी ली । उक्त स्कूल का भवन भी दरगाह की सम्पत्ति है । यह स्कूल बाद में ग्रान्ट-इन-एड हो जाने के कारण इसके अध्यापकों एवं कर्मचारियों का वेतन आदि का भुगतान जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया जाने लगा । वर्तमान में पैतृक संस्था होने के कारण दरगाह शरीफ द्वारा इस कालेज के संबंध में केवल इन्डोवमेंट फीस अदा की जाती है । दिनांक 26-7-99 को रुपये 10,200 इन्डोवमेंट फीस दरगाह शरीफ द्वारा अदा की गयी । इस कालेज के प्रबन्ध को सुचारू रूप स` चलाने के लिये स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन, आजाद हायर सेकेन्डरी स्कूल, बहराइच के अन्तर्गत एक 15 सदस्यीय समिति गठित थी जिसका एक्स आफिसियो अध्यक्ष जिलाधिकारी, बहराइच थे । इस कमेटी का कार्यकाल समाप्त होने के कारण स्कीम के नियमानुसार प्रशासक समिति, दरगाह शरीफ बहराइच द्वारा एक प्रबन्ध समिति का गठन 10-8-97 को किया गया जिसकी स्वीकृति जिला विद्यालय निरीक्षक से प्रदान होने के पश्चात् कालेज प्रबन्ध समिति की मीटिंग बुलाई गई । इस समिति के गठन के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या–2737/एमएस/98 कमेटी आफ मनेजमेंट आजाद इण्टर कालेज बहराइच बनाम स्टेट आफ यू०पी० आदि दायर की गयी जिसमें मा० उच्च न्यायालय ने दिनांक 10-12-98 को यह निर्देश दिये कि इस कालेज का प्रबन्ध जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया जायेगा । वर्तमान में इस कालेज का प्रबन्ध जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा देखा जा रहा है ।

दरगाह शरीफ द्वारा एक 8 बेड का अस्पताल जिस पर लगभग 2.10 लाख वार्षिक खर्च आता है, संचालित किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त दरगाह शरीफ के प्रबन्ध में 10 छोटे-बड़े स्कूल भी चलाये जा रहे हैं । उक्त विद्यालयों के संचालन में लगभग 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष व्यय दरगाह द्वारा खर्च किया जा रहा है ।

दरगाह शरीफ के खर्च आदि का रख-रखाव लेखा नियमों के अनुसार दरगाह शरीफ द्वारा किया जा रहा है । दरगाह का आडिट चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा विधिवत् कराया जाता है । उक्त का माहवार आमदनी खर्चे का ब्यौरा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रिसीवर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय व बोर्ड में दाखिल किया जा रहा है ।

डा० मोहम्मद आलम सरहदी एवं श्री शहीरूल हसन उस्मानी द्वारा परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध शिकायतें की जिसकी जांच बोर्ड के अध्यक्ष के आदेशानुसार वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्य, श्री जफर अहमद फारूकी द्वारा की जा रही है । जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

वर्ष 1999 में श्री रफीकउल्ला उर्फ गुड्डू की नियुक्ति मेला इंचार्ज के पद पर तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी की संस्तुति दिनांक 01-05-99 पर प्रशासक समिति के 02 सदस्यों द्वारा दिनांक 06-05-99 में की गई । इस वर्ष भी माननीय अध्यक्ष बोर्ड के निर्देश दिनांक 08-05-2000 के अनुपालन में रिसीवर के स्तर से श्री रफीकउल्ला उर्फ गुड्डू को ही मेला इंचार्ज का कार्य देखने के लिए आदेशित

किया गया है । बाद में मुख्य कार्यपालिका अधिकारी, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने श्री रफ़ीकउल्ला उर्फ गुड्डू को मेला इंचार्ज बनाये रखने के उक्त आदेश को दिनांक 15-05-2000 द्वारा निरस्त कर दिया गया है ।

प्रतिवर्ष मेला की सफाई आदि की व्यवस्था दरगाह शरीफ प्रशासन के द्वारा की जाती है । इस वर्ष भी उन्हीं के द्वारा की जा रही है । जिसकी समीक्षा जिलाधिकारी, बहराइच द्वारा की जा चुकी है । जहां तक सरकार द्वारा व्यवस्था किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि रजिस्टर्ड मेले हेतु व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जाती है चूंकि प्रश्नगत मेला रजिस्टर्ड नहीं है । अतएव सरकार द्वारा व्यवस्था का औचित्य नहीं है ।

इस वर्ष 25 मई, 2000 से प्रारम्भ होने वाले मेला की पुलिस व्यवस्था परम्परागत एवं सुचारू रूप से सम्पादित कराये जाने की कार्यवाही के संबंध में दिनांक 19-05-2000 को पुनः जिलाधिकारी के स्तर पर समीक्षा भी की जायेगी । मेला में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार एवं अन्य किसी भी तरह की कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं है । इस माह आयोजित होने वाले मेला के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने तथा भीड़ में कोई अव्यवस्था उत्पन्न न हो जिसके लिए पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया गया है तथा मेले में होने वाली गति विधियों पर नजर रखने के लिए 4 क्लोज सर्किट टी०वी० लगाने की व्यवस्था का भी प्रयास किया जा रहा है ।]

प्रदेश में फाइनेन्स एवं इन्वेस्टमेन्ट कम्पनियों द्वारा की जा रही धोखा-धड़ी के संबंध में श्री पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

[रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ऐक्ट, 1934 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां कम्पनी ऐक्ट, 1956 के अधीन रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज उत्तर प्रदेश के कार्यालय में पंजीकृत होती हैं और उनके कार्यकलापों के पर्यवेक्षण एवं रेगुलेशन करने के दायित्व एवं अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपे गये हैं । रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ऐक्ट 1934 में जनवरी, 1997 में कतिपय संशोधन होने के उपरान्त अब सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों का अनिवार्य पंजीकरण, तरल सम्पत्तियों का विवरण देना, नेट आन फण्ड, रिजर्व फण्ड एवं अन्य अनेकों शर्तें व मानक निर्धारित किये गये हैं । अतः अब 9 जनवरी, 1997 के उपरान्त कोई भी गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण कराये बिना डिपाजिट संबंधी व्यवसाय प्रारम्भ नहीं कर सकती । दिनांक 9-1-1997 के पूर्व जो कम्पनियां कार्यरत थी, उन्हें 6 माह के भीतर अपने पंजीकरण के लिये भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना था, जिसका परीक्षण कर रिजर्व बैंक द्वारा उनके पंजीयन विषयक प्रार्थना-पत्रों को स्वीकृत/अस्वीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है । प्रदेश में ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां जिनके संबंध में जनता का धन हड़प करने की शिकायतें प्राप्त हो रही है के विरुद्ध कार्यवाही करने के अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक की रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ऐक्ट 1934 के अन्तर्गत प्राप्त हैं ।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों/पुलिस अधीक्षकों को इन गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण रखने एवं शिकायत प्राप्त होने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की संगत धाराओं के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है । जिलाधिकारी, इलाहाबाद से प्राप्त सूचना के अनुसार "आशमा फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लि०" एक राष्ट्रीय स्तर की कम्पनी थी उक्त कम्पनी की सुरियावां जनपद सन्त रविदास नगर स्थित शाखा के

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अभिकर्ता श्री भगौती प्रसाद मौर्य ने श्रीमती डिंगुरी देवी पत्नी श्री सरजू प्रसाद कनौजिया निवासिनी ग्राम–वनपुरवा, थाना–हंडिया, जनपद इलाहाबाद से आशमा फाइनेन्स कम्पनी में सावधि जमा के रूप में मु० 5000/–रु० जमा करवाया जिसे श्री मौर्य द्वारा श्रीमती डिंगुरी देवी को वापस कर दिया गया है। श्रीमती डिंगुरी देवी के लिखित बयान के अनुसार उन्हें पैसा मिल चुका है और वे कोई मुकदमा नहीं लड़ना चाहती है। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा है कि अभिकर्ता द्वारा उन्हें गाली गलौज व जान से मारने की धमकी नहीं दी गई। उल्लेखनीय है कि उक्त कम्पनी के विरुद्ध थाना–हंडिया में अ०सं०–305/99 अन्तर्गत धारा–406/420 भा०दं०वि० दिनांक 18-7-99 को पंजीकृत किया गया है जो विवेचनाधीन है। कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक, श्री पी०सी० शर्मा धोखा-धड़ी के मुख्य अभियुक्त हैं, वे तिहाड़ जेल में निरुद्ध हैं।]

वाराणसी नगर के दक्षिण विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत समुचित जलापूर्ति हेतु क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों को बदलवाने तथा नये अतिरिक्त नलकूपों की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

[मा० सदस्य द्वारा वाराणसी नगर के दक्षिण विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत समुचित जलापूर्ति हेतु क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों को बदलवाने तथा नये अतिरिक्त नलकूपों की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में दी गई सूचना के परिप्रेक्ष्य में निवेदन है कि वाराणसी नगर के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत घनी आबादी वाले पक्के मुहाल, मंगलागौरी, पंचगंगा घाट, त्रिपुराभैरवी, मीरघाट, सकरकंदगली, ब्रम्हानाल, नवाबगंज, सरस्वती फाटक, मुकीमगंज, देवनाथपुरा, राणामहाल, बंगाली टोला, पाण्डेयहवेली आदि मुहल्ले आते हैं। इन मुहल्लों में लगभग 100 वर्ष पुरानी पाइप लाइनें हैं। इन पाइप लाइनों में लीकेज संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर जल संस्थान, वाराणसी द्वारा तत्काल मरम्मत करा दी जाती है। दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र हेतु पूर्वांचल विकास निधि से प्राप्त धनराशि से उ० प्र० जल निगम द्वारा क्रमशः भोगवीर, कोदई चौकी, बड़ी पियरी, नीचीबाग, रामापुरा, गंगानगर में स्थित नलकूपों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उक्त नलकूपों के निर्माण के उपरान्त उक्त क्षेत्र की पेयजल समस्या में सुधार आयेगा।

2—जहां तक दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति का प्रश्न है, इस संबंध में मा० सदन को अवगत कराना है कि वाराणसी नगर की 50% आबादी को गंगानदी का जल शोधित करके क्लोरीनेशन के पश्चात् आपूर्ति की जाती है। इसके लिए भदैनी में रा-वाटर पम्पिंग स्टेशन तथा भेलूपुर में स्वच्छ जल पम्पिंग स्टेशन स्थित है। इन दोनों पम्पिंग स्टेशनों पर विद्युत विभाग के सेपरेट फीडर हैं तथा इन फीडरों पर जल संस्थान के अतिरिक्त कोई अन्य उपभोक्ता नहीं है। इन दोनों पम्पिंग स्टेशनों पर विद्युत विभाग के सब स्टेशन है जिन पर निरन्तर विद्युत उपलब्ध रहती है।

3—उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि वाराणसी शहर के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगवा एवं चौक क्षेत्र में एक-एक नलकूप का निर्माण कराये जाने हेतु पूर्वांचल विकास निधि से धनराशि स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसके संबंध में कार्यवाही की जा रही है।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मथुरा के शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (नैपाल सिंह)–

[मा० सदस्य द्वारा दी गयी यह सूचना की आडिट रिपोर्ट का अनुपालन अभी तक नहीं हुआ है, के संबंध में यह स्पष्ट करना है कि आडिट रिपोर्ट के अधिकांश बिन्दुओं का अनुपालन कर दिया गया है। तथा कुछ बिन्दुओं में कतिपय कमियां होने के कारण उनका पालन अभी संभव नहीं हो सका है जिसके लिये संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा मण्डल आगरा को पुनः निर्देशित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य शिकायती पत्रों पर की गयी जांच के आधार पर श्री साहब सिंह वर्मा, प्रधानाध्यापक के विरुद्ध सी० सी० ए० रुल्स 55 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया। एवं इस निमित्त जांच हेतु मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। श्री वर्मा के विरुद्ध अनुमोदित आरोप-पत्र मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा को प्रेषित किया जा चुका है। श्री हरीश चन्द्र यादव, सहायक अध्यापक राजकीय भारतीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अर्डीग मथुरा के विरुद्ध शिकायतों पर कार्यवाही मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा की जा रही है।

प्रश्नगत नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में अन्य अनेक बिन्दु भी सम्मिलित हैं जिन पर जांच हेतु मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा को जांच अधिकारी नामित करते हुए जांच रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।]

प्रदेश के विद्युत विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं मनमानी तथा श्री नन्दलाल, अधीक्षण अभियन्ता, लेसा लखनऊ द्वारा अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

[श्री सुरेश बहादुर सिंह, अवर अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, रेजीडेन्सी, लेसा, लखनऊ के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच का दायित्व श्री नन्द लाल, अधीक्षण अभियन्ता लेसा लखनऊ को सौंपा गया था। शिकायत की जांच आख्या शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु महाप्रबन्धक लेसा लखनऊ द्वारा श्री नन्द लाल अधीक्षण अभियन्ता को निरन्तर स्मरण कराया जाता रहा और उन्होंने इस संबंध में लगभग 14 स्मरण पत्र जारी किये हैं। इसके बावजूद जब जांच आख्या प्राप्त नहीं हुई तो परिषद् ने अपने पत्र दिनांक 26-6-99 द्वारा महाप्रबन्धक लेसा को निर्देशित किया कि यदि श्री सुरेश बहादुर सिंह के विरुद्ध की जा रही जांच की जांच आख्या संबंधित अधिकारी से एक सप्ताह के भीतर नहीं प्राप्त हो जाती तो वे कृपया जांच अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु अपनी संस्तुति देवें। इसी बीच दिनांक 7-7-99 को जांच अधिकारी ने अपनी जांच आख्या परिषद् एवं महाप्रबन्धक लेसा को प्रस्तुत कर दिया। अतएव महाप्रबन्धक लेसा ने इस संबंध में अपनी कोई संस्तुति नहीं दिया है। अपने पत्र संख्या 2114–वी०आई०पी०–99 दिनांक 5-2-99 द्वारा यह आदेश किये कि चूंकि श्री नन्द लाल, अधीक्षण अभियन्ता

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री सुरेश बहादुर सिंह, अवर अभियन्ता लेसा के विरुद्ध गम्भीर शिकायतों की जांच में विलम्ब कर रहे हैं अतएव उन्हें तत्काल निलम्बित कर दिया जाए तथा इस जांच को इक्वेटर को दे दिया जाए । इसके पूर्व इन आदेशों के अनुपालन में जांच अधिकारी श्री नन्दलाल, अधीक्षण अभियन्ता को निलम्बित किया जाता उनके पत्र दिनांक 7-7-99 द्वारा उनकी जांच आख्या प्राप्त हो गई । तत्कालीन परिषद् के पत्र दिनांक 7-8-1999 द्वारा अवगत कराते हुए निलम्बन सम्बन्धी अपने आदेशों पर पुर्नविचार करने का निवेदन किया गया तब यह पाया गया था कि जांच में विलम्ब के लिये जांच अधिकारी श्री नन्दलाल, अधीक्षण अभियन्ता का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए । तद्नुसार श्री लाल का स्पष्टीकरण मांगा गया है, जो प्रतीक्षित है ।

श्री नन्दलाल, अधीक्षण अभियन्ता से प्राप्त जांच आख्या पर अधोलिखित कार्यवाही की गयी :–

1–श्रीमती पार्वती देवी पत्नी श्री देवनाथ (पूर्व जे० एम० टी०) रेजीडेन्सी खण्ड, लखनऊ के शिकायती पत्र (दिनांक रहित) जो श्री सिंह, अवर अभियन्ता द्वारा अकूत सम्पत्ति अर्जित करने के संबंध में है, की जांच महानिदेशक (सतर्कता) करायी जा रही है ।

2–वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 की अवधि के सम्पूर्ण पुनरीक्षित बीजकों की जांच तथा इस अवधि में बढ़ाये गये विद्युत भारों की अवमुक्ति होने की तिथि से बिल निर्गत न किये जाने के कारणों की जांच तथा बढ़े हुए भार की एडवाइस किये जाने एवं पुनरीक्षित बिलों की एडवाइस कम्प्यूटर को फीड़ किये जाने में अनियमितता के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करने की जांच मुख्य अभियन्ता वितरण मध्यबिल की राजस्व निरीक्षण इकाई से करायी जा रही है ।

श्री नन्द लाल, अधीक्षण अभियन्ता को पुनः अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पन्द्रह दिनों का अंतिम अवसर दिया गया है । निर्धारित समय सीमा में उत्तर प्राप्त न होने पर एक पक्षीय निर्णय ले लिया जायेगा ।]

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड सरोजनीनगर के ग्रामीण अंचल में कन्या हाईस्कूल तथा इण्टर कालेज न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री उदयराज यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)–

[प्रदेश में बालिकाओं के शिक्षा के विकास हेतु प्रदेश के प्रत्येक जनपद के ऐसे विकास खण्डों, जिनमें एक भी बालिका हाईस्कूल/इण्टर कालेज नहीं थे, में निजी प्रबन्धतन्त्रों के सहयोग से कन्या हाईस्कूल/इण्टर कालेज की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 1994-95 में रुपये दस लाख की एक मुश्त अनुदान रुपये 5-5 लाख की दो समान किश्तों में दिये जाने की योजना प्रारम्भ की गयी । उक्त योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली अनुदान की राशि को रुपये 10 लाख से बढ़ाकर रुपये 20 लाख, रुपये 10-10 लाख की दो समान किश्तों में दिये जाने की व्यवस्था शासनादेश दिनांक 20-8-98 द्वारा की गयी ।

प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपद–लखनऊ के विकास खण्ड–सरोजिनी नगर में वित्तीय वर्ष 1994-95 में ही (योजना के प्रारम्भिक वर्ष में) हीरालाल यादव बालिका इण्टर कालेज, गौरी, सरोजिनी नगर, लखनऊ के स्थापना की स्वीकृति प्रदान करते हुए रुपये 5 लाख की प्रथम किश्त स्वीकृत की गयी । विद्यालय का निर्माण हो जाने एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्रदान कर दिये जाने के पश्चात उक्त विद्यालय को दिनांक 26-3-99 को अवशेष रुपये 5 लाख की द्वितीय किश्त भी स्वीकृत की जा चुकी है । अतः यह पूर्णरूपेण स्पष्ट है कि जनपद–लखनऊ के विकास खण्ड सरोजिनी नगर में कन्या माध्यमिक विद्यालय संचालित है । असेवित विकास खण्डों में कन्या हाईस्कूल/इण्टर कालेज की स्थापना

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

योजनान्तर्गत प्रदेश के मैदानी जनपदों के समस्त विकास खण्डों के सेवित हो जाने के पश्चात् एक कन्या विद्यालय सेवित विकास खण्ड की मात्र एक और न्याय पंचायत में कन्या विद्यालय की स्थापना नामक योजना प्रारम्भ की गयी और इस योजना के अन्तर्गत रुपये 20 लाख की धनराशि रुपये 10-10 लाख की दो समान किश्तों में अनुदान के रूप में दिये जाने की योजना प्रारम्भ की गयी । उक्त योजना के अर्न्तगत आने वाले विकास खण्डों को चिन्हित कर लिया गया है । उप शिक्षा निदेशक (शिविर) के अर्धशासकीय पत्र संख्या नियोजन–3042/43/99-2000, दिनांक 22-7-99 द्वारा प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत चिन्हित किये गये विकास खण्डों की सूची शासन को उपलब्ध करायी गयी जिसमें प्रदेश के मैदानी जनपदों के कुल 541 विकास खण्ड चिन्हित किये गये हैं । चिन्हित विकास खण्डों की उक्त सूची में लखनऊ जनपद के मात्र 4 विकास खण्ड सम्मिलित हैं, जिनमें विकास खण्ड सरोजनी नगर का नाम सम्मिलित नहीं है, जिससे यह स्पष्ट है कि जनपद–लखनऊ के विकास खण्ड सरोजनी नगर में कम से कम 2 कन्या माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं ।]

जनपद संत रविदास नगर (भदोही) ज्ञानपुर में जल निगम आफिस स्थानान्तरित न करने के संबंध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

[श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य विधान सभा में नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह अवगता कराया है कि जनपद संत रविदास नगर जल निगम आफिस ज्ञानपुर मुख्यालय पर पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहा था जिससे जनपद में येयजल की समस्यायें तीव्रता से हल हो जाती थी । पिछले महीने से कुछ अधिकारियों की लापरवाही और कुछ ठेकेदारों की गुण्डागर्दी से अफिस कार्य अस्त-व्यस्त हो गया है और गर्मी के मौसम में पेयजल की समस्या विकट हो गयी है । हैण्डपम्प का रख-रखाव पेयजल समूहों की व्यवस्था अव्यवस्थित हो गयी है । आफिस जनपद मिर्जापुर स्थानान्तरित करने की जानकारी मिली है और यदि इस समय आफिस को हटाया गया तो जनपद में पेयजल की समस्या, रख-रखाव की समस्या और गम्भीर हो जाएगी और लाखों लोग इस कठिनाई से परेशान हो जायेंगे । पूरे जनपद में इस गर्मी के दिनों में लाखों लोगों को कठिनाई को ध्यान में रखते हुए और पेयजल की व्यवस्था को व्यवस्थित करने हेतु अफिस को पुनः कानपुर में ही संचालित रखा जाये ।

उल्लेखनीय है कि जनपद संत रविदास नगर में अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय से संबंधित विवाद का मुख्य कारण ज्ञानपुर में स्थित एक ठेकेदार द्वारा कुछ अराजकतत्वों के साथ मिलकर जल निगम कार्यालय में जाकर एक जूनियर इंजीनियर के साथ हुई मार-पीट से उत्पन्न हुआ । जिसके कारण कोई भी अधिकारी/कर्मचारी ज्ञानपुर में शाखा कार्यालय को स्थापित करके कार्य करने को तैयार नहीं है । मामले की तथ्यात्मक जांच जल निगम के प्रधान कार्यालय द्वारा करायी गयी । जांच से स्पष्ट हुआ कि वर्ष 1999-2000 का निर्माण शाखा संत रविदास नगर का कार्यभार निम्न प्रकार रहा था :–

कार्यक्रम	धनराशि (रु० लाख में)
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	57
त्वरित कार्यक्रम	105
योग	162

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

यह तथ्य भी सामने आया कि निर्माण शाखा संत रविदास नगर के वेतन भत्तों आदि पर प्रति वर्ष रु० 180 लाख व्यय होता है । उक्त व्यय का कारण यह है कि शाखा में लगभग 200 कार्य प्रभारित कर्मचारी एवं अधिक संख्या में नियमित अधिष्ठान में कर्मचारी तैनात हैं । शाखा द्वारा 30 पाइप पेयजल योजनाओं का रखरखाव भी किया जाता है ।

चूंकि हैण्डपम्प का रख-रखाव इस वर्ष ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है । अतः जल निगम को कोई धनराशि उपलब्ध नहीं होगी तथा पाइप पेयजल योजनाओं के रखरखाव हेतु भी पर्याप्त धनराशि प्राप्त होने की सम्भावना नहीं है । अतः वर्तमान वित्तीय वर्ष 2000-2001 में ग्रामीण क्षेत्रों में केवल रुपया 96 लाख का ही प्राविधान प्रस्तावित है जबकि उपरोक्तानुसार वेतन भत्तों पर प्रतिवर्ष रुपया 180 लाख की धनराशि व्यय होती है ।

उपरोक्त स्थिति पर विचार करते हुए एवं वहां की कानून व्यवस्था तथा अधिकारियों/कर्मचारियों की भावनाओं को देखते हुए साथ ही उक्त शाखा के कम कार्यभार को देखते हुए शाखा कार्यालय को ज्ञानपुर से मिर्जापुर में जल निगम कार्यालय के ज्ञाप संख्या : 954/प्र–1/मुख्यालय स्थानान्तरण (इला० क्षेत्र)/2000, दिनांक 5-5-2000 द्वारा हस्तान्तरित कर दिया गया तथा जनपद के कार्य कराने हेतु ज्ञानपुर में एक सब डिवीजन भी स्थापित रखा गया है ।]

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सीमा से जुड़े विधान सभा क्षेत्र लोकोन्ह की जर्जर सड़कों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न कराये जाने के संबंध में श्री रूप चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक महत्व

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

लोक निर्माण, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

[माननीय विधायक श्री रूप चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत जिन मार्गों की सूचना दी गयी है उनके संबंध में स्थिति निम्न प्रकार है :–

1–गाजियाबाद जनपद में पड़ने वाले मार्ग :–

(क) लोनी मोहन नगर मार्ग

इस मार्ग की लम्बाई 9.1 कि०मी० तथा चौड़ाई 7.00 मी० है । यह अन्य जिला मार्ग श्रेणी का कार्य है । मार्ग पर यातायात 2527 कामर्शियल वाहन प्रतिदिन तथा 12552 पी०सी०यू० प्रतिदिन है । मार्ग की कुल 9.1 कि०मी० लम्बाई में से 7.8 किमी० लम्बाई लेपित है । तथा 1.3 किमी० लम्बाई जो आबादी में है पर ईंटों का खड़न्जा है । 1.3 किमी० लम्बाई को लेपित करने हेतु रु० 22 लाख की तथा मार्ग के सुदृढीकरण के लिये रु० 202 लाख की आवश्यकता होगी । सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण यह धनराशि स्वीकृत करना सम्भव नहीं है । अतः मार्ग पर लेपित सतह का नवीनीकरण करके इसे यातायात योग्य रखने का प्रयास किया जा रहा है । गत वर्ष 1 किमी० का नवीनीकरण किया गया था तथा इस वर्ष 2 किमी० नवीनीकरण का लक्ष्य था जो अप्रैल, 2000 में पूरा कर लिया गया है ।

(ख)–टीला फरुख नगर मार्ग

यह 3.5 किमी० लम्बाई का ग्रामीण मार्ग है । मार्ग पर 800 कामर्शियल वाहन का प्रतिदिन का यातायात है जिससे मार्ग क्षतिग्रस्त है । इसके सुधार हेतु डी० ए० एस० पी० फेज–2 में प्रस्तावित किया गया है ।

(ग) बन्थरा डिकोसी मार्ग–

इस मार्ग की लम्बाई जनपद गाजियाबाद में 8 किमी० है तथा चौड़ाई 7 किमी० है । यह ग्रामीण मार्ग है परन्तु इस पर यातायात 1734 कामर्शियल वाहन प्रतिदिन 8015 पी०सी०यू० प्रतिदिन है । इस मार्ग के सुधार की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 20-3-96 द्वारा रु० 72 लाख की लागत पर दी गयी थी, जिसके सापेक्ष 1.7 किमी० लम्बाई में सुधार का कार्य किया गया है । शेष लम्बाई के सुधार हेतु धनराशि का दिया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है । इस मार्ग के किमी० 7 में जमुना नहर का सेतु वर्तमान में क्षतिग्रस्त हो गया है जिसके पुनर्निर्माण के लिये रु० 6.75 लाख की आवश्यकता है जिसकी स्वीकृति विचाराधीन है ।

(ख) लोनी रिटोल मार्ग

यह ग्रामीण मार्ग है इस मार्ग की कुल लम्बाई 8.5 किमी० है इसमें से 5.5 किमी० जनपद गाजियाबाद में पड़ता है जो क्षतिग्रस्त है । इसका सुधार डास्प फेज–2 में प्रस्तावित है । शेष 3 किमी० जनपद बागपत में पड़ता है जिसका नवीनकरण वर्ष 2000-2001 में प्रस्तावित है ।

(ङ) बगौराबाद लिंक मार्ग

इसकी लम्बाई 6.6 किमी० व चौड़ाई 4 लेन है । इसका सुदृढ़ीकरण शासनादेश दिनांक 21-2-97 द्वारा 300.41 की लागत पर स्वीकृत है जिस के सापेक्ष रु० (19.4) का व्यय किया जा चुका है । शेष धनराशि अवमुक्त किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

(च) लोनी पुष्ठा मार्ग

यह मार्ग लोनी बन्धे के ऊपर स्थित है तथा यह सिंचाई विभाग का मार्ग है ।

2–जनपद बागपत में पड़ने वाले मार्ग :

(क) खेकड़ा फीडर व खेकड़ा बड़ा गांव मार्ग

यह दोनों ग्रामीण मार्ग है तथा इनकी लम्बाई क्रमशः 2.00 किमी० व 6.8 किमी० है । दोनों मार्गों की दशा संतोषजनक है । खेकड़ा ग्राम में हैण्डलूम निर्यात व्यवसाय एवं बड़ा गांव में प्रसिद्ध जैन तीर्थ होने के कारण महत्वपूर्ण मार्ग है । लगातार दाग मरम्मत करके इन मार्गों को संतोषजनक स्थिति में रखा जाता रहा है ।

(ख) धोनली प्याऊ चमरावल बाबा गहरका मार्ग

यह ग्रामीण मार्ग है । इसकी कुल लम्बाई 18.9 किमी० है । प्रारम्भिक 4.5 किमी० लम्बाई सतोषजनक स्थिति में है तथा शेष लम्बाई क्षतिग्रस्त है जिससके सुधार के लिये 20 लाख रुपये की आवश्यकता है जिसको स्वीकृत किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

(ग) भिटली बाबला मार्ग

यह 3.00 किमी० का ग्रामीण मार्ग है । प्रदेश के ग्रामीण मार्गों के सुधार के लिये निर्धारित धनराशि से वर्ष 2000-2001 में इस मार्ग के सुधार की व्यवस्था की जा रही है ।

(घ) भगोट से गढ़ी कलन्जरी मार्ग

यह 4.7 किमी० लम्बाई का ग्रामीण मार्ग है जो खड़न्जा से लेपन स्तर तक निर्माण हेतु वर्ष 1994-95 में स्वीकृत है । इस मार्ग पर 2.7 किमी० लम्बाई में लेपन हो गया है तथा 2.00 किमी० लम्बाई में इन्टरकोट तक कुटाई हो गई है । अवशेष कार्य को पूरा करने हेतु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी ।

(ङ) मण्डोला फकरपुर मार्ग

यह 3.00 किमी० लम्बाई का मितली रजबाहे के किनारे कच्चा मार्ग है । सम्प्रति इसे पक्का किया जाना विचाराधीन नहीं है ।

(च) मण्डोला गोधरा अहमद नगर मार्ग

यह 4.00 किमी० लम्बा लेपित ग्रामीण मार्ग है । मार्ग क्षतिग्रस्त है जिसके सुधार के लिये 6.00 लाख रु० की आवश्यकता है जिसको स्वीकृत किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।]

श्री जवाहर लाल इण्टर कालेज गोहन जिला जालौन के संस्थागत छात्रों (हाई स्कूल) के परीक्षा केन्द्र बुन्देलखण्ड इण्टर कालेज, माधोगढ़ के केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा गड़बड़ी किये जाने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)–

[जिला विद्यालय निरीक्षक जालौन ने अपने फैक्स पत्रांक 310/2000-2001 दिनांक 28-4-2000 द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद् को सूचना दी थी कि श्री जवाहर लाल इण्टर कालेज गौहान के हाईस्कूल नवीन पाठ्यक्रम में 15 परीक्षार्थियों के परीक्षा केन्द्र बुन्देलखण्ड इण्टर कालेज माधौगढ़ के केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा छात्रों के प्रवेश पत्र पर गणित विषय अंकित होने के कारण उन्हें प्रारम्भिक गणित प्रश्नपत्र की परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया गया ।

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रेषित पत्र के आधार पर परीक्षार्थियों के संबंध में आवेदन पत्र तथा नामावली से सत्यापन कराया गया । सत्यापन से स्पष्ट हुआ है कि मुद्रित नामावली में इन छात्रों का प्रारम्भिक गणित विषय ही मुद्रित था । इसी के आधार पर इन परीक्षार्थियों को प्रारम्भिक गणित की परीक्षा में सम्मिलित कराया जाना चाहिये था । मात्र प्रवेश पत्र एवं डेस्कस्लिप को ही आधार मानकर परीक्षा में सम्मिलित न कराये जाने हेतु संबंधित केन्द्र व्यवस्थापक एवं कक्ष निरीक्षक दोषी हैं । इन दोषी व्यक्तियों के संबंध में माध्यमिक शिक्षा परिषद् के पत्रांक परिषद्–9/744. 14 फरवरी, 2000 के अनुसार विनियम 109 के अन्तर्गत इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक जालौन को सूचित कर दिया गया है ।

परीक्षार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुये परीक्षार्थियों के प्रारम्भिक गणित द्वितीय प्रश्न पत्र (नवीन पाठ्यक्रम) में प्राप्तांक के आधार पर प्रारम्भिक गणित प्रश्न पत्र, (नवीन पाठ्यक्रम) में अनुपातिक अंक प्रदान कर परीक्षाफल पूर्ण किये जाने की कार्यवाही संबंधित समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी । ताकि परीक्षार्थियों का अहित न होने पाये ।

संबंधित केन्द्र व्यवस्थापक कक्ष निरीक्षकों को परिषद् के समस्त पारिश्रमिक कार्यों से वंचित किये जाने तथा इस विद्यालय को आगामी परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने के संबंध में भी निर्णय लेने हेतु प्रकरण परीक्षा समिति की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद फैजाबाद में राम वन गमन मार्ग से तमसा तट पर पर्यटन केन्द्र राम चौरा गयासपुर की परियोजना का निर्माण कार्य बजट के अभाव में बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सीताराम निषाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

पर्यटन मंत्री (श्री अशोक यादव)–

[वर्ष 1989-90 में जनपद फैजाबाद में राचौरा गयासपुर के पर्यटन विकास हेतु रु० 43.37 लाख की लागत से योजना स्वीकृत की गयी थी । उक्त योजना में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित थे :–

1–रामचौरा गयासपुर मार्ग का निर्माण ।
2–स्थानीय सम्पर्क मार्ग का निर्माण
3–पार्क का निर्माण ।
4–मानक भवन का निर्माण ।
5–पर्यटक शैड का निर्माण ।
6–मन्दिर के चबूतरे का जीर्णोद्धार ।
7–बेंचों का निर्माण ।
8–घाट का निर्माण ।
9–पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था ।
10–पेड़ों के चारों तरफ चबूतरे का निर्माण ।

उक्त योजना का कार्यान्वयन ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा किया जाना था । कार्यदायी संस्था द्वारा रु० 13.00 लाख की लागत से रामचौरा गयासपुर पहुंच मार्ग तथा स्थानीय सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया गया । कार्य का प्रगति धीमी होने के कारण कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजायन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया, जिसके द्वारा शेष कार्य रु० 30.37 लाख की लागत से पूर्ण करा लिये गये हैं । निर्माण कार्य के प्रबन्धन व रखरखाव का कार्य सामान्यतः विभाग द्वारा नहीं किया जाता है तथा कार्य पूर्ण होने पर इसे स्थानीय निकायों आदि को हस्तान्तरित कर दिया जाता है ।

इस प्रकार, अनुमोदित योजना में सम्मिलित कार्य पूर्ण कर लिये गये है । अतः धनाभाव के कारण निर्माण कार्य बन्द किये जाने का प्रश्न नहीं उठता । सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन संस्कृति विभाग द्वारा कराया जाता है ।]

जनपद बांदा व चित्रकूट के अधिकारियों द्वारा आयुक्त ग्राम विकास द्वारा जारी सुनिश्चित रोजगार योजना के निर्देशों का उल्लंघन कर अनियमिततायें किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

[सुनिश्चित रोजगार योजना के क्रियान्वयन के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त मार्ग निर्देशों के अनुसार 70 प्रतिशत धनराशि क्षेत्र पंचायतों को एवं 30 प्रतिशत धनराशि जिला पंचायतों के माध्यम से व्यय किये जाने का प्राविधान है । इस आशय के मार्ग निर्देश पहले ही समस्त जनपदों को भेजे जा चुके हैं, जहां तक जनपद बांदा एवं चित्रकूट का संबंध है, के संबंध में पृथक से जांच कार्यवाही करने हेतु मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद बागपत में महाविद्यालय के कर्मचारियों को वेतन एवं वेतन अवशेषों का भुगतान किये जाने के उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गजेन्द्र कुमार तुगाना द्वारा नियम–58 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

[अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु वर्ष 1999-2000 के आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि नवीन वेतनमान लागू होने के कारण नियमित वेतन भुगतान हेतु पर्याप्त नहीं थी । अतः पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि से नियमित वेतनादि के भुगतान हेतु वर्ष 1999-2000 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि नवीन वेतनमान लागू होने के कारण नियमित वेतन भुगतान हेतु पर्याप्त नहीं थी । अतः पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि से नियमित वेतनादि के भुगतान हेतु बी धनराशि आवंटित की गयी ।

जनपद बागपत में स्थित महाविद्यालयों के सम्भन्ध में यह उल्लेखनीय है कि जनता वैदकि कालेज, बागपत तथा दिगम्बर जैन कालेज, बागपत महाविद्यालय के माह फरवरी, 2000 का वेतन भुगतान लगभग 36 लाख रुपया वित्तीय वर्ष 2000-2001 के प्रथम त्रैमास हेतु आवंटित धनराशि से कर दिया गया है । साथ ही यह भी अवगत कराना है कि जनपद बागपत के चार महाविद्यालयों का मार्च, अप्रैल, 2000 का वेतन भुगतान किया जा चुका है । जबकि जनता वैदिक कालेज, बागपत के उक्त दोनों माहों का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि महाविद्यालयों द्वारा दोनों माहों का देयक दिनांक 1 मई, 2000 को जिला विद्यालय निरीक्षक, बागपत कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है । जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि प्रतयेक माह जनता वैदिक कालेज, बागपत के बिल समय से नहीं प्रस्तुत किये जाते हैं । वर्तमान में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा धनाभाव के कारण जनता वैदिक कालेज, बागपत को माह मार्च, अप्रैल, 2000 का वेतन भुगतान नहीं कराया गया है जिसके लिये उन्होंने सूचित किया कि निदेशालय से धन की मांग की गयी है । निदेशालय में मांग-पत्र प्राप्त होने पर धन उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

जहां तक अवशेषों के भुगतान का प्रश्न है जनपद बागपत की समेकित मांग जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत ही नहीं की गयी जिसके लिये जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दे दिये गये हैं । अवशेष भुगतान हेतु समेकित मांग के सापेक्ष धनावंटन कर दिया जायेगा । गत वर्ष जनता वैदिक कालेज, बढौत को रुपये 1 करोड़ अवशेष भुगतान हेतु आवंटित किये गये थे ।

जनता वैदिक कालेज, तथा दिगम्बर जैन महाविद्यालय बागपत के माह फरवरी के देयक 25 अप्रैल, 2000 को शासन द्वारा धनावंटन के पश्चात किया गया है । इसी देयक द्वारा आयकर की कटौती भी की गयी है । अतः यह कहना कि वेतन भुगतान न करने पर भी आयकर का समायोजन किया है तथ्यपरक नहीं है । जहां तक मेरठ के महाविद्यालयों के भुगतान का प्रश्न है इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्ष 98-99 में दिनांक 30 मार्च, 99 को सायं 7.00 बजे रुपया 50 करोड़ अवशेष के भुगतान हेतु उपलब्ध कराये गये उस समय उपलब्ध मांग पत्रों में जिलाविद्यालय निरीक्षक मेरठ का मांग-पत्र शिक्षा निदेशालय में प्राप्त था । अतः उन्हें धनावंटन किया गया । यह कहना अनुचित है कि शिक्षा निदेशालय बागपत या किसी जनपद के महाविद्यालयों के साथ उपेक्षा पूर्ण व्यवहार किया जाता है । प्रदेश के समस्त जनपदों के महाविद्यालयों के साथ समानता का दृष्टिकोण अपनाया जाता है ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद चित्रकूट की तहसील मानिकपुर में भूमि के गलत इन्द्राज को सही कराने तथा ग्रामों की चकबन्दी कराये जाने के संबंध में श्री दद्दू प्रसाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

[मा० सदस्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत उपर्युक्त विषय पर दी गयी सूचना दिनांक 12-5-2000 में इंगित जनपद चित्रकूट की तहसील कर्वी के अन्तर्गत प्राप्त सूचनानुसार उप तहसील मानकपुर में ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है, जिसमें अनु० जाति के जिन्दा व्यक्तियों को मृतक दिखाकर खतौली में दूसरे व्यक्तियों के नाम फर्जी वरासत कर दी गयी हो। वर्ष 1994 में (9) प्रकरणों में कोल जाति के मृतकों की भूमि पर ब्राह्मण जाति के व्यक्तियों की वरासत कर दी गई थी, जो कि दिनांक 4-8-94 के अन्तर्गत दुरुस्त कर सही वारिसानों के नाम अंकित करा दिये गये हैं एवं प्रकरण से सम्बन्धित दोषी कर्मचारियों को दण्डित भी कर दिया गया है। वर्तमान समय में ऐसा कोई भी प्रकरण शासन के संज्ञान में नहीं है कि कोल एवं चमार जाति के लोगों की भूमि ब्राह्मण जाति के लोगों के नाम वरासत कर दी गयी हो। यह तथ्य पूर्ण पाया गया कि दो-तीन ग्रामों में राजस्व विभाग व वन विभाग के मध्य विवाद है। वन विभाग की भूमि राजस्व विभाग में दर्ज रहने के कारण पट्टेदारों के नाम अंकित हो गई थी। ग्राम ऐलहा बढैया में 40 पट्टेदारों के नाम खारिज कर वन विभाग के नाम दर्ज किया जा चुका है। शेष अन्य विवादों का भी निस्तारण किया जा रहा है।

शासन की जानकारी में इस तहसील में 100–100 एकड़ के कोई काश्तकार नहीं हैं और न ही कोई व्यक्ति धर्मादा, देवी देवताओं तथा जानवरों के नाम अंकित कराकर स्वयं लाभ ले रहे हैं। सीलिंग की परिधि में आने वाले समस्त बड़े काश्तकारों के संबंध में वांछित कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन है। प्राप्त सूचनानुसार उप तहसील मानिकपुर में अभी तक चकबंदी नहीं हुई है।

राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा शीतकालीन दौरों के शासनादेशानुसार शीतकालीन निरीक्षण के समय ग्राम वासियों के समक्ष खुली बैठक में खतौनी पढ़कर तश्दीक की जाती है एवं निर्विवाद उत्तराधिकार के मामलों के सापेक्ष एवं अन्य त्रुटियां पाये जाने पर मौके पर ही सम्बन्धित अभिलेख दुरुस्त करा दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व निरीक्षक के द्वारा प्रतिमाह अपने-अपने क्षेत्रों के ग्रामों में जाकर खुली बैठक किये जाने के निर्देश हैं जिसके तारतम्य में मृतक पाये गये खातेदारों के संबंध में मौके पर ही वारासत आदेश पारित किये जाते हैं।]

प्रदेश में विशेषतः जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत लगाए गए इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्पों के अधिकांश के खराब होने तथा नलों का रख-रखाव पंचायतों को सौंपे जाने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

[उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा अधिष्ठापित किए जा रहे हैण्डपम्पों के चबूतरे मानक के अनुसार ही बनाये जाते हैं। जहां भी चबूतरे मानक के अनुसार न बनाए जाने का मामला प्रकाश में आता है, वहां तद्नुसार कार्यवाही की जाती है। नोटिस में उल्लिखित बिन्दु किसी भी नल के जल का परीक्षण नहीं कराया जाता है, सही प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि जल निगम में उपलब्ध प्रयोगशालाओं की क्षमता के अनुसार नल के जल का परीक्षण कराया जाता है। जहां तक हैण्डपम्पों के खराब होने का सम्बन्ध है,

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यद्यपि विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के तहत हैण्डपम्पों के रख-रखाव का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायतों को सौंप दिया गया है । फिर भी गर्मी की स्थिति को देखते हुए शासन द्वारा वर्तमान में अस्थायी रूप से खराब सभी हैण्डपम्पों को 10 जून, 2000 तक ठीक कराए जाने का निर्णय लिया जा चुका है, जिस पर त्वरित गति से कार्यवाही की जा रही है । स्थायी रूप से खराब तथा रिबोर योग्य हैण्डपम्पों को ठीक कराए जाने के निर्देश दिए जा चुके हैं ।]

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षिकाओं के पेंशन स्वीकृत किये जाने हेतु तथा उसी विद्यालय की असहायता प्राप्त की अवधि को अर्हकारी सेवा में जोड़े जाने के संबंध में श्री गोमती यादव, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री बालेश्वर त्यागी)–

[श्री गोमती यादव, मा० सदस्य विधान सभा द्वारा मा० अध्यक्ष विधान सभा के माध्यम से सदन को यह सूचित किया है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध बालिका विद्यालयों की सेवा निवृत्ति शिक्षिकाओं के पेंशन स्वीकृति किए जाने हेतुँ उसी विद्यालय की असहायता प्राप्त अवधि की अर्हकारी सेवा जोड़े जाने के सम्बन्ध में शासनादेश आज तक निर्गत नहीं हो पाया है । इस सम्बन्ध में सम्बन्धित शिक्षिकाओं के प्रतिनिधियों द्वारा कई प्रार्थना-पत्र शासन/प्रशासन को भेजे गये हैं । शिक्षिकाएं सेवा निवृत्ति के उपरान्त पेंशन आदि से वंचित है और उनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं । इससे उनके समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी है और उनमें भारी असंतोष व्याप्त है ।

मा० अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मा०सदस्य को अवगतार्थ सदन के समक्ष वस्तु स्थिति निम्नवत् प्रेषित है :–

सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी बालिका विद्यालयों को वर्ष 1971 में वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत लिया गया था तथा उन्हें वेतन वितरण अधिनियम 1971 केअन्तर्गत वेतन भुगतान किया जाता है और पेंशन सुविधा प्राप्त है । शासन द्वारा राजाज्ञा संख्या–1558/15–8-97/3004(1)/94 दि० 18-10-97 के द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पेंशन स्वीकृत किए जाने हेतु उनकी पूर्व में राजकीय संस्थाओं/विभागों व अन्य अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में की गई सेवाओं की गणना विभिन्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य की गयी है । जिसमें परिषदीय प्राइमरी विद्यालय/अपर प्राइमरी विद्यालयों में की गई सेवाओं को भी प्रश्नगत प्रयोजन हेतु जोड़ा जाता है । किन्तु सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी बालिका विद्यालयों की सेवा निवृत्ति शिक्षिकाओं के पेंशन स्वीकृत किए जाने हेतु उसी विद्यालय की असहायता प्राप्त अवधि का अर्हकारी सेवा को जोड़ने के सम्बन्ध में कोई भी प्रस्ताव शासन के समस्त विचाराधीन नहीं है ।]

नियम–49 के अन्तर्गत चर्चाओं का आगे के लिए स्थगन

श्री अध्यक्ष–

नियम–49 के अन्तर्गत निम्नलिखित चर्चायें अगले सत्र के लिए स्थगित की जाती हैं :–

1–प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के लिये रोस्टरिंग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति किये जाने विषयक दिनांक 7 अप्रैल, 2000 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–3 नत्थी (ख) के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य, श्री राजेश अग्रवाल, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री गोरखनाथ पाण्डेय,

---

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री जगदम्बिका पाल, डा० सरजीत सिंह डंग तथा श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा दी गई सूचनाओं पर, नियम–49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा । जारी

2–खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने विषयक दिनांक 26 अप्रैल, 2000 को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं०–3 नत्थी (ख) के सम्बन्ध में श्री अम्बिका चौधरी, श्री अम्बरीष कुमार, कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री राम औतार शाक्य द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा । जारी

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 को सदन के पटल पर रखने से पूर्व ही शासन द्वारा उसका अवलोकन कर लेने तथा विधेयक पर संकल्प तैयार करके कार्य-सूची में सम्मिलित किये जाने से संवैधानिक व्यवस्था भंग होने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना चौहान द्वारा उठाये गये औचित्य के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न पर श्री मुन्ना चौहान, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित सूचना, दिनांक 31 मार्च, 2000 में निर्णय सुरक्षित रखा गया था परन्तु अब निर्णय ले लिया गया है ।

उपर्युक्त मामले को औचित्य के प्रश्न के रूप में मैंने अग्राह्य कर दिया है ।

उक्त मामले पर मेरे द्वारा दिया गया निर्णय सदन की आज की कार्यवाही का अंग माना जायेगा ।

(निम्नलिखित निर्णय सदन की कार्यवाही का अंग माना गया ।)

श्री अध्यक्ष–

[श्री मुन्ना चौहान, सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधन सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 300 के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 2000 को सदन के उपवेशन में औचित्य का एक प्रश्न उठाया था कि दिनांक 27 मार्च, 2000 को सदन के पटल पर रखा गया उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 संविधान के अनुच्छेद–3 की अपेक्षाओं के अनुसार सीधे विधान सभा अथवा विधान परिषद् सचिवालय में न प्राप्त होकर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से प्राप्त हुआ और इस प्रकार विधान सभा के पटल पर रखे जाने से पूर्व ही शासन द्वारा उसका अवलोकन कर लिए जाने एवं उक्त विधेयक पर एक संकल्प भी तैयार किये जाने से संवैधानिक व्यवस्था भंग हुई है । श्री मुन्ना चौहान ने यह भी आपत्ति की है कि यह सन्देश महामहिम राष्ट्रपति का सन्देश न होकर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा भेजा गया सन्देश है । औचित्य के उपर्युक्त प्रश्न पर संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अधिष्ठाता ने श्री मुन्ना चौहान द्वारा उठाये औचित्य के उपर्युक्त प्रश्न पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा था ।

संविधान के अनुच्छेद–3 के प्राविधानों का पालन न होने के सम्बन्ध में ऐसा ही एक औचित्य का प्रश्न उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 1998 के प्राप्त होने के समय दिनांक 23 सितम्बर, 1998 को श्री गोरखनाथ पाण्डेय एवं श्री मुन्ना चौहान द्वारा उठाया गया था । उक्त औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में उस समय यह व्यवस्था दी गयी थी कि संविधान के अनुच्छेद–3 के अन्तर्गत महामहिम राष्ट्रपति के लिए यह अनिवार्य है कि वह नये राज्य के निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन के लिए जो विधेयक प्रस्तुत होने वाला हो उसको सम्बन्धित राज्य विधान मण्डल को निर्दिष्ट

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

करें । अनुच्छेद–3 में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति महोदय किसके माध्यम से ऐसे विधेयक को राज्य विधान सभा को निर्दिष्ट करेंगे ।

दिनांक 23 सितम्बर, 1998 को इस सदन में दी गयी उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में मेरा यह विचार है कि चूंकि संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति महोदय किसके माध्यम से ऐसे विधेयक को राज्य विधान मण्डल को निर्दिष्ट करेंगे, इसलिए मुख्य सचिव के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 प्राप्त होने से कोई अनियमितता नहीं हुई है । अतः मैं श्री मुन्ना चौहान के औचित्य के प्रश्न की सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं ।]

[illegible]

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–98 से लेकर मद संख्या–107 तक जो चर्चायें हैं उसके सम्बन्ध में व्यवस्था मैंने पहले दे दी है ।

मद संख्या–108 "राष्ट्रगान" लेने के पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह सदन की कार्यवाही के बारे में अपने विचार रखना चाहेंगे ।

मुख्य मंत्री (श्री राम प्रकाश)–

श्रीमन्, माननीय नेता प्रतिपक्ष और सभी माननीय नेतागण, सभी माननीय मंत्रीगण, सभी ने जो सहयोग इस सदन को चलाने में दिया है और जैसे सौहार्दपूर्ण वातावरण यहां पर रहा है और जिससे यह आशा बनी है कि यह सदन कुछ नई श्रेष्ठ परम्पराओं का पालन करेगा और सारे देश के लिए लोकतान्त्रिक प्रथा के गौरव के रूप में जाना जायेगा । यह व्यवहार करने के लिए और अच्छा वातावरण बनाने के लिए सबको मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं और कामना करता हूं कि इसी रास्ते पर हम सब सहयोग करते रहेंगे ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं सबसे पहले सभी सम्मानित सदस्यगण, नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष और सभी सम्मानित नेतागण, सहयोगी दलों के नेतागण के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और विशेष रूप से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपके मार्गदर्शन में 29 सिटिंग इस बार हुई हैं और उसमें अपवादों को छोड़कर बहुत गम्भीरता से चर्चा हुई है । कई-कई बार रात के 12 बजे चर्चा हुई और 12 बजे भी कई माननीय सदस्यों का यह इसरार रहा कि अभी हम और चर्चा करना चाहते हैं । यदि यही जागरूकता लोकतान्त्रिक कार्यों को निपटाने में रही, अगर यही संवेनशीलता हमारी जन-समस्याओं के बारे में रहेंगी तो लोगों ने जिस भरोसे के साथ हमको निर्वाचित करके भेजा है उस पर हम खरे उतरेंगे । आपके सचिवालय के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ अपने दायित्व को निभाया । उनके सहयोग के बिना हमारा इन कार्यों को निभाना शायद सम्भव नहीं होता । इसके साथ ही साथ केन्द्रीय कक्ष में काम करने वाले कर्मचारी कल्याण निगम के सभी कर्मचारियों जो हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं । उन्होंने भी पूरी लगन के साथ माननीय सदस्यगण की सेवा करने का प्रयास किया ।

सचिव, विधान सभा और उनके सहयोगियों का मैं धन्यवाद करता हूं, उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त होता रहा । मैं इन शब्दों के साथ भविष्य में हम जल्दी मिलेंगे और बिना किसी प्रकार की कटुता और पूर्वाग्रह के अपने दायित्व को अच्छी तरह निभायेंगे । मेरे पास शब्द नहीं हैं, जिस प्रकार से अच्छे वातावरण में हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास किया है उसके लिए मान्यवर, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, 29 दिनों के उपवेशन में विपक्ष ने इस प्रदेश की बहुत सी ज्वलन्त समस्याओं को सरकार के समक्ष रखा । श्रीमन्, आपके माध्यम से हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बड़ी मुस्कराहट और प्रसन्नता के साथ उन पर अपना जवाब दिया । कुछ ऐसे क्षण भी आये जब कटुतापूर्ण वातावरण पैदा हुआ लेकिन उसको सम्भालने का काम हमारे सत्तापक्ष में बैठे हुए साथियों ने यदा कदा माननीय मुख्य मंत्री जी ने, संसदीय कार्य मंत्री जी ने और कुछ वरिष्ठ मंत्रियों ने किया । बहुत ही शान्तिमय ढंग से यह पूरा बजट सत्र व्यतीत हो गया । मैं विधान सभा के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों, सचिव, विधान सभा और खासतौर से आपको मैं प्रशंसा का पात्र मानता हूं जिन्होंने बहुत से कटुतापूर्ण क्षणों को बड़ी आसानी से टाल दिया और सदन शान्तिमय ढंग से आज समापन की ओर जा रहा है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यह जो सत्र चला उसके लिए सबसे पहले मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा । आपकी अध्यक्षता में जिस तरह से गम्भीर विषयों पर बहस हो गयी व जन समस्याओं पर चर्चा हो गयी । निश्चित रूप से यह लोकतन्त्र के लिए बहुत अच्छी बात है । मान्यवर, मैं विधान सभा सचिवालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने काफी लगन और मेहनत के साथ माननीय विधायकों का सहयोग किया, सदन को चलाने में काफी जागरूकता दिखाने का काम किया । साथ ही साथ माननीय सदस्यों का, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का, विरोधी दल के समस्त साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि सभी लोगों के सहयोग से ही बहुत अच्छा बहस विभिन्न विषयों पर हो सकी है । कुछ ऐसे क्षण जरूर आये जब काफी गतिरोध रहा जिनके कारणों के कुछ विभागों का बजट नहीं पेश हो पाया । मान्यवर, मेरा मानना है कि लोकतन्त्र में जिस उद्देश्य को लेकर विधान सभा का गठन हुआ है उसमें ज्यादा से ज्यादा बैठकें हों और जन समस्याओं का सही निस्तारण हो सके । मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो बहस यहां पर होती है उसको संज्ञान में लेकर उसका अध्ययन करे और उसके आधार पर अपने विभागों का जो प्रशासन है उसमें सुधार करने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से जो हमारा उद्देश्य है, एक अच्छा प्रदेश बन सके और इस दिशा में सराहनीय कार्य हो सकें । इसके साथ मैं आपके माध्यम से पुस्तकालय के सभी कर्मचारियों का जिन्होंने समय से साहित्य हम लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा । कर्मचारी कल्याण निगम के लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा । इस सत्र की कुल सिटिंग 29 दिन की हो पायी है । माननीय नेता सदन और आपसे अनुरोध करूंगा कि इसकी बैठकें और बढ़ायी जानी चाहिए जिससे यह जो इतना बड़ा प्रदेश है और जो 16 करोड़ जनता की समस्यायें हैं उनके बारे में यहां पर चर्चा होकर उसका निराकरण निकल सके । साथ ही साथ जो जनता की बहुत सी समस्यायें हैं जिन पर चर्चा होनी है मैं चाहूंगा कि उनके बारे में चर्चा हो सके । इसके लिए जैसा आपने अनुरोध किया उस ढंग से सदन को आहूत करने का काम किया जाये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी दल की ओर से माननीय विधान सभा के अधिकारियों/कर्मचारियों और आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

श्रीमन्, सत्ता पक्ष और विपक्ष में बैठे हुए सदस्यों को मैं धन्यवाद अदा करूंगा कि सकारात्मक रुख रखते हुए प्रदेश की ज्वलन्त समस्याओं के प्रति इस सदन में विचार विमर्श किया । उत्तेजना के भी क्षण आये विरोधाभास भी हुआ लेकिन यह बात सिद्ध हुई कि प्रजातन्त्र में हठधर्मिता का कोई स्थान नहीं है अपनी बात को कहने का हमारा अधिकार है लेकिन अधिकार को अधिकार की सीमा पर रखकर विचार

विमर्श किया जाता है तो उसका परिणाम आता है । इस विधान सभा में जो इस देश की सबसे बड़ी विधान सभा है उसने इस परिपाटी का फिर पालन किया । मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी विधान सभा की गरिमा को बनाये रखने के लिए और अधिक तैयार होकर अपनी बात प्रजातान्त्रिक तरीके से कहेंगे तो उसका अच्छा परिणाम आयेगा । प्रदेश की जनता ने हमको यहां भेजा है हम अच्छी तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और जनता के हितों के अनुसार निर्णय लेंगे । श्रीमन् आपको भी बहुत धन्यवाद आपने कुशल नेतृत्व में 20 दिन विधान सभा में अच्छा विचार विमर्श हम लोगों का यहां हुआ उसके लिए आपको भी धन्यवाद । यहां के कर्मचारियों/अधिकारियों को भी धन्यवाद । अगर पंचायत के चुनाव न होते तो शायद यह सत्र इतनी जल्दी न खत्म होता मुझे उम्मीद है कि मानसून सत्र जल्दी आहूत होगा उसमें चर्चायें भी समाप्त करेंगे एवं मानसून सत्र में फिर बैठकर डिस्कस करके प्रदेश की उन समस्याओं का समाधान निकालेंगे ।

खाद्य एवं रसद मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, नेता बहुजन समाज पार्टी, लोकतान्त्रिक कांग्रेस ने जो विचार व्यक्त किये मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं और इस सदन में अच्छे विषयों पर चर्चा हुई गम्भीरता से चर्चा हुई यह अच्छी बात है । मैं सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना सहयोग दिया । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

अध्यक्ष महोदय, हम लोग 23 मार्च को मिले थे तब सर्दी पड़ रही थी आज गर्मी चरम सीमा पर है । यह लम्बा सत्र रहा कुछ मामलों में ऐतिहासिक रहा यह अवसर है कि हम दलों के ऊपर उठकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करें । यहां पर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सभी सदस्यों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया । कहीं-कहीं टकराव जरूर हुआ होगा पर मैं विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूं कि जब सदन से विदा हों तो सारी कटुताओं को भूलकर प्यार मुहब्बत के सन्देश के साथ विदा हों । यही सबका फर्ज और कर्तव्य है । इस अवसर पर मैं नेता सदन की इस बात के लिए प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने काफी समय सदन को दिया वह कम बोले लेकिन जब बोले तो हम लोगों को ज्यादा खुशी हुई इन लोगों को शायद इतनी खुशी नहीं हुई होगी । मैं चाहता हूं कि जब अब सदन चले नेता सदन अपने आसन पर ही बने रहें मैं नेता सदन को उनकी साफगोई के लिए प्रशंसा करना चाहता हूं । नेता प्रतिपक्ष के प्रति भी आदर भाव व्यक्त करते हुए इतना कहना चाहता हूं कि उन्होंने हम सभी की आवाज को अपनी पूरी ताकत के साथ उठाया एवं हम लोगों के सुझावों को स्वीकार किया । इसी के साथ-साथ मैं संसदीय कार्य मंत्री जी का जिक्र नहीं करूंगा तो बात अधूरी रह जायगी । आज मैं सुबह जब आ रहा था तो श्रीमती हुकुम सिंह जी का फोन आया और उन्होंने कहा कि सत्र आगे नहीं बढ़ सकता । मैंने जब कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि जितने समय ये घर से बाहर रहते हैं चैन रहता है । मैंने पूछा कि इनके घर में रहने से कष्ट क्या है, दुख क्या है तो भाभी जी ने बताया कि जितने समय घर पर रहते हैं वहीं की बातें करते रहते हैं । मैं चाहूंगा कि आप दोबारा यहां आने से पहले इन्हें इलाहाबाद ले जायं और संगम में डुबकियां लगवा दें और यहां की सारी बातें वही छोड़ कर घर पर आयें । मान्यवर, मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बड़े ज्ञान और ध्यान के साथ हमको हम सबको संरक्षण दिया और मौका आया तो उनको बचा भी लिया । मैं आपकी प्रशंसा करता हूं । मान्यवर, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वह कुर्सी वास्तव में बहुत ऊंची कुर्सी है लेकिन इसके साथ ही इस कुर्सी में खास गुण भी है । हम लोग बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे लेकिन जैसे ही मुन्ना चौहान जी इस कुर्सी पर बैठे उनके अन्दर इतनी गर्मी आ गयी कि तीन चार दिन पहले ही उनकी शादी हो गयी । इनकी शादी के लिए आपकी कुर्सी को बधाई देना चाहता हूं । मान्यवर, एक सूची बनवा लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

आपको भी अवसर दिया जायेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं आगे कहना नहीं चाह रहा था आपने कह दिया । आप अवसर देंगे दोबारा थोड़े ही कोई अवसर देगा । मैं बस इतना चाहता हूं कि एक सूची नामवार बनवा ली जाय । जिनकी-जिनकी शादी न हो रही हो उनको अधिष्ठाता मण्डल में शामिल कर लिया जाय मुझे विश्वास है कि उसकी शादी हो जायेगी । मैं मुन्ना भाई को बधाई देता हूं । एक दिन कहेंगे कि हम सबको बुलाकर दोनों आ जायं और खाने-पीने का इन्तजाम कर दें उनका भला ही होगा । उनका परिवार बढ़ेगा । मैं अधिष्ठाता मण्डल के समस्त सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं । कुछ ऐसे लोग जो कुछ बनना चाहते थे बन नहीं पाये इस कुर्सी पर बैठ कर सन्तोष कर लिया । मैं सबका आभार प्रकट करता हूं । आपके कार्यकाल में उत्तरांचल का गठन हो गया । में प्रशंसा करता हूं कि बजट के दिनों में सदस्यों की शिकायत रहती थी कि खाना नहीं मिलता इस बार सबको अच्छा खाना मिला मैं सबको बधाई देता हूं । सत्र पूरे समय तो नहीं चल सकता जब सत्र चलता है तभी हम सबको मिलने का अवसर प्राप्त होता है । मैं माननीय नेता सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि सत्र दो महीने में तीन-चार-पांच दिन के लिए कर लिया जाय, 10 दिन के लिए कर लिया जाय तो सारी बातें भी हो जायेंगी और हम सबको शीघ्र ही मिलने का अवसर भी मिलेगा । सारी चर्चायें भी हो जायेंगी । मैं सत्ता पक्ष के सदस्यों से खासतौर से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कभी मेरी बात से किसी को दुख हुआ हो तो मैंने कभी अपने दिल से किसी के प्रति कोई गलत भावना को व्यक्त नहीं किया है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब-जब सदन 11 और 12 बजे तक चला है तो जिन कर्मचारियों/अधिकारियों ने प्रशासनिक कार्य का निर्वाह किया है मैं मुख्य मंत्री जी से और आपसे निवेदन करूंगा आप तो बड़े दयालु हैं उन कर्मचारियों/अधिकारियों को एक्स्ट्रा बोनस दे सकें तो एक अच्छी परम्परा होगी । इसी कल्पना के साथ अगली बार हम फिर बैठेंगे और लगभग यही स्वरूप सामने की ओर होगा ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा । अन्तिम बात कहकर मैं विदा लेना चाहता हूं । डाक्टर जैन दिखायी नहीं पड़ रहे हैं उनकी बहुत याद आयेगी और श्री मेहरा साहब को उनके साथ बैठा देखना चाहूंगा । मैं हुकुम सिंह जी से फिर आग्रह करूंगा कि आप अध्यक्ष जी के साथ जाकर संगम में डुबकी लगाकर और पूजा पाठ करके ही घर जायं ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा मेरे सभी साथी, बड़े खुश माहौल में यह सदन चला । कभी-कभी तेजी भी आयी परन्तु हमने लिहाज नहीं छोड़ा, तभी जाकर यह सम्भव हो सका और आपका मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहा । इसी दुआ के साथ कि हम जल्दी मिलें और खुशगवार माहौल में मिलें, अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राम जग–

माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं । आपकी अध्यक्षता में यह एक लम्बा सत्र चला । मैं अपने प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने भी विपक्ष की अहम् भूमिका निभायी । माननीय नेता सदन तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी तथा अन्य सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं । कुछ कमियां तो रही परन्तु आपने जिस ढंग से भूमिका निभायी कम से कम वह काबिले तारीफ है । विधान सभा के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भी अपना सहयोग दिया । संसदीय लोकतन्त्र में जनवाद होता है और जब कभी विपक्ष अपनी अहम् भूमिका निभाता है तो संसदीय जनवाद में स्वाभाविक रूप से कडुवाहट हो जाती है और आज हम सौहार्दपूर्ण वातावरण में बाहर

जायं । जो भी विचार यहां पर व्यक्त किये गये हैं और जो सुझाव यहां पर दिये गये हैं, सत्ता पक्ष का यह दायित्व है कि वह उन सुझावों को जनहित में लागू करें । जिस तरह से यह सदन चला यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में अभूतपूर्व रहा । कड़ुवाहट और टकराहट रही फिर सौहार्दपूर्ण वातावरण बन गया और सदन का कार्य सौहार्दपूर्ण वातावरण में चला । हमें पूरा भरोसा है और आशा है कि 2 महीने बाद में हम फिर मिलेंगे । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम मैं आपके प्रति आभर व्यक्त करना चाहता हूं कि आपके कुशल संरक्षण में पहली बार विधान सभा का सत्र लम्बे समय तक चला । इस लम्बे सत्र के दौरान कई बार ऐसे क्षण आये, जिससे इस सदन में उत्तेजना और कड़ुवाहट की स्थिति पैदा हुई लेकिन आपने बार-बार अपनी अनुकम्पा से, कृपा से तथा संरक्षण दे करके इस सदन में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने का काम किया है । आज सत्रावसान के इस अवसर पर माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं सभी दलों के माननीय नेताओं ने जो विचार रखे हैं मैं अपने आपको उससे सम्बद्ध करता हूं और यह मैं मानना हूं कि संसदीय लोकतन्त्र की नींव को यदि ताकत प्रदान करनी है तो प्रदेश की सबसे बड़ी लोकतन्त्र की संस्था को और इस फोरम को बनाना होगा । जहां ज्यादा से ज्यादा बैठकें हों, ज्यादा से ज्यादा बहस हो, ज्यादा से ज्यादा विचार विमर्श हो । क्योंकि मैं यह मानता हूं कि जितनी बैठकें होंगी उतने दिनों तक हम बैठेंगे और प्रदेश की समस्याओं के समाधान में कारगर पहल कर सकेंगे । इसको कामयाबी मिली है आपके कुशल नेतृत्व से, आपके कुशल अध्यक्षता से । मैं इस सदन के नेता, नेता विरोधी दल, सभी दलों के नेताओं सभी माननीय सदस्यों और विधान सभा के कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रति आभार प्रदर्शित करता हूं जिन्होंने अभूतपूर्व सहयोग दिया सदन की कार्यवाही के संचालन में । हम लोग जो आज उठ रहे हैं आशा है कि शीघ्र ही इस सदन का अगला सत्र यथाशीघ्र होगा । उसी विश्वास के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री राजेन्द्र यादव–

मान्यवर, आपका आभार व्यक्त करता हूं । इस सदन को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए । आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का, नेता प्रतिपक्ष, नेता कांग्रेस, नेता ब०स०पा० का और अन्य नेताओं व माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं । इस सदन को चलाने में जितने भी लोग लगे हैं सबका आभार व्यक्त करता हूं और इस बात की उम्मीद करता हूं कि भविष्य में इससे भी अच्छे ढंग से सदन को चलाने में समस्त लोग सहयोग करेंगे । इसी अपील के साथ पुनः आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, सदन का जिस प्रकार से आपने संचालन किया और जो योगदान दिया, जो मार्गदर्शन दिया पहले मैं उसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं और माननीय सदस्यों ने जिस तनमयता से शान्तिपूर्वक सदन को चलाने में अपना योगदान दिया उसके लिए बधाई देता हूं । आपके कार्यालय के लोगों ने जो हमारी सेवा यहां की है मैं उनके लिए भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं और यह जरूरी है कि सदन को मर्यादित जिस प्रकार चलाने में आपने योगदान दिया उसके लिए आप बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं ।

श्री राम नरेश यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय परम्पराओं के इतिहास में इस सदन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है । ऐतिहासिक योगदान भी रहा । विशेष रूप से जिस पीठ पर मान्यवर, आप बैठे हैं, सुशोभित कर रहे हैं उस पीठ के कारण जो इतने दिनों तक यह सत्र चला है उसके लिए किसी को

बधाई दी जा सकती है तो आप उस बधाई के पात्र हैं । सत्रा पक्ष और विपक्ष के मानीय सदस्यों ने अपना योगदान दिया । जिस प्रकार से लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के आधार पर इस सदन का संचालन किया गया वह बहुत ही अपने आप में एक अनूठा स्थान रखता है । ऐसे भी क्षण आये हैं जिससे हम लोग इन्कार नहीं कर सकते हैं कुछ उत्तेजक वातावरण भी यहां पर आया लेकिन यह कहने में भी संकोच नहीं है कि उन उत्तेजक क्षणों में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपनी सदाशयता का परिचय देकर उत्तेजक क्षणों को बदल दिया । जो सदन की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से चली संसदीय लोकतन्त्र प्रणाली में एक कड़ी आपकी अध्यक्षता में जुड़ने का काम किया है । बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रदेश के बारे में आये और सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार उन पर गम्भीरता के साथ विचार किया वह प्रशंसनीय है । बहुत से प्रश्न रह गये हैं और जैसी आपने आज उनके बारे में व्यवस्था दी है कि अगली बार मुझे विश्वास है यह सत्र जल्दी होगा । जनता की जो आशा और अपेक्षायें हैं जिनके अनुरूप यह सदन खरा उतरता रहा । इन्हीं शब्दों के साथ माननीय नेता सदन को बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से सत्र चला । मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं । हम साथ में रहे भी हैं । आज जिस तरीके से सत्र का अन्तिम दिन है सामान्य प्रशासन और गृह के बारे में उन्होंने अपने निर्णय और निश्चय से सदन को अवगत कराया है मुझे विश्वास है कि सरकार उस पर खरी उतरेगी ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं । यद्यपि मैं ऐसा जानता हूं कि परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि वह खरे उतर सकें । मंत्रि परिषद् के सभी सदस्यों और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जो यहां बैठे हैं जिस तरह से सदन में बैठे रहकर महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जब हमारे सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये तो उस पर गम्भीर मुद्रा में खड़े होकर उत्तर देते थे । हम लोगों को कभी-कभी उत्तर अच्छा नहीं लगता था । प्रतिपक्ष के लिए यह आवश्यक भी होता है बहुत संयम का परिचय दिया उन्होंने दिया है इसलिए मैं उनका भी बहुत आभारी हूं । अध्यक्ष महोदय, आपसे सम्बन्धित सारे कर्मचारियों और अन्य लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं । इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से विशेष रूप से आपका आभारी हूं कि जिस तरीके से इतना लम्बा सत्र का संचालन आपने किया उसके लिए आपका धन्यवाद और सदन का संचालन आपने जिस तरीके से अच्छे ढंग से अपने और अपने अधिष्ठाता मण्डल के जरिये करने का काम किया ।

आज की कार्य-सूची की शेष मदों के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–21 से 107 के बारे में एक सुस्पष्ट व्यवस्था आ जाये क्योंकि उस समय थोड़ा शोर था, आज दिनांक 17 मई की कार्य सूची के नियम–103, नियम–52 और नियम–49 की मदें जिन पर चर्चा पूर्व से जारी थी आगामी सत्र के लिए स्थगित की जाती है । मद संख्या–21 पर चर्चा इसमें हुई थी लिहाजा वह भी जारी रहेगी । आगामी सत्र के लिए जारी रहेगी । नियम–51 में जिन वक्तव्यों में स्थगन के अनुरोध प्राप्त हुए हैं, इनको स्थगित किया जाता है मद संख्या–34 के विशेष प्रतिवेदन पर चर्चा स्थगित की जाती है । इसी तरह से मद संख्या–21 से मद संख्या–107 के मध्य की अन्य मद व्यपगत मानी जायेंगी ।

सदन संचालन में सहयोग हेतु सभी सदस्यों को श्री अध्यक्ष का धन्यवाद

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष और विभिन्न दल के माननीय नेतागण, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि 29 दिनों तक चलने वाले इस बजट सत्र का आज बहुत सदाशयता के वातावरण में समापन हो रहा है, सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने दल के नेताओं के मार्गदर्शन में और वैसे भी

अपनी क्षमता के अनुसार जितना समय उन्हें उपलब्ध रहा उस समय सीमा के अन्तर्गत रहते हुए इस सदन की विभिन्न चर्चाओं में और क्रियाकलापों में भाग लिया, उनका योगदान वास्तव में महत्वपूर्ण था। कभी-कभी आक्रोश दिखायी पड़ा सदन में जब हम भावावेश में भी कभी-कभी बह गये, लेकिन इन सबके बाद भी जो हमारी मान्य लोकतान्त्रिक संसदीय परम्परायें हैं इन्होंने हमें स्वयं के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए प्रेरित किया और उस नियंत्रण के अधीन हमने इस कार्यवाही का संचालन किया। कभी किसी को अपनी त्रुटि का एहसास हुआ तो उसने उसे स्वीकार करने में हिचकिचाहट नहीं दिखायी इससे वातावरण और सदाशयता पूर्ण बन गया। संसदीय लोकतन्त्र में सहिष्णुता मेरी दृष्टि में बहुत आवश्यक है, बहुत थोड़े से अपवाद इन दिनों को छोड़कर, सहिष्णुता का इस सत्र में उदारतापूर्वक परिचय हुआ है। इसी के कारण बड़े अच्छे वातावरण में हम सबने सदन की कार्यवाही में भाग लिया। माननीय नेता सदन ने भी जो योगदान दिया है इस सत्र में, हम सबको स्मरणीय रहेगा। माननीय नेता विपक्ष ने अपने लोगों को भी सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित हो, इस सम्बन्ध में निर्देश दिये। संसदीय कार्य मंत्री का भी आभारी हूं इन्होंने अनेक ऐसे क्षण आये जब वातावरण बिगड़ सकता था, लेकिन इन्होंने सदन के अन्दर, आवश्यकता पड़ी तो सदन के बाहर बैठक करके वातावरण को सुधारने का प्रयास किया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा हमारे केन्द्रीय कक्ष में भोजन की व्यवस्था की गयी। यह सारा श्रेय उनको ही जाता है और मैं इसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूं और यह आशा की जाती है कि दोबारा मौका मिलेगा तो उसी प्रकार की व्यवस्था करेंगे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी चाहे इसे निर्देश समझ लें माननीय प्रमोद जी अपनी आशाओं पर तुषारापात समझ लें क्योंकि मैं समझता हूं कि वह अपने स्थान पर टिके रहेंगे इस विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने जो सहयोग दिया है उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। सुरक्षा कर्मचारियों का जिन्होंने काफी देर तक दायित्व का निर्वाह किया है मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं अधिष्ठाता मण्डल का भी विशेष रूप से आभारी हूं। मैंने यह प्रयास किया है और जहां-जहां प्रतिभायें दिखायी पड़ी मैंने उनको अवसर भी दिया, मुझे अच्छा लगा। मुन्ना सिंह चौहान जी को यह अधिष्ठाता की कुर्सी शुभ साबित हुई। माननीय प्रमोद कुमार जी ने कहा आप और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी डुबकी लगा आये। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इन्हें डुबकी लगाने का पुराना अनुभव है और यह सई में डुबकी लगाकर संगम में आये हैं और संगम तो सबके लिए खुला हुआ है। यह सत्र कभी-कभी हंसी मजाक और चुटकुलों में सम्पन्न हुआ है, मैं सबको अपनी और से धन्यवाद देता हूं। आपने मेरे प्रति जो भावनायें व्यक्त की हैं उसके लिए आभरी हूं। मेरी भी कुछ सीमायें हैं। कभी-कभी आवेश में मेरे मन में आया लेकिन दूसरी कोई भावना मेरे मन में नहीं थी। केवल यही था सदन की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से और नियमानुसार चले। आपने सहयोग दिया। मेरी कमी रही होगी तो क्षमा कीजियेगा। एक बात और कह दूं। मैंने इस बार देखा कि पत्रकार दीर्घा से कई पर्चियां आयीं। हलांकि पत्रकार दीर्घा का संज्ञान नहीं लिया जाता है लेकिन यह बात उचित नहीं है। मुझे इस सम्बन्ध में बैठक बुलानी होगी। पत्रकार बन्धु यदि संयम नहीं बरतेंगे, सुविधाओं का दुरुपयोग करेंगे तो फिर सुविधाओं में कटौती हो सकती है क्योंकि यह एक प्रकार से अवमानना होती है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे सदस्य स्वयं संयम करें। यदि इस प्रकार का प्रयास हो तो नकारने की भावना अपने मन के अन्दर रखनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि संसदीय कार्य मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी हम सबके अनुरोध को सुनेंगे और शीघ्र ही कुछ सप्ताह बाद पुनः सदन में बेठेंगे और जो चर्चायें यहां पर लगी थीं लेकिन उनमें बहस नहीं हो पायी थी और जो स्थगित हो गयी हैं उन पर बहस करने अवसर मिलेगा। एक बात मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं आज की कार्यसूची की मद संख्या–108 को ले रहा हूं ।

राष्ट्र-गान

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे ।
भारत-भाग्य-विधाता ॥
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग ।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग ॥
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे ॥
गाहे तव जय गाथा ॥
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता ॥
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे ॥

(सभी सदस्यों ने सामूहिक राष्ट्रगान किया ।)

सदन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन का उपवेशन 6 बजकर 15 मिनट पर अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

दिनांक 17 मई, 2000

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित ता० प्र० सं०–1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1–5 पर)

श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का संलग्नक

परियोजना का नाम	कुल क्षमता (मे० वा०)	उ० प्र० ग्रास (मे० वा०)	विकास-कर्ता	परियोजना को कार्यान्वित हेतु किये गये प्रयास
1	2	3	4	5
राज्य क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र				
1–मनैरी भाली चरण–द्वितीय	304	304	राज्य क्षेत्र	परियोजना पर पुनः कार्य आरम्भ करने हेतु पीएफसी/एलआईसी से 600 करोड़ ऋण लेने हेतु कार्य प्रगति पर है।
2–लखवार–व्यासी	420	420	राज्य क्षेत्र	परियोजना पर पुनः कार्य प्रारम्भ करने के लिये शासन ने सिंचाई विभाग को नोडल विभाग बनाया है ॥
3–आनपारा "सी"	1000	1000	राज्य क्षेत्र	ओ० ई० सी० एफ० जापान से ऋण प्राप्त करने का प्रस्ताव माह मार्च, 1999 में उ० प्र० शासन द्वारा भारत सरकार को भेज दिया गया है। कुवैत फण्ड से भी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
संयुक्त क्षेत्र 1–टेहरी स्टेज–1	1000	550	मै० टेहरी हाइड्रो डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि० (भारत सरकार एवं उ० प्र० सरकार का संयुक्त उपक्रम)	इस परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
2–टेहरी स्टेज–II	1000	550	–तदैव–	निर्माण कार्य निकट भविष्य में प्रारम्भ होने का अनुमान है।
3–कोटेश्वर	400	220	–तदैव–	–तदैव–
4–राजघाट	45	22.5	उ० प्र० रा० वि०प० एवं म० प्र० वि०प०	तीनों इकाइयां इसी वर्ष (1999-2000) में सिन्क्रोनाइज्ड हो चुकी है।
निजी क्षेत्र 1–श्रीनगर	330	330	मै० डंकन नार्थ हाइड्रो पावर कं० लि०	विकासकर्ता फाइनेन्शियल क्लोजर प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत है।
2–विष्णुप्रयाग	400	400	मै० जल प्रकाश पावर वेन्चर लि०	फाइनेन्शियल क्लोजर निकट भविष्य में होना अनुमानित है।
3–रोजा	567	567	मै० रोजा पावर सप्लाई कम्पनी लि०	फाइनेन्शियल क्लोजर वर्ष 2000 में अनुमानित है।
4–जवाहरपुर	800	800	मै० जवाहरपुर पावर प्राइवेट लि०	टैक्नो-इकोनामिक क्लोयरेन्स केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से वर्ष 2000 में अनुमानित है।
5–कोसीकलां	355	355	मै० वासन पावर प्राइवेट लि०	पी०पी०ए० का कार्य प्रगति पर है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
6–वरल ईंधन पर आधारित परियोजनाएं				
अ–लखनऊ	100	100	मै० गिन्नी पावर लि०	पी०पी०ए० दिनांक 22-7-99 को हस्ताक्षरित किया गया।
ब–गाजियाबाद	100	100	मै० इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि०	–तदैव–
स–वाराणसी	100	100	मै० जी० एफ० एल० पावर लि०	पी०पी०ए० का कार्य प्रगति पर है।
द–रुड़की (हरिद्वार)	100	100	मै० कन्ट्रोल इनर्जी	–तदैव–
य–गाजियाबाद	100	100	मै० गाजियाबाद पावर कम्पनी, लि०	–तदैव–
र–गजरौला (मुरादाबाद)	100	100	मै० इम्प्रो इंडिया लि०	–तदैव–
ल–चन्दौसी (मुरादाबाद)	100	100	मै० यू०पी० पावर पार्टनर्स	पी०पी०ए० का कार्य प्रगति पर है।
व–कोसीकलां (मथुरा)	100	100	मै० एस०वी०सी० ऊर्जा लि०	प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 30-12-99 को एल० ओ० आई० जारी किया गया है।

नत्थी 'ख'

देखिये अता० प्र० सं०–79 का उत्तर पीछे पृष्ठ 50 पर

भारत सरकार से प्राप्त अनुदान रु० 10.00 लाख से राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लखनऊ में क्रय किये गये चिकित्सीय उपकरणों एवं अन्य सामानों की सूची :–

क्रमांक	खरीदे गये सामानों का नाम	खरीदे गये सामानों की मात्रा	धनराशि
1	2	3	4
1	रोटरी माइक्रोस्कोप	01	15540.00
2	माइक्रोस्कोप (मेडिकल) ओलिमपस	13	119369.25
3	माइक्रोस्कोपिक लैम्प	03	1023.75
4	आयरन बेड सैम्पिल (स्टील)	18	19689.38
5	आयरन बेल विथ कार्डियल	02	27000.00
6	फाउलर बेड	03	7961.00
7	बेड साइट लाकर्स	29	9180.22
8	डायग्नोस्टि सेट (इण्डियन)	03	1181.50
9	इन्फ्रा रेड लैम्प	01	577.50
10	रूम हीटर	04	1540.00
11	स्टर्लाइजर (इलेक्ट्रानिक)	02	8410.25
12	बैक रेज्ट	03	611.20
13	स्टूल रिवाल्विंग	03	720.90
14	स्टील बेंच	09	3008.87
15	यूवी विज–कोटोमेट्रिक सेमी आटो एनालाइजर विथ एसेसरीज (कम्पलीट)	01 सेट	238350.00
16	कम्प्यूटर, साफ्टवेयर, प्रिन्टर व यू०पी०एस० सहित	01 सेट	163582.80
17.	कम्प्यूटर सिस्टम हेतु फर्नीचर	01 सेट	8462.48
18	कम्प्यूटर के लिये ए० सी०	01 सेट	38858.00
19	रंगीन टी० वी० एसेसरीज सहित	01 सेट	16595.00
20	फोटो कापी (मोदी जिराक्स)	01 सेट	218147.75
21	स्टील आलमारी	06 सेट	11910.15
22	मैटरीज एडलप्ट	25	
23	मैटरीज कवर	52	
24	बेडसीट ह्वाइट	110	

विधान सभा उत्तर प्रदेश

1	2	3	4
25	पिलोकवर	125	39955.00
26	पिलोफिल्ड विथ काटन	20	
27	तौलिया	42	
28	डस्टर्स	42	
29	दरवाजे के लिये पर्दा	33 मीटर	2955.00
30	अस्पताल के लिये कम्बल	121	42350.00
	चेक आहरण का कमीशन		3020.00
		कुल योग–	10,00,000.00 (रुपये दस लाख मात्र)

अवर सचिव सभा

नत्थी 'ग'

देखिये अता० प्र० सं०–170 का उत्तर पीछे पृष्ठ 83–84 पर

जनपदों की सूची, जहां पर जिला चिकित्सालय स्तर पर आई० ओ० एल० विधि से मोतियाबिन्द आपरेशन की सुविधा उपलब्ध है ।

1–आगरा
2–आजमगढ़
3–इलाहाबाद
4–फतेहपुर
5–बरेली
6–बदायूं
7–पीलीभीत
8–शाहजहांपुर
9–बांदा
10–बाराबंकी
11–चमोली
12–देहरादून
13–पौड़ी
14–टिहरी गढ़वाल
15–उत्तरकाशी
16–देवरिया
17–महराजगंज
18–झांसी
19–बहराइच
20–ललितपुर
21–इटावा
22–फर्रुखाबाद
23–कानपुर (नगर)
24–नैनीताल
25–पिथौरागढ़
26–लखनऊ
27–बुलन्दशहर
28–गौतमबुद्ध नगर
29–गाजियाबाद
30–मेरठ
31–मिर्जापुर
32–बिजनौर
33–मुरादाबाद
34–ज्योतिबाफुले नगर
35–मुज्जफरनगर
36–सहारनपुर
37–गाजीपुर
38–वाराणसी
39–जौनपुर
40–हरदोई
41–फैजाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूची 'घ'

देखिये अता० प्र० सं०–184 का उत्तर पीछे पृष्ठ 88 पर

सुनिश्चित रोजगार योजना वित्तीय वर्ष 1999-2000

विधान सभा प्रश्न (अतारांकित प्रश्न संख्या 184) से संबंधित सूची

वित्तीय वर्ष 99-2000	मा० जन प्रतिनिधि	स्वीकृत धनराशि (लाखों में)	स्वीकृत कार्य	पूर्ण/अपूर्ण
1	2	3	4	5
	सांसद देवरिया	8.62	खड़ंजा 2.00 कि०मी०	अपूर्ण
		5.00	पक्की नाली 1,00 कि०मी० निर्माण	,,
		8.30	पुलिया–दो	,,
	विधायक फाजिल नगर	13.83	खड़ंजा 3.00 कि०मी० खड़ंजा, पुलिया	,,
	आबकारी मंत्री, उ० प्र०	10.676	सम्पर्क मार्ग, 2.00 कि०मी० खड़ंजा, पुलिया	,,
	विधायक पडरौना	6.00	पुल का निर्माण	,,
	विधायक नौरंगिया	12.505	मिट्टी सोलिंग 2.00 कि०मी० एवं पुलिया निर्माण	,,
	विधायक रामकोला	19.64	पुलिया चार	,,
		8.3487	खड़ंजा 1.950 कि०मी०	,,
	पूर्व विधायक सेबरही	18.981	खड़ंजा 3.500 कि०मी० एवं पुलिया निर्माण	,,
	सदस्य जिला पंचायत	6.13	खड़ंजा 1.30 कि०मी०	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
	ब्लाक प्रमुख रामकोला	3.832	पुलिया एवं खड़ंजा 0.700 कि०मी०	अपूर्ण
	ग्राम प्रधान साढ़ी	14.106	खड़ंजा 3.50 कि०मी० ह्यूमपाइप, पुलिया	,,
	ग्राम सभा के प्रतिनिधि/ग्रामवासी	50.044	पुलिया–6, खड़ंजा 2.50 कि०मी०	,,
	सांसद पड़रौना	16.879	मिट्टी कार्य 7.550 कि०मी० एवं खड़ंजा, पुलिया–दो	,,
	सांसद देवरिया	30.332	पुलिया–दो, खड़ंजा 5.70 कि०मी०	,,
	भू० पू० सांसद देवरिया	4.02	खड़ंजा 1.00 कि०मी०	,,
	ब्लाक प्रमुख, खड्डा	6.85	पुलिया–तीन	,,
	ब्लाक प्रमुख नेबुआ नौरंगिया	30.738	खड़ंजा 1.779 कि०मी० पुलिया	,,
			सोलिंग 5.39 कि०मी० पुलिया	,,
	अध्यक्ष जिला पंचायत	24.033	सोलिंग 8.15 कि०मी० पुलिया मिट्टी कार्य खड़ंजा	,,
	उपाध्यक्ष जिला पंचायत	6.851	खड़ंजा 11.40 कि०मी० मिट्टी कार्य	,,
	मा० आबकारी मंत्री	62.174	माइनर रोड का मरम्मत कार्य, पुल/पुलिया खड़ंजा/मिट्टी कार्य–20.750 कि०मी०	,,
	विधायक हाटा	25.213	पुलिया–दो, मिट्टी/खड़ंजा 9.450 कि०मी०	,,
	विधायक फाजिल नगर	16.359	खड़ंजा–3.00 कि०मी०	,,
	विधायक नौरंगिया	9.552	मिट्टी कार्य 6.275 कि०मी०, खड़ंजा	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
	विधायक रामकोला	20,342	मिट्टी कार्य 2.948 कि०मी०, पुलिया–4	,,
	श्री राजेश पाण्डेय, सदस्य, विधान परिषद्	6.965	नाली निर्माण–1.200 कि०मी०	,,
	श्री महेन्द्र यादव, सदस्य, विधान परिषद्	5.93	पुलिया	,,
	पूर्व विधायक पडरौना	7.461	खड़ंजा कार्य–2.00 कि०मी०	,,
	श्री जितेन्द्र कुमार जायसवाल राज्य मंत्री	2.52	मिट्टी कार्य 3.00 कि०मी०	,,
	पूर्व विधायक हाटा	8.645	मिट्टी कार्य 1.500 कि०मी० पुलिया	,,
	श्री संतराज यादव, राज्य मंत्री	2.457	पुलिया	,,
	राज्य मंत्री बाढ़ नियंत्रण	6.55	पुलिया	,,
	पारसमणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद्	3.370	मिट्टी कार्य 4.00 कि०मी०	,,
	श्री शिवेन्द्र सिंह, राज्य मंत्री	9.877	खड़ंजा 2.250 कि०मी० पुलिया निर्माण	,,
	श्री अम्बिका सिंह, पूर्व गन्ना मंत्री	14.48	पुलिया–दो, खड़ंजा 1.150 कि०मी०	,,
	सदस्य जिला पंचायत	46.907	पुलिया–दो, खड़ंजा/मिट्टी भराई, 15,800 कि०मी०	,,
	सदस्य डी० आर० डी० ए०	5.95	पुलिया	,,
	राजेश तिवारी, ज्येष्ठ उप प्रमुख	4.41	खड़ंजा 1325 कि०मी०	,,
	मा० सांसद, पडरौना एवं अन्य प्रतिनिधिगण	106.685	22 कि०मी० खड़ंजा, 1 कि०मी० नाली एवं 23 अदद पुलिया का निर्माण	,,

पी० एस० यू० पी०–एल० 330 विधान सभा (754)–2000–813 (डी० टी० पी०) ।